(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] सप्तम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 5वां दिवस [संख्या 3

1] [2

बुधवार

दिनांक 24 फरवरी, 1982.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री **अध्यक्ष**: प्रश्न, श्री बंशीलाल पटवा!

तारांकित प्रश्नोत्तर

मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति सम्बन्धी **मुकदमों के निपटारे हेतु जिला स्तर पर अदालतें।**

30. **बन्शीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मोटर दुर्घटनाओं के क्षतिपूर्ति के मुकदमें सुनने के लिये राज्य के किन-किन स्थानों पर संभागीय अदालते हैं और वहां पर किन-किन जिलों के मुकदमें सुने जाते हैं और किन-किन स्थानों पर जिला स्तरीय मुकदमें सुनने की अदालतें हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार यह दोहरी नीति समाप्त कर प्रत्येक जिला स्तर पर अदालत स्थापित करने का विचार रखती है?

विधि मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।
(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री सूरज पाल सिह!

श्री **बंशीलाल पटवा**: सप्लीमेंट्री है हुकुम।

मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सम्भागीय अदालतें पांच स्थानों पर खोल रखी हैं और सात-आठ स्थानों पर जिला स्तरीय अदालतें हैं जो मुकदमे सुनती हैं, आखिर यह दोहरी नीति कब तक चलेगी, इसका निर्णय कब तक हो जावेगा?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**: इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उच्च न्यायालय को लिखा गया है। उच्च न्यायालय से परामर्श के

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
बाद ही कोई निर्णय किया जा सकता है ।

श्री बंशीलाल पटवा : इस सम्बन्ध में भीलवाड़ा नगर के नागरिक आपसे मिले थे, मुख्य मंत्रीजी से मिले थे उस समय क्या आवश्वासन दिया और उस आश्वासन की पूर्ति हुई या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसलिए तो मिले थे । मैंने स्वयं यह महसूस किया कि वास्तविक रूप में इससे कठिनाई पैदा होती है । हाई कोर्ट को लिखा गया है कि इसका जुरिस्डिक्शन हमको चेंज कर देना चाहिए । हाई कोर्ट का जवाब आने पर ही निर्णय लिया जावेगा ।

श्री बंशीलाल पटवा : उच्च न्यायालय को कब लिखा गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब मैं भीलवाड़ा से वापस आया उसके तीसरे दिन ही लिख दिया गया था ।

श्री बंशीलाल पटवा : कौनसी तारीख को लिखा ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं अध्यक्ष महोदय, अहमियत का प्रश्न है ।

मेरा इसी प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन है कि यह सम्भागीय अदालतें खोल रखी हैं जैसे उदयपुर में छः स्थानो के मुकदमे सुने जाते हैं किन्तु वहां मजिस्ट्रेट नहीं मिलते हैं । वकील चले जाते है और मजिस्ट्रेट नही मिलने से वापस लौट कर आते हैं । कभी डॉक्टर जाते हैं तो मजिस्ट्रेट नहीं मिलते और कभी मजिस्ट्रेट मिलते हैं तो डॉक्टर नहीं पहुंचते । इस तरह से गरीब आदमी, जिसका एक्सीडेंट होता है, जिनके साथ दुर्घटना घटती है, के मुकदमे खारिज हो जाते हैं । यह दोहरी नीति राज्य सरकार से मेरा निवेदन है, जल्दी से जल्दी समाप्त करके जिला स्तरीय सैशन्स जज और जो दूसरे हैं उन को अधिकार दिये जा सकते हैं । जब तक उन्हें अधिकार नहीं दें और हाई कोर्ट से इस सम्बन्ध में परामर्श कोई नहीं हो, निर्णय नहीं हो तब तक कम से कम टैम्प्रेरी कैम्प लगायें जिला स्तर पर ताकि मुकदमे खारिज नहीं हों और लोगों को न्याय मंहगा नहीं मिले । इस सम्बन्ध में कुछ आश्वासन तो दीजिए ताकि लोगों को धैर्य हो ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपकी राय से सहमत हूं । मुकदमे खारिज तो क्या मुकदमे दायर ही नहीं होते । एक व्यक्ति भीलवाड़ा का यदि उदयपुर जाता है दाखिल करने के के लिए क्लेम तो मेरी खुद की यह धारणा है कि उस गरीब आदमी का बहुत खर्चा होता है । चाहे आठ आने की ही दरख्वास्त होती हो लेकिन क्लेम दाखिल नहीं होता है एक्सीडेंट के क्लेम वैसे ही रह जाते हैं । मैं तो स्वयं आपकी राय से सहमत हूं राज्य सरकार सहमत है इसीलिए हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन के लिए लिखा गया है । दुर्घटना का जैसे उदयपुर का केस है तो उदयपुर के सेशन जज के यहां क्लेम दाखिल होता है इसी तरह से दूसरी जगहों पर हों । मेरी राय भी वही है जो आपकी राय है, जैसे प्रतापगढ़ का क्लेम हो तो प्रतापगढ़ की सेशन जजों में दाखिल हो जावे तो ज्यादा सुविधा रहेगी ।

(बृजसुन्दर शर्मा)

इसी तरह से भीलवाड़ा का क्लेम है तो उसका फैसला वहीं पर हों तो तहूलियत रहेगी हाई कोर्ट का कहना यह है कि उन लोगों के पास वर्क बहुत ज्यादा है। हाई कोर्ट को मैंने लिखा हुआ है कि इसमें वर्क का कोई प्रश्न नहीं है। एक्सीडेंट के सन्ड्री क्लेम होते हैं जिनको जल्दी से जल्दी डिसाइड करना चाहिए। मैं खुद हाई कोर्ट से बात करके, चीफ जस्टिस से बात कर के इस बारे में व्यवस्था करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सूरजपालसिंह।

श्री बंशीलाल पटवा : मान्यवर, एक बात रह गई है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, अगला प्रश्न मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उदयपुर से मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा में मुकदमे सुनने के लिए आते हैं तो इनके मुकदमे भी सुन लें, इसलिए कैम्प लगाया जावे ताकि वहीं पर मुकदमे सुन सकें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री सूरजपालसिंह।

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन का विदेशों में मार्केट बनाने की योजना :।

31· **श्री सूरजपालसिंह** (भीनमाल) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की घी उत्पादन की कितनी क्षमता है ? इसका विदेशों में मार्केट बनाने के लिए क्या योजना बनाई गई है और क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार से वार्ता की गई है ? यदि हो तो वार्ता के क्या परिणाम रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि घी की मात्रा राज्य में काफी अ[illegible] हो गई है और भारत में सबसे अच्छा घी राजस्थान राज्य में उत्पन्न किया जाता है ?

राज्यमंत्री, डेयरी विकास
(श्री रामपाल उपाध्याय) :

(1) राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के अन्तर्गत डेयरी संयंत्रों की 5 लाख लीटर दूध पाश्च्यूराइज करने व 30 मैट्रिक टन पाउडर, 10 मैट्रिक टन घी एवं 10 मैट्रिक टन मक्खन प्रतिदिन उत्पादित करने की क्षमता है।

घरेलू खपत ही काफी है, अतः बाहर भेजने का सवाल ही नहीं है। वैसे बाहर भेजे जाने हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(2) राजस्थान में पांच घी प्लान्ट प्रतिदिन 4 टन घी का उत्पादन कर रहे हैं। जब कि वर्ष 1980-81 में यह औसत 1 टन प्रतिदिन रहा। वर्तमान में 100 मैट्रिक टन घी इस समय स्टॉक में उपलब्ध है। राजस्थान राज्य में उत्पादित घी देश में उत्पादित अच्छे घी की श्रेणी में आता है।

श्री सूरजपालसिंह : इस सौ टन घी के मार्किट के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ? सौ टन घी इकट्ठा हो रहा है 35 लाख रुपये का फैडरेशन के पास घी पड़ा है उसका मार्केट अचिव करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री रामपाल उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, फैडरेशन के पास इस समय सौ मैट्रिक टन घी है। इसको जान बूझ करके अपने पास इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि दूध के अलग-अलग तरह के सीजन होते हैं। कभी दूध कम होता है, वह दूध का लीप सीजन होता है उसमें कीमतें ज्यादा हो जाती हैं। जब दूध कम आता है अप्रेल से जुलाई में तो हम इसके पाउडर और घी को मिला कर शहरों की क्षमता के आधार पर दूध तैयार करते हैं। दूध में घी और पाउडर मिला कर तयार करते है व क्षमता के आधार पर रेश्यो, प्रपर्शन में तैयार करते हैं। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे समय के लिए इसको रखा जावे, नम्बर एक। नम्बर दो, जब गर्मी में दूध कम हो जाता है उस समय घी के भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि सहकारिता का लक्ष्य है, इसके आधार पर फैडरेशन की यह मंशा रही है कि यह स्टॉक में रहना आवश्यक है ताकि इस घी को उस समय सस्ते भाव में दे सकें और मार्केट का संतुलन बनाए रख सकें।

श्री सूरजपालसिंह : मार्केट में घी का भाव क्या है ? मार्केट और फैडरेशन के भाव में क्या फर्क है ?

श्री रामपाल उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, आज भी मार्केट में जो भाव है उससे पांच छः रुपया प्रति किलो डेयरी के भाव कम हैं। आज 35 रु. और 36 रु. प्रति किलो हम पोलीथिन के बैग में बन्द करके बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी में भी हमने करीब-करीब 39 रु. प्रति किलो के भाव में घी बेचा था जब कि बाजार में 50 रु. और 52 रु. प्रति किलो तक घी का भाव था।

श्री सूरजपालसिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि गावों में आज भी 36 रु. के भाव में घी उपलब्ध है।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, गांवों में आज भी कहीं 36 रु. प्रति किलो है तो कहीं 38 रु. 39 रु. और कहीं पर चालीस रुपया भी है।

श्री सूरजपाल सिंह : फैडरेशन ने शार्ट टर्म के लिये 35 लाख रुपये का माल इकट्ठा कर रखा है, इसमे फैडरेशन को जो ब्याज का नुकसान हो रहा है उसकी तुलना मे आप गर्मी में बेचकर क्या लाभ उपलब्ध करा सकेंगे ? क्या इसके कोई आंकड़ें मंत्री महोदय के पास हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन कर चुका हूं, यदि इस घी को अभी दूध और पाउडर मिलाकर निकाल दें तो जब हमारा लीप सीजन होगा तब कम से कम दूध होगा, उस समय जो दुग्ध संग्रहकर्त्ता और उपभोक्ता है, उनको दुग्ध की सप्लाई में परेशानी होगी और मार्केट रेट बढ़ जायेगी। साथ ही घी की दर भी बढ़ जायेगी। इसलिये संतुलन कायम रखने के लिये व्यवस्था यह की गई है

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भैरोंसिह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के चेयरमैन यहीं पर उपस्थित हैं, क्या उनसे मैं प्रश्न पूछ सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री जी से नहीं, उनसे पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से पूछ सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो यहां वक्तव्य दिया है या सूचना दी है, क्या वह उसको सही मानते हैं ?

(व्यवधान)

मेरा राइट है । मैं उनसे पूछ सकता हूं ।

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल): आप सदस्य से थोड़े ही प्रश्न करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिये प्रक्रिया अलग है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपसे पूछा नहीं, फिर आप क्यों ऐसा कह रही हैं ?

श्रीमती कमला : मैं इस महकमें की मंत्री हूं, मुझसे संबंधित है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आप उनके खिलाफ पर बोल रही हैं ।

श्रीमती कमला : नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उनसे प्रश्न कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : कर सकते हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आप उनसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप को थोड़ा ज्ञान करा दें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा ज्ञान है । वह डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है ।

श्री अध्यक्ष : यह उनकी तैयारी पर है ।

चेयरमैन, डेकरी फेडरेशन (श्री रामसिंह विश्नोई) : मैं तैयार हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस नीति की, जिस प्रक्रिया की यहां घोषणा की गई है क्या आप उसको सही मानते हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में घी की मात्रा राजस्थान में सौ मेट्रिक टन के करीब मौजूद है । हकीकत में फारेन कन्ट्री में अच्छा घी पहुंचे, वहां जो इण्डियन रहते हैं, उनको भेजे तो काफी मार्केट राजस्थान का बन सकता है । जहां तक मंत्री महोदय ने बताया कि लीप सीजन में गर्मी में दूध की कमी आ जाती है, यह बात सही है । लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि जो आज मौजूदा भाव ले रहे हैं, सरकार ने किसी नीति से बढाया है । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि दूध की मात्रा जो आज साढ़े तीन लाख लीटर है,

(श्री राम सिंह विश्नोई)
वह दो लाख से कम होने का नहीं है। घी का हमेशा यह कायदा है कि स्वास्थ्य के लिये ताजा घी उपयोग में लाना चाहिये।
6–12 महीने....

श्री अध्यक्ष : आप....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, घी ताजा खाना चाहिये। घी को फारेन कन्ट्रीज में भेजना चाहिये। यहां के मवेशी और पशु पालकों को आगे बढ़ाने के लिये घी का मार्केट बनाना चाहिये ताकि यहां के काश्तकारों और पशु पालकों को प्रोत्साहन मिले।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो प्रश्न उठाये गये। एक तो यह कि 100 मैट्रिक टन घी मौजूद होते हुए मार्केट में क्यों नहीं निकाला? फैडरेशन वालों ने मार्केट की प्राइस को बेलेन्स करने के लिये और हाई प्राइस फेच करने के लिये यह घी इक्कट्ठा किया था जो उसको नहीं करना चाहिये। जब यह सवाल आया तो उसने बताया कि इतना घी इक्कट्ठा है। हमने उनको निर्देश दिया है कि घी इक्कट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में निकालते रहिये। जहां तक बाजार भाव का सवाल है आप जानते हैं कि यूरोपियन कन्ट्रीज से जो हमारे यहां बटर आयल आ रहा है, उसके भाव हमारे यहां के भाव से आधे से भी कम है, वह 17–18 रुपये किलो में बिकता है। इसलिये कौन-कौन से कन्ट्री में इससे ज्यादा भाव में अपना घी भेज सकते हैं, जब तक यह जानकारी नहीं करें, तब तक भेजना मैं उचित नहीं समझती। आज हमारा घी 35–40 रुपये किलो बिकता है, और बाहर के कन्ट्री में घी का उपयोग नहीं होता है, वहां बटर आयल का उपयोग होता है। जिस भाव पर लोकली कन्जूम हो रहा है, वह ज्यादा है। इसकी जांच की जा रही है कि किस-किस कन्ट्रीज में हमें ज्यादा भाव मिलेगा?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बात सही नहीं है। पशु पालकों को प्रोत्साहन देने के लिये कई देश दूसरे बाहर घी भेजते हैं। घी, दूध जितना सस्ता हमारे यहां पैदा करते हैं, उतना सस्ता कोई दूसरा देश नहीं करता। दूसरे देशों की गवर्नमेंट पशु पालकों को प्रोत्साहन देती है। इसलिये यह कहना कि वह सस्ता पैदा करते हैं, गलत है। वह सब्सिडाइज करते हैं। आप सब्सिडाइज करेंगे तो बाहर से जो बटर आयल आता है, घी आता है, वह बन्द हो जायेंगा।

श्रीमती कमला : जहां तक इनकी सब्सिडाइज करने की मांग है, वह घी सिर्फ लीप पीरियड में मार्केट रेट को बेलेन्स करने के लिये रखा था, जो इतना रखने की जरूरत नहीं थी......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घी के बारे में निर्णय अन्तिम रूप से डेयरी फैडरेशन को लेना है या राज्य सरकार को लेना है?

श्रीमती कमला : फैडरेशन अपने लेवल पर ले सकता है, उनको अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैडरेशन के चैयरमेन कह रहे हैं कि घी का निर्यात करना चाहिये अगर आप सब्सिडाइज करें तो आप मना क्यों कर रही हैं?

श्रीमती कमला : मना कौन कर रहा है ? यह तो इनको पहले से मालूम है। इनको पहले से करना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टाक तो इनके आने से पहले हो चुका था। आप इन पर दोष क्यों लगा रही हैं ? जब फैडरेशन गवर्नमेंट के हाथ में था तो गवर्नमेंट ने स्टाक क्यों किया ?

श्रीमती कमला : आप सोच रहे हैं, सरकार ने मना किया। सरकार ने मना नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्रीमती विद्या पाठक, श्री जीतमल जैन, श्री हीरालाल आर्य।

रोगियों पर कर लगाया

32. **श्रीमती उजला अरोड़ा**: (जयपुर ग्रामीण), **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर), **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) **श्री जीतमल जैन** (अलवर),

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार अस्पतालों में इन्डोर और आउटडोर मरीजों से 50 पैसे व 1/- रूपया वसूल करेगी ? यदि हां, तो क्यों, किस प्रकार व कब से, किस-किस अस्पताल में ?

उप-मंत्री, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (श्रीमती कमला) : ग्रामीण डिस्पेन्सरीज, एडपोस्ट व स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को छोड़कर अन्य सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा सहायता के रूप में इस प्रकार की राशि के लिये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि यह प्रश्न विचाराधीन है। यह किस तरह से लिया जायेगा, कब से लिया जायेगा, क्यों लिया जायेगा और किस काम में उपयोग में लाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन है।

चिकित्सा एव स्वास्थ्य मंत्री (श्री सी. एल. कंवरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य। ने जो प्रश्न किया है, उसके उत्तर में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, यह अभी विचाराधीन है। किस प्रकार लिया जायेगा, किस प्रकार लगाया जायेगा, वह सब अभी विचाराधीन है।

चिकित्सा के संबंध में सैस लगाने की बात है यह इस बिना पर कि सैन्ट्रल कौंसिल आफ हैल्थ ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार की सिफारिश भेजी है कि वह हास्पिटल के डवलपमेंट के लिये इस प्रकार के सैस लगा सकती है। कई स्टेट्स में तो इस प्रकार के सैस लग भी चुके हैं। यू. पी. में तो बहुत पहले से है, पंजाब में भी बताया जाता है। सैन्ट्रल आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स में है, महाराष्ट्र में भी होना बताया जाता है, और दूसरे स्टेट्स के अन्दर भी प्रक्रिया जारी है हमारे

(श्री सी एल कंवरिया) यहां विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजा हुआ है जिस पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री **हीरालाल आर्य**: माननीय अध्यक्ष महोदय, मरीजों को सुविधा दी जानी चाहिये, उल्टे टैक्स लगाकर मरीजों को परेशान किया जा रहा है। इससे गरीब लोक इलाज कराने नहीं आ सकेंगे। क्या यह सरकार का उचित [illegible] है?

श्री **सी. एल. कंवरिया**: मामला अभी विचाराधीन है अच्छी तरह से विचार करके गरीब मरीजों के लिये निर्णय लिया जायेगा।

श्री **राजबहादुर** (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या प्रिंसिपली सिद्धान्त रूप में सरकार यह मानेगी कि इस तरह का हर किसी पर सैस लगाया जाय? क्या यह गरीबी दूर करने का कोई सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का कार्यक्रम है? अगर है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध करता हूं। सरकार को भी इस तरह का विचार ही नहीं करना चाहिये।

श्रीमती विद्या पाठक: क्या यह सिफारिश केन्द्र की ओर से या कौंसिल की ओर से आई है? क्या इसको सरकार ने प्रिंसीपली एग्री कर लिया है? पहले तो यह बतावें और क्या यह सैस लगाया जायेगा?

श्री सी. एल. कंवरिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा इसके संबंध में निवेदन है कि अभी तो यह केवल विचाराधीन है। अभी कोई निर्णय सरकार ने इस संबंध में नहीं लिया है। केवल प्रस्ताव विभाग की ओर से आया है। इसके ऊपर टिप्पणी चल रही है। अभी तो सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश ही नहीं हुआ है केवल विभाग के समक्ष चल रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: यदि आप चाहें तो लगा सकते हैं, तो क्या सरकार उचित समझती है कि यह लगाया जाये?

श्री सी. **एल. कंवरिया**: यह तो सरकार विचार करेगी। अभी विचाराधीन है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्रीमती उजला अरोड़ा: यह लगाने का कहीं निर्णय मत करना।

श्री **अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री हरीश शर्मा।

राजस्थान श्रमिक ठेका सहकारी समिति रामगंज मंडी की लीज की स्वीकृति

33. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान श्रमिक ठेका सहकारी समिति, रामगंज मंडी से, जिसके सारे सदस्य अनुसूचित जाति के हैं, ग्राम कुम्भकोट के पास लाइम स्टोन क्षेत्र में 9000 × 1000 वर्ग फुट भूमि के खनन पट्टे के लिये दिनांक 6-3-1978 को खनिज विभाग में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था?

(2) क्या उक्त समिति को सरकार ने अभी तक लीज स्वीकृति नहीं की है? यदि

(श्री **हरीश शर्मा**)
हां, तो क्यों तथा अब कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी भूमि पर इस समिति के आवेदन करने के दो वर्ष बाद कुछ धनाढ्य लोगों ने आवेदन किया है ? यदि हां, तो क्या इसीलिये सरकार इस समिति को लीज स्वीकृति नहीं कर रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 28-2-81 को इस समिति को लीज स्वीकृत करने का आदेश हो गया है ? यदि हां, तो अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी हां, राजस्थान श्रमिक ठेका सहकारी समिति, रामगंज मण्डी से ग्राम कुम्भाकोट के पास लाइम स्टोन क्षेत्र के खनन पट्टे के लिये 6-3-78 को आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। किन्तु इस समिति के समस्त सदस्य अनुसूचित जाति के नहीं हैं।

(2) जी हां, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, रामगंज मंडी के स्थगन आदेश के कारण यह कहना कठिन है कि लीज कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी।

(3) इस समिति के आवेदन करने के पश्चात् कुछ लोगों ने इस क्षेत्र के लिये आवेदन किया था पर यह सही नहीं है कि सरकार समिति को लीज इन आवेदन-पत्रों के कारण स्वीकृत नहीं कर रही है।

(4) जी नहीं, मामला न्यायालय के के विचाराधीन होने के कारण स्वीकृति के बारे में कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री **हरीश शर्मा** : क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी के हुक्म से स्वीकृति नहीं दी जा रही है ?

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : नहीं, यह बात गलत है।

श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (3) के उत्तर में यह कहा गया है कि यह सही नहीं है कि सरकार समिति को लीज इन आवेदन-पत्रों के कारण स्वीकृत नहीं कर रही है। तो आप, कृपया बतावें कि किन सदस्यों को लीज नहीं दी जा सकती ?

श्री **अध्यक्ष** : कारण बता दिये गये हैं।

श्री **अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आदेश से कार्यवाही नहीं की जा रही है तो क्या विभाग द्वारा कोई कदम उठाये गये कि इस स्थगन आदेश को समाप्त किया जावे ?

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : श्री भैरुंलाल नामक व्यक्ति ने स्टे आर्डर प्राप्त किया है, इस स्टे आर्डर को निरस्त करवाने के लिये समुचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री **अनंग कुमार जैन** : कार्यवाही की गई है अथवा नहीं ?

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : कोर्ट से स्टे आर्डर आने के कारण कार्यवाही स्थगित की हुई है, इसको वैकेट करवाने के लिये समुचित कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : यह 1978 का केस था। आज 4 साल हो गये हैं अभी तक हुआ नहीं क्या वैकेट ?

श्री **हरीश शर्मा** : यह नहीं देंगे। मुख्य मंत्री जी का आदेश है साहब। ये गलत कह रहे हैं। सारे सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट के हैं।

श्री **अध्यक्ष** : सारे नहीं हैं, उत्तर आपने सुना है, माननीय सदस्य।

श्री **गोपाल पचेरवाल** : रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सारे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं और माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि नहीं है तो किसकी बात सही मानी जायेगी ?

श्री **अध्यक्ष** : इस प्रश्न को अलग तरीके से उठावें।

• श्री **गुलाबचन्द कटारिया**।

ऋषभदेव, उदयपुर में देवस्थान विभाग के मकानात

34. श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांव ऋषभदेव; जिला उदयपुर में देवस्थान विभाग ने किन किन व्यक्तियों को मकान, दुकान या स्थान किराये पर दे रखे हैं ? कृपया, सूची मय किरायेदारों के नाम, किराये की राशि व कब्जे की तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग ने इनके किराये में बृद्धि का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो पूर्व में क्या किराया था एवं अब क्या किराया लेने का सरकार विचार रखती है ?

(3) किराये में जितनी वृद्धि की जा रही है उसका आधार क्या है ?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री घासीराम यादव) : (1) मंदिर श्री ऋषभदेव जी, ग्राम घुलेव, जिला उदयपुर की सम्पदा यानि मकान, दुकान व स्थान जिन-जिन व्यक्तियों को किराये पर दी गई है उसकी सूची मय किराये की राशि, कब्जों के दिनांक की सूचना सहित सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, संलग्न सूची में पुरानी व नई दरें अंकित कर दी गई हैं।

(3) पूर्व में जो किराया निर्धारित था वह बहुत कम है। नवीन किराया राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित किया है।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची मुझे प्राप्त हुई है इसके अनुसार जिनका किराया बढ़ाया गया है, उसमें सीरियल नं. 64 पर 112 गुना, नं. 46 पर नाजू पुत्र जूड़ा मोची पर 88 गुना, नं. 1 पर चुन्नीलाल नाई पर 21 गुना, नं. 2 पर नाथू लुहार पर 30 गुना, नं. 4 पर एक सिलाई का काम करने वाले पर 33 गुना और नं. 4 पर एक लखारे पर 28 गुना किराया बढ़ाया गया है। तो कहीं 112, कहीं 88 और कहीं 28 गुना किराया बढ़ाने का क्या आधार था ? यह एक छोटा-सा गांव है, कोई नगरपालिका भी नहीं है। इस छोटे से गांव में इस गति से किराया बढाये जाने का क्या औचित्य है ? पिछले तीन साल से जो नोटिस दिये हैं बकाया किराये के, किसी को 22 हजार, किसी को

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
6 हजार और किसी को 23 हजार के, इसका क्या आधार है ? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़ा व्यापार करते हैं उनको तो 8–10 गुना ही बढ़ाया गया और छोटे लोगों पर इतना बढ़ाया गया, आखिर इसका आधार क्या है ?

श्री घासीराम यादव : दिनांक 11-1-77 को जनता पार्टी के शासन के वक्त इसके लिये एक संयुक्त कमेटी गठित हुई थी जिसमें तीन आदमी थे, उस क्षेत्र के विधायक, एक्स. ई. एन. और दण्डनायक सदस्य थे और इन तीनों ने मिलकर किराया पी. डब्ल्यू. डी. के मापदण्ड के अनुसार तय किया। उस वक्त जिन्होंने किराया जमा नहीं कराया, उनको नोटिस दिये गये हैं। उस समय जो कमेटी बनी थी उसमें माननीय सदस्य मेम्बर थे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो कमेटी बनी इसने सबसे पहले कब इस बढ़े हुए किराये से सूचित किया ? क्या आप किरायेदार को सूचना नहीं देंगे कि आपने क्या तय किया है ? क्या आपने उनको सूचना दी है ? इसका आप जवाब दें।

श्री घासीराम यादव : 1978 में यह कह दिया गया था कि तुम्हारा किराया बढ़ाया गया है। उन्होंने किराया नहीं दिया है। 1981 से बेदखली की कार्यवाही हुई है। जुलाई, 1978 से यह किराया लागू किया गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप सोचें कि क्या वे इतना बढ़ा हुआ किराया दे सकते हैं ? जिस गति से जितना गुना बढ़ाया गया है उस पर आप विचार करें।

श्री घासीराम यादव : यह किराया एक कमेटी ने बढ़ाया है। हर एक केस को राज्य सरकार नहीं देख सकती है। एक कमेटी बना दी गयी थी। माननीय सदस्य भी उस कमेटी के मेम्बर बनाये गये थे। अब दुबारा राज्य सरकार ने कलेक्टर की चेयरमेनशिप में कमेटी बनायी है जिसको अपील की जा सकती है। कलेक्टर इसको दुबारा देखेंगे। कलेक्टर ही इसका फैसला करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या यह संभव है कि जिस साधारण मोची, धोबी की रिकवरी आपने 15 हजार रुपये, 18 हजार रुपये, 22 हजार रुपये निकाली है, वह उसका भुगतान कर देगा ? उसकी सात पीढ़ियां भी यह भुगतान नहीं कर सकती है ? उसके घर का सारा सामान भी आप नीलाम कर दें तो भी यह रिकवरी आप नहीं कर सकते हैं। वह इतना रुपया जमा नहीं करा सकते हैं। जो मोची, दो, चार रुपया देते थे उनका दो सौ रुपया किराया आपने बढ़ा दिया है। क्या वह बढ़ा हुआ किराया दे पायेगा ? इस बात पर आप सोचें। इसका सही जस्टिफिकेशन देखें। तीन साल की रिकवरी निकाली जा रही है। घरबार भी बेच दें तो भी वह किराया नहीं दे सकता है। मैं उदयपुर का एम. एल. ए. हूं और जिस कांस्टीट्एयूएन्सी से आता हूं वहां का यह सवाल है। वह एक साधारण गांव है। वे गरीब लोग हैं। वह बहुत बड़ा शहर नहीं है। कृपया, इस पर विचार करें।

श्री **देवेन्द्र कुमार** : क्या उदयपुर का विधान सभाई सदस्य, ऋषभदेव के लिये गठित कमेटी का मेम्बर बन सकता है ?

श्री **घासीराम यादव** : माननीय सदस्य को भी मेम्बर बनाया जा रहा है, अपील सुनने के लिये ।

यह बात सही है कि किराया बढ़ाया गया है । सन् 1952, 1956 और 1957 से तीन, चार और दो रुपया किराया लिया जा रहा था इसलिये देवस्थान के विभाग के जो मकान, जमीन उनको दी गई है क्या उसका किराया बढ़ाना उचित नहीं है ? यह आप लोगों की सरकार ने बढ़ाया था । मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अच्छा काम कोई करे तो उसको बुरा बताऊं ।

श्री **अध्यक्ष**: लेकिन इनको अपील के लिये गठित समिति में से हटाना उचित होगा ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : सवाल यह नहीं है । जब से हमारी जानकारी में यह बात आयी है कि यह उचित नहीं है हमने राज्य सरकार को कहा है । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस पर फिर से विचार करें और जो रीजनेबल हो उतना ही किराया बढ़ावें । 112 गुना, 60 गुना आखिर जो यह किराया बढ़ाया है, उसका क्या आधार है ? सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए । जो आपके आफिसर से मिल जाये उनका किराया कम हो जाये और जो मोची अनपढ़ हैं, उनका किराया बढ़ा हुआ रहे ?

श्री **घासीराम यादव** : अध्यक्ष महोदय, 1977 में यह कमेटी बनी थी और 1978 में इसका फैसला हो गया । यह बात जरूर है कि कोई इण्डिजुअल केस हो, जिसमें पक्षपात किया गया है तो उसको राज्य सरकार देख सकती है लेकिन हर एक केस को नहीं देख सकती । एक कमेटी बना दी गई है वह अपील सुन सकती है । वह कलेक्टर की चेयरमेनशिप में बनाई है जो आपत्तियां सुन कर फैसला देगी । उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, यह आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री **देवेन्द्र कुमार** : क्या कृषि मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि वे इस कमेटी का नया निर्माण करेंगे ?

श्री **घासीराम यादव** : कमेटी बदल दी गई है ।

एक माननीय सदस्य : आपको भी मेम्बर बना रहे हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न ! श्री हीरालाल आर्य । प्रश्न संख्या 35

मांगरोल हाथ करघा एवं मसूरिया उत्पादन सहकारी समिति लि. के बुनकरों को मकान बनाने हेतु अनुदान ।

35. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल, जिला कोटा में मांगरोल हाथ करघा एवं मसूरिया उत्पादन सहकारी समिति लि., रजिस्ट्रेशन नं. 91/11194 (आर) के 50 बुनकरों के मकान बनाने हेतु 1,20,000 रुपये तथा 80 हजार रुपये अनुदान दिया जाना था ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या यह भी सही है कि इस राशि में से अभी तक केवल 95,650/- रुपये ऋण ही वितरित किया गया है ?

(3) क्या सरकार उक्त बुनकरों को सम्पूर्ण ऋण व अनुदान भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) 50 बुनकरों को मकान बनाने हेतु 1.20 लाख रुपये का ऋण तथा 60,000 रुपये का अनुदान दिया जाना था ।

(2) जी हां ।

(3) समिति द्वारा शर्तें पूरी करने के पश्चात् ही अनुदान राशि का भुगतान किया जा सकता है ।

श्री **हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि तीसरी किश्त 40 हजार रुपये दी जानी थी, वह 40 हजार रुपये न देकर कितनी दी तथा क्यों ?

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, तीसरी किश्त 20 हजार रुपये 24-3-74 और उस के उपरान्त 20 हजार की 21-5-74 को दी, यह मेरे पास सूचना है । जहां तक 1.20 लाख रुपये के भुगतान का प्रश्न है, जो ऋण के रूप में दिया जाना था उस समिति के 1.20 लाख रुपये के पेटे बैंक में 23 हजार रुपया जमा है । जहां तक अनुदान की राशि का प्रश्न है, जो उसमें शर्तें हैं, वे शर्तें पूरी कर दें तो अनुदान की राशि का चुकारा किया जा सकता है । 50 मकान बनाने के लिये ऋण दिया गया था उनमें से केवल 35 मकान बन पाये हैं । उनमें से 19 पूरे हो गये और 16 पूरे नहीं हो पाये हैं । यह पुराना मामला है । मैंने इसकी पत्रावली देखी है उससे जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह 20 हजार की राशि देरी से क्यों आवंटित की गई ?

श्री **हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है वह अधूरी है और पुरानी सूचना है । अब इन बुनकरों के मकान बन गये हैं । मकान बन कर तैयार हैं । वे यह इन्तजार कर रहे हैं कि बकाया ऋण मिले । अनुदान जो दिया जाना था वह भी उनको मिलना चाहिये ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : जो ऋण की राशि है उसका पूरा भुगतान कर दिया गया है । अब अनुदान का प्रश्न है । जैसी अभी आपने सूचना दी कि मकान पूरे बन चुके हैं—कलेक्टर की अध्यक्षा में एक कमेटी बनी है जिसमें पी. डब्ल्यू. डी. के एक्स. ई. एन. भी सदस्य हैं । मैं लिख दूंगा जिलाधीश, कोटा को कि वे मौके पर जाकर इन्सपेक्शन करें और जो मकान पूर्ण हो चुके हैं उनकी सूचना सरकार को भेजे जिससे अनुदान की राशि का भुगतान किया जा सके ।

श्री **हीरा लाल आर्य** : संपूर्ण राशि किस तारीख को दी गई थी ?

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

अगला प्रश्न । श्री देवी सिंह ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

अगर गलत जवाब दिया है तो इस प्रश्न को नियमानुसार उठावें।

श्री देवीसिंह।

तहसील कोलायत में किसानों से अवाप्त असिंचित भूमि की वापसी।

36. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 से 4 में चक प्लान आ जाने के बाद भूमिहीन काश्तकार को आवंटित 50 बीघा भूमि में से 25 बीघा भूमि अवाप्त की गई है जब कि मौके पर ऐसी भूमि में पानी नहीं लगता है? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकारों की कितनी कितनी भूमि अवाप्त की गई है? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि विशेषज्ञों की राय के अनुसार 50 बीघा से कम असिंचित भूमि काश्तकार के लिये अलाभकर है? यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में जहां मौके पर सिंचाई नहीं होती, भूमि क्यों अवाप्त की जा रही है?

(3) क्या सरकार द्वारा ऐसी मौके की असिंचित भूमि जो कि अवाप्त कर ली गई है, काश्तकारों को वापस सिंचित होने तक दे दी जावेगी व भविष्य में सिंचित नहीं होने तक अवाप्त नहीं की जावेगी।

राज्य मन्त्री, उपनिवेशन (श्री रामपाल उपाध्याय): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अस्वस्थ होने की वजह से इस प्रश्न को स्थगित करने का आपसे अनुरोध किया है। कृपया, इस प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें।

श्री **अध्यक्ष**: प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री **देवीसिंह भाटी**: दूसरे विभाग के मंत्री महोदय इसका उत्तर दे दें। यह महत्वपूर्ण है। लोगों को बेदखल किया जा रहा है। स्थायी रूप से 50 बीघा जमीन अलाट की गई लेकिन मौके पर पानी नहीं लग रहा है और नोटिस देकर लोगों को बेदखल किया जा रहा है। विभाग ने तो सूचना दे दी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री **अध्यक्ष**: सूचना नहीं आई है। स्थगित किया गया। अगला प्रश्न।

श्री **देवीसिंह भाटी**: मंत्री महोदय में हिम्मत नहीं है कि वे हाउस को फेस कर सकें, लोगों की समस्याओं का उत्तर दे सकें उनकी ओर कतई ध्यान नहीं देते हैं। उनको बराबर मेमोरेण्डम दिये गये लेकिन मंत्री महोदय की मेरे प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया। अगला प्रश्न।

पंचायत समिति गिर्वा के सरपचों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु प्राप्त राशि का उपयोग

37. श्री **भैरुलाल मीणा**: ...

क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति,

(श्री भैरूलालमीणा)
गिर्वा में कुछ पंचायतों के सरपंचों द्वारा पंचायत समिति से स्वीकृत कार्यो को पूरा कराने हेतु गेहूं तथा नकद राशि ली गई परन्तु स्वीकृत कार्यो को पूरा नहीं किया गया और ना ही प्राप्त की गई राशि वापस पंचायत समिति में जमा कराई गयी ? यदि हां, तो ऐसे सरपंचों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? कृपया, पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री,पंचायत (श्रीशीशराम ओला):

पंचायत समिति गिर्वा क्षेत्र के किसी पंचायत का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है । कोई राशि निर्माण कार्यो हेतु नहीं दी गई, अलबत्ता 'काम के बदले अनाज योजना एवं राहत कार्यो के अन्तर्गत सभी पंचायतों को नकद राशि एवं अनाज दिया गया है जिसमें से पंचायत जावर के सरपंच के अलावा सभी सरपंचों ने कार्यों पर दी गई राशि का उपयोग कर लिया हैं तथा गेहूं का उपयोग कर, हिसाब प्रस्तुत कर दिया गया है। केवल पंचायत, जावर के सरपंच द्वारा प्राथमिक शाला रवा हेतु 6313.92 पैसें का उपयोग नहीं किया गया है जिसके लिये राशि जमा कराने हेतु पुनः रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया है । परन्तु राशि अभी तक जमा नहीं हो पाई है ।

श्री भैरुलाल मीणा : उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जायेगा ?

श्री शीशराम ओला: अभी जांच की कार्यवाही चल रही है रिपोर्ट आने पर एक्शन लिया जायेगा ।

श्री भैरुलाल मीणा : इसकी सूची मुझे नहीं मिली ।

श्री शीशराम ओला : अब सूची कहां रही बाकी जो बातें आपने पूछी थी वह सारी की सारी तो बता दी आपको ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस तरह से उत्तेजित होकर जवाब दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री शीशराम ओला : उत्तेजित होने की कोई बात ही नहीं है । मैं तो बहुत ही नम्रतापूर्वक जवाब दे रहा हूं । जोर से बोलने का क्या आपको ही अधिकार है ?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पंचायत समिति, गिरवा के सरपंच, ग्राम पंचायत वाड़ी और ग्राम पंचायत, शीशरवा के विरुद्ध राज्य सरकार के पास ऐसी कोई......

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है । यह अलग प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है ।

अगला प्रश्न । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

जिला झुन्झनूं में विभिन्न माध्यमों द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ दी
दी गई धनराशि

38. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माननीय मुख्य मंत्री को पंचा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
मंत्री, श्री शीशराम ओला द्वारा झुन्झुनूं जिले से बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में कितनी धनराशि दी गई ?

(2) भिन्न भिन्न पंचायत समितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी के झुन्झुनूं जिले के प्रवास के समय कितनी कितनी धनराशि कहां–कहां भेंट की गई ? कृपया, सूची सदन-की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा भी बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में दान दिया गया ? यदि हां, तो किस–किस पंचायत ने तथा किस-किस पंचायत समिति ने कितना-कितना दान दिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री; गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : अध्यक्ष महोदय, भाग (3) के बारे में कुछ कन्फ्युजन रह गया था, इस कारण से पूरी जानकारी नहीं हो पायी है । अगर आप एक सप्ताह दे दें तो इसका जवाब दिया जा सकता है । इसे स्थगित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया ।

अगला प्रश्न । श्री गोपाल पचेरवाल ।

केशवराय पाटन में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना

39. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी के निर्वाचन क्षेत्र केशवरायपाटन, थाना लाखेरी, थाना गैन्डोली, थाना कापरेन, थाना केशवरायपाटन के मुकदमों की सुनवाई मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी के यहां होती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार केशवराय पाटन की ग्रामीण जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने की भावना से केशवराय-पाटन क्षेत्र में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक न्यायालय स्थापित किया जायेगा ?

विधि मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :
(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

श्री **गोपाल पचेरवाल** : अध्यक्ष महोदय, नम्बर (2) का जो जवाब दिया गया है उससे अफसोस इस बात का है कि प्रभारी मंत्री मेरे ही क्षेत्र के हैं जहां के बारे में प्रश्न किया है फिर भी केशवराय पाटन में अदालत स्थापित नही की जायेगी । तत्कालीन विधि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि केशवराय पाटन में अदालत स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है और अदालत शीघ्र ही खोली जायेगी । अब राज्य सरकार ने किन कारणों से या किन आधारों पर इसको रिजेक्ट कर दिया है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : उच्च न्यायालय द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की गयी है ।

श्री **गोपाल पचेरवाल** : तत्कालीन मंत्री ने किस आधार पर यह कहा था कि वहां पर अदालत स्थापित की जायेगी ? क्या उच्च न्यायालय की उस समय सिफारिश नहीं थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसको देख लिया जायेगा परन्तु अभी धनाभाव के कारण जो 69 अदालतों की सिफारिश की गयी है उनको ही स्थापित करने में कठिनाई आ रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल व श्री हीरालाल आर्य।

पशु चिकित्सालय, कोटा में एक्स-रे मशीन

40. श्री **रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): एवं श्री **हीरालाल आर्य** (पीपलदा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पशु चिकित्सालय, कोटा में एक्स-रे मशीन कब प्राप्त हुई ?

(2) क्या यह एक्स-रे मशीन स्थापित कर दी गई है ? यदि हां, तो अब तक कितने एक्स-रे इस यंत्र से लिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि बिना परीक्षण के ही उक्त यंत्र का मूल्य चुकाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्रीमती कमला): (1) पशु चिकित्सालय कोटा में एक्स-रे मशीन मार्च, 1980 में प्राप्त हुई।

(2) जी, नहीं।

यह मशीन अभी स्थापित नहीं हो सकी है, क्योंकि उसके लिये भवन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। भवन मार्च, 1982 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(3) फर्म से अन्डर टेकिंग लेकर भुगतान फरवरी, 1982 में किया गया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, एक्स-रे मशीन वहां पर स्थान होते हुए भी स्थापित नहीं की गयी है उससे अभी तक एक भी एक्स-रे नहीं लिया गया है, बिना परीक्षण के ही इसका पेमेन्ट किया गया है, यह मिली भगत है, मेरा मंत्री महोदया पर यह आरोप है।

श्री मती कमला : जब इस प्रश्न का जवाब मेरे पास आया था तब मैंने भी अधिकारियों से यही पूछा था कि आपको 10 प्रतिशत पैसा बकाया रखकर पेमेंट करना चाहिए था जब तक मशीन स्थापित नहीं हो जाती है तब तक इसका पहले से ही भुगतान क्यों कर दिया गया है ? उन्होंने कहा कि दो साल का पीरियड दिया गया था। उस समय में यह स्थापित नहीं हो सकी तो फर्म ने कहा कि उनका पीरियड पूरा हो गया है। इसलिये उनको पेमेंट कर दिया गया। यद्यपि पेमेंट नहीं करना चाहिए था लेकिन डायरेक्टर ने ए.ओ. की रिकमंडेशन पर यह एडवान्स पेमेंट एक तरह से कर दिया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पशु चिकित्सालय कोटा में, जो एक्स-रे मशीन स्थापित हो रही है उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डायरेक्टर महोदय की इसमें मिली भगत है। वह पशु चिकित्सालय को चाहते नहीं हैं।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

आप एक बार वहां का निरीक्षण कर लें तो आपको पता चल जायेगा कि आपके डायरेक्टर महोदय की अपने डिपार्टमेंट के बारे में क्या राय है ? उनको यह पशु चिकित्सालय फूटी आंख नहीं सुहाता है, वे इसको देखना नहीं चाहते हैं। जान बूझकर इसको स्थापित नहीं किया जा रहा है। जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं उनमें से एक भी काम नहीं कर रही हैं। एक भी सैम्पल आज तक वहां पर टैस्ट नहीं हुआ होगा।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है और जो प्रश्न में सूचना दी है उसके संबंध में एक विशिष्ट अधिकारी से जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

श्री **महाराम चौधरी** (नागौर) : हमारे यहां पर पशु ज्यादा हैं फिर क्या कारण हैं कि यह एक्स-रे मशीनें कोटा में ही लग रही हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। श्री नंदलाल मीणा।

जिला स्तर पर मानसिक चिकित्सालय

41. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1981 में राजस्थान मनोचिकित्सकों का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन जयपुर में सम्पन्न हुआ था और अधिवेशन में यह जानकारी दी गई कि राज्य में 25 लाख व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित हैं ? यदि हां तो राज्य सरकार इन मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को किस प्रकार चिकित्सा सुविधा सुलभ कराना चाहती है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य में मानसिक चिकित्सालयों में रोगी शय्याओं का भारी अभाव है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जिला स्तर पर मानसिक चिकित्सालय सुलभ नहीं करवा सकती ?

उप मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती कमला भील) : (1) जी हां। इस प्रकार के मानसिक रोगियों के लिये पांचों रोगियों के लिये पांचों मेडिकल कालेजों से अनुबन्धित चिकित्सालयों में व अन्य कुछ जिलों के सामान्य चिकित्सालयों में पहले से ही मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए 440 शय्याएं उपलब्ध हैं व भविष्य में जिला स्तर पर भी ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना विचाराधीन है। प्रत्येक बड़े सामान्य चिकित्सालयों में भी बाह्य (आउटडोर) रोगियों के लिये उपचार सेवायें उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। वित्तीय प्रावधान के अभाव में पृथक से मानसिक चिकित्सालय वर्तमान में सुलभ कराना अभी संभव नहीं है।

श्री **नंदलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा.....

श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय विराज

(**श्री मोहनलाल मोदी**)
रहे हों तो उन्हीं को जवाब देना चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

श्री **मोहनलाल मोदी** : अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री महोदय पढ़ नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं ? जब मंत्री महोदय बिराज रहे हैं तो वे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : दिखता नहीं है आंखों से उनको।

श्री **मोहनलाल मोदी** : यदि ऐसा है तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया है ?

श्री **अध्यक्ष** : इसमें योग्यता-अयोग्यता का कोई संबंध नहीं है।

विधि मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री **बूलाराम** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है इसमें कौन सा पाइन्ट आफ आर्डर है···

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : शान्त रहें। पाइन्ट आफ आर्डर है

श्री **बूलाराम** : अध्यक्ष महोदय, यही तो कह रहा हूं कि प्रश्नकाल में कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, भ' जो यह आवाज आयी की इनको दिखता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह अ-संसदीय शब्द है इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री **अध्यक्ष** : कार्यवाही देखने के बाद ही इस पर निर्णय किया जायगा

श्री **नंदलाल मीणा**।

श्री **नंदलाल मीणा** : राजस्थान मनो-चिकित्सकों का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन पिछले (दिनों जयपुर में हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि राजस्थान में 25 लाख से ऊपर व्यक्ति पागल हैं अध्यक्ष महोदय मैं पिछले (दिनों जयपुर के मानसिक चिकित्सालय में अपने एक कांग्रेसी मित्र से मिलने गया था ····

एक माननीय सदस्य : कांग्रेसी पागल मित्र से मिलने।

श्री **नंदलाल मीणा**। जी हां। मेरे मित्र अस्पताल में भर्ती थे जब मैंने वहां की व्यवस्था को देखा तो पाया कि वहां पर पागल भेड़ बकरी की तरह से भरे थे। लगभग दो वर्षों से वहां पर शय्याएं बढ़ाने की मांग हो रही है तो क्या राज्य सरकार शय्याएं बढ़ाने का विचार रखती है ?

चिकित्सा एव स्वास्थ्य मंत्री (श्री सी एल. कंवरिया) : जहां तक माननीय सदस्य प्रश्न का संबंध है वह शय्यायें बढ़ाने के लिए है। पहली बात तो वह कि जो मेडिकल कालेजों से अटेच हास्पिटल्स हैं उनमें पहले से ही 440 शय्यायें हैं। जैसे ही वित्तीय साधन उपलब्ध होगें शय्यायों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जायगा। अभी यह

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) प्रश्न विचाराधीन है। जो आपने आंकड़े दिये हैं इसके संबंध में मेरा निवेदन है कि यह जो आंकड़े हैं वह अनुमानित हैं, वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन के आधार पर हैं इसमें सभी प्रकार के मानसिक रोगी आते हैं। इसमें सही आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। इनमें कई प्रकार के मानसिक रोगी सम्मिलित हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मानसिक चिकित्सालयों में आपने बताया 400 शैय्याएं हैं। क्या इनमें मंत्रियों के लिए कोई शैय्याएं आरक्षित हैं ?

(व्यवधान)

श्री सी.एल. कंवरिया : मंत्रियों के लिए आवश्यकता नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 25 लाख पागल नहीं हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या चिकित्सा विभाग द्वारा या राज्य सरकार की किसी एजेंसी के द्वारा राजस्थान में कितने मानसिक रोगी हैं इसका सर्वेक्षण करवाया गया है। यदि नहीं तो जो ये आंकड़े दिये गये हैं उनको आधारहीन क्यों मानते हैं ? वहां कोई पेसेन्ट के लिए देख भाल की व्यवस्था नहीं है, बड़ी दयनीय स्थिति है। अगर कोई पागल नहीं है तो वह भी वहां जाकर पागल हो जाता है। क्या मंत्री महोदय पेसेन्ट की देखभाल की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सी.एल. कंवरिया : अगर इस प्रकार की कमियां होंगी तो उनका निराकरण किया जायगा, वित्तीय साधनों को देखते हुए। साधन भी कम हैं। आगे इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं। क्या मंत्री महोदय को यह मालूम कि जो मानसिक रूप से बीमार है। उनको अन्य अस्पताल में भर्ती नहीं करते हैं उन्हें मेंटल हास्पिटल में ही भर्ती किया जा सकता है। इसलिए मंत्री महोदय व्यवस्था करें।

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि अभी आपने खण्ड (1) का उत्तर दिया है "जी हां"। इसमें लिखा है कि 25 लाख व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हैं, इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक 12 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है। यदि आज स्थिति इतनी गंभीर मानते हैं तो इसको प्राथमिकता के आधार पर क्यों नहीं देखा गया ? अभी भी वित्तीय संकोच की बात की जा रही है क्या यह उचित है ?

श्री सी.एल. कंवरिया : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि यह वल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के आंकड़ें हैं जो अनुमानित हैं इसमें दिया हुआ है कि आबादी में 6-8 प्रतिशत लोगों में किसी न किसी प्रकार का मानसिक रोग पाया जाता है। उसके आधार पर इस प्रकार के आंकड़ें दियें गये हैं अब इसमें सभी प्रकार के मानसिक रोगी आते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभी मेंटल हास्पिटल में एडमिट होंने लायक हों।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी।

झामर कोटड़ा की खदान

42. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झामर कोटड़ा की खदानों से अतिरिक्त भार हटाने के लिये कलकत्ता की किसी फर्म को ठेका दिया गया ? यदि हां, तो कृपया ठेके की शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन एम. डी. श्री भण्डारी के समय ओवर बर्डन हटाने के सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो कृपया कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री खनिज (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) हां, ठेके की शर्तों आदि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) हां रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(ठेके की शर्तों का प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सी. पी. जोशी : मंत्री महोदय से सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि जब झामर कोटड़ा में खनन कार्य प्रारम्भ किया गया उसके बाद ओवर बर्डन को इतने वर्षों तक क्यों नहीं हटाया गया ? अब ओवर बर्डन को रिमूव कर रहे हैं तो इस पर कितना ज्यादा खर्चा आ रहा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था वह ठेके की शर्तों के बारे में और भंडारी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पूछा था। जब मैंने ठेके की शर्तों का और भंडारी कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया तो उससे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो जानकारी मुझे है उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि ओवर बर्डन को हटाने की दिशा के अंदर जो कदम इस कॉरपोरेशन को उठाने चाहिए थे वह समय पर नहीं उठाये गये। इस कारण से इस कॉर्पोरेशन को आगे ओवर बर्डन को हटाने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। श्रीमन् मैं इसी सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सालों के अन्दर रुपया अधिक कमाने की दृष्टि से इस कॉर्पोरेशन ने इस बात को भी ध्यान नहीं रखा कि ओवर बर्डन का रेश्यो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सिर्फ बढ़िया माल निकाल कर बेचने की दिशा के अन्दर ध्यान दिया गया उसके पश्चात् जब ओवर बर्डन का रेश्यो बढ़ता गया तब जाकर ध्यान दिया गया। ओवर बर्डन हटाने के लिए टेंडर्स इन्वाइट किये गये और तब जाकर कार्यवाही की। माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वह सही है कि ओवर बर्डन हटाने के लिए खनन के साथ में पूर्व में ही कदम उठा लिये जाते तो सरकार को इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता लेकिन यह भी सही है कि ....

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा .....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : साढ़े 6 करोड़ का ठेका दिया गया। साढ़े 6 करोड़ पानी में फैंका जा रहा है, आपने इसको 74 में अधिकार में ले लिया ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विस्तृत प्रश्न है इस पर बाद में.....

श्री कैलाश मेघवाल : जवाब तो आने दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : ओवर बर्डन कितना था, तखमीना किसने किया, कब किया ? स्पष्ट करें। ओपन कास्ट माइनिंग.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक प्रश्न और निपटा देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जब आप राज्य मंत्री नहीं बने थे तब आपने इस कार्पोरेशन के संबंध में उस समय के मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी और कार्पोरेशन पर कई प्रकार के आरोप भी लगाये थे, उनमें यह भी था कि ओवर बर्डन को हटाने के संबंध में कार्पोरेशन ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की क्या उस संबंध में भी कोई कार्यवाही हुई है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा सदस्य की हैसियत से जो पत्र लिखा उसके बारे में क्या यहां चर्चा करना उचित रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : उस वक्त उत्तर विपक्ष के नेता महोदय ने दिया था क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे नहीं लिखा, पहाड़ियाजी को लिखा था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कार्पोरेशन पर चार्ज लगाया कि समय पर लिफ्ट नहीं किया। जब कार्पोरेशन बना राक-फास्फेट का काम चल रहा है, उस समय भी बर्डन जमा हुआ। आपने सारी जिम्मेदारी कार्पोरेशन पर डाल दी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को आपने चिट्ठी लिखी उनको एक्वीज करने की कोशिश की गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने, अध्यक्ष महोदय किसी को एक्वीज नहीं किया और न किसी को शील्ड किया। ओवर बर्डन के बारे में प्रश्न पूछा इसलिए मैंने निवेदन किया कि जो पत्र सदस्य की हैसियत से मैंने लिखा क्या उसकी चर्चा करना यहां उचित रहेगा ? हमने कार्पोरेशन के हितों का सदैव ध्यान रखा है और रखेंगे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण): जो प्रश्न संख्या 59 है, उद्योगों को सब्सिडी दी जाती है, वह लोक महत्व का प्रश्न है। किसानों को भी सब्सिडी दी जानी चाहिये, उद्योगों को मिल रही है तो किसानों को क्यों नहीं दी जाती है ? इस प्रश्न को स्थगित किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

इस तरह प्रश्न स्थगित नहीं किये जा सकते।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर में सीमेंट का उत्पादन

22. **श्री रामकिशोर मीना** (सिकराय) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर में 1 अप्रेल, 1962 से अब तक किस किस वर्ष में सीमेन्ट का कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

(2) इस कम्पनी में इसी अवधि में प्रतिवर्ष कितनी हानि व लाभ हुआ है ?

(3) इस कम्पनी को लाभ में चलाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर में 1 अप्रेल, 1962 से जनवरी, 1982 तक सीमेन्ट के वार्षिक उत्पादन के विवरण की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अप्रेल, 1962 से जून, 1981 तक कम्पनी में हुई हानि-लाभ के विवरण की सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कम्पनी को लाभ में लाने हेतु उठाये जा रहे कदमों के विवरण की सूची "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुसूचित जन जाति के आई. ए. एस. व आर. ए. एस. संवर्ग के अधिकारी

23. श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस समय कुल कितने आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं ? कृपया अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 15 जुलाई, 1981 के पहले ये अधिकारी किन-किन पदों पर कार्यरत थे व इस समय किन-किन पदों पर हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में इस समय 15 आई. ए. एस. व 42 आर. ए. एस. अधिकारी अनुसूचित जाति के तथा 10 आई. ए. एस. व 30 आर. ए. एस. अधिकारी अनुसूचित जनजाति के हैं। इनके नाम की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वांछित विवरण प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दी गई सूची के कॉलम (3) व (4) में अंकित कर दिया गया है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अजमेर में नवम्बर, 1981 में सम्पन्न पश्चिम क्षेत्रीय जन सेवा आयोगों के सम्मेलन में की गई सिफारिश

24. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पश्चिम क्षेत्रीय जन सेवा आयोगों के सम्मेलन में जो नवम्बर, 1981 में अजमेर में सम्पन्न हुआ राज्य जन सेवा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
आयोगों को और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की गई है ? यदि हां, तो वे सिफारिश क्या हैं ? राज्य सरकार का इस मामले में क्या विचार है ?

उत्तर

पश्चिम क्षेत्रीय जन सेवा आयोगों का सम्मेलन जो नवम्बर, 1981 में अजमेर में सम्पन्न हुआ, द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायेगा।

जयपुर स्थित आसाम फ्लोर मिल में दिसम्बर, 1981 में लगी आग से नुकसान

25. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आसाम फ्लोर मिल, जयपुर में दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 को लगी आग से एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आग लगने की सूचना तुरन्त नागरिक सुरक्षा विभाग को दी गई थी लेकिन नागरिक सुरक्षा विभाग की एक के अलावा सभी दमकल गाड़ियां बेकार थीं। दमकल के पास दूसरी मंजिल पर जाने के लिये सीढी नहीं थी। हौज पाइप काम नहीं कर रहा था कर्मचारियों के पास अग्नि बचाव की पोशाक नहीं थी और इस कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका ?

(3) नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर में इस प्रकार की घटनाओं एवं अव्यवस्था को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) क्या इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत मिली है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि दिनांक 11-12-81 को आसाम फ्लोर मिल में आग लगी थी जिसमें लगभग 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

(2) आग लगने की सूचना नागरिक सुरक्षा विभाग (दमकल) को दिनांक 11-12-81 को प्रातः 9.50 पर प्राप्त हुई तत्पश्चात् तत्काल कलेक्टर, जयपुर से अनुमति लेकर 10 बजे एक गाड़ी आर. एस. एल. 2799 अग्नि शमन हेतु रवाना कर दी गई थी तथा 10.15 बजे दूसरी गाड़ी आर. एस. एल. 6142 रवाना की गई। अग्नि शमन कार्य को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कमाण्डेन्ट) नागरिक सुरक्षा द्वारा सुपरवाइज किया गया। घटना स्थल पर भेजी गई दो गाड़ियों में से लगभग 24 घंटे बाद दिनांक 12-12-81 को 10 बजे कर 10 मिनिट पर वापस हुई तथा दूसरी गाड़ी उस दिन (दिनांक 12-12-81) सायंकाल 4.45 पर लौटी। कुल 20 अग्नि शमन कर्मचारियों ने एकजुट होकर यह कार्य किया।

(ii) उस समय नागरिक सुरक्षा की सात दमकलों में से दो ही कार्य योग्य थीं जो तत्काल भेज दी गई थीं।

(iii) प्रत्येक दमकल के साथ 35 फीट की एक-एक एक्सटेंशन लेडर थी।

(गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री)

(iv) अथक प्रयासों के बाद भी विभाग होज पाइप अभी तक क्रय नहीं कर सका है क्योंकि यह डी.जी.एस. एण्ड डी., नई दिल्ली के माध्यम से खरीदा जाना है और उनके यहां राज्य सरकार की यह मांग पिछले करीब दो वर्षों से चल रही है।

(v) कर्मचारियों के पास अग्नि निरोधक पोशाक नहीं है क्योंकि ऐसी पोशाकें राज्य सरकार की वित्तीय परिस्थितियों के कारण अधिकृत नहीं की जा सकी हैं।

(3) जहां तक जयपुर में अग्नि शमन व्यवस्था का प्रश्न है, यह नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में है। नागरिक सुरक्षा की गाड़ियां केवल आपात स्थिति के लिये आवंटित की हुई हैं। इन पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। नागरिक सुरक्षा की गाड़ियां फिर भी समय-समय पर आवश्यकतानुसार मांग की जाने पर समुचित नागरिक सुरक्षा दल द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है।

(4) इस संबंध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

भारतीय सीमेन्ट निगम द्वारा राज्य में कारखाना लगाना

26. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय सीमेंट निगम राज्य में 25 लाख टन क्षमता का सीमेन्ट का कारखाना लगाने का विचार कर रहा है ?

(2) यदि हां, तो यह किस स्थान पर लगाया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह कारखाना सतूर क्षेत्र (बून्दी) में लगाया जायेगा। भारतीय सीमेन्ट निगम को खान विभाग द्वारा दिनांक 24-8-1981 को तीन पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। सम्बन्धित चूने के पत्थर के क्षेत्र का पूर्वक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया।

जनवरी, 1980 से जनवरी, 1982 तक राज्य में डकैती की घटनाएं

27. श्री **यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1980 से 25 जनवरी, 1982 तक राज्य में कितनी डकैती की घटनाएं हुई और इनमें से कितनी बरामद हुई हैं ?

(2) भरतपुर जिले में उपरोक्त अवधि में कितनी डकैती की घटनाएं हुई और उनमें से कितनी डकैती की घटनाएं खुली और बाकी में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(3) उक्त जिले में कितनी हत्याएं उपरोक्त अवधि में हुई तथा उनमें से कितने मामलों में मुल्जिम पकड़े गए हैं ?

(श्री यदुनाथसिंह)

(4) उपरोक्त अवधि में उक्त जिले की नदबई तहसील के अन्तर्गत कितनी डकैती की घटनाएं कहां-कहां हुई और उनमें से कौन-कौन सी डकैती खुली है ?

(5) भरतपुर तथा सवाई माधोपुर जिलों में निरन्तर बढ़ती डकैती की घटनाओं की रोकथाम हेतु सरकार की क्या ठोस योजना है ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1980 से 25 जनवरी 1982 की अवधि में राज्य में डकैती की 282 घटनायें घटित हुई जिनमें से 120 बरामद हुई ।

(2) उक्त अवधि में भरतपुर जिले में 72 डकैती की घटनायें हुई जिनमें से 35 घटनायें खुली हैं । 15 घटनायें जेर तफतीश हैं । 2 घटनायें झूठी पायी गयी हैं । 20 घटनाओं का पता नहीं लगने से एफ. आर. दे दी गयी ।

(3) उक्त अवधि में भरतपुर जिले में 144 हत्यायें हुई जिनमें से 90 मामलों में अभियुक्तगण पकड़े गये ।

(4) उक्त अवधि में नदबई तहसील के अन्तर्गत 3 डकैती की घटनायें हुई । एक मोहल्ला कटरा टाउन नदबई में, एक ग्राम अखालगर में तथा एक ग्राम गोबरा में । जिनमें से कटरा की डकैती खुल चुकी है । दो अदम पता रही ।

(5) राज्य सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णतया सजग है । दोनों जिलों में डाकू उन्मूलन हेतु आर. ए. सी. की कई चौकियां और पोस्ट स्थापित कर दी गयी हैं । करौली में एक अपर पुलिस अधीक्षक (डा.कू. उन्मूलन) को भी नियुक्त किया गया है । साथ में पड़ौसी राज्यों की पुलिस से सहयोग भी प्राप्त किया जाता है । पड़ौसी राज्यों के सहयोग से एक संयुक्त डाकू उन्मूलन मोर्चा बनाने की योजना पर भी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है ।

अभिलेखागारों में भाषाई विशेषज्ञों का अभाव

28. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अभिलेखागारों में भाषाई विशेषज्ञों के अभाव में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

राजस्थान राज्य अभिलेखागारों में मौजूद विभिन्न भाषाओं के अभिलेखों को पढ़ने में तथा अन्य दृष्टियों से उनका उपयोग करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है । सभी भाषाओं तथा लिपियों के जानकार विभाग में मौजूद हैं । किन्तु कभी-कभी शकिस्ता उर्दू-फारसी में कुछ कठिनाई अवश्य होती है । अतः कुछ कर्मचारियों को इन भाषाओं को पढ़ने के लिए तैयार किया जा रहा है ।

राजस्थान नहर पर पांच लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण

29. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
नहर पर सरकार द्वारा 5 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई है ?

(2) यदि हां, तो 5 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं कौन-कोन सी हैं तथा उन पर कितना रुपया खर्चा आयेगा ? निर्माण कार्य कब शुरू होगा तथा कब तक समाप्त हो जायेगा ? इससे कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी ?

(3) क्या इन योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है ?

उत्तर

(1) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) अभी ये सभी मुद्दे विचाराधीन है ।

(3) जी नहीं।

जिला अलवर के डाक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा पदस्थापन स्थान के बजाय अन्यत्र कार्य किया जाना

30. श्री **जीतमल जैन** (अलवर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला अलवर में कितने डाक्टर एव नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी अपने पोस्टिंग के मूल स्थान के बजाय अलवर जनरल अस्पताल में अथवा अन्य स्थानों पर डेपूटेशन पर कार्य कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम पंचायत कावरी (कोटा) के मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधा का अभाव

31. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की पंचायत समिति अन्ता की ग्राम पंचायत कावरी के मुख्यालय पर कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है और जनता ने सरकार से उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग की है ?

(2) यदि हां, तो सरकार कब तक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल देगी ? क्या इस हेतु जिला आयोजना समिति ने भी सरकार को प्रस्ताव भेजा है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) वित्तीय साधनों के उपलब्धि पर आगामी वित्तीय वर्ष में ग्राम कावरी में उपकेन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव हो सकेगा ।

ग्राम पंचायत काचरी (कोटा) में आयुर्वेदिक औषधालय का अभाव

32. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की पंचायत समिति, अन्ता की ग्राम पंचायत काचरी के मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि जनता एवं ग्राम पंचायत ने काचरी में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग सरकार से कई बार की है ? यदि हां, तो औषधालय कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम काचरी, पंचायत समिति, अन्ता, जिला कोटा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। आयुर्वेद औषधालय खोलने हेतु सरपंच, अन्ता का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अभी यह सम्भव नहीं है।

राज्य के मेडिकल कालेज में छात्रों के प्रवेश हेतु सीटें बढ़ाना

33. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार मेडिकल कालेजेज में छात्रों के प्रवेश हेतु सीटें बढ़ाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

जिला जालोर की पंचायत समिति, रानीवाड़ा तथा जसवंतपुरा को शिक्षा कर से आय

34. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, रानीवाड़ा तथा पंचायत समिति, जसवंतपुरा, जिला जालोर में पंचायत समिति में शिक्षा-कर लगा रखा है ? यदि हां, तो हर वर्ष कितनी राशि शिक्षा कर से प्राप्त होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस राशि को शिक्षा मद में ही खर्च करने का प्रावधान है? यदि हां, तो जबसे पंचायत समिति रानीवाड़ा तथा जसवंतपुरा ने शिक्षा-कर लगाया है तब से अब तक कितनी आय हुई तथा किन-किन मदों में खर्च की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, रानीवाड़ा ने वर्ष 1961-62 से तथा पंचायत समिति, जसवन्तपुरा ने वर्ष 1976-77 से शिक्षा कर लगा रखा है। पंचायत समिति-वार व वर्षवार शिक्षा-कर से प्राप्त राशि का विवरण संलग्न है।

(पंचायत मंत्री)

(2) जी हां। सदन की मेज पर रखी गई सूची में पंचायत समिति, रानीवाड़ा द्वारा किये गये व्यय का उल्लेख किया गया है। यह व्यय शिक्षा मद पर ही किया गया है। पंचायत समिति, जसवन्तपुरा द्वारा कोई राशि शिक्षा-कर में से व्यय नहीं की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

35. **श्री रामकिशोर मीना** (सिकराय) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला प्रशासक को पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी, श्री हरिकिशन मीणा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सीमेंट के परमिट देने सम्बन्धी अनियमितता बाबत उनके विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार के पास इनके विरुद्ध अनेक शिकायतें अन्य पंचायत समिति में भी रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायतों की जांच उप जिलाधीश, दौसा से कराई जा रही हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां, शिकायत की जांच उप जिलाधीश, दौसा द्वारा कराई जा रही हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) अन्य किसी पंचायत समिति से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पंचायत समिति, मोठा (जैसलमेर) के भूतपूर्व सरपंच द्वारा पंचायत भवन का अनधिकृत निर्माण

36. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर की पंचायत समिति, सम की पंचायत, मोठा का मुख्यावास मोठा ही है ?

(2) क्या यह सही है कि मोठा के भूतपूर्व सरपंच ने अपने गांव रणधा में पंचायत भवन बना लिया है ? यदि हां, तो क्या यह राज्य सरकार की स्वीकृति से बनाया गया है ? यदि नहीं, तो भूतपूर्व सरपंच द्वारा स्वेच्छा से गैर कानूनी रूप से बनाए गए भवन का कौन जिम्मेदार है और सरकार उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पंचायत भवन बनाने के लिये किसी की स्वीकृति नहीं ली गई थी।

(पंचायत मंत्री)

इसके लिये भूतपूर्व सरपंच ही जुम्मेदार है। भूतपूर्व सरपंच को उसके लिये रुपये 15,588- जमा कराने का नोटिस दिया गया है व इस अनियमितता के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जिला बाड़मेर की तहसील चौहटन का जल सर्वेक्षण

37. श्री **भगवानदास** डोसी (चौहटन) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर का भू-जल सर्वेक्षण कार्य कब किया गया था ? इस सर्वेक्षण से किन किन स्थानों पर नल कूप खोदने की संभावना अनुभव की गई ? कृपया ऐसे स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चौहटन तहसील के गांव (1) सोभाला (2) नवातला, जेतमाल (3) बाखासर में नल कूप खोदने की योजना विभाग के पास विचाराधीन है ?

(3) यदि हां, तो नल कूप कब तक तैयार हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर का भू-जल सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1976-77 में किया गया था इस सर्वेक्षण से जिन स्थानों पर नलकूप खोदने की संभावना अनुभव की गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अलवर में कृषि उपज मण्डी के निर्माण का कार्य

38. श्री **जीतमल जैन** (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर में कृषि उपज मंडी के निर्माण का कार्य किस वर्ष प्रारम्भ हुआ था ?

(2) निर्माण का कार्य कब तक समाप्त होकर मण्डी प्रारम्भ हो जावेगी ?

उत्तर

(1) अलवर मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य जनवरी, 1979 में प्रारम्भ हुआ।

(2) मण्डी समिति, अलवर का निर्माण कार्य संभवतः मार्च, 1984 तक पूरा हो सकेगा। तत्पश्चात् ही मण्डी प्रारम्भ हो सकेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विभिन्न अनुसंधान कार्यों के लिए सहायता

39. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने राज्य में प्रारम्भ किये जाने वाले विभिन्न कृषि अनुसंधान कार्यों के लिए सहायता देने की सहमति प्रदान की है ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) यदि हां, तो यह राशि कितनी है तथा किस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में खर्च की जायेगी ? अनुसंधान कार्य किन-किन जिलों में प्रारम्भ किये जायेंगे ? आगामी वर्षों में होने वाले व्यय को कौन वहन करेगा ?

(3) क्या इसके अन्तर्गत नये कृषि अनुसंधान केन्द्रों की भी स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो ये केन्द्र कहां-कहां खोले जायगे ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कृषि अनुसंधान परियोजना को राज्य में लागू करने के लिए सहमति दे दी है।

(2) अभी तक 3.04 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृति हुई है जो दुर्गापुरा, नवगांव (जिला अलवर), श्री गंगानगर, जोबनेर (जिला जयपुर) लक्ष्मणगढ़ (जिला सीकर) के लिये है। यह राशि क्षेत्रीय अनुसंधान कार्य की क्षमता को बढ़ाने के विभिन्न तरह के अनुसंधान, उपकरण क्रय करने, रोजमर्रा के कार्य जहां अनुसंधान-भवनों की कमी हैं, वहां भवन बनाने तथा अपूर्ण भवनों को पूरा करने तथा स्टाफ के लिये आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने में खर्च की जावेगी। मुख्यतया यह रुपया कृषि अनुसंधान केन्द्रों को चलाने तथा स्टाफ के वेतन तथा अन्य खर्च के काम आवेगा। प्रथम पांच वर्षों में इसका आर्थिक भार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वहन करेगी तथा इसके बाद इन अनुसंधान केन्द्रों को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

(3) जी हां। इसके अन्तर्गत एक नया अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रावधान है जो कि लक्ष्मणगढ़ (जिला सीकर) में प्रस्तावित किया गया है। यह परियोजना राज्य के लिये जष्ट्रीय अनुसंधान योजना में सबसे बड़ी है।

नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी में खनिज विभाग की बकाया

40. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नेशनल लाईम स्टोन कम्पनी, गोरधनपुरा की मोहनपुरा जोधपुर, भैंसलाना तहसील कोट पूतली-जयपुर की 10 किलोमीटर का लीज क्षेत्र सीमेन्ट उद्योग के लिए आवश्यक बतला कर केन्सिल कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र सीमेन्ट उद्योग के लिए आवश्यक था और क्या सारे क्षेत्र का मिनरल सीमेन्ट के लिये उपयुक्त है ?

(2) नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी में खनिज विभाग की अनुमानतः कितनी राशि बकाया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्सिल किये गये क्षेत्र में से लगभग आधा सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 1979 को गजट में घोषित नीति के विरुद्ध इस क्षेत्र में व्यक्ति विशेष की मोनोपोली कायम रखने के लिए सीमेन्ट उद्योग को न देकर पुनः माईनर मिनरल में मंजूर कर दिया है।

(4) इस क्षेत्र में या उसके एक भाग के लिए सीमेन्ट उद्योग लगाने हेतु कौन-कौन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
कौन से उम्मीदवार है, जिन्होंने वर्ष 1981 में लीज प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ? और क्या उस क्षेत्र के मजदूर हरिजन उक्त क्षेत्र को छोटे-छोटे टुकड़ों लीज लेने को उत्सुक हैं ?

(5) यदि सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 1979 को घोषित नीति के अनुसार 150×150 मीटर के छोटे लीज क्षेत्र निजी क्षेत्र को अनुदानित 4.15 किलो मीटर क्षेत्र में आवंटित किये जाते तो सरकार को डेड रेन्ट की कितनी आय होती व कितने व्यक्तियों को यह भूमि लीज पर दी जा सकती है ?

(6) क्या सरकार द्वारा नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी के केन्सिल किये गये क्षेत्र में स्वयं खनन कार्य चालू कर दिया है ? यदि हां तो कबसे और अब तक इसका कितना लाभ हुआ है ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में खनन कार्य चालू करने से स्थानीय मजदूर वर्ग खुश है और यह चाहता है कि खनन कार्य निजी हाथों में न देकर सरकार ही चालू रखें।

(8) क्या सरकार मजदूरों की भावना को एवं इस क्षेत्र में खनन से प्राप्त आय को देखते हुए इस क्षेत्र के निजी व्यक्ति को दी गई 4.15 किलोमीटर की लीज स्वीकृती को रद्द कर इस क्षेत्र की अन्य लीजों को रिन्यू न कर स्वयं ही खनन कार्यों को चालू रखना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) क्या सरकार द्वारा नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी के क्षेत्र में खनन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर बल्लूपुरा, रामपुरा व माउन्डा तहसील नीम-का-थाना जिला सीकर की लाइम्स स्टोन लीज का अधिग्रहण कर स्वयं खनन चालू करना उपयुक्त नहीं है ; यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है ।

केशोराय पाटन चीनी मिल

41. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि केशोराय पाटन चीनी मिल को अब न चलाने को केन्द्र सरकार ने निर्णय किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार मिल का प्रबन्ध खुद अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो गयी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । किन्तु केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया ।

आशुलिपोकों द्वारा लोक सेवा आयोग की योग्यतात्मक परीक्षा प्रथम अवसर में उत्तीण कर लेने पर भूतलक्षी प्रभावस से वेतन वृद्धि स्वीकार करना

43. **श्री भंवरलाल शर्मा**: (हवा-महल): --क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा द्वितीय श्रेणी के आशुलिपिकों को

(श्री भंवरलाल शर्मा)-
15 मार्च, 1978 के परिपत्र द्वारा 1972 से बगैर राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण किये वेतन-वृद्धियां भूतलक्षी तिथि से स्वीकृत की गई हैं ? यदि हां, तो कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त परिपत्र द्वारा जिन संस्थानों को मान्य किया गया है वे एक ही भाषा की आशुलिपि की परीक्षा लेती रही हैं और उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व वेतन वृद्धि के लिए मान्य भी नहीं थीं ? यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर वेतन-वृद्धि के लिये मान्य किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त परिपत्र से जो कतिपय आशुलिपिक वेतन-वृद्धि से वंचित रह गये हैं उनके लिये दोनों भाषाओं की आशुलिपि में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य रखा गया है जब कि राज्य सरकार द्वारा मई, 1979 के परिपत्र द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक ही भाषा की आशुलिपि में परीक्षा लिया जाना पर्याप्त मान लिया गया है ? यदि हां, तो कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या राज्य सरकार 1972 से निरन्तर कार्यरत आशुलिपिकों को, जो कि 15 मार्च, 1978 के परिपत्र से वेतन वृद्धियां स्वीकृत किये जाने से वंचित रह गये हैं और उनकी सेवा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, लोक सेवा आयोग की योग्यतात्मक परीक्षा प्रथम अवसर में उत्तीर्ण कर लेने पर उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से वेतन-वृद्धियां स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां ।

(1) इस संबंध में प्रचलित किये गये आदेश क्रमांक एफ. 3 (3) कार्मिक/क-2/77, दिनांक 15-3-78 एवं परिपत्र क्रमांक एफ. 3 (4) कार्मिक/क-2/77, दिनांक 23 मई, 1979 की प्रतियां संलग्न हैं ।

(2) व (3) जी हां । दिनांक 1-4-72 के पश्चात् शीघ्रलिपिकों के पदों के विरुद्ध तदर्थ रूप से कार्यरत व्यक्तियों की नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु राजस्थान शीघ्रलिपिक संघ की मांग पर विचार-विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 1-4-72 के पश्चात् शीघ्रलिपिकों के पदों के विरुद्ध कार्यरत व्यक्ति द्वारा यदि:—

स्नातक परीक्षा, शीघ्रलिपि विषय सहित,

अथवा

मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सैकण्डरी परीक्षा शीघ्रलिपि विषय सहित,

अथवा

श्री हरिश्चन्द्र माथुर, राजकीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित शीघ्रलिपि परीक्षा,

(मुख्य मंत्री)

अथवा

भाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी शीघ्रलिपि परीक्षा,

अथवा

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित शीघ्रलिपि परीक्षा,

अथवा

व्यवस्था एवं पद्धति विभाग द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो, तो उन्हें शीघ्रलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियों का नियमितिकरण किये जाने के कारण यह आवश्यक हो गया था कि इन व्यक्तियों को वेतन-वृद्धियां भी स्वीकृत की जायें। इस आधार पर इन व्यक्तियों को वेतन-वृद्धियां स्वीकार की गई हैं।

(परिपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा कार्य विवरण से अपलोपित शब्दों की समाचार-पत्रों को सूचना

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

(व्यवधान)

मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में इमर्जेन्सी में जो व्यवहार हो रहा था उसी प्रकार अब हो रहा है। इमर्जेंसी के दिनों में जब राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन हुआ, रिपोर्टर्स को इजाजत नहीं थी कि राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही को अपने हाथ से नोट कर लें और उसके आधार पर उसका समाचार-पत्रों में प्रकाशन करें। उनको एक नोट बनाकर दिया जाता था कि अमुक बात का प्रकाशन होना है, अमुक बात का प्रकाशन नहीं होना है। मैं समझा हूं कि पिछले दिनों से यहां दूसरी प्रकार की कार्यवाही चल रही है। कल सारे पत्रकारों को टेलीफोन के ऊपर यह सूचना दी गई कि अमुक-अमुक शब्दों का प्रयोग विधान सभा में किया गया उनका प्रकाशन नहीं किया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि अनडिक्लेयर्ड इमर्जेन्सी एक प्रकार से सदन के ऊपर लागू की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अनुचित है। यदि किसी भी माननीय सदस्य ने कोई शब्द कहा जो असंसदीय या आपत्तिजनक है तो आपको अधिकार है, उपाध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि उस शब्द को एक्सपंज कर दें। यदि किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में कोई अपमानजनक बात कही हो तो उस अपमानजनक बात को निरस्त करने के लिये भी माननीय सदस्य आसन से निवेदन कर सकते हैं और निवेदन करने के पश्चात् वह कार्यवाही से अलग किया जा सकता है। लेकिन यह कार्यवाही पहली बार हुई है कि कौन-कौनसे वर्डस को एक्सपन्ज किया जाय? जैसे कल माननीय सदस्य खेतसिहजी ने तानाशाह वर्ड को यूज किया और सूचना मिली की तानाशाह वर्ड असंसदीय है। इस शब्द को समाचार-पत्रों में स्थान नहीं दिया जाय, तो यह कौनसी कार्यवाही है? यह तो ठीक है, अध्यक्ष महोदय, आप किसी शब्द को एक्सपन्ज करें, लेकिन तत्काल करें और बाद में भी आपके नोटिस में आ जाय जब सदन की कार्यवाही चल रही हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
उस समय अगर आपके ध्यान में आता है तो उस दिन और दूसरे दिन नोटिस में आता है तो दूसरे दिन, दस दिन के बाद में आपके ध्यान में आ जाय तो दस दिन के वाद में सदन चल रहा हो तो सदन को सूचना दी जानी चाहिये कि अमुक माननीय सदस्य के असंसदीय शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले जाते हैं लेकिन यह कहीं भी नहीं है कि सदन की कार्यवाही में अमुक शब्दों का जो प्रयोग किया गया जिनको आसन से एक्सपन्ज नहीं किया वे शब्द प्रयोग नहीं किये जायं, मैं समझता हूं यह प्रकाशन की जो सुविधा है उस पर कुठाराघात है। माननीय सदस्यों के समाचार-पत्रों में विचार व्यक्त होते रहे, प्रकाशित होते रहे, उस पर एक प्रकार की रोक है।

मैं दूसरा प्रश्न फिर उठाना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं कल से निरन्तर देख रहा हूं राजस्थान विधान सभा की पब्लिक गैलेरीज खाली हैं, इसका कारण क्या है, क्या आपने प्रवेश बन्द कर दिया? क्या राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पब्लिक गैलेरीज से लोग नहीं देख सकते? कल दोपहर में जिस समय खास तौर से असेन्शियल मेन्टीनेन्स सर्विसेज आर्डिनेन्स पर चर्चा हो रही थी, इन गैलेरीज को खाली कराया गया। खाली कराने की बात आप देख सकते हैं गैलेरीज की जांच करके कल किसी आदमी ने एक नारा लगाया कि सदन की गरिमा को बचाया जाय। नारे लगाने की कार्यवाही का मैं कभी भी अनुमोदन नहीं करूंगा, मैं कभी भी उसको प्रोत्साहित नहीं करूंगा। जो मामला कल सामने आया सदन ने उदारतापूर्वक उनको क्षमा कर दिया यदि आवश्यकता हो तो सजा भी दी जा सकती है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सदन को लोग देख नहीं सकते, इस प्रकार की व्यवस्था अपनायें तो मुझे बहुत आपत्ति होगी। इससे सदन और पब्लिक के बीच में किसी प्रकार का तारतम्य नहीं होगा।

यह दो वातें हैं अमुक-अमुक शब्दों का विधान सभा में प्रयोग किया गया असंसदीय के नाम से प्रकाशन नहीं किया जाय, इस प्रकार सैन्सरशिप लागू करने की कोशिश करें और दूसरी तरफ पब्लिक गैलेरीज में पब्लिक को सदन की कार्यवाही नहीं देखने दें यह अनुचित है, आपत्तिजनक है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सदन में इसका स्पष्टीकरण किया जाय और जो कुछ आदेश निकले हैं उनको निरस्त किया जाय।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि आप कोई आदेश दें, मैं विनती करना चाहूंगा, बहुत गम्भीर मामला है, संसदीय कार्यवाही के संबंध में व्यक्ति सदन में हो या बाहर हो यह कहे कि अमुक शब्द नहीं आना चाहिये, यह क्वेश्चन आफ प्रिविलेज है इसलिए निवेदन करूंगा कि आप उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं, किसने ऐसा कहा टेलिफोन पर कि शब्दों को न छापें यह हाउस के विशेषाधिकार का उल्लंघन है इसका भी

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। एक यह कि और कोई असंसदीय शब्द कार्यवाही में आ गये हैं और तत्काल नहीं हटाये जाते हैं तो उनके प्रकाशन पर पाबन्दी टेलिफोन या अन्य किसी तरीके से पत्र-पत्रिकाओं को नहीं दी जाती है, जैसे तानाशाह····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल तानाशाह शब्द ही नहीं, यह असंसदीय शब्द है ।

श्री अध्यक्ष : जिन शब्दों का उपयोग नहीं हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल असंसदीय शब्द ही नहीं जो भी शब्द इन्होंने उचित समझे कि इनका प्रकाशन नहीं हो, वह ।

श्री अध्यक्ष : इसमें मेरी व्यवस्था यह है कि जो कुछ यहां कहा जाय वह सब कुछ छापा जा सकता है सिवाय इसके कि जिनको असंसदीय घोषित किया जाय, यह भी प्रक्रिया है कि बाद में जब हमारे ध्यान में आते हैं उनको हम छापते नहीं हैं, वह भी एक ठीक प्रक्रिया मैं समझता हूं, लेकिन बाद में जो एक्सपंज किये जाते हैं, जिनमें छापने की इजाजत नहीं होती उसको समाचार-पत्रों को नहीं छापना, कायदा यह है । नहीं छापना, मतलब यह है हमने एक्सपंज कर दिये तत्काल तो नहीं छापे जायेंगे । हमने एक्सपंज अब किये नहीं बाद में क्योंकि वह छपेंगे और बुरे लगेंगे, जैसे असंसदीय शब्द हैं और माननीय सदस्यों के ध्यान में आये नहीं और हमारे ध्यान में नहीं आयें, लेकिन वह छप जाते हैं तो विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होगा, लेकिन वैसे शब्द सदन की कार्यवाही, जो डिबेट छपती है, में नहीं जायें इस दृष्टि से उन्हें हम रोक सकते हैं । यह तो हमारी डिबेट है, इसमें उनको छापें नहीं, असंसदीय शब्द हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रेस से कोई संबंध नहीं है । प्रेस पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : प्रेस पर कोई पाबन्दी नहीं है जब तक कि हम यह नहीं कह दें कि उनको नहीं छापा जाये या एक्सपंज किया जाय । नहीं छापा जाये हम भी नहीं कह सकते हैं । हम यही कह सकते हैं कि यह संसदीय नहीं है इसलिये एक्सपंज किये गये । उसके बाद में यदि प्रेस वाले छापते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी होगी ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव था । मैंने अनुमोदन किया तो किसी ने कहा कि यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है···

श्री अध्यक्ष : आपने विधिवत् सूचना दी है विशेषाधिकार हनन की ? ऐसा प्रश्न जब हमारे समक्ष आयेगा हम उसको देखेंगे··

(व्यवधान)

दूसरा प्रश्न है गैलरी को खाली कराने का यह हम कभी नहीं करेंगे कि उसमें से दर्शकों को हटाया जाये या गैलरी खाली कराई जाये । जो नियमानुसार पास लेकर आते हैं जितनी अवधि के लिए उनके पास प्रवेश पत्र होता है तब तक उनको हम नहीं हटायेंगे ।

श्री नाथूसिंह (बांदी कुई) : मेरा एक प्रश्न था उस पर मैंने जानकारी मांगी थी और कहा था कि सदन की मेज पर रखें, लेकिन अब तक वह सदन की मेज पर··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है । आॅर्डर प्लीज । इसके बारे में आप मुझ से मिल सकते हैं । इसके बारे में जो व्यवस्था की जा सकती है वह की जायेगी ।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

व्यवस्था दी जा सकती है···

ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री राजबहादुर : मैं 288 के तहत···

श्री **अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है, **ऑर्डर** प्लीज।

(व्यवधान)

श्री **नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर जो उत्तर रखा जाय पहले उसकी कॉपी हमें दी जाय।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 15 फरवरी की दोपहर को भरतपुर के सर्राफा बाजार में श्रीमती जमुनादेवी नामक एक महिला की हत्या की घटना के विषय में।

2. सर्वश्री रघुवीरसिंह कौशल तथा दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के चेचट थाने के पास दो पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक युवती के साथ बलात्कार किये जाने की घटना के संबंध में।

3. सर्वश्री हीरालाल आर्य, हरीश शर्मा अनंगकुमार जैन, बालचन्द्र आर्यवीर, जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय की विधि संकाय की परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किये गये, इस विषय में।

4. श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, नीम का थाना में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव में भारी अनियमितताएं होने के विषय में।

5. डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनगणना में लगे हुए कर्मचारियों की सेवायें आगामी 28 तारीख से समाप्त किये जाने की घोषणा के विषय में ।

6. सर्वश्री बंशीलाल पटवा व भूपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिला के मेजा बांध के पेटे में आई हुई कृषि भूमि पर सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में ।

7. सर्वश्री मेघराज तावड़, त्रिलोकसिंह व यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 23 जनवरी को सीकर जिले में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किये जाने के विषय में ।

8. श्री गुलाबचंद कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उप-वैद्यों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किये जा रहे आन्दोलन के विषय में ।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की मरम्मत के लिए प्राप्त धन राशि का सार्वजनिक निमार्ण विभाग, नगर परिषद् व नगर विकास न्यास द्वारा दुरुपयोग करने के विषय में।

10. श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी द्वारा अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए प्राप्त अनुदान की राशि के वितरण में अनियमिताएं किए जाने के विषय में।

11. श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में उत्पन्न भारी विद्युत संकट से किसानों, मजदूरों, लघु उद्योगों व आम नागरिकों का जीवन कठिन हो गया है, इसके सम्बन्ध में।

12. श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर के अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक में अनबन तथा कर्मचारियों में गुटबाजी होने से इस सहकारी संस्थान में भारी अव्यवस्था फैल जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य, श्री जयकृष्ण शर्मा।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित पत्रों की सदन पटल पर प्रस्तुति

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न नियम 288 के अन्तर्गत है। यदि किसी डाकूमेंट का हवाला दिया जाता है तो वह पेश होना चाहिये व उसके बारे में जिक्र गवर्नर एडरेस में है लेकिन अब तक वह डाकूमेंट रखा नहीं गया है। मैं जानना चाहता हूं कि रखा जायगा या नहीं। आप व्यवस्था दें। आखिर उस रावी–व्यास समझौते की शर्तें क्या हैं, उससे हमें क्या मिला, मिला भी या नहीं। इस प्रकार का हवाला 288 में साफ है।

श्री अध्यक्ष : आपने आपत्ति यही उठाई है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी समझौते के बारे में चर्चा हुई है। चर्चा हुई है तो उसको रखा गया है या नहीं रखा गया, राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं, सब के बारे में चर्चा हुई तो सभी पत्रावलियों को रखने की इजाजत नहीं है। अगर आप वाद-विवाद के अंदर उस प्रश्न को उठायेंगे तो सरकार से जो पत्रावलियां हैं, वह मंगवा ली जाएंगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): आपको ध्यान होगा कि मैंने एक पत्र लिखा था 20 तारीख को कि राज्यपाल महोदय के भाषण में जिक्र है, इसलिये सरकार अपनी ओर से रावी-व्यास समझौते की एक प्रति सदन की मेज पर रखें। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा भी था कि सदन की मेज पर रखा जायेगा। मुझे मुख्य मंत्रीजी से पूछना है कि वह कब रख रहे हैं?

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि समझौते की कॉपी सदन की मेज पर रखी जायेगी। मैं भी पूछना चाहता था कि वह रखी गई है या नहीं इसकी मैं जानकारी प्राप्त करके आपको कहूंगा। वैसे कल आपको यह मिल गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मिल गई है या नहीं, यह सवाल नहीं है वह सदन में रखी जानी चाहिये।

श्री रामबहादुर : सिर्फ इन्हें देने की बात नहीं है पूरे सदन को देनी होगी।

श्री शिवचरण माथुर : आपको भी मिल जायगी। और सदन की मेज पर रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : सबकी सुविधा के लिए टेबिल पर रख दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, उसके साथ ही मैंने कहा था और निवेदन किया था कि एक तो अकाल के सम्बन्ध में भारत सरकार की जो स्टडी टीम आई उस स्टडी टीम के समक्ष जो ज्ञापन प्रस्तुत किये गये; आमतौर पर ज्ञापन प्रकाशित होते हैं, समाचार-पत्रों के पास भी चले जाते हैं लेकिन लेट जाते हैं, वह आखिर सदन की मेज पर रख दिये जायें तो अकाल के संबंध में जो डेबिट होगी वह अच्छी हो सकती है, केन्द्रीय सरकार से भी क्या डिमान्ड की जाये, उसके संबंध में भी बात की जा सकती है। इसी प्रकार बाढ़ के संबंध में मैंने कहा था इसी प्रकार चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसके मिनिट्स के बारे में मैंने लिखकर दिया था, मंत्री महोदय मैं समझता हूं उचित समझेंगे ये सब चीजें ऐसी हैं यदि सदन की मेज पर रखी जाये तो डिबेट सार्थक होगी। भारत सरकार से धन लेना हो तो उस संबंध में विधान सभा की कार्यवाही से आपके हाथ ज्यादा मजबूत होंगे। यदि चंबल कंट्रोल बोर्ड के संबंध में आप कोई भूल करके आए हैं वैसे आप डरे हुए हैं उस बात को लेकर तो उसको दुरुस्त करने का मौका तो आप को मिल जायेगा। ये सब चीजें सदन में आनी चाहिये, छिपाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, कल जब विपक्ष के नेता महोदय ने प्रश्न उठाया था तो मैंने रावी-व्यास समझौते के बारे में स्पष्ट रूप से निवेदन किया था कि इसकी कापी सदन की मेज पर रखी जायगी। लेकिन अकाल के संबंध में रिपोर्ट क्या पेश की गई और भारत सरकार व स्टडी टीम ने क्या मंजूर किया, मैं समझता हूं आज तक इस प्रकार की परम्परा नहीं रही है कि हम इतनी मोटी रिपोर्ट को पेश करें। वैसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, अखबारों में आते हैं होंगे और भारत सरकार की स्टडी टीम भी डिटेल्ड रिपोर्ट देती है उसका ब्रेक अप हमको मिलता है, अलग अलग मुदों में कितना खर्च करना है। जब यहां पर बहस होगी तो उस ब्रेक अप की मंत्री महोदय आपको जानकारी देंगे बल्कि उद्धरण भी आपको पेश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिक्कत क्या है सदन की मेज पर रखने में ? अध्यक्ष महोदय, प्रेस के पास जो चीज है वह चीज एम.एल.एज. को मिल जानी चाहिये। आप कह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
दीजिये गवर्नमेंट ने प्रेस को रिपोर्ट देकर ब्रीफ नहीं किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : ब्रीफिंग दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपोर्ट आपने नहीं दी है ? सर्क्यूलेट किया या नहीं आपन चुने हुये प्रेस के लोगों को ?

श्री शिवचरण माथुर : ब्रीफिंग किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने ज्ञापन तैयार किया है वह प्रेस वालों को दिया है। आज मेरे साथ चलें, उनके मकान पर बता सकता हूं। यह नहीं हो सकता कि जो चीज प्रेस को दी जाय वह हमको न दी जाय। यह हमारा दायित्व है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो चीज प्रेस को दे दी गई, जो किसी प्रकार का प्रिवेलेज्ड डाक्यूमेंट नहीं है, यदि प्रिंट कराकर प्रेस को सर्क्यूलेट नहीं करना चाहते तो सदन की मेज पर रखें। यह बहुत बड़ा विशेषाधिकार का सवाल है, जो सामग्री प्रेस को दी जाती है, वह एम.एल.एज. को नहीं दी जाती, छिपाई जाती है। इसका आपको निर्णय करना पड़ेगा।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक मेरी जानकारी है, प्रेस को अकाल राहत मंत्री ने रिपोर्ट नहीं दी हैं। केवल शार्ट नोट और ब्रीफ दिया है। उसमें सारे उसके स्पेशल फीचर्स हैं और डिटेल्स हैं, क्या हमने भारत सरकार से मांगा है, कौन-कौन से नुकसान के बारे में हमने निवेदन किया हैं उसको ब्रीफ नहीं, सर्क्यूलेट किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दे दें। वह भी हमको नहीं दे रहे हैं। प्रेस को साइक्लोस्टाइल्ड इतना बड़ा पोथा नहीं दिया ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रीएम्बल और प्रिफेस के साथ ?

श्री शिवचरण माथुर : Not to my knowledge.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नालेज नहीं ? सरकारी-पत्रों की चोरी हो जाय और मुख्य मंत्री को पता नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : पत्र जो छापते हैं, ब्रीफिंग के आधार पर छापते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, ब्रीफिंग कर दिया आपने कहा, प्रेस नोट तैयार किया। मैं ओरिजिनल रिपोर्ट के बारे में कह रहा हूं जो आपने स्टडी टीम को दी है। वह रिपोर्ट सदन में पिछली बार भी रखी है, वह क्यों नहीं देते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : आपने अभी प्रेस की बात कही। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने निवेदन किया, पूरी रिपोर्ट प्रेस को नहीं दी गई है। उसके केवल शार्ट नोट्स और ब्रीफ प्रेस को सप्लाई किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको साथ लेकर चलूं पूरी रिपोर्ट किसी प्रेस वाले के पास पड़ी हो तो कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : जहाँ तक पेपर्स को कोट करने का प्रश्न है, रूल 288 साफ है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 288. Papers quoted to be laid on the Table .If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table:

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest;

श्री राजबहादुर : ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा कोई क्लेम नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि प्रिविलेज क्लेम करते हैं तो करिये 288 में ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब आपने कहा है कि सदन के समक्ष पेपर्स को रखना चाहिये तो जरूरी नहीं है कि जो मंत्री जिस पेपर का रेफरेंस करे उस को रखने के लिये आदेश दिया जाय बाकी तो स्पीकर...

श्री राजबहादुर : दिस कम्पाऊंड्स दी आफेंस । अगर प्रिविलेज क्लेम करते हैं तो फिर यह कहीं नहीं जाना चाहिये था प्रेस को भी नहीं जाना चाहिये था, प्रेस के पास कैसे पहुंच गया ? आपत्ति यह उठाई गई है कि ओरिजिनल रिपोर्ट प्रेस को पहुंच गई तो हमारे पास भी आनी चाहिये । अगर यह प्रिविलेज क्लेम करते हैं तो ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जायेगा कि प्रेस के पास कैसे पहुंच गई ? यह प्रोविज़ो एप्लाई नहीं करता ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने रूल कोट किया है एज-ए-राइट नहीं कर सकते । जब प्रेस को दिया गया मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया कि प्रेस को जो चीज दी गई है वह सदन के समक्ष भी आ जायगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: यह जो राइट को चैलेंज किया है, मैं समझता हूं मेरा राइट है इन रूल्स के अन्तर्गत मेरा राइट है, विधान सभा का मैं सदस्य हूं और विधान सभा सदस्य के नाते जो कोई भी कार्यवाही सरकार करेगी उस कार्यवाही के संबंध में यदि सरकार उसको अपना प्रिविलेज्ड डाक्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करे तो मैं तो उस डाक्यूमेंट को देख सकता हूं, इस प्रकार का अधिकार मुझे है । मैं इस संबंध में तैयारी करके नहीं आया लेकिन एक बार पहले इसी विधान सभा में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी और माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी कि यदि कोई माननीय सदस्य ऐसा डाक्यूमेंट, जिस पर चर्चा सदन में हो रही है, देखना चाहे और सरकार प्रिविलेज्ड डाक्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करे या नहीं माने तो उस डाक्यूमेन्ट को दिखाने में आपत्ति नहीं होगी । विधि मंत्री कानून के जानकार है वह कह दें कि जिन डाक्यूमेंट की मांग की गई है वह प्रिविलेज्ड डाक्यूमेंट्स है तो सारी समस्या ही खतम हो जायगी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस बारे में असेम्बली से पत्र लिखा गया है उसका जवाब आ जायगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । जिस नियम का मंत्री महोदय ने हवाला दिया है और आप भी हवाला देना चाहते हैं, वह नियम इसमें लागू नहीं होता । आप केवल यह चाहते हैं कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को क्या प्रतिवेदन दिया है अकाल के संबंध में, उसकी जानकारी मिलनी चाहिये । तो पूरी रिपोर्ट या पूरा प्रतिवेदन अक्षरशः सामने आ जाय, यह जरूरी नहीं है लेकिन क्या मुख्य मुद्दे हैं वह मैं समझता हूं यहां पर चर्चा हो उसके लिये देना जरूरी है और सरकार को देने चाहिये ।

श्री शिवचरण माथुर : वह दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : किसी भी विभाग की चर्चा करते हैं जैसे अकाल है वर्तमान में क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा होगी तो उसमें जानकारी सदस्यों को दी जायगी । आप संतुष्ट हों इतने से कि अखबार वालों को दिया वह हमको दे दी तो वह मांग छोटी होगी.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों ? छोटी चीज नहीं है सरकार का छोटापन है ।

श्री अध्यक्ष : हम इसमें ज्यादा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रेस को जो दिया है उससे अधिक दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिक देने का सवाल नहीं है, प्रेस को जितना दिया है उतना ही दें तो अच्छी बात है ।

श्री अध्यक्ष : उससे अधिक दिया जायगा आपको ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो तीन बातें और हैं । यह तो आपने अकाल का फैसला कर दिया । एक चंबल कन्ट्रोल बोर्ड की संयुक्त बैठक हुई । उसमें हमारे मुख्य मंत्री कुछ ऐसी भूल करके आये हैं जिससे राजस्थान के हितों पर भयंकर कुठाराघात होगा ....

श्री अध्यक्ष : वह अपने भाषण में कहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाषण में तो कहूंगा पर याद दिलाना चाहता हूं मुख्य मंत्री को जिस समय आप मंत्री थे या नहीं, इस सदन में एक निर्णय हुआ था कुछ इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स के मामले में कि कोई भी बात होगी तो विरोधी दल को विश्वास में लिया जायगा । मैंने केवल इतना सा निवेदन किया है कि चंबल कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग, जिसके चेयरमैन मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री थे में जो निर्णय हुये उसके मिनिट्स से अवगत करा दें । मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि उसमें कितनी भयंकर भूल हुई है और राजस्थान के हितों पर किस प्रकार से कुठाराघात हुआ है । वह मिनिट्स सदन की मेज पर नहीं रखना चाहते तो हमें बता दें कि क्या भूल करके आये हैं हम आपको पाइंट आउट करें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : मेरी सिंचाई मंत्री से बातचीत हुई थी उनकी कल विपक्ष के नेता से बात हुई थी और विपक्ष के नेता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस बातचीत का रेफरेंस देंगे तो मैं पूरी-पूरी बातचीत बता दूंगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं उस बात का रेफरेन्स नहीं कर रहा हूं। उस बात पर आप सहमत हो गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उस पर क्यों सहमत हो गया था, वह मैं बताऊंगा तो आप चौकन्ना हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : वह बात फिर कर लेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह सांठगांठ नहीं चलेगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहनलाल मोदी (नींम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है, मैंने सरकार से जानकारी मांग ली है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह पाइन्ट बहुत ही अहम है, चुनाव के लिये लोगों ने जो फार्म भरे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आँर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, चुनाव अधिकारियों ने फोर्म रिजेक्ट कर दिये हैं। प्रजातन्त्र में इस प्रकार फोर्म रिजेक्ट करके लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया है। वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है, तनाव पैदा हो गया है। मुझे आप दो मिनट का समय दें मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, सरकार से तो जानकारी पता नहीं कब आयेगी?

श्री अध्यक्ष : आप यह चाहते हैं कि मैं उस पर जानकारी नहीं चाहूं और आप को दो मिनट के लिये बोलने की तत्काल इजाजत दे दूं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी आप चाहते हैं उसी के बारे में थोड़ा निवेदन कर दूं ताकि उस वक्त उसकी पुनरावृति नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, वहां की सोसाईटी में काफी गड़बड़ी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

मन्त्रीजी द्वारा वक्तव्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्नकाल नहीं है। अभी शून्यकाल है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। पिछले सैशन में भी दिये और आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव दिया है। मेरा निवेदन यह है कि आप हमारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
स्थगन प्रस्ताव, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, को सरकार के पास जानकारी लिये भेज देते हैं। सरकार उसकी जानकारी 15 दिन में देती है और कई बार तो जानकारी ग्राती है तब तक सैशन ही निकल जाता है उसके बाद ग्राने से क्या फ़ायदा ? ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: ग्राज कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि ग्राज बिजली का ग्रहम मसला है

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। ग्राप स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्राप, ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी एक मिनट बात सुन तो सही। ग्राज बिजली की बहुत स्थिति खराब है। लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, काश्तकारों को बिजली नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं मिल रही है, वहां पर एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गयी है। ऐसे कई मसले है।

श्री ग्रध्यक्ष :: ग्राप स्थान ग्रहण कीजिये इस पर चर्चा नही होगी मैंने सरकार से जानकारी मांगी है।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाह रही थी पर ग्रापकी ग्रनुमति नही मिलने के कारण नहीं बोल पा रही थी।

श्री अध्यक्ष : ग्राप काहे पर बोल रही थी ? कौनसा स्थगन प्रस्ताव है ? माननीय सदस्या; स्थगन पर चर्चा नहीं होगी, मैंने व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिये। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जनगणना के करीब डेढ़ हजार कर्मचारी सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उन की सेवायें 28 तारीख को समाप्त होने जा रही है।

श्री ग्रध्यक्ष : मैंने सरकार से जानकारी चाही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, उनकी सेवायें तो 28 तारीख को समाप्त होने जा रही हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप स्थान ग्रहण करें। ग्रार्डर, ग्रॉर्डर।

ग्रंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : × × ×

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप स्थान ग्रहण करें जानकारी चाही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उनकी 28 तारीख को सेवायें समाप्त हो जायगी। कब तक जानकारी ग्रायेगी ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही जानकारी ग्रा जायेगी।

×××माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या 28 तारीख से पहले जानकारी आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : आ जायेगी । आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अच्छी बात है ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है; बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें; मैंने जानकारी चाही है । आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप समय ले रहे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें ?

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । तो फिर मैं ऐसा कर देता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उनको एक-एक मिनट बोलने का समय दे दूं और जो जानकारी सरकार से चाही वह नहीं लूं ।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : यह तो व्यवस्था को भंग करना होगा ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। अब इस विषय पर चर्चा नहीं होगी ।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त करने में विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने फर्माया कि जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं वह अगर एक मिनट बोल लेते हैं तो उस पर सरकार से जानकारी नहीं मांगू । अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो यही है कि सरकार से जानकारी आती ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आती है तो, अध्यक्ष महोदय, शायद आपके पास आती है । हमारे पास नहीं आती है । आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये । हम जो एडजोर्नमेंट मोशन देते हैं उन पर आप सरकार से जानकारी मांगते हैं । जानकारी मांगने के बाद उनको आप स्वीकार या अस्वीकार करते हैं । यह एक परम्परागत व्यवस्था चली आ रही हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष : कई विषयों पर वक्तव्य भी दिलाता हूं और चर्चा करने का मौका भी पर्याप्त देता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन जो दिये जाते हैं उस पर आप सरकार से उत्तर भी लेते हैं फिर उसको आप अस्वीकार भी करते हैं । अध्यक्ष महोदय, उनको अस्वीकार करने के साथ-साथ आप यह व्यवस्था भी देते हैं कि अमुक स्थगन प्रस्ताव पर फलां मंत्री फलां दिन वक्तव्य देगा । यह सारी व्यूह रचना जो है चार बातों तक ही सीमित रहती है । जिनको आप रिजेक्ट करते हैं उनको तो आप बोलने को दो-दो मिनट का मौका दे देते हैं । लेकिन अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट का मतलब यह है कि जिस दिन हाउस में एडजोर्नमेंट मोशन दिया जाय उस दिन हाउस की कार्यवाही को एडजोर्न करने की डिमाण्ड की जाती है । इसका मतलब है कि आप उस दिन उस पर निर्णय लें । अध्यक्ष महोदय, नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि जिस एडजोर्नमेंट का नोटिस दिया गया है आप उसकी आधे घन्टे में सर-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
कार से जानकारी ले लें। सरकार से जानकारी आने के बाद आप उस पर अपना निर्णय करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक नहीं बल्कि 15-20 एडजोर्नमेंट मोशन ऐसे गिना सकता हूं कि जिन एडजोर्नमेंट मोशन की चाहे आपके पास सूचना आयी होगी लेकिन हाउस को उसकी कोई सूचना नहीं मिली। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था में कोई कोई परिवर्तन जरूरी करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आप सुझाव दे दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज मैं सुझाव दे ही देता हूं। जब भी एडजोर्नमेंट मोशन आप किसी माननीय सदस्य द्वारा ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले ही डिक्शन होकर निर्णय हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठिये खेतसिंह जी। इसका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से ताल्लुक नहीं है। इसका सदन की व्यवस्था से ताल्लुक है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से यह सभी तय किया गया था कि किस तरह से एडजोर्नमेंट मोशन को लिया जायगा। उसमें आप और हम सभी नेता लोग बैठे हुए थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन-कौन नेता बैठे हुए थे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस दिन राजबहादुर जी थे हजारी लालजी थे, श्री लच्छूरामजी थे, आप भी थे और हम भी थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई नहीं था। आपको पता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी तो ऐसे भाषण देते है जैसे शेरगढ़ के टीले पर बोल रहे हों। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मान लीजिये मुझे आज कोई इतला मिली किसी मर्डर के बारे में या कोई विशेष सूचना मिली उस विशेष सूचना के आधार पर मैं एक एडजोर्नमेंट मोशन देना चाहता हुं और इसका महत्व, मान लीजिये, आज बहुत ही अधिक है, चार दिन बाद हो सकता है वह मसला महत्वपूर्ण नहीं रहे, तो वह महत्वपूर्ण मसला विचार होने से रह गया। आप तो उस पर सरकार से जानकारी मंगायेंगे और उसका उत्तर आने के बाद उसको स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। उसके बाद जो भी उसके परिणाम होंगे वह परिणाम चाहे विरोधी दल को भोगने होंगे तो वह भोगेगा और सत्ता दल को भोगने होंगे तो सत्तादल भोगेगा। इसलिये उसी दिन जानकारी आ जाय तो हमें कष्ट नहीं होगा। मगर यह पोस्टपोन नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं विपक्ष के माननीय नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो हमारी प्रक्रिया बनी है यह काफी लम्बे अनुभव के बाद बनायी गई है। तुरन्त स्वीकार या अस्वीकार करने में हमें तो कुछ भी कठिनाई नहीं है। माननीय सदस्यों को ही कठिनाई होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, हमें कोई कठिनाई नहीं होगी आप देखिये, आज बिजली का ही मसला ले लें। कल हजारों की तादाद में बिजली का मसला लेकर काश्तकार लोग मुख्य मन्त्रीजी से मिलने गये और मुख्य मंत्री जी ने यह कह दिया कि उन लोगों को 8 घंटे तक बिजली मिलने लगेगी पर बिजली तो है ही नहीं।

श्री **शिवचरण माथुर** : 6 घंटे का नहीं कहा, 6 घंटे बिजली दी जायेगी, जो पहले चार घंटे मिलती थी और उपलब्ध हुई तो और बढ़ा दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री **यदुनाथ सिंह** (नदबई) : 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : इतना बड़ा मसला बिजली का है उस पर अगर माननीय सदस्य एडजोर्नमेंट मोशन पेश करें और आप कह दें कि जानकारी सरकार से मांगी है, तो सरकार क्या जानकारी देगी ? यही देगी कि बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा और जो कुछ भी बिजली मिल रही है उसके हिस्से कर रहे हैं । मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय सदस्य अपनी भावना सदन के सामने रखना चाहते हैं वह तो रख दें ताकि सरकार कोई जानकारी देना चाहे तो दे ।

श्री **अध्यक्ष** : ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ में तो वक्तव्य भी दिला देता हूं और जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोलने की इजाजत भी देता हूं । सरकार जानकारी देना चाहे या नहीं चाहे

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : वह तो आप हम पर छोड़े । हम सरकार से भाषण दिलवा लेंगे । सरकार को तो हम बुलवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मैं कब मना कर रहा हूं ?

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, उस पर थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री **अध्यक्ष** : क्या आप यह चाहते है कि आधे घंटे में उत्तर प्राप्त नहीं कर सकूं तो उसको अस्वीकार कर दूं और फिर उस पर माननीय सदस्य दो-दो मिनट बोल लें ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : इससे हम एग्री करते हैं ।

श्री **नाथूसिंह** : आप हमें 5 मिनट का समय दे दें ।

श्री **अध्यक्ष** : **इससे** तो आप सरकार की दिक्कत को बचा देंगे ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, उससे तो सरकार नहीं बचेगी । सरकार तो अभी बच रही है, जो उत्तर नहीं दे रही है ।

श्री **अध्यक्ष** : अभी तो सरकार की तरफ से उत्तर आता है उस पर सलाह मशविरा करके उसकी अनुमति देते हैं ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आता है ।

श्री **शिवचरण माथुर** : हम आपको को बराबर जवाब देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, उससे आप जो रोजाना आधे घंटे तक यहां व्यवस्था देते हैं वह समाप्त हो जायगी और माननीय सदस्य भी अपनी भावना सदन में व्यक्त कर सकेंगे ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : आपके समय में क्या व्यवस्था थी ? आपके समय में क्या प्रक्रिया

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
थी ? आपने क्या किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने क्या किया या क्या नहीं किया वह आप मुझसे मत पूछिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह तो हाउस के रिकार्ड पर है विपक्ष के माननीय नेता महोदय ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक मिनट । माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने सवाल उठाया है कि जन गणना के कर्मचारियों का आन्दोल पिछले 15 दिनों से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर और····

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं । मैं यह चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है कि सरकार का रुख कुछ इसके पक्ष का है । आप अपनी तरफ से बात कह करके उस विषय को समाप्त करना चाहते हैं····

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आन्दोलन इस समय चल रहा है, प्रदर्शन का नोटिस दे दिया । क्यों नहीं सरकार अपना वक्तव्य लेकर विधान सभा में आई ? जैसा माननीय नेता महोदय ने कहा वह बिल्कुल सच है कि सरकार भुलावे में डालना चाहती है, सरकार अवोइड करना चाहती है । ऐसे जो सवाल हैं, ऐसे जो मसले हैं, जनगणना के लोग आये हैं सरकार वक्तव्य क्यों नहीं देती···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आज वक्तव्य देने की आवश्यकता सरकार को क्यों नहीं ? किस लिए सरकार हैजीटेट कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार से जानकारी तो चाही है । यह महत्वपूर्ण विषय होगा तो सरकार से वक्तव्य भी दिला दूंगा, लेकिन तत्काल चर्चा में लाने से कोई लाभ नहीं होगा । सरकार के नोटिस में जब यह बात है····

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो आपका दृष्टिकोण ठीक है । सरकार के नोटिस में जब यह बात है तो सरकार प्रिपेयर हो कर क्यों नहीं आती है ? सरकार तैयार होकर क्यों नहीं आती ? सरकार फेस क्यों नहीं करना चाहती है ? सरकार उत्तर क्यों नहीं देना चाहती हैं ? इनएफीशियेन्ट सरकार है । अवोइड करती है, सरकार ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य·····

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कल शाम को डी. आई जी., कोटा से बात करके सदन को जानकारी देने की बात माननीय प्रद्युम्नसिंह-जी ने कल कही थी । मैं आपके माध्यम से प्रद्युम्नसिहजी से जानकारी करना चाहता हूं कि डाकुओं से मुकाबला करते हुए एक आदमी मारा गया, उसके संबंध में क्या जानकारी लाये ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । समय नहीं है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)
आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की कार्यवाही में है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं कार्यवाही देख लूंगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था कि कोटा के पास चेचट के थाने में बलात्कार हो गया । उसकी जानकारी तो दें···

श्री अध्यक्ष : अगर आप मंत्री जी का वक्तव्य नहीं चाहते तो मैं उसको समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : डाकुओं से मुकाबला करते हुए आदमी मारा गया उसको कोई अनुदान देने की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इस तरह से भाषण नहीं करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसको अनुदान देने की बात सरकार नहीं करती है । मैंने कहा था····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह उचित तरीका नहीं है कि जिस विषय को माननीय सदस्य चाहे उसको बिना पूर्व अनुमति के सदन में उठा दें। मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, अध्यक्ष महोदय, किस तरह से विश्वास करें····

श्री अध्यक्ष : मेरे ध्यान में ले आते तो मैं कह देता, मंत्रीजी से निवेदन कर देता··

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मना कर दें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात): विरोधी पक्ष के माननीय नेता 5 बजे तक बहुत टाइम है । अभी इतनी जल्दी क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पौन घंटे का समय इस तरह से ले लिया है और उसका कोई परिणाम नहीं निकला····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

अब इसका मतलब यह हुआ कि आप मंत्री जी का वक्तव्य सुनना नहीं चाहते इस लिए····

श्री दाऊदयाल जोशी : आज शाम तक दे दें । डाकुओं का मुकाबला करते समय आदमी मारा गया·····

श्री अध्यक्ष : इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते ।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसके 7 बच्चे हैं । दाने-दाने को मोहताज हैं······

श्री अध्यक्ष : अगला विषय ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के पुरःस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि ।

एक माननीय सदस्य : वक्तव्य ।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य आप चाहते नहीं हैं । पौन घंटे का समय ले लिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आप प्रोटेस्ट करेंगे यह बहुत बड़ी आपत्ति की बात है वक्तव्य कौन नहीं सुनना चाहता है ? हम वक्तव्य सुनना चाहते हैं और अपने अधिकार से सुनना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय सुनना चाहते हैं । लेकिन बार-बार उसी विषय को उठा रहे हैं जिस पर मैंने पहले ही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने कल आश्वासन दिया था......

श्री अध्यक्ष : दिया था तो मेरे ध्यान में ले आइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मेरे पास बैठे हैं । इनसे पूछ लीजिए आश्वासन दिया था कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन तो है लेकिन इस वक्तव्य के बाद ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो इन्होंने पूछा है....

श्री अध्यक्ष : बार-बार पूछने की क्या जरूरत है, ? आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बार पूछा है कि कब वक्तव्य देंगे ? आप अब कहें कि वह वक्तव्य नहीं देंगे, तो क्यों नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आज की कार्य सूची में नहीं है इसलिए मैं जानकारी लूंगा ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्यसूची आपके सचिवालय में बनती है । हम नहीं बनाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । यह कोई तरीका नहीं है ।....आर्डर प्लीज.....

(व्यवधान)

आप मंत्री जी का वक्तव्य सुनना चाहते है कि नहीं ?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । वक्तव्य सुनना चाहते हैं तो मैं मंत्री जी से निवेदन कर देता हूं कि अपना वक्तव्य दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी कृपा नहीं है । यह हमारा अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष : अधिकार है लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि नियमों के अन्तर्गत अधिकार है । आप चाहें किसी विषय को किसी वक्त उठा दें, यह आपका भी अधिकार नहीं है । मुझे रेगुलेट करने का अधिकार है..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है, माननीय सदस्य यदि सुनना चाहें तो सुनवाऊं, यह आपकी कृपा का सवाल नहीं है । मेरे अधिकार का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन की तरफ से अधिकृत किया गया है कि मैं किस विषय को कैसे लूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बार-बार क्यों रिपीट करते है कि आप सुनना चाहें तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
सुनवाऊं ?

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार भूल जाते हैं इसलिए रिपीट करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भूल नहीं जाते हैं, हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते है।

श्री अध्यक्ष : संघर्ष की जरूरत नहीं हैं

श्री भैरोंसिंह शेखाव : अध्यक्ष महोदय कल प्रद्युम्नसिंह जी ने कह दिया कि पांच बजे पहले पहले वक्तव्य दूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गलत। मैंने नहीं कहा। आप निकालिये रिकार्ड...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कार्यवाही मंगा ली है उसको मैं देख लेता हूं। परिवहन मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

राज्य सरकार द्वारा रोडवेज की बसों के किराये में की गई दस प्रतिशत वृद्धि

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातयात) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव श्री गुलाबचन्दजी कटारिया एवं अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा रोडवेज की बसों के किराये में की गयी 10 प्रतिशत वृद्धि के संबंध में प्राप्त हुआ। उसके संबंध में मेरा निम्न वक्तव्य है :

मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1939 की धारा 43 के अन्तर्गत राज्य सरकार मंझली गाड़ियों का भी किराया तय करने के लिए सक्षम है। यह किराया संबंधी निर्देश राज्य परिवहन प्राधिकार को निदेश के रूप में दिये जाते हैं जिसके लिए राज-पत्र में पूर्व प्रकाशन, एक माह की अवधि में आपत्तियों का आमन्त्रण इत्यादि की प्रक्रिया करना आवश्यक है।

यह सही है कि दिनांक 1-4-78 को प्रभावी किराये में दिनांक 16-9-80, 25-6-81 एवं 19-2-82 मे प्रभावी किराये की दरों में वृद्धि की गयी है। यह वृद्धि क्रमशः 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की दर पर तत्कालीन प्रभावी किराये पर की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 1-4-78 को जहां डीजल का प्रति लीटर मूल्य 1.42 रु था जो दिनांक 1-5-79, 17-8-79, 8-6-80, 13-1-81 एवं 10-7-81 को समय-समय पर की गई वृद्धियों के परिणामस्वरुप बढ़कर 3.18 रु. प्रति लीटर हो गया। इसी प्रकार टायर, ट्यूब वैट्रीज, लुब्रिकेटस एव स्पेयर पार्ट्स आदि के मूल्यों में भी वृद्धि हो गयी। इन सब वृद्धियों के कारण मोटर परिवहन उद्योग का परिचालक व्यय बढ जाना स्वाभाविक था और इसी कारण राज्य सरकार ने समय-समय पर किराय की वृद्धि की है।

यदि सरकार किराये में वृद्धि न करती तो इस उद्योग में लगें हुए व्यवसायियों राज्य पथ परिवहन निगम के अतिरिक्त निजी उद्यमियों द्वारा बस संचालन के व्यय भार को वहन करना कठिन होता जिसका विपरीत प्रभाव सड़क परिवहन विकास पर होता जो राज्य के समग्र विकास के हित में नहीं हो सकता। परिवहन सेवायें राज्य के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाया गया यह किराया केवल राजस्थान

(52)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं पर ही लागू नहीं होता बल्कि निजी वाहन स्वामियों पर भी उसी प्रकार से लागू होता है जिस प्रकार से निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं पर लागू होता है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो किराया पिछले केवल एक वर्ष और कुछ माह में आपने बढ़ाया है कहने के लिए वह 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है किन्तु आप जो ऐसा आर्डिनेन्स लाये थे कि एक्सीडेन्ट के समय लोगों को सहायता के रूप में 10 प्रतिशत देंगे उसका अगर प्रतिशत निकालें आप तो 25 प्रतिशत से बढ़ा तो 2.25 होता है और फिर 20 प्रतिशत से बढ़ा तो 2 प्रतिशत होता है और फिर 10 पर्सेन्ट बढ़ाया तो 1 पर्सेन्ट होता है । आपने एक वर्ष में राजस्थान रोडवेज का 65 प्रतिशत किराया बढ़ाया है जो कि हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं है । पिछली बार मेरे 24- 8- 81 के प्रश्न के जवाब में सरकार ने जो जवाब दिया उस जवाब के अन्तर्गत राजस्थान रोडवेज ही एक ऐसा है जिसका किराया हाइएस्ट है । यहां तक कि हमारा जो टैक्स है, यात्री कर है वह भी काफी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है । हमारा 35 प्रतिशत है जबकि गुजरात का 16 प्रतिशत है ।

श्री अध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी । यदि स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ पूछना चाहें तो एक आध प्रश्न पूछ लें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि 65 प्रतिशत किराया आपने बढ़ाया है और जिस गति से आप मंहगाई बढ़ती बता रहे हैं उसकी तुलना में आप के आंकड़ों के अनुसार 22 प्रतिशत जब मंहगाई बढ़ी है तो आपने रोडवेज पर यह जो 65 प्रतिशत का किराया बढ़ाया है, 10 प्रतिशत और यह 75 प्रतिशत होता है । इसका क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा, डीजल का भाव 124 प्रतिशत बढ़ा यानी 1.43 का 3.18 रु. प्रति लीटर हो गया । इसी तरह टायर की कीमतें देखें जो मैंने आपके सामने बतलाई, पूरे 100 प्रतिशत बढ़ी है । इसी प्रकार से लुब्रिकेटिंग, स्पेयर पार्टस की कीमतें हैं । 1978 से लेकर आप सन् 1981 तक की कीमतें देखें । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि और प्रांतों से हमारे यहां प्रति किलो मीटर ज्यादा रेट हो सकती है परन्तु मैं यह अच्छी बात अच्छी नहीं समझता कहां कम है कहां ज्यादा है । ऐसे भी कुछ प्रांत हो सकते हैं जहां हमारे से ज्यादा रेट्स हों । परन्तु राजस्थान में जो भी किराये की वृद्धि की गई है वह इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए की गई है। उसे मैं ठीक ही मानता हूं और इसका औचित्य है अगर सब चीजों की कीमतें बढ़ी हैं तो किराया बढ़ाना उचित ही पाया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री महावीरप्रसाद जैन : इसका बिल्कुल औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : औचित्य है या नहीं इसका निर्णय . . .

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि

(श्री महावीरप्रसाद जैन)
जो अनुबन्धित बसें हैं 16-8-80 से उनको माइलेज के हिसाब से कितना पैसा दिया गया है। जब 65 प्रतिशत, 75 प्रतिशत किराया बढाया तो उसके हिसाब से किराया कितना बढाया है? राजस्थान की जनता नहीं बोलेगी भले ही यह मनमानी कर रहे हैं। मेरे यह मानना है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, केवल 10 प्रतिशत अनुबन्धित बसों का बढा देते हैं। डीजल की रेट बढी है उसका केवल 10 प्रतिशत उन पर भार पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य सदस्य।

श्री महावीरप्रसाद जैन : स्पष्टीकरण के रूप में पूछना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जिस समय आपने 20 प्रतिशत किराया बढ़ाया उस समय घाटा कितना था? 25 प्रतिशत किराया बढाने से घाटा कितना हो गया? जिस समय 20 प्रतिशत बढाया उस समय घाटा कितना था और बढाने से घाटा कितना हो गया?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछें।

श्री नाथूसिंह : यह आयेगा साहब।

श्री अध्यक्ष : अन्य माध्यम से पूछियेगा।

श्री नाथूसिंह : माननीय मंत्री महोदय जवाब देने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय की जानकारी में है कि जो रोडवेज घाटे में जा रहा है क्या इसका सबसे बड़ा कारण रोडवेज विभाग में जो भ्रष्टाचार है····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करूं अभी कुछ दिन पहले, एडिशनल चैयरमैन मार्केट में 7 बजे बिना ड्राईवर के गाडी ले गये। गाडी चोरी गई, एफ.आई.आर. दर्ज कराई। भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में है···

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री नाथूसिंह : इसलिये पैसेन्जर टैक्स नहीं बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष : बार-बार चर्चा नहीं होगी। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री नाथूसिंह : एक-एक का जवाब दे दीजियें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती अरोड़ा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे भूल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भूलते होते तो मंत्री थोड़े बनते।

श्री नाथूसिंह : अगर मंत्री महोदय के ध्यान से निकल गया तो यह प्रश्न रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बतायें कि विधान सभा का सत्र होने वाला था। तो विधानसभा के सत्र से पूर्व यह निर्णय क्यों लिया गया ? विधान सभा के सामने लाते और उसके बाद किराया बढ़ाने की बात होती तो मान जाते। विधान सभा को एक ओर रखकर इस प्रकार निर्णय लिया जाना बहुत गलत था। मंत्रिमण्डल ने या मंत्री महोदय ने इस तरह का निर्णय लिया, इस बात का उत्तर दें। जो रोडवेज की हालत है वह सबसे बुसरी हालत है,उसको देखते हुए आपको किराया बढ़ाने का अधिकार था क्या ? यह बतायें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे किराया वृद्धि की उसके साथ-साथ यात्रियों की सुविधा में क्या-क्या वृद्धि की गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अलग-अलग टुकड़ों में 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की जो किराये में वृद्धि की है उसके अनुपात में डीजल, लुब्रिकेंटस और इस तरह के आइटम्स में मूल्य वृद्धि कितनी हुई है, यह बतायें ? मेरा इस विषय में निवेदन यह है कि जो मूल्य वृद्धि हुई है उसी अनुपात में रोडवेज में खर्चे में कितनी बढ़ोतरी इस वर्ष हुई और कितनी आमदनी इस किराये वृद्धि से होगी जब से रेट्स बढ़ी हैं, यह बतायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोशी ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अनुबन्धित बसें आपने 1.60 रु. में अनुबन्धित की हैं और गवर्नमेंट रोडवेज की बसें 2.70 रु. में चलती हैं। 1.60 रु. में भी वे प्राफिट में चलती हैं और राजस्थान रोडवेज की बसें 2.70 रु. में भी घाटे में चलती है, इसका कारण बताने की कृपा करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने डीजल आदि की रेट्स बढ़ने का कारण बताया। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो चैकिंग होती है, वह अच्छी प्रकार से नहीं होती है। सारा का सारा पैसा कन्डक्टर अपनी जेबों में रखते हैं। इसी वजह से रोडवेज घाटे में जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार ।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने किराये में वृद्धि का कारण डीजल, लुब्रिकेटिंग आयल और दूसरी चीजों की कीमतों में वृद्धि बताया, लेकिन जो निजी बसें अनुबन्धित कर रखी हैं उनकी दरों में कम वृद्धि की गई है। उसके बावजूद वे रोड़वेज के मुकाबले में बसें लगाते हैं वे और 1.60 रुपये और 1.80 रुपय में अपनी बसें चलाकर प्राफिट कमा रहे हैं। रोड़वेज की बसों के किराये में 75 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है फिर भी निजी वाहनों के मुकाबले में रोडवेज की बसों की खराब हालत है, सीटों का पता नहीं है। स्टपनी का पता नहीं

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : इन सारी परिस्थितियों से आम जनता को परेशान होना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अनंग कुमार जैन : रोडवेज की बसों की यह हालत कर रखी है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यह सब चर्चा की जा सकती है ?

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : जब रोडवेज की बसों को शादी के लिये ले जाते हैं, तो लोग उनमें बैठना पसन्द नहीं करते। यह स्थिति क्यों पैदा कर रखी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो भी प्रश्न किये गये हैं, वह किराये में 25, 20 व 10 प्रतिशत वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। रोडवेज से संबंधित हैं। रोडवेज पर जब कभी भी बहस होगी तब जवाब बहुत ही माकूल दिया जायेगा। विशेष रूप से किसी ने यह कह दिया, जी. एम. साहब, ए. जी. एम. साहब गाड़ी ले गये। जी. एम. बाजार में गाड़ी नहीं ले जायें, दफ्तर में खड़ी रखें....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : ड्राइवर नहीं था....

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा: मुझ को तो सुनिये.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप कहते हैं, तो दूसरों को सुनने का धैर्य रखियेगा। मैं कोई बात कहता हूं तो आप शान्ति से सुनियेगा आपने 1 रुपया 60 पैसा बताया है, जो प्राइवेट बस वालों को देते हैं वह 1 रुपया 80 पैसा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: यह मैंने नहीं कहा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : किसी ने भी कहा है। ओवर हैड चार्जेज होते हैं। कन्डक्टर का बुकिंग आफिस भी है और आफिसेज हैं, इनके अलावा और भी खर्चे हैं। ओवर हैड खर्चे को नहीं जोड़ेंगे केवल 1 रुपया 80 पैसों की ही बात कहते रहेंगे-एक तो यह सोचने की बात है। दूसरे, आप अपने खुद के कर्तव्य देखिये जिस समय 76-77 में रोडवेज सम्भलाया गया था, 1 करोड 12 लाख का घाटा था···

(व्यवधान)

आंकडों की बात कहता हूं, दाऊदयाल जी सन् 80 में कांग्रेस ने जब सम्भाला तो साढ़े बारह करोड़ का नुकशान था।

(व्यवधान)

अब 1 करोड़ 12 लाख से आपने साढ़े बारह करोड़ के घाटे पर सम्भलाया। आप आंकड़ों को देख लीजिये ...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किराया नहीं बढ़ाया था। आपने 3-3 बार किराया बढ़ाया है ····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर

श्री जयकृष्ण शर्मा: सुनेंगे नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी किराया बढ़ाने के बाद कितना घाटा है, यह बताइये।

श्री अध्यक्ष: कृपया मंत्री महोदय को शान्ति से सुनिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा: आपने कहा 10 प्रतिशत बढ़ाने से कितनी आमदनी होगी। चार करोड़ के करीबन आमदनी होगी ....

एक माननीय सदस्य: घाटा कितना होगा?

श्री जयकृष्ण शर्मा: 8 करोड़ के करीबन घाटा होगा ....

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं, यह प्रिज्युम कर रहे हैं। यह जरुरी नहीं है कि 8 करोड़ का घाटा होगा ही। लेकिन अनुमान है, जब आपने साढे बारह करोड़ पर घाटा पहुंचाया....

(व्यवधान)

20 से 25 प्रतिशत बढा दिया तो कीमतें कितनी बढ़ गई ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: घाटा कितना है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

श्री महावीरप्रसाद जैन: मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि सन् 1980 में अनुबन्धित बसों को माइलेज के हिसाब से क्या किराया देते थे ? जयपुर से कोटा आने जाने में 500 किलोमीटर होता है...

(व्यवधान)

कितना किराया बढाया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: X X X

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हो गई। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा: विधान सभा आने पर क्यों नहीं लाये ? बजट में लाते विधान सभा से पहले क्यों बढाया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: माननीय सदस्य यह टैक्स नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा जब तक आसन पैर पर है।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री महावीरप्रसाद जैन: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा सा है। 10 प्रतिशत किराया बढ़ाने से....

(व्यवधान)

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री **अध्यक्ष** : अंकित नहीं किया जाय। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : ×××

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : अंकित न हो। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित न हो, आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिये।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री **अध्यक्ष** : मैं किसी माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दे रहा हूं। सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये गये। सदन का समय व्यर्थ जा रहा है। कृपया, स्थान ग्रहण कीजिये......

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। बैठ जायं। माननीय सदस्य। मैं नाम से सम्बोधित करूंगा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एक घंटे का समय आपने ले लिया। इस पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। स्थान ग्रहण कीजिये....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य... आर्डर, आर्डर.

सदन का समय ले रहे है, माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : ×××

श्री **अध्यक्ष** : मैं आपके विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्यवाही करूंगा, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजियें, आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिये।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, जाली टिकट पकड़े गये, वे चोर आदमी आपने ड्यूटी पर ले लिये।

श्री **अध्यक्ष** : मैं आपको नाम से पुकारूंगा। मुझे बाध्य न करें। आर्डर प्लीज। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बार-बार आप आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। मुझे बाध्य होकर....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। सभी मामलों को उठाया जा सकता है नियमों के अनुसार। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : रोडवेज को यह ठीक नहीं करा सकते और इसकी जनता को सजा मिले.....

श्री **अध्यक्ष** : यह कोई तरीका नहीं है माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** : ×

श्री **अध्यक्ष** : अंकित न हो।

श्री **दाऊ दयाल जोशी** : ×××

श्री **अध्यक्ष** : अंकित न हो।

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** : ×××

श्री **अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य।

श्री **दाऊ दयाल जोशी** : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया, स्थान ग्रहण करें, अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। सारे माननीय सदस्यों की तरफ से सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें। राजस्थान के अन्दर एक वर्ष के अन्दर 75 प्रतिशत टैक्स बढ़ाया गया, क्या अन्य किसी प्रदेश में भी इस तरह से टैक्स बढ़ाया गया ? क्या मन्त्री महोदय ने इसकी जानकारी की ?

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। ये सभी प्रश्न उठाये जा सकते हैं उस वक्त। माननीय सदस्यों ने करीब आधे घंटे का समय इसमें ले लिया किन्तु इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि कोई विषय चर्चा में आये तो उसके अनुसार उसकी चर्चा करें, इससे कुछ ज्यादा समय मिलेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : पी. यू. सी. की माननीय मुख्य मंत्रीजी रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। मुख्य मंत्रीजी

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर होना चाहिए। बाधा डालने के लिए कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

श्री भंवर लाल शर्मा : अगर आपकी यह धारणा है तो मैं पहले ही बैठ जाऊं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न आया और माननीय मन्त्री महोदय ने उस पर वक्तव्य दिया। उसके बाद हमारा अधिकार है, हम प्रश्न पूछ सकते हैं, क्लेरिफिकेशन के लिए....

श्री अध्यक्ष : अधिकार नहीं है, मैं व्यवस्था दे दूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मान लो नहीं पूछ सकते हैं पर आप ....

श्री अध्यक्ष : और इसके लिए मैंने पर्याप्त अवसर दिया माननीय सदस्यों को। पौन घण्टे का मैंने समय दिया, उसका आप मेरे अनुसार सही उपयोग कर नहीं सके, इसलिए मुझे चर्चा खत्म करने को बाध्य होना पड़ा, उस पर चर्चा बन्द करनी पड़ी।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने उस पर प्रश्न करने की अनुमति दी, हमने प्रश्न भी कर लिये, अब यह हो सकता है कि कुछ प्रश्न ठीक नहीं होंगे, उनके उत्तर नहीं आये होंगे लेकिन बाकी लोगों ने प्रश्न पूछे, सीधे सवाल पूछे, जैसे किराया वृद्धि की, आपने यात्रियों की सुविधायें क्या बढ़ायीं-..

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह व्यवस्था का प्रश्न है, आपने प्रश्न करने की अनुमति दे दी और हमने प्रश्न कर लिये, अब उत्तर तो देना ही पड़ेगा, श्रीमान्—

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न है ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न तो खड़ा हो गया, गर्वनमेंट को हम सुनने के लिए तैयार हैं। मेरा यह निवेदन है कि जवाब दिलायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : सदन की इतनी उत्कंठा है तो उसका माननीय मन्त्री महोदय से उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। नियत समय में...

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजस्थान की जनता के ऊपर डाका डाला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो यह है कि 500 किलोमीटर आना-जाना कोटा का है, हम 20 पैसे किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपये बढ़ाकर दे रहे हैं। मेरा प्रश्न केवल इतना ही है कि एक तरफ सौ रुपये बढ़ाकर दे रहे हैं जब कि प्राइवेट बसों के किराये में वृद्धि नहीं हुई है। उनके ऊपर भी मंहगाई का भार उतना ही बढ़ा है—

श्री अध्यक्ष : एक वार चर्चा की अनुमति दे दी, दुवारा उसको नहीं उठाया जायगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनमें भी डीजल डाला जाता है, उनमें भी टायर लगते हैं। हमने सौ रुपये बढ़ा कर दिये हैं और हम यात्रियों से 15 रुपये ज्यादा ले रहे हैं, यानी 15 गुणा ले रहे हैं। यह खुली लूट है. अध्यक्ष महोदय। इस पर आप मुझे अनुमति दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर किस नियम के अन्तर्गत है ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सब्जेक्ट सुन लें, आप नियम संख्या देख लीजिएगा, मैं आपको यह निवेदन करना चाहती हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे टौंक से आने वाले माननीय विधायक ने प्रश्न पूछा, यह जो ट्रान्सपोर्ट के विषय में, जब इन्होंने कहा कि प्रश्न का उत्तर नहीं आया, आपने कहा कि नहीं आया। दुवारा फिर इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, आपने दुबारा यह कहा, नहीं आयेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से हमको बहुत कष्ट पहुंचा।

श्री अध्यक्ष : किस बात से कष्ट पहुंचा, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड में अपनी बात पूरी करती हूं।

वैसे ही सरकार तो स्वोलन हैडेड हो रही है, पावर वैसे ही दिमाग पर चढ़ रही है। अगर उस पर आप हमारे हकों की रक्षा नहीं करेंगे, यह सदन पूरी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए है, जनता के ग्रिवियेन्सेज जो यहां प्रोजेक्ट किये जा रहे है, पर अगर सरकार मौन बैठी रहे, तो यह वैसे ही एरोगेन्स

(श्रीमती विद्या पाठक)

है, जब सरकार की जवाबदेही सदन में होती है ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्रीमती विद्या पाठक : और आप ही, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं अपना स्पष्टीकरण दे दूं । बातें तो बहुत ढंग से कही जा सकती हैं । सब के सब लोगों द्वारा । माननीय सदस्या, प्रश्न एक ही है कि मन्त्री महोदय जी ने और सत्ता पक्ष ने बहुत ही शान्ति से सभी प्रश्न सुने । उसके बाद जब मन्त्री जी उत्तर देने को खड़े हुए तो सभी माननीय सदस्यों ने......

श्री महाराम चौधरी : सभी ने नहीं ।

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने प्रश्न पूछे थे, उन्होंने ।

श्री हंसराज शर्मा : सभी नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष : अब एक आध बच गया होगा, लेकिन उन्होंने बार-बार व्यवधान उपस्थित किया, मैंने बहुत ही नम्र विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि आप कृपया; मन्त्रीजी की बात शान्ति से सुन लीजिए । मैंने कई बार माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि कृपया, आप शान्ति से सुनिये और उत्तर आने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उत्तर पूरा आया नहीं, इसीलिए मैंने कहा, जब मैंने चर्चा समाप्ति की घोषणा कर दी, तब आपने कहा कि उत्तर नहीं आया तो मैंने कहा कि नहीं आया और न आयेगा ।

श्रीमती विद्या पाठक : इस बात से राहत मिलती है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : अब मैं दुबारा वह शुरुआत नहीं कर सकता । अगर सुनना चाहते थे तो उनको धैर्य रखना चाहिए था, धीरज से बात सुन लेते । बात कितनी ही कटु हो लेकिन बीच में बाधा डालने का किसी माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है । इस वाद-विवाद को पौन घण्टा हो गया । आर्डर, आर्डर, अब मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री हंसराज शर्मा : जिन्होंने डिस्टर्ब किया उनको समय नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन हमें तो प्रश्न पूछने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी बाधा पहुंचायी । आप सुनने के लिए उत्सुक नहीं थे । अब अवसर चला गया । मैंने चर्चा समाप्त कर दी । अब अगला विषय लिया जायेगा ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर जब एक दो माननीय सदस्यों द्वारा उठाए जाते हैं और जब उनमें कोई तथ्य नहीं होता है तो मैं यह मान लेता हूं कि आम तौर से सिर्फ बाधा पहुंचाने के लिए पोइन्ट आफ-आर्डर उठाये जा रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : मैं बाधा नहीं पहुंचा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप अनुभवी हैं, अगर कोई अनभिज्ञ हों तो वैसे ही मैं मान सकता हूं । लेकिन अगर आप भी उस श्रेणी में आवें

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं रूल्स के अनुसार उठा रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जो वक्तव्य दिया उस पर प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दे सकता । आपने यह व्यवस्था दी है ।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा कि यह नियमानुसार नहीं है ।

श्री नाथूसिंह : यह वक्तव्य आया । हमने एडजोर्नमेंट मोशन दिया, उस पर आपने कहा कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे । एडजोर्नमेंट मोशन 50, 51 और 52 रूल की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, जो भी एडजोर्नमेंट मोशन दिया जाता है वह रूल्स के अनुसार दिया जाता है। रूल्स में चर्चा शब्द है । चर्चा की जाएगी और

श्री अध्यक्ष : यह दूसरी चीज कह रहे हैं । जब स्वीकार करें, स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है उस पर तभी चर्चा होगी। अभी तक मेरे खयाल से ऐसा इस सदन के इतिहास में एक आध बार कोई हुआ होगा ।

श्री नाथूसिंह : वक्तव्य का मतलब क्या है ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए हम प्रश्न पूछने की इजाजत देते रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : एक और है, आपकी अनुमति से.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

रावी-व्यास समझौते की प्रति

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं रावी-व्यास समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि । मुख्य मंत्री जी ।

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपास्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियम समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जावें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियम समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया गया ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

विधायी कार्य पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक । श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

राजस्थान औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय एवं त्यौहार अवकाश दिन) विधेयक, 1982

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय एवं त्यौहार अवकाश दिन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, कि राजस्थान औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय एवं त्यौहार-अवकाश दिन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

राजस्थान औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय एवं त्यौहार अवकाश दिन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय एवं त्यौहार अवकाश दिन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापति करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : श्री चेतराम।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री **चेतराम मीणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(ध्वनि मतदान)

श्री **नाथूसिंह** : अपने मतदान की आयु 18 से 21 साल कर, जवानों के साथ धोखा किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ना पक्ष जीता।

श्री **अध्यक्ष** : मेरा अनुमान है कि हां पक्ष जीता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ना पक्ष जीता।

श्री **अध्यक्ष** : दुबारा पूछ लेता हूं। सुनने में गलती हो गई हो।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर। आसन पैरों पर है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(ध्वनि मतदान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर ध्वनि मत से है तो ध्वनि मत में ना पक्ष जीता।

श्री **अध्यक्ष** : हां पक्ष जीता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ना पक्ष जीता।

श्री **अध्यक्ष** : हां पक्ष जीता।

श्रीमती **उजला अरोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्वनि मत में हाँ, ना का मापदण्ड क्या है ? हम महसूस करते हैं, कि ना पक्ष जीता।

श्री **नाथूसिंह** : मुख्य मंत्रीजी, आपने अच्छा काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्रीमती उज्ला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बटन दबाने की व्यवस्था राजस्थान विधान सभा में भी जल्दी करा दी जावे, जिस तरह की व्यवस्था लोक सभा और राज्य सभा में है । तो फिर इस तरह की दुविधा नहीं होगी । ध्वनि मत में हमारा स्वर तेज था । इनके स्वर में तेजी नहीं है ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 [अध्यादेश संख्या 1, 1982 व राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1981) को जारी करने के कारणों के विवरण कोभी सदन की मेज पर रखता हूं ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद । विपक्ष के नेता महोदय ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : कैलाशजी बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : नेता बदल गए क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): हमारे तो नहीं बदले हैं । आपके तो 81 में बदल गए, 82 में और बदलने जा रहे है । सब मालूम है हमें ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत दिनांक 20 फरवरी को राजस्थान के माननीय राज्यपाल ने इस विधान सभा में अपना एड्रेस पढ़ा । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके समर्थन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव रखा कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने और उसका समर्थन किया कुम्हेर से आने वाले विधायक ने । आज धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ हूं । यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मेरे सामने है, इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने बार-बार पढ़ा और पढ़ने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस देश की कुछ एतिहासिक पृष्ठ भूमि के कारण इस देश की सामाजिक व्यवस्था के कारण, देश के संविधान निर्माताओं ने जो कुछ भी कल्पनाएं की थीं उनके कारण कुछ ऐसे फैसले किये गये, कुछ ऐसी जातियां थी, उनको इंगित किया गया, जिनको राज्य के प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी, उनको संरक्षण की आवश्यकता थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह अभिभाषण पढ़ने के बाद और माननीय शिवचरणजी माथुर के राजस्थान का मुख्य मंत्री बनने के बाद यह भावना इस राजस्थान में फैल गई है, यह भावना इस तरह की फैल गई है कि शिवचरण जी माथुर का प्रत्येक कार्य हरिजनों के विरुद्ध है । शिवचरण जी माथुर का प्रत्येक कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, विमुक्त जातियों और भ्रमणशील जातियों के खिलाफ

(श्री कैलाश मेघवाल)

है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्थान में जितने मुख्य मंत्री हुए है, माननीय सुखाड़ियाजी का शासनकाल हमने देखा, उसके पहले माननीय जयनारायण जी व्यास का शासन काल देखा, उसके बाद माननीय हरिदेवजी जोशी का प्रशासन काल देखा, बरकत साहब का शासन काल देखा, उसके बाद भूतपूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत का शासन काल भी देखा और उसके बाद माननीय पहाड़िया जी का शासन काल देखा है। लेकिन इन सब शासन कालों के बाद जब से माननीय शिवचरण जी . . .

(1. 29 म. पू.)

श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन।

माथुर का शासन काल आया है तब से राजस्थान में हरिजनों के विरुद्ध जो घृणा का वातावरण तैयार हो रहा है वह वातावरण इस अभिभाषण में स्पष्ट इंगित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह न केवल मेरी भावना है, कल यहां पर एक प्रश्न पूछा गया, किसी सरपंच के उप चुनाव में हारने पर एक हरिजन के साथ दुर्घटना हुई थी, उस प्रश्न को सदन में न आने देने का षडयंत्र किया गया, जब वह प्रश्न आ गया, आपकी आज्ञा से पूछ लिया गया, उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जवाब सरकार की ओर से दिया, वह इस बात का संकेत है कि आज हरिजनों के प्रति क्या व्यवहार किया जा रहा है। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से मंत्रिमंडल का निर्माण किया उस मंत्रिमंडल के निर्माण में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने-कितने लोग लिये गये? मैं निवेदन करना चाहता हूं शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो मंत्री है वे मंत्री आज निशान के हाथी हैं उनकी बात शासन में नहीं मानते हैं। मैं अजमेर से आता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री शिड्यूल्ड कास्ट के रूप में लिये गये वह अजमेर के रहने वाले हैं, पाल बीछला के। वहां के हरिजनों की समस्याएं मैं हमेशा उठाता रहा हूं। इन दिनों वहां के हरिजन मोहलों के लोग और गरीब तबके के लोग जब आते है तब उनसे निवेदन करता हूं, भाई अब तो अपने इलाके के मंत्री है उनके पास जाइये, तो एक बात सामने आती है कि उनको कोई मानता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं उसके बाद दूसरे एक मंत्री लिये हैं। उसके बाद डांगी साहब को लिया है और डांगी साहब को किस तरह से हिदायत दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इस राजस्थान में शिवचरण जी माथुर विधायक भी नहीं थे वह मंत्री भी नहीं थे उस समय स्वर्गीय सुखाड़िया जी ने डांगी साहब की क्षमता और योग्यता को पहचान करके, उनको सन् 62 में मंत्री बनाया था। आज जब उनको मंत्री पद देकर के जिस तरह के महत्वहीन विभाग दिये गये हैं माननीय शिवचरणजी माथुर की कल्पना से ही पता लगता है कि यह क्यों हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहाड़ियाजी को हटाया गया, और पहाड़िया जी को हटाया गया तो सारे राजस्थान में दिल्ली हाई कमाण्ड में इस बात की भावना पैदा की गई, पहाड़ियाजी गरीब तबके के शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी है वह शासन ठीक ढंग से नहीं चला सकते हैं और उनके शासन में कोई सक्रियता नहीं है। सारा प्रशासन बिगड़ा हुआ है। इस पृष्ठभूमि से

(श्री कैलाश मेघवाल)

पहाड़िया जी को हटाया । मैं निवदन करना चाहता हूं, पहाड़ियाजी मुख्य मंत्री बने थे, वह भी एक भावना लेकर आये थे और उस भावना में न मालूम किस कारण से, क्योंकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री एक राजपूत जाति के थे, पहाड़ियाजी ने चुन-चुन कर कुछ राजपूत अधिकारी थे, उनको कम महत्व के स्थानों पर लगाया और राजस्थान में यह भावना पैदा की, मैं आया हूं, तो मैं पुराने राजपूत अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको हटाकर एक नया ढांचा खड़ा करना चाहता हूं। उस भावना की हमको उम्मीद थी, माननीय शिवचरण जी माथुर जब आये, तो कुछ उस स्थिति में सुधार लायेंगे । जैसी मैंने शिवचरण जी माथुर के मंत्रिमंडल के निर्माण की बात की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के स्थानान्तरण किये । एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, पिछले सात माह में जितने अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप देख लीजिये पांच, सात साल के रिकार्ड में कहीं नहीं मिलेगा। जब-जब भी मंत्रिमंडल बना, 1950 से लगा कर 82 तक बने हैं, किसी भी सात महीने का समय ऐसा नहीं हैं जिसमें इतने अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये । लेकिन यह एक भावना लेकर आये, थे माननीय पहाड़िया जी ने जिन लोगों को महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठाया था, माननीय पहाड़ियाजी द्वारा जो शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी महत्व के स्थानों पर बिठाये गये, उनको हटाना था और वह हटाने की प्रक्रिया सारे राजस्थान में चालू हुई। उसको प्रारम्भ किया सबसे पहले सचिवालय से। सचिवालय से वह लोग हटाये गये, फील्ड से वह लोग हटाये गये। शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी थे, जिनको यह माना जाता था कि वह पहाड़िया जी के विश्वस्त हैं, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, वह पहाड़िया जी के विश्वस्त नहीं थे। ऐसे लोग शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अफसर जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं जिनकी कार्यक्षमता में कोई शंका नहीं है मैं नाम लेकर गिना सकता हूं, और मैं इसलिये आपको बताना चाहता हूं, यह मेरी भावना ही नहीं है यह भावना तो सत्तापक्ष में बैठे हुए लोगों की भी आज है। सारे देश के, सारे राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये उनका विश्वास जीतने के लिये महत्व के स्थानों पर लोगों को बैठाया गया, उनको पहाड़ियाजी ने चुन-चुन कर हटाया, माथुर साहब ने चुन-चुन कर हटाया। कहना तो नहीं चाहिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यह सवाल मैं इसलिये पूछना चाहता हूं, यही नहीं इसके बाद श्री शिवचरण माथुर हरिजन विरोधी रवैया अपनाते रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बात हुई, गृह मंत्री आप सामने देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज जातीय दंगे हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में जातीय दंगे हो रहे हैं, और भयंकर रूप से कत्ल किये जा रहे हैं, । उसकी भूमिका अगर कोई राजस्थान में बांध रहे हैं तो माननीय शिवचरणजी माथुर बांध रहे हैं। मैं तर्क के आधार पर यह बात सिद्ध करना चाहता हूं । तर्क का जवाब तर्क से दिया जाये । मैंने जैसा कि अभी कहा, मंत्रिमंडल का कैसे गठन हुआ, और इस तरह से किया कि प्रभावहीन स्थान दे रखें हैं । मैंने आपसे कहा कि आपने ऐसे अधिकारियों को यहां से हटाया, एन. के. वर्मा, जयपुर कलेक्टर थे, क्या शिकायत थी उनके खिलाफ ? उनको एक सबोर्डिनेट की जगह ले जाकर बैठा दिया । राम चन्द्र वर्मा जो सचिवालय में

(श्री कैलाश मेघवाल)

एक महत्वपूर्ण आयुक्त थे, आज उनको रिहेबिलिटेशन का आयुक्त बनाया। मैं कहना चाहता हूं, जूनियर से जूनियर आर. ए. एस. आफिसर, क्या शिकायत थी आपको एन. के. अग्रवाल से? जिस तरह के सौम्य, स्पष्ट और सादगी पसन्द हैं, ऐसा अधिकारी राजस्थान में नहीं हो सकता, उसको भी आपने हटाया। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, नाम मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, मुझे मालूम है, आप गिना सकते हैं। इसमें कुछ लोग चेतराम जी की कृपा से या किसी और की कृपा से रह गये हैं। राजस्थान में एक भावना पैदा हुई है, वह भावना यह पैदा हुई है कि शिव चरण माथुर हरिजनों के खिलाफ हैं। उनको अगर राजनैतिक ढंग से बदला लेना था पहाड़िया जी से, तो उसके तरीके दूसरे हो सकते थे। अगर उन्हें पहाडिया जी के शिड्यूल्ड कास्ट के होने की, और उनको हटाने की जनता में जवाबदारी देनी थी, उसके तरीके दूसरे हो सकते थे लेकिन उसके विपरीत राजस्थान के हरिजनों से बदला लिया जा रहा है। यह बात साबित की जा रही है, राजस्थान के हरिजन हैं, उनकी उपेक्षा की गति प्रारम्भ हुई हैं। उधर से कल एक बात कही, परिणामस्वरूप मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रस्ताव के समर्थन में प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बात कही है पंचायतों के चुनाव करायें। कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही हालात खराब थे, बाढ़ थी, अकाल की स्थिति थी, उसके बाद भी बीस संकल्प का प्रथम संकल्प पूरा किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का कोई कारण नहीं था। पांच साल की अवधि जो तय की गई थी, वह आज जो सत्ताधारी दल में बैठे हैं, उस पार्टी ने ही पांच साल पंचायतों की अवधि तय की थी। जनता पार्टी के वक्त में चुनाव होने थे। जनता पार्टी इस बात का प्रयत्न कर रही थी, श्रीमान् अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी ने यह इंगित किया था कि यह प्रधान और प्रमुख के ऊपर के पद जब भरे जायं तो इसमें समाज के वीकर सैक्शन, इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें समाज के दुर्बल वर्ग को किस तरह से आगे लाया जाये, इस चर्चा के कारण, इस चिंतन के कारण जनता पार्टी उस समय चुनाव नहीं करा सकी।

लेकिन आपने बड़ी तारीफ की। मैं पूछना चाहता हूं, जो संरक्षण व्यवस्था है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये इस संरक्षण व्यवस्था की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जैसा बताया गया हमने आरोप लगाया, मैं आज आरोप लगाना चाहता हूं, आज आपके पंचायतों के चुनाव हुए, जिला प्रमुख, प्रधान के चुनाव हुए उसमें निहित स्वार्थ के लोग आते हैं, अगर नहीं हो तो मैं शिवचरण माथुर से पूछना चाहता हूं; तर्क के आधार पर जवाब दें, अगर विधान सभा में 56 व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हो सकते हैं तो 135 प्रधान चुने हैं, सभी उनकी पार्टी के लोग थे, उनकी पार्टी का बहुमत था, उस वक्त किसने मना किया था, शिडयूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को खड़ा मत करो? उस बहुमत में किसने यह कहा था? टिकट दिये गये, सरपंच की जहां तक स्थिति है, वहां तक तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन जब प्रधानों के चुनाव हुए, इक्के दुक्के, एक आध पर्सेन्ट पंचायत समिति में हों और एक

(श्री कैलाश मेघवाल)

पर्सेन्ट लोग कोई प्रमुख के स्थान पर हों, उनको गिनाने से काम नहीं चलेगा।

अगर कांग्रेस सरकार सच्चे रूप से हरिजनों का भला चाहती है, कांग्रेस सरकार में हरिजनों की भलाई के लिये वास्तव में ममता थी तो उसका दिग्दर्शन पंचायतों के चुनाव में होना चाहिये था। जो पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें आपने प्रधान के टिकट दिये, प्रमुख के टिकट दिये हैं, उप-प्रधान और उप-प्रमुख के टिकट दिये, उनमें अगर सामने आता तो स्वीकार करता।

उनमें बहुमत आपका था। आपकी चलती थी। आज राजस्थान की जनसंख्या 3.81 करोड़ के करीब है जिसमें से 1.13 करोड़ लोग अनुसूचित जाति, जन जाति और घुमन्तु जातियों के हैं। उनका प्रतिनिधित्व आपके इन प्रमुखों में नहीं है। इन 1.13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व इन प्रधानों में नहीं दिख रहा है। यह इस बात को साबित करता है कि शिव चरण जी माथुर की सरकार ने, उनके मंत्रि-मण्डल ने राजस्थान में निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व कर दिया है और राजस्थान की अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों की उपेक्षा की है।

मैं और आगे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं माननीय गृह राज्य मंत्री जी, सुनिये, आप सुनिये इस बात को, मैं दूसरा सवाल यह करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मैथ्यू कमीशन की रिपोर्ट दिल्ली में पेश हुई और मैथ्यू कमीशन की रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें थी। जो यह थी, जिसकी पृष्ठभूमि है कि देश में पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर जो 70, 80, 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता लेकर चल रहे हैं, जो पब्लिक सैक्टर, विश्व-विद्यालय चल रहे हैं, दूसरे कारपोरेशन्स चल रहे हैं जहां पर अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों का रिजर्वेशन नहीं है उस पृष्ठभूमि में मैथ्यू कमीशन ने सिफारिश की थी, केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया था। माननीय गृह राज्य मंत्री जी, दिनांक 27-12-81 को निर्णय लेकर राजस्थान की सरकार को लिखा है कि बाई रजिस्ट्रेशन कानून बनाओ और कानून बना कर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में अनुसूचित जाति, जन जाति और घुमन्तु जातियों के संरक्षण की व्यवस्था करो, जिसमें 25 जिलों की सूची दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान के गरीब हरिजनों के हित का कानून बनाने के आदेश, निर्देश मैथ्यू कमीशन के चिन्तन के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने दिये। क्या उस पर आप कोई कार्यवाही करना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरा निर्देश और दिया गया कि प्रत्येक एम्पलायमेंट एक्सचेंज में एक स्पेशल सैल इस बात का कायम किया जाय कि अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को नौकरी किस स्टेट में कहां मिल सकती है इसकी विशेष रूप से गाइडेंस दे। क्या व्यवस्था की है? इसका जवाब तर्क के आधार पर दिया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, माननीय शिवचरणजी माथुर से, उनके मंत्रिमण्डल से कि 2 अक्टूम्बर से 9 अक्टूम्बर तक राजस्थान में समाज कल्याण सप्ताह मनाया गया और उस समय माननीय शिवचरण जी माथुर किस समारोह में सम्मिलित हुए? इतनी उपेक्षा, और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने 1932 में भूख हड़ताल की थी अस्पृश्यता

(श्री कैलाश मेघवाल)

निवारण के खिलाफ पूना पैक्ट हुआ था। उसके आधार पर भावना उठी थी कि हरिजनों के साथ, अछूतों के साथ भाई-भाई का व्यवहार किया जाय और उस भावना के आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, आज से पहले की सरकारें समाज कल्याण पखवाड़े को महत्व देती थीं, उस समारोह की सफलता को महत्व देती थीं, ताकि छुआ-छूत की भावना मिटे, अस्पृश्यता की भावना मिटे, भाईचारा आये। माननीय शिवचरणजी माथुर ने, जिस समारोह का आयोजन किया राजस्थान में, उसकी उपेक्षा की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करना चाहता हूं क्या हुआ उसका ?

आज छात्रावास चलते हैं, प्रमुख गतिविधि है कि अनुसूचित जाति के लोगों को छात्रावासों में पढ़ाया जाय, मुझको गर्व है यह कहने में कि आज इस ओर बैठने वाले लोगों को यह हुकूमत गाली देने से थकती नहीं। कांग्रेस सरकार 90 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से होस्टल में खर्चा करती थी और जनता पार्टी ने वह खर्चा 120 रुपये प्रति छात्र किया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्रों के लिये छात्रावास चलाये जा रहे थे उनमें 120 रुपया प्रति छात्र के हिसाब से खर्चा होता था। उस समय के मुकाबले आज महंगाई डेढ़ी और दुगुनी है इस बात से कोई मना नहीं कर सकता शिवचरणजी माथुर की सरकार ने उस 120 रुपये को 80 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह हो सकता है कि एक आदमी 80 रु. में खाना-पीना, तेल कपड़ा और किताबों का खर्चा निकाल सके हैं ? यह क्या हो रहा है राजस्थान में ? जिन लोगों को संरक्षण संविधान में दिया गया है उन लोगों अन्याय और अत्याचार शिवचरण जी माथुर ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहां तक गिनाऊं। जनता पार्टी की सरकार ने, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अगर अपना कुआ ठीक करवाने के लिये, खेती की तरक्की के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंक से, भूमि विकास बैंक से या दूसरे कार्मशियल बैंक से कर्जा लेते थे, उस कर्ज का ब्याज समाज कल्याण विभाग के माध्यम से देने का निर्णय लिया था, जो आज तक चलता था। मुझे अफसोस है, मुख्य मंत्री जी आज नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी, उस निर्णय को तुमने क्यों बदला ? आज जो ब्याज देने का निर्णय था, उपाध्यक्ष महोदय, शिवचरणजी माथुर की सरकार ने उसे बदल दिया है। आखिर यह क्या पहाड़ियाजी से बदला लेना है····

(व्यवधान)

यह इलेक्शन का चौराहा नहीं है, आप सुनिये·····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह इसलिये बोल रहा हूं, अनुसूचित जाति के 56 लोग बैठे हैं, इन 56 लोगों के अधिकारों पर राजस्थान की अनुसूचित–जाति, जन–जाति के अधिकारों पर, उनकी सुविधाओं पर, उनके असेट्स पर, उनकी तरक्की के पैमानों पर शिवचरणजी माथुर सांप की तरह कुण्डली मार कर बैठे हैं। आज कोई नहीं बोल सकता। माननीय दुलारामजी कल बोले थे क्योंकि एक हरिजन का मामला था। सिर्फ दुलारामजी ने, एक आदमी ने मामला उठाया। राज-

(श्री कैलाश मेघवाल)
स्थान में कितने अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को हमने बसने के लिये जमीन दी ? मुझे गर्व है कि जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में बसने वाले अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को मकान बनाने के लिये अधिकार देने की व्यवस्था की थी लेकिन, गृह राज्य मंत्रीजी, आपके मुख्य मंत्रीजी से पूछ कर बताइये, आज तक राजस्थान के अनुसूचित जाति, जन जाति के किस आदमी को मकान बनाने के लिये अधिकार दिया गया है ? राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर आपने इस बात की ढिलाई की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने व्यवस्था की थी, मेडिकल कालेज में हमारे छात्र पढ़ते हैं, अनुसूचित जाति, जन जाति के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ते हैं और इन कालेजेज में पढ़ने वाले छात्र, बहुत महंगी किताबें होती है, उनको खरीद नहीं सकते। मुझे गर्व है, यह कहने में कि जनता पार्टी की सरकार ने इन गरीबों के लिये बुक बैंक की स्थापना की ताकि उनकी किताबें आयेंगी और उनसे अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्र अध्ययन करेंगे। वे भी डाक्टर, इंजीनियर बनेंगे, वे भी कृषि पंडित बनेंगे। इस तरह की व्यवस्था की थी वह शिवचरण जी माथुर ने बन्द कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बुक बैंक के लिये एक भी पैसा दिया?

मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं यह बातें, यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। कल बिजली, सड़कें और सिंचाई की सुविधाओं की बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आज भी राजस्थान में ऐसे लोग हैं, जो सड़के आप बना रहे हैं उन सड़कों पर चलने के लिये साइकिल नहीं खरीद सकते। बस में बैठने के लिये जिनके पास पैसा नहीं है। वे पगडण्डी पर चलते हैं और वे अनुसूचित जाति, जन जाति के गरीब लोग चाहे राजस्थान में बिजली आ जाय, लाइन खिच जायं, खम्भे लग जायं लेकिन बिजली नहीं लगा सकते। आज भी सिंचाई के साधन बढ़ेंगे लेकिन खेतिहर मजदूर, 60 प्रतिशत खेतिहर मजदूर जो अनुसूचित जाति, जन जाति के हैं उनके लिये क्या किया है सरकार ने ?

एक अच्छी योजना चली थी। मुझे गर्व है इस बात का माननीय गृह राज्य मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अन्त्योदय योजना चालू की। देश, दुनिया में हर तरफ से उसकी सराहना हुई, उस अन्त्योदय योजना में अनुसूचित जाति, जन जाति के अन्त्योदयी के लिए, मैं पहाड़िया जी को धन्यवाद देता हूं, सारे विरोध के बावजूद पहाड़िया जी ने 1.50 करोड़ का प्रावधान रखा था. मुझे क्षमा किया जाय, 3 करोड़ का प्रावधान रखा था। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि शिवचरणजी माथुर को यह अच्छा नहीं लगा कि अनुसूचित जाति, जन जाति के अन्त्योदयी आगे बढ़ें, यह उनको अच्छा नहीं लगा और मेरी जो सूचना थी वह यह थी कि उस 1.50 करोड़ में से उन्होंने 80 लाख रुपये काटे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, इसलिये मैंने यह कहा है, वाजिब बात कह रहा हूं××× बात मैं नहीं करता, न करने का आदी हूं। अगर शिवचरण जी माथुर में हिम्मत है तो आज वे मेरे सवाल का जवाब दें और यह बतावें कि वे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के हितों पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं। अगर पहाड़िया जी से बदला लेना है.....अगर पहाड़िया जी ने शिड्यूल्ड कास्ट्स-

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)
और ट्राइब्स के लोगों को आगे बढ़ाया है,

श्री **उपाध्यक्ष** : ×××शब्द को डिलीट किया जाये।

श्री कैलाश मेघवाल : ...और मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जनता पार्टी की सरकार ने, शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में आने के लिये आकर्षण दिया था, आश्वासन दिया था, साधन-सुविधाएं दी थीं। जिस तरह के आश्वासन, सुविधाएं दी थीं, पहाड़ियाजी ने उसको चालू रखा था लेकिन शिवचरणजी माथुर के आने के बाद जो स्थिति थी, वह स्थिति समाप्त हो गई। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इण्डस्ट्रीज में किसी तरह का, कोई प्रोत्साहन देने की बात नहीं है। सारी स्कीम्स माथुर साहब ने बंद कर दी हैं। यह सवाल इसलिये रख रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर राज्यपाल महोदय को किस बात का धन्यवाद दें। एक करोड़ 13 लाख राजस्थान की जनसंख्या की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, गृह राज्य मंत्री को कहना चाहता हूं, हरिजनों पर आंतक की बात है। उत्तर प्रदेश में हरिजनों के जितने झगड़े हो रहे हैं, उस झगड़े की नींव आपने डाली है। यह आंकड़े हैं। राजस्थान में हर तीन पर प्रतिमाह एक शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड-ट्राइब्स का मर्डर हो रहा है। यह आपके आंकड़े हैं। सैंकड़ों हरिजनों की जमीन पर अतिक्रमण के मामले हो रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया था, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनकी सम्पति, कृषि की भूमि को क्षति पहुंचे, उनका मर्डर, बलात्कार हो तो दो हजार रुपया, उनको कोई शारीरिक क्षति पहुंचे तो 500/- रुपये की सहायता दी जाये। मैं मांग करता हूं इस सरकार से कि 14 जुलाई, 1981 के बाद आज तक कितने मर्डर हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, कितनी बेदखली की कार्यवाही हुई है, कितनों की शारीरिक क्षति हुई है, एक बता दें जिसमें आपके शिवचरणजी माथुर ने इन आदेशों की पालना की हो। पहाड़ियाजी ने इस योजना को चालू रखा था और पहाड़ियाजी के बाद माथुर मंत्रिमण्डल बनने के बाद यह योजना चालू नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सामने यहां पर बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हम काम देंगे, मुफ्त कानूनी सहायता देंगे। माननीय गृह राज्य मंत्रीजी, विधि मंत्रीजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं जिस समय आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उत्तर देंगे, 14 जुलाई, 1981 के बाद आज की तारीख तक शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, उसके किस पक्ष को कितनी मुफ्त कानूनी सहायता आपके द्वारा दी गई है। यह शून्य है, यह मेरी सूचना है। यह माथुर सरकार की उपलब्धि है। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गरीब लोग हैं वे मुकदमे लड़ नहीं सकते हैं। इसलिये यह जो व्यवस्था पहले से चल रही है, हमारे से पहले चल रही है, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कानूनी सहायता देने की वह ठीक से नहीं चल रही है।

(व्यवधान)

मैं घबरा नहीं गया हूं। नेता महोदय ने 25 मिनट का समय दिया है और उस समय में ही

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के प्रति माथुर साहब का मंत्रि मण्डल बनने के बाद एक घृणा की भावना पैदा की गई है और आज यह घृणा की भावना नीचे तक पहुंच गई है। रोस्टर प्रणाली ठीक तरह से लागू नहीं हो रही है। क्या बात करते हैं। यह कितनी रियायतें दे रहे हैं? मैं आंकड़े दूंगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये सर्विसेज में जो आरक्षण का नियम है, कानून है, रोस्टर प्रणाली है, वह ठीक नहीं चल रही है। आपके नियम धरे रह गये हैं। यहां पर केवल भाषण देकर यह कहना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा। राज्य मंत्री स्तरीय, मंत्री स्तरीय, राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ के अध्यक्ष आपने बिठा रखे हैं, उनका क्या हाल है। मंत्री स्तरीय उनका दर्जा है। राज्य मंत्री, उप मंत्री के यहां टेलीफोन होता है परन्तु आपके मंत्री स्तरीय अध्यक्ष के टेलीफोन को वहां के जनरल मैनेजर ने कटवा दिया। आपको मालूम है, प्रद्युम्नसिंहजी, आप पहले के मंत्रि मण्डल में थे। पहले के मंत्री मण्डल ने जितने चेयरमैन, अध्यक्ष लगाये थे उनमें एक व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स का था जिसको पहाड़िया जी ने, उनके मंत्रिमण्डल ने राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया था। उस राज्य मंत्री स्तरीय अध्यक्ष का हाल यह है कि आज वे विधान सभा में अपनी शकल छिपाते फिर रहे हैं। उनको अपमानित किया जा रहा है। यह उस षड़यंत्र की कड़ी है जो माथुर प्रशासन ने चालू की है। हरिजनों के साथ षड़यंत्र किया जा रहा है। जिन्हें मंत्री स्तरीय दर्जा दिया गया, आज उनकी हालत देख कर दया आती है। टेलीफोन उनके पास नहीं है। वे चपरासी के बारे में कहना चाहें, तो कह नहीं सकते। आप हमारे स्तर के ही हैं, एक मंत्री के स्तर के नहीं हैं। मैं और बातें नहीं कह रहा हूं, सहकारिता मंत्री क्या क्या कर रहे हैं।

यह बीस संकल्प हैं। जैसा मैंने आपको निवेदन किया यह राजस्थान की जनता के साथ फ्रॉड है। राज्यपाल महोदय इसको देख लेते तो ठीक होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय प्रद्युम्नसिंहजी, 7 करोड़ रुपया पानी के ऊपर बढ़ाया है—बीस संकल्प में, वह सात करोड़ रुपया आपने वापस काट दिया है। यह मुझे समझा दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, बीस संकल्प में 7 करोड़ रुपया, जो दूसरा बजट पहाड़ियाजी ने पारित कराया था, पानी उपलब्ध कराने के लिये रखा था, उसके लिए बीस संकल्प में घोषणा हुई और उसी के साथ पांच करोड़ की वृद्धि। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस 7 करोड़ को वापस काट लिया। यह बीस संकल्प के कार्यक्रम का क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के पश्चिमी इलाके से, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी आते हैं, पश्चिमी इलाके में शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दस-दस मील जाकर, दूसरे किसानों के कुओं पर खड़े रह कर वहां एक-एक लोटे पानी के लिये मोहताज रहना होता है। इसके लिये आपने क्या किया है? अकाल की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सारे पश्चिमी राजस्थान में आपको मालूम है काफी पशुधन बेचा जा रहा है और उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पशु भी हैं। सब से बड़ा सत्य मैं पूछना चाहता हूं सरकार से क्या वहां के शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की माली हालत ऐसी है कि वे घास का इन्तजाम कर सकते हैं? क्या आपने उनके लिये डिपो खोले हैं? महंगी घास वहां

(श्री कैलाश मेघवाल)

बेची जा रही है। बड़े किसानों को ही डिपो से घास मिल रही है। इस प्रकार उनको मवेशी बेचने को बाध्य होना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार इसका जवाब दे। सरकार यह कहती है पिछड़े को पहले काम दिया जायेगा। इसमें आपने कितना पैसा रखा है? शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा बढ़ाया है? जो पैसा बढ़ाया वह काट दिया गया है। यह नाटक आपने किया है। सारे बीस संकल्प में जो पैसा बढ़ाया है उसे आपने अपनी कलम से काटा है। यह राजस्थान की जनता के साथ शिक्षा के नाम पर धोखा करने की क्या आवश्यकता थी? यही नहीं, दूसरे, माननीय केसरीचंद चौधरी हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। वहां पर भी हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी में शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मकान बनाने के लिये कर्जा दिया जाता था। उस कर्जे के ब्याज का पुनर्भरण समाज कल्याण विभाग करता था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा, यह सरकार बतावे, आज इस ब्याज का क्या हो रहा है। वह ब्याज बंद कर दिया गया है। यही नहीं विभिन्न सहकारी समितियों, केन्द्रीय सहकारी समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति और दूसरी सहकारी समितियों में जहां-जहां भी हिस्सा पूंजी लगती है, वहां हिस्सा पूंजी देने के लिये समाज कल्याण विभाग से अनुदान मिलता था शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, उस अनुदान का क्या हुआ और आज की तारीख तक पूछना चाहता हूं, क्या इस हिस्सा राशि के नाम पर एक भी पैसा शिडयूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दिया गया है? क्या हालत है राजस्थान की एक तिहाई जनता को अंधकार में धकेलकर उसके हितों पर कुठाराघात करके यह शासन चलाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। आज सब तरफ एक ही मायूसी और निराशा छायी हुयी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों में, गरीब तबके के लोगों में। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने एक स्कीम चलायी थी कि जो एस. सी. और एस. टी. के मोहल्ले हैं उनमें पहले बिजली पहुंचायी जाये। और बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक जनता पार्टी का राज रहा और उस समय तक जितनी भी जगह बिजली पहुंचायी गयी, जिन गांवों में बिजली पहुंचायी गयी उनमें सबसे पहले एस. सी. और एस. टी. के मोहल्लों में बिजली पहुंचायी गयी थी। पहाड़ियाजी ने इस स्कीम को चालू रखा लेकिन शिवचरणजी माथुर 14 जुलाई, 1981 को आये, उसके बाद किसी एस. सी. और एस. टी. के मोहल्लों में बिजली पहुंचायी गयी या खम्भे लगवाये गये हों तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बहस होगी और उसके बाद जो उनके द्वारा उत्तर दिया जायेगा, उसमें बतायें कि हमने पहुंचायी है। आपने तो उनको बंद कर दिया है, रोक दिया है। इसलिये मैंने अजमेर का उदाहरण दिया है, कंवरिया साहब से भी कहा था कि एस. सी., एस. टी. के लोग हैं जिनके आप नेता हैं, उनकी आप मदद करो लेकिन वे कोई मदद नहीं कर सके। आज भी व लोग अंधेरे में हैं, आज भी अपने आपको वे असहाय महसूस करते हैं, कई बार। इसलिये मैं निवेदन करने जा रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हालत राजस्थान की चल रही है, आज राजस्थान की जो स्थिति हो रही है उससे क्या एस. सी. और एस. टी. के लोग एक कदम भी आगे आ सकेंगे। एक बात

(श्री कैलाश मेघवाल)

और माननीय खनिज मंत्रीजी बैठे हैं, माननीय खनिज मंत्रीजी, जनता पार्टी का शासन साढ़े इकत्तीस महीने चला और इन साढ़े इकत्तीस महीनों में एस. सी. और एस. टी. के कितने लोगों को खनन के पट्टे दिये गये, वह आंकड़े आपके पास हैं उनको देखें। आप पहले भी मंत्री थे लेकिन दूसरे विभाग के मंत्री थे, इसके तो रामपालजी उपाध्याय थे, आप नहीं थे। आप तो 14 जुलाई से आये हैं, तो आपने 14 जुलाई से आज तक एस. सी. और एस. टी. को कितने खानों के पट्टे दिये हैं, कितने खनन के पट्टे अलॉट किये हैं, इस बात की सूचना दें। मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर उनको पट्टे देना तो दूर रहा आप उनको खारिज कर रहे हैं। और क्या कह कर खारिज किया जा रहा है कि यह तो बेनामी है। माननीय प्रद्युम्नसिंहजी, माननीय खनिज मंत्री से मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यहां बैठे हुए कितने लोगों के पास खनन के पट्टे हैं यह आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है, उनको आपने खानों पर काम करते हुए देखा है? उनके नौकर काम करते हैं, उनके एजेण्ट काम करते हैं, उनके बेनामी पट्टे हैं, उनको तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये आपके ही वर्ग के लोग हैं। अगर किसी एस. सी. और एस. टी. के आदमी के पास पूंजी नहीं है और उसने किसी को पट्टा दे दिया है और उससे एक हजार रुपया महीना ले रहा है तो आपको क्या ऐतराज हो सकता है? आपके जो दूसरे आदमी हैं जिन्होंने लीज ले रखी है और पट्टे दे रखे हैं उनको आपने देखा है कभी खान पर काम करते हुए? कभी देखा है उनको आपने खानों पर जाते हुए? सवेरे-शाम आपकी हाजिरी में जरूर आते होंगे और दूसरे लोगों के यहां पर जाते होंगे····

एक माननीय सदस्य : आपने भी उन लोगों को ही पट्टे दिये थे।

श्री कैलाश मेघवाल : उस समय मैं मंत्री नहीं था। लेकिन आपसे कहता हूं कि उस रोज मैं इस सदन की सदस्यता त्याग दूंगा जिस रोज आप आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि मेरे शासनकाल से अधिक कांग्रेस ने एस. सी. और एस. टी. के लोगों को पट्टे दिये हैं? क्या बात करते हैं, आप। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। एस. सी. और एस. टी. की सेवा किस ढंग से कर रहे हैं आप? उनकी माली हालत किस तरह से सुधार रहे हैं आप? यह आप बता दें कि 8 महीनों में आपने उनको कितने पट्टे दिये हैं। मैं खड़ा हूं, श्रीमान्, चुनौती दे रहा हूं, खुली चुनौती दे रहा हूं। नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने कुछ मुद्दे रखे हैं, वे इसलिये रखे हैं कि सारे राजस्थान के एस. सी. और एस. टी. के आफिसरों को परेशान किया जा रहा है, उनमें घृणा का वातावरण बनाया जा रहा है और यह शुरू हुआ सचिवालय के स्तर पर। आज कोई भी एस. सी. और एस. टी. का आफिसर सचिवालय में सचिव नहीं है, कोई भी हैड आफ दी डिपार्टमेंट नहीं है। कुछ चेतरामजी की सिफारिश पर बने हुए हैं उन एक आध को छोड़ दीजिये। आप उनकी बात मत करो बाकी किसी को बता दें? उनको इसलिये हटा दिया गया कि उनको पहाड़ियाजी ने लगाया था। यह भावना आज नीचे तक चली गयी है। वहां पर आज एस. सी. और एस. टी. के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं उनके साथ छुआछूत का वातावरण है। अस्पृश्यता मिटायेंगे, अस्पृश्यता तो आपने सचिवालय से चालू की है। छुआछूत आज आपके गांव के नीचे

(श्री कैलाश मेघवाल)

के स्तर तक पहुंच गया है, इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इससे अधिक निराशा का वातावरण, प्रतिगामी और ऐसा प्रतिक्रियावादी समय कभी नहीं आया जितना कि माननीय शिवचरणजी माथुर के समय में आया है। उनको बदलना था पहाड़िया जी को, उनको बदला लेना है पहाड़ियाजी से और वह इनसे बदला निकाल रहे हैं। इसलिये मैंने जो कहा है उसका जवाब आना चाहिए और अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर गरीबों के हितों की बात मत करो, पिछड़े को पहले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार के पास सूचियां पड़ी हुयी हैं उनमें पिछड़ी जातियों की भी एक सूची है। शिवचरणजी माथुर के मुख्य मंत्री बनने के बाद उनको क्या राहत पहुंचायी गयी, क्या सुविधायें दी गयीं उनका ब्यौरा दीजिये, पिछड़े को पहले की किताब छापने पर जो खर्चा हुआ वह राजस्थान के गरीब पर होगा। क्यों नाटक करते हो?

चुनाव की बड़ी चर्चा है। क्या चुनाव हुए? बाड़े लगते थे, आप भी उपाध्यक्ष महोदय उन बाड़ों में गये होंगे। पंचों, सरपंचों, प्रधानों, प्रमुखों के बाड़े लगा करते थे, उन बाड़ों में चुनाव की तारीख के पहले उनको तैयार किया गया। आप तो, उपाध्यक्ष महोदय, ईद मनाते हैं। उसमें जिस तरह बकरे को तैयार किया जाता है, 60 दिन पहले उसको मिठाई खिलाई जाती है, जलेबी खिलायी जाती है और माला भी पहनायी जाती है और फिर ईद के दिन उसका बलिदान कर दिया जाता है। तो उसी तरह पंच, सरपंचों और प्रधानों को बाड़े में बन्द करके राजस्थान में प्रजातंत्र बनाया है। राजस्थान के जनतंत्र को बाड़ेबंदी का रूप देने का श्रेय अगर किसी को है तो वह, उपाध्यक्ष महोदय, शिवचरणजी माथुर को है। क्या जनतंत्र की बात करते हो, आप? जब मैं पंचायत राज मंत्री था जनता पार्टी के राज में और चुनाव कराये थे तो 90 प्रतिशत हमारे थे लेकिन यह बात आज आपको बर्दाश्त नहीं हुयी। यह सरपंच तो गांव के विकास की इकाई हैं, अवैतनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको तो हर काम के लिये सत्ता के ऊपर आधारित रहना पड़ता है इसलिये वे सत्ता के साथ में ही रहना चाहते हैं। इसके साथ ही जो नहीं रहना चाहते है उनके लिये है 17 (4) की धारा जिसका भयंकर दुरुपयोग किया हमारे भूतपूर्व मंत्री जी ने और उसका दुरुपयोग अब शीशरामजी ओला कर रहे हैं। हमारे जो लक्ष्य थे, हमारी जो नीतियां थीं वे बिल्कुल स्पष्ट थीं, गांवों के विकास के लिये थीं। हमारी जो एस. सी. और एस.टी. के विकास की, कल्याण की नीतियां थीं वे बिल्कुल उल्टी जा रही हैं।

श्री दूलाराम : आपने कितने सरपंचों को 17 (4) की धारा के अन्तर्गत बर्खास्त किया था?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने तो केवल एफीडेविट लेकर ही उनको सस्पेंड कर दिया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : साहस के साथ सुनने की हिम्मत रखें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10 साल तक, पांच साल तक देखने के बाद उनके खिलाफ में फाइलें तैयार करके.....

श्री दूलाराम : आपने कांग्रेसी सरपंचों

(श्री दूलाराम)
को सस्पेंड ही नहीं किया बल्कि वाउन्ड भी किया कि आप जनता पार्टी को धारण करो।

श्री कैलाश मेघवाल : किया होगा कभी।

श्री दूलाराम : फिर क्यों कह रहे हैं आप यह सब ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सरपंचों को आप किस तरह से अपने पक्ष में ले रहे हैं, बाड़े में बंद करके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ....

एक माननीय सदस्य : बहुत बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी का जितना टाइम है उसके हिसाब से ही दिया जा रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि अगर आप सबको सुनना चाहें तो आज आपकी पार्टी मीटिंग हो रही है जो एस.सी. और एस.टी. के सदस्य हैं उनके मन को टटोले और उसके बाद राजस्थान के हरिजनों के लिये काम चलायें। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा शिवचरण जी माथुर को और उनके सहयोगियों को। इस प्रकार जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो इंदिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम भी चलाया है और उसी के आधार पर राज्य सरकार ने बीस संकल्प कार्यक्रम भी चलाया है लेकिन वास्तव में देखें कि देश में क्या घटित हो रहा है, राज्य में क्या घटित हो रहा है तो इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि राजीव गांधी को किसी तरह शहजादे की तरह स्थापित किया जाये। इनके पास सिर्फ एक काम है और इसी कार्यक्रम के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ××× और ××× का एक ऐसा माहौल, एक ऐसा दौर है। इंदिरा गांधी यह चाहती है कि मेरे लड़के का मेरे परिवार का, मेरे वंश का शासन इस देश में सदैव चलता रहे और इसी तरह से इंदिरा गान्धी कहती है आप लोग उनकी हां में हां मिलाते हो। तो, इस से साफ जाहिर हो जाता है कि आप अपने आपको नाकारा मानते हो। मेरा परिवार राज चला सकता है आपमें कोई होगा नहीं कि देश पर राज्य करे, राज्य पर राज करे क्योंकि आप अपने आप को नाकारा मानते हैं, नाकारा मानते हुए उनकी हां में हां मिलाते हो। किसी और सदस्य में देश पर राज करने की शक्ति नहीं और आप इस बात की तांकीद करते हो, हां में हां मिलाते हो तो आप अपने आप को नाकारा मानते हो इस आधार पर आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप देश पर शासन चलाओ। आज जब भरतपुर में राष्ट्रपति महोदय आये - राष्ट्रपति, जो देश का प्रथम नागरिक है, जब वह राष्ट्रपति देश के राज्य में आये तो एक राज्य मन्त्री डेप्यूट कर दिया जाता है उनके स्वागत के लिए और जब राजीव गान्धी, इंदिरा गान्धी का शहजादा, उनके देश का भावी प्रधानमन्त्री जब आता है तो सारा मंत्रिमण्डल, सारे अधिकारी ××× के लिए जाते हैं यह लोकतंत्र के लिए घोर खतरा

××× शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री यदुनाथसिंह)

है। तीसरे, इस के पैराग्राफ में कहा गया है कि सरकार लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित है। तो कैसा लोकतंत्र ? जब अपने स्वयं के दल में कोई लोकतंत्र नहीं है, इन्दिरा गान्धी की सनक पर सारा देश चल रहा है, राजीव गान्धी की सनक और बिनक पर सारा देश चल रहा है, वह कहती हैं कि संजय आयेगा तो आप लोग ताली बजाकर कहते हैं कि संजय आयेगा, वह कहती है कि राजीव आयेगा, आप कहते हैं कि राजीव आयेगा। वह कल को कहेगी कि राहुल आयेगा तो आप भी कहेंगे कि राहुल आयेगा। तो आप किस प्रजातंत्र की बात करते हैं? आपको तो उस पार्टी में बोलने तक का अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र की झूठी बात कहकर, जब आपके स्वयं के दल में प्रजातंत्र नहीं, देश को गुमराह नहीं कर सकते। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गान्धी के इशारे पर लागू किया गया है, वह सिर्फ छलावा है। आपका सिर्फ एक कार्यक्रम है, वह है आप वोट मांग लेते हो लोगों को छलावे में डालने के लिए, धोखे में डालने के लिए। आप चाहे 20, 100, 50 सूत्र दीजिए लेकिन आपका सिर्फ एक कार्यक्रम है और आप उसमें सहयोग दे रहे हैं कि किसी प्रकार, येन केन प्रकारेण इंदिरा गान्धी के परिवार, वंश का राज कायम हो और इसकी प्रक्रिया भी देश में शुरू हो गयी है। आज देश का माहौल बिल्कुल इमर्जेंसी से भी बदतर बनाया जा रहा है। देश में इस तरह के कानून बनाये जा रहे हैं, किसी भी आदमी को कभी भी किसी भी क्षण एक कांस्टेबल गिरफ्तार कर सकता है। देश में कहीं ऐसा माहौल नहीं है कि जहां आम हड़ताल का माहौल हो, देश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो। कानून और व्यवस्था की स्थिति अगर खराब हो रही है या कर रहे हैं तो यह उस प्रयास का परिणाम है जो नेहरू ने भावी भविष्य की नींव डाली। उसी का दुष्परिणाम है कि यहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। इसका मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक है। सामाजिक और आर्थिक कारण से नेहरू ने इसकी नींव डाली। नियोजन का ढांचा क्या हो ? उसके रहते देश की आज यह हालत है बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, एक मजदूर जो अपना तन पिघलाकर, देश का पेट भरता है, उत्पादन करता है देश के लिए, उसको गिरफ्तार करने के कानून, उसको नौकरी से निकाल देने के कानून, उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करने के कानून, इस तरह के कानून पास किये जाते हैं। और पूंजीपति जो आपकी व्यवस्था के रहते आज देश की पूंजी को हड़प करता जा रहा है, के लिए, आपके पास कोई कानून नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था देश को, हिन्दुस्तान को बहुत झटके दे रही है। यह वंश का जो षड़यंत्र है उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। एक तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, देखा जाये तो जो आंतरिक सुरक्षा का कानून लाया गया है, असेन्सियल सर्विसेज का अध्यादेश लाया गया है, जिसे कानून के रूप में परिणत करने का षड़यंत्र सरकार कर रही है, वह आंतरिक कारणों से नहीं है। एक तरह से देखें तो आज हिन्दुस्तान को आई.एम.एफ., जो मुद्रा कोष है, के पास गिरवी रख दिया गया है। आज इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि हमारे देश का बजट क्या हो, योजना क्या हो, इसका फैसला दूसरे देशों में बैठकर होगा क्योंकि जो उसकी शर्तें हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे, सालाना रिव्यू करेंगे। हम किस तरह खर्च करें पैसे को, यह उनकी मर्जी पर निर्भर

(श्री यदुनाथसिंह)

है । किस तरह उत्पादन बढ़ायें, पूंजी का नियोजन क्या हो यह मुद्रा कोष पर निर्भर है। तो जो कानून बनाया गया है असेंसियल सर्विसेज का, यह भी पूंजीवादी व्यवस्था का हामी है । मुद्रा कोष ने सारी दुनियां को इस प्रकार से जकड़ रखा है, वह चाहता है कि जो पूंजीपति हैं वे और पूंजीपति बनें । वह मानता है कि हड़तालों से उत्पादन घटता है और हम भी यह मानते हैं कि हड़ताल से उत्पादन घटता है लेकिन जब देश में महंगाई इस कदर बढ़ रही हो और एक तरफ जो पूंजी पैदा करने वाला है, जो पेट को पिघलाकर पूंजी पैदा करता है, उसको उसका हक नहीं मिले भर पेट रोटी नहीं मिले, तन ढका न जा सके, उसको उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आये, वह अपनी मांगों को लेकर संविधान में दिये गये अधिकार का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर जाता है तो उसको बंद करने के लिए कानून बनाये जाते हैं और उसको नौकरी से निकाला जाता है । अभी तो वेतन वृद्धि का मामला और वेतन रोको का मामला भी सामने आने वाला है । आज हमारे देश की नीतियां दूसरे देशों में बनती हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति में हमारा देश पहले कभी नहीं था । इसकी मैं भर्त्सना करता हूं आप लोगों को सचेत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि जो देश का गौरव है, उसे इंदिरा गान्धी ने दूसरे देशों को गिरवी रख दिया है । इसलिये सबसे पहले आपका नैतिक कर्त्तव्य है कि आप इस प्रकार के प्रयास का विरोध करें । अगर नहीं करते हैं तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि आप की मंशा भी उन्ही से मिलती जुलती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में नियोजन का ढांचा क्या हो इसकी स्थिति शुरू से गड़बड़ रही है, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री को दोष देता हूं। शिक्षा कैसी हो? अंग्रेजों के जमाने में जो शिक्षा नीति अपनायी गयी थी वह एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करने के लिए बनायी गयी थी । आज राष्ट्रपति से लेकर एक छोटे से आदमी तक सभी कहते हैं कि देश की शिक्षा प्रणाली सड़ चुकी है । उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात की जाती है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । ऊपरी वर्ग के लिए शिक्षा के लिए अच्छे साधन मुहैया किये जा रहे हैं । एक तरफ एक बच्चा गांव में पाठशाला में जाकर पढ़ता है और पेड़ की छाया के नीचे अध्यापक पढ़ाता है, दूसरी तरफ एयर कंडीशन कमरों में अभिजात वर्ग के लोगों के लिए विशेष, अलग प्रकार की शिक्षा देने की बात की जाती है। आज उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो अंग्रेज चाहता था उसी प्रकार की शिक्षा नीति बनी हुई है । हमारे देश में आज श्रम के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गयी है, कोई आदमी काम करना नहीं चाहता, श्रम के प्रति हीन भावना पैदा कर दी गयी है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा के ढांचे के रहते देश की यह हालत है । यह बात जरूर कही गयी है कि स्कूल खोले जायेंगे, पाठशाला खोली जायेगी इससे इस देश का कुछ भला नहीं होने वाला है । आमूलचूल परिवर्तन यह करना होगा कि पढ़ने वाले बच्चों में श्रम के प्रति प्रेम, स्वाभिमान की भावना पैदा की जाये और पहली क्लास से बच्चों की शिक्षा को श्रम से जोड़ा जाये, उत्पादन से जोड़ा जाये, रोजगार से जोड़ा जाय । आज शिक्षा पता नहीं किस आधार पर दी जाती है । देश में, राज्य में इंजीनियर्स, डाक्टर्स बेकार पड़े हैं जिनकी शिक्षा पर लाखों, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और उस शिक्षा के बाद वे बेरोजगार

(श्री यदुनाथसिंह)

रहते हैं क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है शिक्षा की। नियोजन देश में हो रहा है, नियोजन का जो ढांचा बन रहा है उसमें श्रम के प्रति हमको एक आदर की भावना पैदा करने की आवश्यकता है। पिछले सदन में भी बहस के दौरान बात कही गयी थी। बीस संकल्प कार्यक्रम की जब बात चल रही थी तब कहा गया था कि हम हर गांव को, हर पंचायत हैडक्वार्टर को सड़क से जोड़ेंगे। उस समय इसके बारे में मंत्री महोदय से पूछा गया कि इसका क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम है तो उसका उत्तर देने में वह असफल रहे थे। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण भी एक औपचारिकता मात्र है किसी भी चीज का समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज देश की पूंजी कुछ हाथों में इकट्ठी होती चली जा रही है। देश के अधिकांश लोगों की क्रय-शक्ति खत्म होती चली जा रही है। आज देश की जनसंख्या का अधिक भाग गांवों में रहता है। अधिकांश गांवों के लोगों की क्रय-शक्ति खत्म होती जा रही है। देश में आज जनसंख्या के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं वे किसी न किसी रूप में खेती से सम्बन्धित हैं। इसलिए विलासिता का सामान बनाने वाले उद्योगों को छोड़कर बाकी सब उद्योगों को खेती पर आधारित होना चाहिये। इसलिए जो खेती की पैदावार है, उपाध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिये था कि रेफ्रिजरेटर, कार और मोटरकार और विलासिता के सामान के उत्पादन के स्थान पर हम लोगों को यहां पर उत्पादन बढ़ाने के साधन, खेती के उत्पादन बढ़ाने के साधन, जरूरी चीजों के उत्पादन बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो मनुष्य की भौतिक आवश्यकता है, वह तीन भौतिक आवश्यकताएं हैं--हवा, खाना और पानी। इन तीनों भौतिक आवश्यकताओं में हवा तो भगवान ने हमको दे रखी है, उसकी कोई कमी नहीं है, बाकी की जो आवश्यकतायें हैं, खाना और पानी, इन दोनों भौतिक आवश्यकताओं की इतने वर्ष की आजादी के बाद भी आज तक सरकार पूर्ति नहीं कर पायी है। आज भी देश की 65 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती चली जा रही है। हमें इनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की कोशिश करके चलना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, कहीं-न-कहीं ढांचे में गड़बड़ी हुई है, एक तरफ एक वर्ग ऊपर तबके का तैयार होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ उद्योग की बात होती है, उद्योग भी इसी तरह के लगाये जाते हैं, ऊपर के वर्ग के लोगों की विलासिता के लिए सामान पैदा करते हैं। आम आदमी की जो जरूरत है, जो आवश्यकता आम आदमी की है उसका उत्पादन देश में घट रहा है। सिर्फ उन चीजों का उत्पादन बढ़ रहा है जो विलासिता की चीजें हैं। यह बात हमेशा यहां कह कर देश की जनता को गुमराह किया जाता है कि जनसंख्या-वृद्धि है उसकी वजह से हमारे उत्पादन में वृद्धि है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह मानता हूं, जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए लेकिन इस बात को क्यों झुठलाया जाता है? जब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसमें से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने लोगों को लाभ मिला। उपाध्यक्ष महोदय, उसका लाभ उनको नहीं मिलता है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है इस बात का भुलावा देकर देश में जो कमी है उन कमियों को छिपाया नहीं जा सकता।

(श्री यदुनाथसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद किस प्रकार से देश का और राज्य का विकास हो, मैं इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश की और हमारे राज्य की ग्रामीण संस्कृति है। बाहर के देशों का जो ढांचा है वह शहरी हो सकता है, लेकिन हिन्दुस्तान का ढांचा ग्रामीण ढांचा है, यहां पर गांवों में ज्यादा लोग रहते हैं। गांवों में जो रहते हैं वह खेती पर निर्भर हैं। इसलिये हमको इस पर विचार करना चाहिये कि खेती की पैदावार किस प्रकार से बढ़ानी है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है किन्तु खेती में पैदावार की एक सीमा होगी, उसके उत्पादन की एक सीमा होगी। इसलिये जो फालतू आदमी है, उन लोगों को दूसरे उद्योग मुहैया कराने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है पिछले साठ साल से 10-12 पर्सेन्ट रोजगार का नियोजन ही देश के उद्योगों से हो रहा है। सारे उद्योग आटोमेटिक हो रहे हैं। उनमें पूंजी ज्यादा लगती है और उनमें रोजगार, श्रम, शक्ति का उपयोग कम होता है। इसका लाभ एक आदमी या कुछ लोग ही हमेशा उठा सकते हैं, बाकी जो बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों की समस्या बढ़ रही है। बेरोजगारी आटोमेटिक औद्योगिकरण की वजह से बढ़ रही है। इसलिये देश में आवश्यकता इस बात की है कि खेतों की पैदावार किस प्रकार से बढाई जाय। लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का सवाल पैदा होता है। उद्योगों के लिये बिजली दिन में दी जाती है, किसानों को रात को दी जाती है लेकिन कभी वह भी घटा दी जाती है। हमारे देश में जो नदियों का पानी है और जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करें। हमारे सामने पंजाब की एक नदी है। पंजाब की पर केपिटा इनकम करीब 2,300 रु. है। पंजाब की पर केपिटा इनकम सबसे अधिक है। उसका मुख्य कारण यही है वहां पर 83 प्रतिशत भूमि सिंचित है जो हमारे राजस्थान में नहीं है। यहां पर राजस्थान कैनाल का काम पता नहीं, हमें पता नहीं पूरी भी होगी कि नहीं होगी। इसको पूरा करने की भावना कहां है, उसके लिये इनके पास पैसा नहीं है। राजीव गांधी और संजय गांधी आते हैं तो करोड़ों रुपया बरबाद करने के लिये इनके पास है। ××× का माहौल है। जब आप प्राथमिकता तय नहीं करेंगे तो किस प्रकार से आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे प्रान्त का भला होगा। राजस्थान कैनाल को युद्ध स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें ताकि खेती पर आधारित अधिकांश जनसंख्या की खेती की पैदावार बढ़े और उनकी क्रय-शक्ति बढ़े। उनके पास पैसा न हो, उनके पास क्रय-शक्ति न हो, उद्योगों में जो पैदा करें उसको खरीदने के लिये लोगों के पास पैसा नहीं हो तो औद्योगीकरण का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिये युद्ध स्तर पर हर बून्द पानी से हर इन्च जमीन को सिंचित किया जा सके इसके लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना होगा। राजस्थान कैनाल के बारे में आज मेरा प्रश्न था, मंत्री महोदय पधारे नहीं, पता नहीं वह हाउस को फेस नहीं करना चाहते हैं या क्या बात है लेकिन लिखित उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने पूछा था कि राजस्थान कैनाल में पिछले वर्ष क्या टार्गेट्स थे और उसका कितना कन्स्ट्रक्शन आप कराना चाहते हैं, उस प्रश्न पर चुप्पी साध ली गई है इसलिये कि जो कन्स्ट्रक्शन कराते हैं,--कन्स्ट्रक्शन का काम एक तरह से

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथसिंह)

रुका पड़ा है, उसमें क्या लूप होल्स हैं, उनकी तरफ आज हमारा ध्यान नहीं गया है। देश में भ्रष्टाचार का माहौल फैला हुआ है। हमारा राज्य भी इससे अछूता नहीं है। इन्दिरा गांधी कहती है कि यह वर्ल्डवाइड फिनोमिना है! वर्ल्डवाइड फिनोमिना है, दुनिया में भ्रष्टाचार है तो यहां भी होना चाहिये। अन्तुले के और इस तरह के अन्य उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है देश में, राज्य में खेती की पैदावार को बढ़ाया जाय। जो देश के अन्दर उद्योग फालतू के लगा रहे हैं, वह रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। उनमें पूंजी का नियोजन बहुत अधिक होता है। इस तरह के उद्योगों को, उपाध्यक्ष महोदय, तुरन्त भंग किया जाय।

एक, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बात कही गई सिन्थेटिक धागे की, सिन्थेटिक उद्योग लगाने की। इसके कारण किसानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, आम आदमी को उल्टा पीछे घसीट कर ले जा रहे है। सिन्थेटिक धागे के आज जो उद्योग लगाये जा रहे है, उससे किसान जो कपास पैदा करते है, उसके भाव गिरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसका मुख्य कारण है वह कपड़ा गरीब आदमी के लिए पैदा होता नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता नहीं, रोजगार वह कम आदमियों को दे पाता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो पाश्चात्य सभ्यता पर बने हुए कारखाने हैं, पाश्चात्य सभ्यता को यहां पनपाने के लिये जो कारखाने लगाये हैं उन कारखानों को भी यहां तुरन्त बन्द किया जाय

(व्यवधान)

तो सबसे पहले मैंने जो, उपाध्यक्ष महोदय, कहा है कि · · ·

श्री **उपाध्यक्ष** : आपकी पार्टी के 40 मिनट हैं, 16 मिनट हो चुके हैं

श्री **यदुनाथसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, घड़ी बहुत तेज भागती है मैं बोलता हूं जब दो मिनट में खत्म करता हूं।

यहां यह बात, उपाध्यक्ष महोदय, जब हम कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए बिजली का मुख्य सवाल आता है। जैसे ऊर्जा के दूसरे साधनों में आपने गोबर गैस प्लान्ट की बात बताई है। गोबर गैस प्लान्ट इतना महंगा है कि आम किसान उसको नहीं लगा सकता। यह बहुत अच्छी बात है कि गोबर गैस प्लान्ट से इन्जिन चलाये जा सकते हैं लेकिन उसकी लागत इतनी महंगी है कि आम किसान, साधारण किसान उसको लगा नहीं पाता। इसलिये सरकार इस पर विचार करे कि क्या ग्राम स्तर पर दो-तीन बड़े-बड़े प्लान्ट लगाकर गांवों के लिये बिजली मुहैया करवा सकती है उससे गैस बनाई जा सकती है, इन्जिन चलाये जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें सिंचाई के लिये ऊर्जा के और भी दूसरे नये साधन जुटाने होंगे। यू. पी. में एक एक्सपेरीमेंट हो रहा है उस टेक्निक को यहां पर भी डवलप करने की आवश्यकता है। वहां रेन, क्रेन, ट्रेल से ट्यूब-वैल्स चलाये जाते हैं उसमें न ऊर्जा खर्च होती है और न कोई खर्चा होता है। इसलिये इस तरह की टेक्नोलोजी भी अपने राज्य में डवलप करनी चाहिये। खेतों की अगर सिंचाई होगी तो 36 गुना पैदावार खेत में बढ़ सकती है। खेत की सिंचाई से ही 36 गुना पैदावार खेत में बढती है। आज देश में, कितनी शर्म की बात है कि 80 प्रतिशत आदमी

(श्री यदुनाथ सिंह)

गांवों में खेती में लगे हुए हैं,फिर भी हम दूसरे देशों से अन्न मंगाने का काम करते हैं। आज जिस तरह के यहां पर हालात हैं और ऑयल कण्ट्रीज जो है वह जिस तरह ऑयल को हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उसकी चाहे जैसे राजनीतिक हथियार बना लेते हैं उसको देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब कनाड़ा, आस्ट्रेलिया और अमेरिका फूड को वीपन के रूप में प्रयोग करने लगे। या तो हमारी पालिटिकल लॉबी इतनी मजबूत हो या हमारे पास पूंजी हो, पूंजी हमारे पास है नहीं, पालिटिकल लॉबी का कोई भरोसा नहीं तो क्या पता भूखों मरने के दिन आवें। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ एक औपचारिकता के तौर पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है वह सिर्फ हमारे देश में इन्दिरा गांधी के परिवार का राज चलाने के लिये है। नियोजन का ढांचा क्या है इसकी किसी को परवाह नहीं। सिर्फ उनकी×××करने के लिये सरकार जिस तरह काम कर रही है और जिस तरह सरकार द्वारा भाषण तैयार किया गया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित)

श्री देवी सिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके पहले पेज के अन्दर कहा है कि गत वर्ष राजस्थान के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला रहा है। पीछे वाले पेज में दिया है, चालू वित्त वर्ष में सरकार की मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं। मेरे ख्याल में वर्तमान मंत्रिमण्डल, जो माथुर साहब के नेतृत्व में गठित हुआ है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आज के दिन यह रही है कि सरकारीकरण का माथुरकरण किया जाये। यह तो उस दिन अभिभाषण में छपना रह गया या वह भूल गये कि उन्होंने जिस दिन यह भाषण दिया उस दिन यह घोषणा हुई कि राजस्थान के अन्दर डायरेक्टर जनरल के स्थान पर श्री भवानीसिंह माथुरजी को पुलिस विभाग में नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर बहुत भयंकर बाढ़ का प्रकोप हुआ जिसके लिये मैं मुख्य रूप से इस सरकारी व्यवस्था को दोषी मानता हूं। आज जहां कहीं भी बाढ़ आई चाहे जयपुर में आई, चाहे बीकानेर में आई, मामूली लापरवाही की वजह से वह आई। उसके कारण हजारों लोग बेघर हो गये। फलस्वरूप राज्य सरकार को बड़ा भारी खर्चा वहन करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ राहत कोष से बाढ़ प्रभावी क्षेत्र में मरम्मत कराने के लिये बीकानेर को एक करोड़ रुपया आवंटित किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस एक करोड़ रुपये का उस क्षेत्र में दुरुपयोग हो रहा है जिसका इस बाढ़ से इस वर्ष न तो नाता रहा है और न वास्ता रहा है। वह सिर्फ नालों, नाकों के निर्माण के ऊपर खर्च हो रहा है जो बिल्कुल उस बाढ़ के क्षेत्र से 200-250 किलोमीटर दूर है। न वहां नुकसान हुआ है, न कोई मकान टूटा है और न कोई सड़क टूटी है। मैं आपको वह लिस्ट बता सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा टेण्डर मांगे गये। केन्द्र सरकार

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

से धनराशि प्राप्त की उसका जिस क्षेत्र में बाढ़ आई उससे कहीं भी वास्ता नहीं है। वह सड़क पर नहीं लगायी गई है, वह नालों आदि के निर्माण के कार्य में लगाई गई है। महज राजनैतिक फायदा लेने के लिये जिस क्षेत्र में काम करवाने थे, उस क्षेत्र में यह कार्य हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जनता के साथ यह सरासर धोखा है। जो धनराशि बाढ़ प्रभावी कार्य के लिये ली गई थी उसका बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राजस्थान में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल की स्थिति है। हर साल इस सदन के फ्लोर पर घोषणायें होती हैं कि हम जनता को भूख से मरने नहीं देंगे, उनके लिये पानी की व्यवस्था करेंगे, उनको मजदूरी देंगे, पशुधन के लिये घास-चारे की व्यवस्था करेंगे, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज चैलेंज करता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य मेरे साथ बीकानेर जिले में चलें, उस क्षेत्र का दौरा करें और देखें कि कितने लोगों को वहां मजदूरी दी जा रही है, कितने लोगों को भूख से मरने से बचाया जा रहा है, कितने गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, कितने पशुधन के लिये चारे की व्यवस्था की जा रही है। कतई नहीं की गई है। सिर्फ टेस्ट रिलीफ वर्क्स के नाम पर राहत कार्य चलवाया और 10,000 रुपये दिये। हमारे मंत्री जी भी गये, उसके बाद पी. डब्ल्यू. डी. को निर्देश दिये गये कि फलां-फलां सड़क का निर्माण कार्य चालू किया जाये। परन्तु हर साल की तरह पी. डब्ल्यू. डी. न तो दूर-दराज गांव में जाता है न ही वह उसमें इंट्रेस्ट लेता है। न तो वहां मकानों की व्यवस्था ठीक की है, न सड़क के या दूसरे राहत कार्य चल रहे हैं, न पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। आज कहीं भी दूर-दराज गांव में चले जाइये, सरकार ने निर्देश दिये हैं कि जो डेढ़ फीट से कम गहरे कुएं हैं उनको और गहरा किया जाये या वहां हैण्ड-पम्प लगाये जायें। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि वे टीलों के गांव हैं जिनके अन्दर ट्रक-टैंकर नहीं पहुंच सकते और न पम्प लग सकते हैं। इस कारण वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पिछले तीन साल से वहां नागरिक इस परेशानी को भुगत रहे हैं। सरकार की सिर्फ घोषणायें हुई हैं, लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी क्षेत्र पशुधन का इलाका विशेष तौर से है, वह इस राज्य के आर्थिक उत्थान में योगदान देता रहा है, परन्तु उस पशुधन इलाके में न तो घास की, न चारे की आज सुचारु रूप से व्यवस्था है और न फसल की व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी प्रकार यह व्यवस्था रही तो मैं आपको कहता हूं कि जिस पशुधन की संख्या आज एक करोड़ की है, भेड़ों की जो संख्या है, वह आधी ही रह जायेगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह राजस्थान की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है और उसके लिये काम करना चाहती है तो विशेष रूप से पशुधन की तरफ ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नहर क्षेत्र की विशेष रूप से बात करूंगा। वह एक नेशनल प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर न तो सरकार की ओर से कोई ध्यान दिया जा रहा है न विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है। जिस प्रकार से नहर का, मुख्य नहर का, आंचेज का

(श्री देवीसिंह भाटी)

निर्माण कार्य हो रहा है, न तो उसमें सही ईंट लगती है, न सही सीमेंट का उपयोग होता है, न उनको सही ढंग से पकाया जाता है। जिसकी वजह से बार-बार नहर टूटती है, जिसकी शिकायतें मिलती रहती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जो हम पशु-धन से फायदे की आशा करते हैं वह हम नहीं प्राप्त कर सकते और इस क्षेत्र के लोग प्यासे मरेंगे। वह अपने खेतों की उचित व्यवस्था नहीं कर पायेंगे और आर्थिक रूप से अव्यवस्थित हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई स्थान हैं जहां कि आज नहर, ब्रांचेज हैं और खालों का निर्माण हुए पांच-पांच, छः-छः वर्ष हो गये हैं, परन्तु न तो काश्तकार को आज तक पानी दिया गया, न उसके लिये प्रयास हुए हैं। एक तरफ तो उनको भूमि आवंटित की गई और उनके नाम पट्टे में यह कहा गया कि इन्हें सिंचित भूमि दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ न तो पीने के पानी की व्यवस्था की है, न खेत में पानी देने की व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बीकानेर में दो-तीन दफा गये। उन्होंने वहां लम्बी-चौड़ी घोषणायें की, मैं उन नहरों को सुचारू रूप से पानी से भर दूंगा, लोगों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने दूंगा और उनकी फसल निश्चित रूप से पकेगी। परन्तु मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज उन नहरों में दो मास से पानी सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। आज किसान दफ्तरों के, अधिकारियों के चक्कर काटता है और कहता रहा है कि हमें पानी तो दो जिससे हमने जो खेत के अन्दर धनराशि लगाई है वह कम से कम बचा सकें, घाटे में तो न रहें। परन्तु सरकार की ओर से न कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है न पानी की व्यवस्था है, अधिकारीगण यह कह रहे हैं हमें बिजली नहीं मिल रही है इसलिये हम पानी को लिफ्ट नहीं कर सकते, हम नहर को पानी नहीं दे सकते। यह तो हमारी राजस्थान कैनाल की स्थिति है जिसकी ओर सारे देश की आंखें लगी हैं कि उस नहर का निर्माण होने से देश में अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर नहर का निर्माण होता रहा तो यह योजना फेल होगी और करोड़ों रुपया खर्च हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार उपनिवेशन विभाग के अन्दर लोगों को स्थायी भूमि आवंटित की जाती है, परन्तु उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसका कोई वर्गीकरण नहीं है। चाहे भूमि कैसी भी हो, खराब हो या अच्छी हो सबके लिये एक ही रेट 29,000 फिक्स कर रखी है। मेरा सुझाव है कि यदि काश्तकार को ऊंचा उठाना है तो जो भूमिहीन हैं उनको कम से कम ऐसी जमीन दी जाये, ऐसी रेट ली जाये जो उचित हो जिससे वह मेहनत करके उसमें खर्चा कर सके और उसकी पूर्ति कर सके। आज पश्चिमी क्षेत्र, विशेष तौर से बीकानेर और जैसलमेर के जिले के अन्दर 200-250 काश्तकार रह रहे हैं परन्तु उनको खातेदारी के अधिकार मुहैया नहीं किये गये। सरकार की ओर से बार-बार घोषणायें हुई, बार-बार कानून में, नियम में संशोधन हुआ, उसके अन्दर 15 (ए) और 15 (ए. ए. ए.) की और कई प्रकार की व्यवस्था की गई, कई कानून पास किये गये परन्तु उनको खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये। आज आप शहरी क्षेत्र में चले जाइये सरकार की ओर से घोषणायें बार-बार होती रहेंगी कि 1971 से पूर्व के कब्जे नियमित किये जायेंगे, 1 जनवरी, 1981 के कब्जे नियमित किये जायेंगे। फिर उन गरीब और ग्रामीण लोगों का क्या दोष है? यह सरकार का दोष है कि उनके

(श्री देवीसिंह भाटी)

पास रेवेन्यू रिकार्ड नहीं थे । आज काश्तकार के पास रेवेन्यू रिकार्ड नहीं है, परन्तु सरकार इसको नहीं मानेगी । उसको चाहिये कि जिनको खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं तो कानून में संशोधन करके उनको अधिकार दें । परन्तु राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है ।

इसी प्रकार नहरी क्षेत्र के अन्दर जो पशुधन है, यह पशुधन हमारे राज्य की रीढ़ की हड्डी है, आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन न उसके लिये घास की व्यवस्था है, न चरागाह छोड़े जा रहे हैं, न उनके लिये पीने के पानी की व्यवस्था है । यह पशुधन जैसे-जैसे नहर आयेगी, खत्म हो जायेगा । नहरी क्षेत्र में आज भी चले जाइये, आज गंगानगर जिले में काश्तकार के पास चले जाइये 80 पर्सेन्ट काश्तकार ऐसे मिलेंगे जो कर्ज से दबे हुए हैं क्योंकि आज जो खेती हो रही है वह इतनी अलाभकर है कि उससे काश्तकार अपना पेट नहीं भर सकते, अपने परिवार के लोगों का पेट पालन नहीं कर सकते । पशुधन ऐसा साधन है जिसके द्वारा कम खर्चे के अन्दर आज भी देश में उत्पादन बढ़ सकता है, ऊन का, मांस का, घी का, दूध का, हर तरीके का उत्पादन बढ़ सकता है, परन्तु उसके लिये न तो कोई चरागाह की व्यवस्था है, न उसके लिये पीने के पानी की व्यवस्था है, परिणामस्वरूप धीरे-धीरे पशुधन खत्म हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के द्वारा जंगल में मंगल कार्यक्रम इस 20 संकल्प में पेश किया गया, इस जंगल में मंगल में पता नहीं कहां मंगल हो रहा है परन्तु आपसे निवेदन करूं कि कोलायत तहसील के गानेर गांव के पास जो 45 हजार बीघा जमीन है, उसमें बगैर किसी की अनुमति से, तहसीलदार की अनुमति के बगैर, जिलाधीश की अनुमति के बगैर 9 हजार पेड़ काटे गये । मुख्य मंत्री जब जोधपुर पधारे उनसे बार-बार शिकायत की, जिलाधीश से शिकायत की, पंचायत समिति की मीटिंग में पंचायतों ने प्रस्ताव रखे हैं उसकी शिकायत की, परन्तु आज तक न तो उसके ऊपर कार्यवाही हुई कि वहां वह व्यक्ति लकड़ी काटकर शहर में क्यों बेच रहा है, न उसकी जांच हुई, न उसकी गिरफ्तारी हुई । अगर उसकी जगह साधारण गरीब खेत में काम आने वाले उपकरणों के लिये, हल के लिये पेड़ काटता तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार करके बेइज्जत किया जाता परन्तु क्योंकि वह करोड़पति सेठ से ताल्लुक रखता है इसलिये जिला प्रशासन या वन विभाग ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की । मैं वन विभाग और राजस्व विभाग से पूछना चाहता हूं कि जब कानून में व्यवस्था है, नियमों में प्रावधान है कि अगर कोई पेड़ काटता है तो उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करके, केस रजिस्टर करें, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय तो क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती ? आज हर क्षेत्र में एक-एक हलके में एक पटवारी लगा हुआ है उसकी ड्यूटी है कि उसके क्षेत्र में जैसे कोई ही पेड़ काटता है, काटने में एक दिन लगता है तो जाकर उसको पकड़े, तहसीलदार को सूचित करे और थाने में केस रजिस्टर करवाकर उसको पकड़ने की कार्यवाही करें और उसको रोके परन्तु वन विभाग उसकी ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा है । इस प्रकार से जो पश्चिमी राजस्थान के दूर-दराज गांवों में खेजड़े और बेरी के पेड़ हैं, वह धीरे-धीरे साफ हो जायेंगे, आपने नये पेड़ लगाये, उन

(श्री देवीसिंह भाटी)
पर करोड़ों रुपयों का खर्च हो रहा है, वह बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। आज जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी तो कम से कम रक्षा करें। नये तो पता नहीं कब लगायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पशु-पालन विभाग द्वारा श्वेत-क्रांति की बात की जाती है, नस्ल सुधार की बात की जाती है। मैं पशुपालन मंत्री से पूछना चाहता हूं बीकानेर जिले में नस्ल सुधार के लिये उन्होंने क्या किया? जो बजट लाखों रुपये का है इसमें कहां-कहां कितना विकास हुआ है? कतई उसके लिये प्रयास नहीं किया गया। गाय की, भैंस की नस्ल अकाल की वजह से खराब हो रही है, बैलों की भूखों मरने से नस्ल खराब हो रही है, निरन्तर बिगड़ती जा रही है, अच्छी नस्ल खतम होती जा रही है किन्तु विचार नहीं हो रहा है कि घी का उत्पादन बढ़े और मांस का उत्पादन बढ़े, उसकी ओर ध्यान दिया जाय तो राज्य में आर्थिक रूप से स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी परन्तु पशुपालन विभाग द्वारा कतई इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न पशुपालक को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान राशि देकर उनको अपने पैरों पर खड़े करने की विभाग द्वारा व्यवस्था की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पश्चिमी क्षेत्र पेयजल समस्या से वर्षों से पीड़ित है, उस ओर राज्य सरकार ने ऐसी योजनायें बनाई हैं कि आज जहां-जहां ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें चालू की गयी हैं उनसे टेल एण्ड पर के गांवों में न वर्षों से पानी पहुंच रहा है न सुचारू रूप से यह व्यवस्था है कि उन क्षेत्रों में बिजली चली जाय, किन्तु बिजली की कमी बताई जाती है। आज के दिन भी सैकड़ों गांवों में पेयजल की कमी महसूस की जा रही है, लोग प्यासे मर रहे हैं, पशु-धन प्यासा मर रहा है। एक तरफ 15-15, 20-20 लाख रुपये एक-एक योजना के अन्दर लगा दिये गये परन्तु वह पैसा जो लग रहा है उससे क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा? क्या वह योजना निरन्तर सुचारू रूप से चलती रहेगी? इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टेक्निकल दृष्टि से उसके अन्दर खामियां रह गई उसकी न जांच हो रही है कि आगे भविष्य में क्या सुधार कर सकते हैं और ना ही इसकी ओर प्रयास है। अगर पश्चिमी राजस्थान में पैसा लगाना है तो कम से कम टेक्निकल व्यूज लें कि जो पाइप लाइन का स्तर है, कुएं के पानी का स्रोत है उसके अन्दर हमको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितने साल तक हमको सही पानी मिलेगा, इस ओर न प्रयास किये जाते हैं न प्रति वर्ष विभाग की ओर से रिपोर्ट दी जाती है, जिसका नतीजा यह है कि जैसा आज प्रश्न के उत्तर में बताया गया। जल-दाय विभाग द्वारा कि 137 गांव समस्या-ग्रस्त हैं जो जलप्रदाय योजना चल रही है, 137 गांवों में इसमें 10½ करोड़ व्यर्थ गंवाये गये। विभाग ने यह कोशिश नहीं की कि इन समस्याग्रस्त गांवों के लिये पानी के स्रोतों को कैसे बढ़ाया जाय, कैसे फायदा दिया जाय और कैसे सुचारू रूप से चलते रहें, इस ओर कतई प्रयास नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में पुराने अनियमित रूप से कब्जे किये गये हैं, स्वायत्त शासन विभाग, जिसके तहत यू. आई. टी. और नगरपालिका है, के कर्मचारी न तो यह कोशिश करते हैं कि

(श्री देवीसिंह भाटी)

आज निर्माण कार्य अनियमित रूप से किये जा रहे हैं उनको रोकें जिससे शहर का जो रूप है, जो टाउन प्लानिंग ने स्कीम्स पास कर दी हैं वह किसी प्रकार से खराब न हों। इसको रोकने के लिये कतई प्रयास नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ वोट लेने की कोशिश में कुछ घोषणायें की जाती रही हैं कि 1971 तक के कब्जे नियमित किये जायेंगे, 1981 तक के कब्जे नियमित किये जायेंगे। कम से कम यह देखें विभाग का जो स्टाफ है, जनता के टैक्स से व्यवस्था कर रखी है इस ढांचे की, वह कर्मचारी मौके पर सही स्थिति देखकर रिपोर्ट करें और अनियमित रूप से जो कब्जे किये जा रहे हैं, शहरों का रूप बिगाड़ रहे हैं उनको रोकें, परन्तु इस ओर कतई प्रयास नहीं किया जा रहा है जिससे सारे शहर का, कहीं भी आप जायें, ढांचा बिगड़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर के अन्दर राजस्थान पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके अन्दर कांग्रेस (आई) के द्वारा मान्यता प्राप्त क्राउन प्रिंस राजीव गांधी को बुलाया गया। बीकानेर में सामन्ती रूप से बुलाकर, साफा पहनाकर जैसे गद्दीनशीन करते हैं उस प्रकार से उसका स्वागत किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस आयोजन की क्या आवश्यकता थी? आज उस आयोजन की क्या उपलब्धि हमें मिली है, इसका तो कम से कम आकलन करें और देखें। करोड़ों रुपये उस आयोजन पर खर्च कर दिये गये। जो दूर-दराज स्थानों से सरपच वहां पहुंचे उनसे मैंने पूछा कि आप लोग इतनी दूर से आये हैं इस सम्मेलन में, आपने क्या सीखा? क्या आपको सीखने को मिला? कहा कि हम प्राय दूर-दूर से 300-300 मील से बसों के अन्दर किन्तु न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न ठहरने की व्यवस्था। हम जो दूरदराज गांवों में रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं उसमें आया कि माथुर साहब की सरकार पंचायती राज को पुनर्जीवित करके अधिकार देने जा रही है जिससे पचायतें सक्रिय रूप से काम करें। उन सरपंचों ने कहा, हमको यहां बुलाकर ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे हम सीखें, काम करें, कुछ प्रशिक्षण वाली बात होती, कुछ कहने वाली बात होती। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ, घोषणा के अन्दर सिर्फ ढकोसला हुआ। पहली दुख की बात तो यह है कि अगर इस आयोजन को कांग्रेसीकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सरकार की ओर से तो घोषणा हुई कि सरकार की ओर से आयोजन हो रहा है परन्तु पी. आर. ओ. द्वारा "बहुरंगी बीकानेर" यह बुकलेट छपाई गई जिसके पिछले पेज में बीकानेर अचल के जन-प्रतिनिधि लिखा है। जन-प्रतिनिधियों में एम. एल. ए. हैं, 4 में से 3 क्षेत्रों के, 2 एम. पीज. हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी फोटो है या नहीं?

श्री देवीसिंह: यही मैं कह रहा हूं कि यह राज्य सरकार की ओर से कोई आयोजन नहीं था, महज एक कांग्रेसीकरण था, कांग्रेस वालों की तरफ से आयोजन था जिसके अन्दर यू. आई. टी. नामीनेटेड चेयरमैन की फोटो दी गयी। उसको बताया गया कि बीकानेर अंचल के प्रतिनिधि हैं। यह एक एम. एल. ए. की नहीं, पूरे सदन की तोहीन है। इसके लिये बाद में जो कुछ कार्यवाही होगी करूंगा। परन्तु बड़े दुख की बात है कि करोड़ों रुपये लग गये उसके उपरान्त भी क्या लोगों को

(श्री देवीसिंह भाटी)

उपलब्ध हुआ, क्या पंचायत राज की उपलब्धि हुई, आने वाले सरपंचों को यह कतई नहीं महसूस हुआ ।

आखिर में, मैं राज्यपाल महोदय, ने जो अभिभाषण दिया उसका विरोध करते हुए आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी ।

श्री सी. पी. जोशी : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात प्रारम्भ करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जिस जोश से सन् 1977 में लोकतन्त्र के नाम पर जिस पार्टी ने सत्ता में आने के लिये बड़े जोर-शोर से जनता के सामने यह नारा दिया कि यह लड़ाई लोकतन्त्र बनाम तानाशाही है । जो लोग उस समय सत्ता में आये उन्होंने यह निरन्तर प्रयास किया कि वह सत्ता में रहें । उन्होंने पंचायतों के चुनाव कराये और पंचायतों के चुनाव कराने के बाद उनको वहीं छोड़ दिया । जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जोर-शोर से यह कहा कि हमारे शासन काल में कई महत्वपूर्ण योजनायें बनाई गयीं जैसे अन्त्योदय योजना और काम के बदले अनाज योजना, जिनकी उन्होंने शुरूआत की थी, वह कांग्रेस शासन काल में समाप्त कर दी गयीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर से यह मानता हूं कि लोकतन्त्र में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति इस बात को मानेगा कि अन्त्योदय योजना की शुरूआत उन्होंने की और काम के बदले अनाज की योजना की क्रियान्विति उन्होंने की, इन योजनाओं के माध्यम से उन्होंने गांव में एक नया वातावरण कायम करने का प्रयास किया । फिर भी जो परिणाम अभी पंचायतों के चुनावों के और नगरपालिकाओं के चुनाव के आये, वह कैसे रहे । यहां पर मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि प्रश्न जो उठता है वह यह है कि जो लोग सत्ता में आते हैं वह निश्चित तौर पर चाहते हैं कि गांवों में विकास होता रहे या शहरों में विकास हो ।

(2.50 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

लेकिन वही लोग, सभापति महोदया, जब सत्ता से उठ जाते हैं, तब यह प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि हमारे समय में यह-यह बढ़िया काम हुआ । सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करने वाला पहला आदमी हूं और यह कह रहा हूं कि जब पंचायतों के चुनाव कराने की बात आई तो हमारे पंचायत राज मंत्री ने इसका विरोध किया । हो सकता है उनको इसका अनुभव ज्यादा हो पर जो परिणाम सामने आये हैं, वह निश्चित तौर पर सही स्थिति बताते हैं । मैं यह प्रश्न भी पूछना चाहूंगा, उन सदस्यों से जो कि विधान सभा में आये हैं कि क्या विधान सभा के चुनावों के परिणामों के अनुरूप पंचायतों और पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं के परिणाम नहीं आये ? आज अपोजीशन वाले देखें कि क्या विधान सभा के चुनावों में जो प्रतिनिधि आये उनके अनुरूप पंचायतों के चुनावों में या नगरपालिकाओं के चुनावों के परिणाम आये ? यह निश्चित तौर पर इस बात का द्योतक है कि नहीं आये । इससे उनकी राजनीति डगमगा गयी । यही कारण है कि उन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव जो आया है उसका विरोध करना शुरू किया । मैं बड़ी

(श्री सी.पी. जोशी)

ही विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग सत्ता में बैठते हैं उनको तो पूरे समाज का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जो अपोजीशन में बैठते हैं, उनका तो काम है विरोध में बैठकर विरोधी भावना प्रदर्शित करना उन्होंने अपनी भावना से पूंछ पकड़ कर पंचायत चुनाव जीतने का प्रयास किया। जयप्रकाश नारायणजी का नाम लेकर, समाज को बदलने का नारा देकर जनता के वोट पाने का प्रयास किया। सन् 1977 के अन्दर विधान सभा के चुनाव जीते और बाद में सन् 1980 में चुनाव हारने के बाद में पंचायतों के चुनाव परिणाम आये. उससे घबराकर उन्होंने निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस सरकार में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर बहुत बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस राज में देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो रही है। आज जिस तरह का फाइनेन्शियल डिसिप्लीन हमारे यहां का है, आज इन्टर-नेशनल मानिट्री फण्ड की जो कन्डीशन है, आज आई. एम. एफ. द्वारा हमारे देश को जो ऋण दिया गया है उसके बारे में जो बातें कही जा रही हैं अगर हम उन्हें गंभीरता से सोचें तो हमारे हिन्दुस्तान की आर्थिक और माली हालत को सुधारने के लिये हमारी प्रधान मंत्री ने आई. एम. एफ. से लोन लिया है, लेकिन दूसरी दृष्टि से सोचें तो आज चाइना कम्युनिस्ट कन्ट्री है, वहां तो कम्यु-निस्ट पार्टी का राज है उन्होंने भी आई. एम. एफ. से लोन लिया है। यह बात कहना गलत है कि देश को आई. एम. एफ. से लोन लेकर गिरवी रख दिया है। हमने देश को गिरवी नहीं रखा है लेकिन आज जो देश के हालात हैं, देश की जो आर्थिक और माली हालत है उसको सुधारने के लिये जो टार्जेटस हैं उनको अगर देखें, 1981-82 के आंकड़े आप देखें तो पता लगेगा कि क्या कोल का प्रोडक्शन कम हुआ है? वह बढ़ा या घटा है? क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है? यह इस बात का जवाब है। कितनी गाड़ियां बन्द हो गयीं या कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हटा दिया गया, कितनी माइन्स की लीज आज उनको दी गई है, अगर हम इसका अवलोकन करें तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं जिस तीव्र आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से सन् 1980 में जनता ने हमें जिताया, उसके बाद में पंचायतों और नगर-पालिकाओं के चुनावों में तीव्र अपेक्षा से जनता ने वोट दिये, उससे कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी है। हम जिम्मेदारी से जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं विधान सभा के द्वारा किन्तु मैं पहला आदमी हूं जो यह कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम हमने बनाया है, चाहे विधान सभा का हो, चाहे नगरपालिका का हो, चाहे जिला परिषदों का हो, चाहे पंचायत समितियों का हो, वह इन्स्टीट्यूशन्स जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी हैं जैसा कि हम आशा करते थे। इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आज राजस्थान गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ इण्डिया के जो नियम है वह क्या नियम बनाये कि जो मार्जिनल फार्मर्स है या स्माल फार्मर्स है या शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्-यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाय, उनको सब्सिडी खाद, बीज में दी जाय। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन इन्स्टी-ट्यूशन्स के जरिये हमने जिन कामों को पूरा करने का मानस बनाया है वह इन्स्टीट्यूशन्स काम नहीं करती हैं। इस बात का उदाहरण

(श्री सी. पी. जोशी)

यह है कि आज स्माल फार्मर्स या मोर्जिनल फार्मर्स हैं या शिडयूल्ड कास्ट्स या शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनको पहले पटवारी का सर्टिफिकेट देकर एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर के पास भेज देते हैं। वह खाद और बीज में सब्सिडी दिलाता है। आज उसके ऊपर कोई चैक नहीं है। आज हालात यह है कि पंचायत समितियों में ए. ई. ओ. जो होता है उसके फंक्शन और भी होते हैं। वह वर्ल्ड बैंक की स्कीम्स पूरा करने का काम करता है। दो पंचायत समितियों के बीच में एक ए. ई. ओ. होता है या बी. एल. डब्ल्यू. होता है। हम अगर गम्भीरता से सोचें और देखें तो जो रेनफाल हुआ है और जो सोइंग हुआ है वह पिछले साल के मुकाबले कितना हुआ, कितनी खाद या बीज के लिये सब्सिडी बढ़ी है। यह इस बात का द्योतक है कि इन इन्स्टीट्यूसन्स द्वारा जो लक्ष्य बनाये गये थे उनकी पूर्ति नहीं करना चाहते हैं। आज नगरपालिकायें, चाहती हैं कि शहरों का सुधार हो और शहर अच्छे और सुन्दर हों लेकिन आज नगरपालिका क्षेत्र में अवैध कब्जों का निर्माण हो रहा है। उन अवैध कब्जों का नियमन करने की घोषणायें होती रहती हैं। उनकी प्रक्रिया को कोई भी राजनैतिक दल गम्भीरता से नहीं सोचता है। जब वह लोग सत्ता में बैठते है तब वह लोग घोषणायें करते हैं कि हम इनका नियमन करते हैं लेकिन ज्योंही वह विरोध में बैठते हैं तब कहते हैं कि यह सम्भव नहीं हो सकता है। आज नगरपालिका के अन्दर अवैध निर्माण हो रहे हैं उनका आप नियमन करें या नहीं करें किन्तु जब तक आप इस नियमन करने की प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे तब तक यह प्रक्रिया चलती ही रहेगी। मुझे यह कहते हुए दुख होता है आज एग्रीकल्चर लैण्ड को कन्वर्ट करने के जो नियम बनाये हैं राजस्थान सरकार ने वह जिन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से बने हैं उनकी पूर्ति नहीं होगी। उनका रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि उसका रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। यह सभी जानते हैं और मेरी मान्यता है कि जो इन्स्टीट्यूशन डवलप की हैं इन पिछले 30-32 सालों में, चाहे वह नगरपालिका हो, चाहे जिला परिषद् हो, चाहे विधान सभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो जिस तरह की जनता की तीव्र गति से आकांक्षायें और अपेक्षाएं बढ़ेंगीं उन आकांक्षाओं की पूर्ति यह संस्थायें नहीं कर सकेंगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गम्भीरता से हमें इसके बारे में सोचना चाहिये। यदि हम हिन्दुस्तान की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं तो जो डेमोक्रेसी है और जो भविष्य में हम दूसरा सिस्टम लागू करने की सोच रहे हैं, हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये कि क्या हम उसके अनुरूप काम कर सकेंगे या नहीं।

इसके साथ-साथ मैं इस बात को भी मानता हूं कि राजस्थान सरकार पर 365 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट है। राजस्थान सरकार पर 365 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट रहते हम राजस्थान का बहुत बड़ा भारी विकास कर लेंगे या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का स्तर अपग्रेड कर सकेंगे या नहीं, या क्या हम इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेंगे या नहीं, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे या नहीं। तब प्रश्न उठता है कि क्या हम इस ओवर ड्राफ्ट को मीट आउट करके राजस्थान की 1981-82

(श्री सी. पी. जोशी)

1982-83 या 1985 तक जब तक, हमारा टर्म है, जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकेंगे या नहीं। अब प्रश्न इस बात का है कि जो ओवर ड्राफ्ट की दर निरन्तर बढ़ती जा रही है क्या हम उसको कन्ट्रोल कर सकेंगे या नहीं, या जितना फाइनेन्शियल डिसिप्लीन लागू करना चाहते हैं वह फाइनेन्शियल डिसिप्लीन लागू कर पायेंगे या नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि इन 32 सालों में चाहे हम सत्ता में रहे हों या जनता पार्टी सत्ता में रही हो एक बात हमने बहुत बढ़िया की है वह यह है कि हमने रिटायर्ड आदमियों को एम्प्लॉय करने के निरंतर प्रयास किये हैं। आज से करीब 15-20 और 25 वर्षों पहले राजस्थान में एक आदमी आई. जी. पुलिस हुआ करता था वह सारे राजस्थान को कन्ट्रोल करता था लेकिन आज स्थिति यह है कि 5 आई. जी. पी. हमारे राजस्थान में हैं और उनके ऊपर भी एक डाइरेक्टर जनरल पुलिस की नियुक्ति और हो गयी है। इसी प्रकार रोडवेज में भी एक रिटायर्ड ऑफिसर को चीफ सिक्योरिटी अधिकारी नियुक्त कर दिया है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है रिटायर्ड व्यक्ति को नियुक्ति देने की, यह प्रक्रिया गलत है। जनता पर हम टैक्स लगा रहे हैं इसका असर निश्चित तौर जनता पर पड़ता है, फाइनेन्शियल डिसिप्लीन का यह एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। आज कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जैसे लैण्ड एण्ड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का जितना रेवेन्यू नहीं है, जितनी रेवेन्यू वह वसूल करता है उससे अधिक तो उस डिपार्टमेंट के लोग सैलेरी ले लेते हैं। तो आज हालात ऐसे हैं, हमें फाइनेन्शियल डिसिप्लीन के ऊपर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। आज जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उस पर निरन्तर खर्चा बढ़ता जा रहा है। आज जनता पर हम टैक्स लगा कर उसको मीट आउट कर रहे हैं लेकिन हमने यह कभी प्रयास नहीं किया कि ब्यूरोक्रेसी के एक्सटेन्शन को रोका जाय। अगर आज भी हम यह घोषणा करें कि 1982 से लगाकर 1999 तक राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं तो मैं यह समझता हूं कि इस बात से भी हमारी योजनाओं का इम्पलीमेंटेशन हो जायेगा और हम अपने फाइनेन्शियल डिसिप्लीन पर काबू पा जायेंगे। एक तरफ हम ब्यूरोक्रेसी के एक्सपेन्शन को नहीं रोक सकते दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स के जो एक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर हैं उनको नहीं रोक सकते। आज हर ब्यूरोक्रेट्स के पास व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स का दुरुपयोग हो रहा है। उसके डीजल और पैट्रोल की कीमत हम आंकें तो जिस तरह से एम.एल.एज. को 400 रुपये का भत्ता होता है यदि उसी तरह से इन आफिसर्स को 200 रुपयेका भत्ता दें तो निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़े पैसे का दुरुपयोग रोक पायेंगे। यह इस बात का द्योतक है कि जो हमारी पालिसी को इम्पलीमेंट करते हैं यदि वही ऐसा करते हैं तो हम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पायेंगे। तब जो प्रश्न आता है वह यह आता है कि एक तरफ हम ××× को बढ़ाते जायें और दूसरी तरफ जो हमारी डिविडेन्ट देने वाली इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको हम चैक नहीं कर पायें तो हम ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में राजस्थान के भविष्य की कल्पना कैसे करते हैं। पहला प्रश्न यह मेरे दिमाग में हो सकता है।

दूसरा राजस्थान के अन्दर मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से दोहन कर तो निश्चित तौर से हम जनता के ऊपर टैक्स

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री सी. पी. जोशी)

लगाये बगैर इस राजस्थान की माली हालत को सुधार सकते हैं। कम से कम मैं इस बात को जानता हूं कि आज यह हालत है कि 90 प्रतिशत लोगों को जो लीज मिलती है वह टाइम पर रिन्यू नहीं होती है। जब टाइम पर रिन्युअल नहीं होती है डीड, तो जो आदमी माइन्स पर काम करते हैं, जो माइन्स से प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में बेचते हैं वह राजस्थान सरकार की आय का बहुत बड़ा भाग उपयोग में लेते हैं। इसी तरह से लोगों ने जिस नाम से माइन्स का लाइसेन्स लिया है कि वह मेजर मिनरल या माइनर मिनरल करेंगे उसके भी दुरुपयोग के कारण राजस्थान सरकार को जितनी आय होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। यदि ईमानदारी से मिनरल रिसोर्सेज का दोहन सही ढंग से कर दिया जाये और मिनरल की रेवेन्यू जितनी वसूल हो रही है उसके लाइसेंस को चैक कर दिया जाये तो मेरी निश्चित तौर पर यह मान्यता है कि राजस्थान के ओवर ड्राफ्ट को कम करने में बहुत सहायक हो सकती है। राजस्थान का मिनरल बेस हो सकता है। यदि हम मिनरल बेस के दोहन को सही ढंग से नहीं कर पाये तो माननीय सदस्य सभी जानते हैं, अपने-अपने इलाके में टटोल कर देखें जो भी लोग मिनरल्स निकालते हैं उस मिनरल्स के ऊपर डिपेन्डेन्ट कुछ लोग 15-20 सालों में लखपति और करोड़पति बनते जा रहे हैं। यह लखपति और करोड़पति बनने की जो प्रक्रिया है वह इस बात का द्योतक है कि हम रेवेन्यू रिकवर करने में वीक हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जब हम राजस्थान की माली हालत सुधारना चाहते हैं तो टैक्स इम्पोज किये बगैर हमें ब्यूरोक्रेसी के इस ढांचे को देख लेना चाहिए और हमको जो मिनरल का रेवेन्यू मिलना चाहिए वह लेना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात समझ नहीं पाता, हम स्वयं जानते हैं कि हमको विद्युत जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपस में धीरे-धीरे बात करें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदया, मैं निश्चित तौर पर इस बात को मानता हूं कि यदि हमें औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है तो हमको निश्चित तौर पर इण्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन बढ़ाना पड़ेगा। इण्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो बैंकिंग इन्स्टीट्यूशंस से लोन मिले और साथ ही साथ बिजली की सप्लाइ बराबर मिलती रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की हालत है वह हम सब जानते हैं। हम हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं कर पायें और हम सोचें कि रेवेन्यू और रिटर्न ज्यादा मिल जायेगा, यह नहीं हो सकता। मेरा सरकार से निवेदन है कि मार्च, अप्रैल और जून तक जिस तरह की इण्डस्ट्रियल हालत चल रही है वह ठीक नहीं हो पायेगी। यदि सरकार ठीक समझे तो उसको निश्चित तौर से इस पर विचार करना चाहिए। यदि इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के कारण इनको सेल्स टैक्स ज्यादा मिलता है, इन्कम टैक्स ज्यादा मिलता है तो राजस्थान में होने वाली रेवेन्यू बहुत कम होगी। यदि सरकार उचित समझे तो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को लिंक करे। इस बेसिस पर इण्डस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी मिलनी चाहिए। यदि इण्डस्ट्रीज चलेंगी तो निश्चित तौर पर सेल्स टैक्स मिलेगा और इन्कम टैक्स मिलेगा और राजस्थान को रेवेन्यू मिलेगा। बिजली हम उनको दे नहीं पाये, सब्सिडी उनको दे नहीं पाये और फिर हम अन्दाज

(श्री सी. पी. जोशी)

लगायें कि वह टार्गेट्स पूरा करेंगे तो निश्चित तौर से वह टार्गेट्स को अचीव नहीं कर पायेंगे। हम इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट में रेडिकल चेन्ज करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इनपुट्स के लिए सब्सिडी देते हैं ठीक उसी प्रकार से इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, राजस्थान सरकार को अपने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रेवेन्यू वसूल करने के लिए आवश्यक है कि आने वाले 5-7-8 महीने तक जो इण्डस्ट्रियलिस्ट सेल्स टैक्स से लिंक करके प्रोडक्शन करना चाहे तो उसको प्रोडक्शन करने की छूट मिलनी चाहिए। इससे हमारा सेल्स टैक्स भी बढ़ेगा, इससे हमारा इनकम टैक्स भी बढ़ेगा और इण्डस्ट्रीज रन करने में जो ले आउट की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है वह समस्या भी नहीं हो पायेगी।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसके साथ-साथ मैं एक बात निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यदि बेरोजगारी समस्या का समाधान इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा कर, इण्डस्ट्रीज में ले आउट कर करना चाहते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जितना हमारा डवलपमेंट होना चाहिए वह डवलपमेंट नहीं होता है। आज चाहे हमारे राजस्थान में हिन्दुस्तान के मुकाबले शिक्षा का प्रतिशत कम है, उन लोगों में इसके कारण निश्चित तौर पर फ़स्ट्रेशन तो है ही जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे ज्यादा 15 से 25 साल के जो युवक गांवों में रहते हैं और जिनको रोजगार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, उनमें मानसिक फ़स्ट्रेशन डवलप होगा। आज ट्राइबल स्कीम का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वह ट्राइबल स्कीम से एडीशनल स्रोत डवलप नहीं कर पा रही हैं। आज जो एग्रीकल्चरल लैण्डलैस को लैंड मिलनी चाहिए वह नहीं दे पाते हैं। इसलिए सरकार को निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह बात गम्भीरता से सोचनी चाहिए कि इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान किस तरह से करना है। इसके लिए एप्रेन्टिसशिप स्कीम चालू करनी पड़े तो वह करनी चाहिए। जो लोग महाविद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए एडीशनल जाब डवलप करने का सरकार का दायित्व है। मैं निश्चित तौर से सरकार से कहना चाहता हूं, ट्राइबल स्कीम में पैसे का 60 प्रतिशत दुरुपयोग हो रहा है। केवल मात्र बी. डी. ओ. या इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी कारीगर की ट्रेनिंग के नाम पर पैसा उठा रहे हैं उस ट्राइबल पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। निश्चित तौर से इस बेरोजगारी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं जिस एरिया से आता हूं उसकी बात मैं अवश्य करना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कार्पोरेशन जो बनाया गया है वह राजस्थान के आदिवासियों के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात करने वाला कार्पोरेशन है। उस कार्पोरेशन में 60 प्रतिशत से ज्यादातर लोग वह लोग हैं जो कि गवर्नमेन्ट से डेपुटेशन पर हैं। वह तनख्वाह तो उठा ही रहे हैं, लेकिन डेपुटेशन अलाउन्स अलग उठा रहे हैं। प्रशासन में आज जितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आज असेन्शियल कमोडिटीज जितनी हैं, जो आदिवासियों को मिलनी चाहिए, जितनी शक्कर मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है और सब उदयपुर की मण्डी में मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया डवलप-

(श्री सी. पी. जोशी)

मेंट कार्पोरेशन के नाम से जो हम आदिवासियों का भला करना चाहते हैं वह नहीं कर रहे हैं। आज हालत यह है कि उदयपुर और नाथद्वारा में एक भी कॉलिज नहीं है। आज उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अधिकांश आदिवासियों को महाविद्यालय की शिक्षा उपलब्ध नहीं है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार सलूम्बर या खैरवाड़ा में कॉलेज खोल सके तो निश्चित तौर से आदिवासी लोगों को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहायक होगा।

अंत में, मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व यह जरूर कहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि लगभग 200.11 लाख जनसंख्या अकाल से ग्रसित है और फरवरी तक लगभग 2 लाख 75 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह 200.11 लाख जनसंख्या अकाल से ग्रस्त है और अभी तक 2 लाख 75 हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं और जिस जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उस जिले के अधिकांश आदिवासी भाइयों को हम रोजगार की सुविधायें उपलब्ध नहीं करा सके। हम यह कह सकते हैं कि हमारी फाइनेन्शियल पोजीशन टाइट है। यदि हम चाहें कि जो हमारा मेन्टनन्स का पैसा है पी. डब्ल्यू. डी. का, जो खानों की रोड का पैसा है, जो हमारी कृषि उपज मण्डी की रोड बनाने का पैसा है—इस सब पैसे का पूल बनाकर अकाल का मुकाबला करना चाहें तो हम निश्चित तौर से कर सकेंगे। लेकिन आज फरवरी महीने तक हम 200.11 में से केवल 2 लाख 75 हजार आदमियों को ही रोजगार मुहैया करा पाये हैं। इससे निश्चित तौर पर उन लोगों को जितनी राहत मिलनी चाहिए उतनी राहत नहीं मिल पायेगी। मैं सरकार से यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आज क्या हालत है। आज हालत यह है कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो होल्डिंग्स हैं लोगों के पास या वहां की जो हालत है उसको यदि हम भरतपुर, अलवर या जयपुर जिले से कम्पेयर करें तो निश्चित तौर से पर-केपिटा इन्कम जयपुर के लोगों की कम है। पर-केपिटा रेवेन्यू रिटर्न जो स्टेट को मिलता है वह उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा मिल रहा है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। वहां के आदिवासी लोगों की होल्डिंग्स सबसे कम है और उनकी माली हालत खराब है और उनको हम अकाल राहत के काम मुहैया नहीं करा सके तो निश्चित तौर से हमें गम्भीरता से इस बात को सोचना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जो काम किये हैं और जो उसकी उपलब्धियां हैं उनकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन मैं निश्चित तौर से यह बात कहना चाहता हूं कि ओवर ड्राफ्ट की जो हालत है, जो हमारी मिनरल प्रोडक्शन की क्षमता है उसको पूरा दोहन हमने नहीं किया, अकाल का मुकाबला पूल के पैसे से नहीं किया तो निश्चित तौर पर आने वाला वर्ष हमारे लिए सुखद नहीं होगा। इस आशा और विश्वास के साथ हमारे पिछले अनुभवों से सुधार होगा और आने वाले वर्षों में उपलब्धि कर सकेंगे मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद और हमारे सत्तारूढ़ दल के कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में जन-जीवन इस समय बड़े संतोष की सांस ले रहा है। राजस्थान का जन-जीवन प्रसन्न है। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस के शासन को दुहाई दे रहा है और उसको इस राज में सुख प्राप्त हो रहा है जैसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। यह जो सारा पोथा है, इसे आंकड़ों का माया जाल बनाकर इस सदन के सामने, इस सदन के चुने हुए प्रतिनिधि जिनको जनता चुनती है उनको भी शायद भुलावे में लाने का प्रयत्न मात्र मानता हूं। इस बात की दुहाई देकर माननीय सदस्य जो कांग्रेस से आये हैं इस बात की दुहाई दे रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान का संकल्प पूरा कर लिया, जैसे बहुत बड़ा कीर्तिमान, चित्तौड़ का विजयस्तम्भ आपने जीता है, ऐसा शायद आपको लग रहा होगा। आप दो कठघरों में खड़े हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि 13 साल से पंचायतों का गला घोट रहे थे और दूसरी बात जो चुनाव पांच साल की अवधि के थे उनको आपने 3 साल करके लोकतंत्र का गला घोटा, दूसरे कठघरे में खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जिस प्रकार से प्रधानों के चुनाव कराये और जिस प्रकार से प्रधानों के चुनाव जीत कर आये उसके आधार पर यह डींग हांक रहे हैं कि 80 प्रतिशत स्थान पर कांग्रेस जीत कर आयी, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस-जिस क्षेत्र में तरफदारी करने के लिये अपनी मोटरों का पैट्रोल फूंका है। जिनकी तरफदारी के लिये आपने जितने अच्छे से अच्छे हथकण्डे हो सकते थे, वह सारे हथियार अपनाने के बाद क्या आपका मन इस बात की गवाही देता है, उनमें से अधिकांश लोग हारे हैं। यह बात जरूर है कि पार्टी की टिकट नहीं होने से यह आइडेन्टीफाई नहीं किया जा सकता कि कितने लोग जीते हैं, कितने लोग हारे हैं। लेकिन यह बात मानी जा सकती है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कल जो धन्यवाद प्रस्ताव मूव करने वाले माननीय सदस्य थे देवपुराजी वकालत करने के लिये गये थे, श्री किशोरीमलजी चारभुजा प्रधान बनाने के लिये गये थे, जिनकी पीठ थपथपाई थी, वह हारे थे। सरपंच के चुनाव में ऐड़ी-चोटी का सब कुछ लगा दिया, जिनकी पीठ पर हाथ रखा वे हारे हैं। मावली के विधायक ने घासा के सरपंच देवीलाल के लिये तीन दिन बिगाड़े बाटी-भूताला, कदमाल के कांग्रेस के विधायक के सब प्रयास के बाद हारे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कांग्रेस की राज सत्ता का दबाव दिखाकर, भय और आतंक दिखाकर अगर काम करना है तो हमारे साथ रहना पड़ेगा। उन लोगों को जबरन एक बाड़े में बन्द किया गया। इसमें भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बू आती है।

सभापति महोदया, प्रधानों के जो फार्म भरे जाते हैं वे एक दिन पहले भरे जाते हैं, प्रातःकाल फार्म भरे जाते हैं, फिर स्क्रूटनी होती है और सायंकाल 5 बजे सिम्बल मिलता है। मैं जानना चाहता हूं सिम्बल मिलने के बाद 8 बजे दूसरे दिन वोट प्रारम्भ होता है। वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है निशान कैसे बताये, सम्पर्क कैसे करे। इसीलिये बाड़ा बन्दी करके लोगों को भेड़-बकरियों की तरह कतारों में खड़ा करके वोट लिया जाता है। और पैसे की बर्बादी करके; ऐसा कोई प्रधान बता दीजिये जिसने 50 हजार और एक लाख रुपया न लगाया हो। अगर जनता का आपमें विश्वास मानते हैं तो खुले रूप से आने दें, वोट पड़ने दें लेकिन निश्चित रूप से आप इस पक्ष में नहीं हैं लेकिन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपने उनकी घेराबन्दी की। जिला प्रमुखों के चुनाव हमने देखे हैं। हमारे जिले में 18 पंचायत समितियां हैं। भीम का रहने वाला व्यक्ति व धरियावद का रहने वाला सरपंच कैसे चिन्ह जान पायेगा एवं उदयपुर पहुंच कर वोट देगा। सायंकाल 5 बजे सिम्बल मिलता है और दूसरे दिन प्रातःकाल 8 बजे वोट दिये गये। यह कतई सम्भव नहीं है। इसका मतलब है पहले उनको लाया जाये, खातिर तवज़ोह की जाये, भोज तैयार किये जायें, अच्छे होटलों की सुविधाएं प्रधानों को उपलब्ध कराई फिर कहते हैं हमको वोट मिले हैं। मैं कहता हूं लोकतंत्र की हत्या करते चले जा रहे है। जो आपने कार्य किये हैं, हो सकता है आपके मन को उत्साह मिलता है लेकिन हिन्दुस्तान के जनतंत्र को आप खतरे में डाल रहे हैं, पैसे के बूते के आधार पर किस प्रकार से चुनाव जीते चले जा रहे हैं। जनतन्त्र का जो मखौल किया है उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। पिंडवाड़ा के पंचायत समिति के प्रधान श्री नैनमलजी सीहँव एक गांव आदर्श डूंगरी के सरपंच के लिये खड़े हुए और सरपंच के चुनाव में 300 वोटों से हारे। वार्ड पंच के चुनाव में वार्ड नं. 3 से खड़े हुए उनके मुकाबले एक कुम्हार कार्य कर्ता था, उससे हार गये। जिस व्यक्ति को गलियों से भगाया, गांव के लोगों ने × × × निकाल दिया। व्यक्ति को कांग्रेस ने अपने प्रधान पद का केन्डीडेट बनाया और उसको प्रधान बनाकर जिताया। क्या यह लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा है?

इसी तरह से आबू रोड के प्रधान जीत कर आये हैं। श्री धर्मदत्त जो सांतपुर गांव वार्ड पंच का चुनाव हार चुके हैं। उसी को चुनाव जिताकर यह कहते हैं जनता की लोकतंत्र में आस्था है, कांग्रेस में आस्था है। तीस-तीस साल से जिन्होंने अपनी × × × कायम कर रखी थी उनको लोगों ने × × × बाहर निकाल दिया। यह देश का दुर्भाग्य मानता हूं जिस तरीके से वोटों को खरीद कर वोटों के आधार पर लोकतंत्र चला रहे हैं, उसके आधार पर आप खुश हो सकते हैं। कुछ वर्षों के लिये खुश हो सकते हैं, लेकिन अपने बोये हुए बीजों के आधार पर आगे चल कर पश्चाताप करनी पड़ेगी, जिस गलत राह पर ले जा रहे हैं वह स्पष्ट दिखाई देता है।

यही नहीं नगरपालिकाओं के चुनाव में जिस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित किया उसके आधार पर कहते हैं कि केवल गांवों के व्यक्ति ही नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति भी कांग्रेस के पक्ष में हैं और यही सिद्ध करने की कोशिश की है। पहले तो आपने कदम ही गलत उठाया केवल 143 नगर पालिकाओं में चुनाव करके, आखिर आपको कौनसी बाधा थी कि आप बड़ी नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं करा सकते थे। उदयपुर में चुनाव क्यों नहीं कराने चाहे, कोटा में चुनाव क्यों नहीं कराये, जयपुर में चुनाव क्यों नहीं कराये, अजमेर में क्या दिक्कत थी, भीलवाड़ा में क्या तकलीफ थी, चित्तौड़ में क्या तकलीफ थी। इन नगरपालिकाओं को आपने क्यों छोड़ा। शायद आप यह सोचते हैं कि नीचे की हवा से ऊपर फायदा उठाया जाये। अगर आपके मन में लोकतंत्र की आस्था है सारे राजस्थान की सारी नगरपालिकाओं के चुनाव 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं की वोटर्सलिस्ट बनाकर चुनाव

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कराते लेकिन आपने 18 वर्ष के नौजवानों के हक को छीना और इसको खत्म करके चुनाव कराये। इसके साथ ही उदयपुर जिले की 8 छोटी नगरपालिकाओं के चुनाव हो रहे थे। सुखाड़ियाजी के स्वर्गवास हो जाने के कारण आपने कह दिया, हमारी तैयारी नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आता, सुखाड़िया जी के प्रति क्या केवल उदयपुर के लोगों के मन में प्रेम था, दुःख था? राजस्थान के कोने-कोने में रहने वाले व्यक्ति उनकी मृत्यु से दुःखी थे, चुनाव लड़ा फिर केवल इस बात का बहाना लिया और उदयपुर जिले की नगरपालिका के चुनाव नहीं कराये। यह इस बात का सबूत है कि आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप तो राज्य की कुर्सी पर किस तरीके से आया जा सकता है उसका रास्ता और गलियां ढूंढते हैं और उन गलियों के आधार पर राजस्थान की जनता पर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं। यही नहीं, 143 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए और उनके परिणाम हमने पढ़े। केवल कांग्रेस को 46 नगरपालिकाओं में बहुमत मिला। केवल 46 नगरपालिकाओं में। कांग्रेस ने जहां साढ़े अठारह सौ, उन्नीस सौ कैन्डीडेट, जो कुल 1977 वार्ड मेम्बर थे वार्ड प्रतिनिधियों को खड़ा किया उसमें से कांग्रेस के कितने जीत कर आये? ये चुनाव तो पार्टी के सिम्बल के आधार पर लड़ा गया है। यह आपकी ताकत बताने वाला था। आपने केवल 837 स्थान जीते, केवल 837 स्थान। 1,100 से अधिक उम्मीदवार थे वे विरोध के जीते है जो कांग्रेस के खिलाफ थे। आपने खरीद फरोख्त के आधार पर गरीब लोगों को ले करके 96 नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लिया और उसके आधार पर चलते हैं और बयान देने की कोशिश कर रहे कि नगरपालिकाओं की जनता कांग्रेस के साथ है। अगर सारे आंकड़ों को एकत्रित करें तो मेरा ऐसा निश्चित मत है कि आपके कई कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई हैं।

मैं सिरोही नगरपालिका में था, जिस सिरोही नगरपालिका में आपके पांच कांग्रेसी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। किसी को 34 वोट, 54 वोट, 55 वोट। जिस जिला केन्द्र और जिससे आपके प्रतिनिधि कांग्रेस के जीतकर आते हैं वहां यह हाल है, शिवगंज के यह हाल है। पिंडवाड़ा की नगरपालिका में 5-5 का बराबर बहुमत था। एक व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी के सामने उठाकर ले जाया गया और उठाकर जंगल में ले गये और फिर उस स्थान पर महिला कोप्शन जीत कर कब्जा किया। इसको अगर जनतन्त्र समझते है कि लोग हमारे पक्ष में हैं तो यह आपकी गलतफहमी है। इसी तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नौ सौ और कुछ उम्मीदवारों को खड़ा किया था उसमें से उसने 377 स्थान प्राप्त किये। यह पहली बार है कि राजस्थान की अधिकांश नगरपालिकाओं में हमने प्रवेश किया है। आप 1,900 उम्मीदवारों को खड़ा करके 837 को जिताकर ले आये तो कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित नहीं किया। इस गलतफहमी के आधार पर बार-बार इस बात को····

श्री दिनेशराय डांगी : उदयपुर जिला भी आने वाला है। वहां आपका पता

(श्री दिनेशराय डांगी)

लग जायगा....

(व्यवधान)

आप सिरोही का नाम ले रहे हैं बार-बार।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: उदयपुर जिले का नाम इसलिये नहीं ले रहा हूं कि उदयपुर के चुनाव आपने कराये नहीं है, नहीं तो वहां का भी लेता। मेरे सवाल का जहां तक जवाब है। इस तरह से नगरपालिकाओं के चुनावों में कांग्रेस परास्त हुई है

(3.22 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अकाल की स्थिति में राजस्थान गुजर रहा है। मैं संपूर्ण राजस्थान को नहीं लेता हूं। मैं उदयपुर जिले से आता हूं। इस जिले का जो अधिकांश क्षेत्र है वह आदिवासी क्षेत्र है। इसके अधिकांश प्रतिनिधि आदिवासी प्रतिनिधि के नाते से आते हैं। उस आदिवासी क्षेत्र में आज वहां के आदिवासी बन्धु काम के लिये तड़प रहे हैं, उसको हर स्थिति में काम चाहिये। खाने के लिये अनाज नहीं है। मेरा ऐसा मानना है राजस्थान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां इस प्रकार की गरीबी होगी। व्यक्ति 15-15, 16-16 मील से लकड़ियों का गट्ठा ले जाकर उदयपुर में बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। ऐसे स्थानों पर भी काम की व्यवस्था नहीं की गई है। आज उनके खाने-पीने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। आवश्यक सामग्री तो उनको उपलब्ध होने का प्रश्न ही नहीं है। हमारे यहां तो कैरोसीन के दर्शन करना मानो गंगाजी की यात्रा करना होगा। ऐसी आदिवासियों की स्थिति बनी हुई है। किसी प्रकार का वितरण नहीं, काम की कोई व्यवस्था नहीं है और उदयपुर में जैसा आपने इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमने कृषि उपज मण्डियों का बहुत विस्तार किया है, विकास किया है। उदयपुर में कृषि उपज मण्डी जरूर बनी है लेकिन उस कृषि उपज मण्डी के बन जाने मात्र से केवल उस भवन को जा करके सवेरे शाम ढोक देने से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिये जो आवश्यक चीजें हैं वे चाहिये। वहां किस प्रकार के यातायात के साधन होने चाहिये, किस प्रकार सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। उसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। क्या आप उसके आधार पर यह मानते हैं कि किसानों के सारे हकों की रक्षा हो जायेगी, यह असंभव है।

आज वनों के बारे में यह दिया गया है कि तीन करोड़ और इतने वृक्ष लगाये हैं। सब बेकार है और ये थोथे आंकड़े हैं, ××× बहुत असत्य से लग रहे हैं और इन सारे वृक्षों के आंकड़ों को....

श्री अध्यक्ष : ×××शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : असत्य है, अगर ये सारे आंकड़े जो पिछले 10-15 सालों से वृक्ष लगाये हैं और उनकी संख्या जोड़ ली जाय तो मुझको ऐसा लगता है शायद ज़मीन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां पेड़ नहीं होंगे लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उदयपुर के आसपास जितने जंगल थे, पुराने जंगल थे—आज उन पुराने जंगलों के स्थान

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पर हम बिल्कुल सपाट पहाड़ियां देख रहे हैं। जो कुछ भी जंगल थे, जो पुराने चले आ रहे थे उनको भी सरकार ने बड़ी बेरहमी से कटाया और कटाया ही नहीं अफसोस तो इस बात का है कि ग्रेडिंग के आधार पर काटे जाते तो कोई समझ में आता लेकिन कुछ ऐसे लोगों के आधार पर वे नियमित रूप से कटते हैं, रोज गाड़ियां भर कर इल्लीगल रूप से वहां से चली जाती हैं अधिकारियों की जानकारी में होते हुए, उनकी जानकारी में लाये हैं, उनको ले जाकर के गाड़ियां पकड़ाई हैं। प्रति दिन रात को यहां से 5–7 गाड़ियां निकलती हैं लेकिन उस बात की उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। मैं कहता हूं कि उदयपुर के आदिवासी का कोई जीवन है तो केवल यह वन है। अगर वन रहेंगे तो उदयपुर के आदिवासी जिन्दा रह सकेंगे और अपनी कमाई करके खा सकेंगे। उसमें होने वाली छोटी-छोटी उपज के आधार पर वह अपना पेट भरता है, लकड़ियां चुन-चुन करके उसे बेच कर पेट भरता है, गोंद के आधार पर अपना पेट भरता है, घोली मूसली के आधार पर चलता है और उस सामग्री के आधार पर आज उन सारे वनों को चौपट किया जा रहा है और उसके स्थान पर केवल छोटे-छोटे हैड लाग्स, जो छोटी-छोटी लकड़ियां लेकर जो आ रहे हैं, उनको चुंगी पर रोका जाता है, उनको परेशान किया जाता है। उनसे प्रति व्यक्ति एक रुपया रखवाया जाता है टैक्स के रूप में जबकि इस प्रकार की सारी इल्लीगल कटाई हो रही है, उसको नहीं रोका जा रहा है।

जो वनों के बारे में आंकड़े दे रहे हैं, मैं भी चाहता हूं वन संपदा बढ़े। हमारा प्रतिशत जो एरिया है वह वन सम्पदा में बढ़ना चाहिये लेकिन केवल पेड़ लगा दिये और आपके विभाग के आंकड़ों पर विश्वास करके चलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक कि जो खड्डे खोदने की संख्या उन्होंने बताई है–हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में, आपको ताज्जुब होगा कि वे खड्डे भी नहीं खोदे जाते हैं और उनका पेमेन्ट उठा लिया जाता है। जहां एक ओर राजस्थान इस प्रकार की विकट परिस्थिति में गुजर रहा है वहां दूसरी ओर इस प्रकार की चोरियां हो रही हैं जिसमें सारे अधिकारी मिले रहते हैं। राज्य के जो कर्णधार हैं, उनकी जानकारी में होने के बाद भी ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं वन विभाग को कि वनों में खड्डे खोदने में क्या एक वर्ष में कोई ऐसा अधिकारी है जो इस कारण दोषी पाया गया और सेवा से निकाला गया हो।

आज हम देख रहे हैं चारों ओर कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कहा तो यह जा रहा है कि राजस्थान घाटे में चल रहा है। क्या राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित किया है? हम 300 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट में चल रहे हैं- राजस्थान की ओवर ड्राफ्ट की स्थिति हो रही है जो आज तक हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुई है. क्यों कि हम पैसे का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर रहे हैं। सरकारी साधनों का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है- सब्जी लेने के लिये आफिसर्स की गाड़ियां हमारे शहरों में आती हैं और बाजार में घूमती हैं। पैट्रोल फूंका जाता है। टेलीफोन और पैट्रोल में पैसे बरबाद किये जाते हैं–राजस्थान का पैसा बरबाद किया जा रहा है। मैं चाहूंगा इसको रोका जाय और इससे सख्ती से निपटा जाय। हमारे पैसों को बचाकर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

राजस्थान की बहबूदी में लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । जो इस डाक्यूमेंट का पुलिन्दा हमें दिया है इस डाक्यूमेंट के आधार पर आप इसकी जांच करें तो शायद मेरा विश्वास है बहुत कम सच्चाई पाई जायगी । इसलिये मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद ।

एक माननीय सदस्य : वे नहीं हैं मैं बोल लूं ।

श्री अध्यक्ष : हैं वे, इसके पश्चात् ।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया : परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन को सम्बोधित किया गया है उसके ऊपर माननीय देवपुराजी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तात्र किया है उस सम्बन्ध में मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ।

माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए अन्तिम लाइन में हम लोगों से विश्वास किया है कि आप इस सदन की गरिमा एवं गौरवशाली परम्पराओं को बनाये रखेंगे । सदन से यह उम्मीद करना स्वाभाविक है लेकिन साथ-साथ सदन भी उनसे यह आकांक्षा रखता है कि वे भी परम्पराओं को और सदन की गरिमा को बनाये रखने में हार्दिक सहयोग करेंगे । हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम किसी भी सभा या सदन में उतिष्ठ होकर ही विचार व्यक्त करते रहे हैं । यह हमारी परम्परा है और इस परम्परा का छोटे से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक को पालन करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष के लिए कुछ कार्यों की ओर इशारा किया है । प्रत्येक सरकार यह चाहती है कि हम अच्छे से अच्छे कार्य करें, जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले । इस सदन में बैठे जितने भी माननीय सदस्य हैं, सबकी ये आशा और आकांक्षा है कि देश में व्याप्त महंगाई कम हो, उपभोक्ताओं को सस्ती से सस्ती चीजें उपलब्ध हों और जिन वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, वे दाम कम हों लेकिन सरकार जब हर चीज के मूल्यों में वृद्धि कर रही है तो यह स्वाभाविक नहीं है कि दूसरे लोग भी अपनी बिक्री की चीजों में मूल्य-वृद्धि नहीं करें । हम जनता से जिस बात की आकांक्षा रखते हैं उसके प्रति हमारा भी दायित्व है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी जनता की भलाई के लिए ऐसे काम करें जो आम, सब जनता के लिए उपयुक्त हों । बिजली लगाई, पानी की व्यवस्था की, सड़कें बनायीं, ये काम तो हर सरकार करती है, कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है । मैंने यहां उपस्थित माननीय सदस्यों के विचार सुने, उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र के विषय में जो-जो विवरण प्रस्तुत किया, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना । मैं अपने क्षेत्र के विषय में कुछ निवेदन करूंगा । इसमें लिखा है कि इतनी किलोमीटर पड़क बनी, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कितने फीट सड़क बनी.....

एक माननीय सदस्य : चन्दनमलजी के एरिया में बनी होगी ।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया : यह सरकार अपने उत्तर में बताने की चेष्टा करे

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया)

अमुक इतने गांवों में विद्युतीकरण किया गया, प्रत्येक गांव के अन्दर पोल लगाने मात्र से प्रकाश नहीं होता, वहां एल. टी. लाइन नहीं खींची गयी, इसलिए कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं। हम जन-प्रतिनिधि हैं जनता हमारा कर्त्तव्य है कि हम जनता को सही स्थिति बतायें इस हाउस के माध्यम से। गांव में बिजली गयी लेकिन किसी भी गांव में बल्ब नहीं जल रहा है। मैं दूसरे क्षेत्रों की बात नहीं कह रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जिन गांवों का विद्युतीकरण करें उन गांवों में एल. टी. लाइन भी खींचें ताकि लोग वहां जो रहने वाले हैं, वह बिजली का उपभोग कर सकें। मैं सड़कों के ऊपर

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मैं किसी के बीच में व्यवधान नहीं करता और कभी कभी साल में एक–दो बार खड़ा होता हूं, ध्यान से सुनें। मैं लीपा पोती नहीं करूंगा, सही बात कहूंगा।

एक माननीय सदस्य : सुन नहीं रहे।

श्री **जयदेवप्रसाद इंदौरिया** : आप ठीक कहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ व्यवस्था दें।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री **जयदेवप्रसाद इंदौरिया** : पेयजल की व्यवस्था के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव में जब बिजली ले जाते हैं तो विद्युत् विभाग के पास हरिजन मोहल्ले में जाते-जाते लोहे के खम्भें समाप्त हो जाते हैं और जब गांव में पेयजल व्यवस्था करते हैं तो हरिजन मोहल्लों में जब पानी की व्यवस्था के लिए जायेंगे तो पाइप खत्म हो जायेंगे, ऐसे कई गांव हैं जहां सब जगह लोहे के खम्भे लगाये लेकिन ज्यों ही लाइन हरिजन मोहल्ले में गयी वहां काठ के खम्भे लगे और उसके अलावा...

श्री **अध्यक्ष** : काठ वालों में तो खर्च कम आता है। अच्छा भी रहता है।

श्री **जयदेवप्रसाद इंदौरिया** : यदि अच्छा रहता है तब तो ठीक है लेकिन कहीं चोट लग गयी और खम्भा टूट गया तो आस-पास के हरिजनों का हमेशा के लिए उद्धार हो जायगा, यह सही हकीकत है। शिक्षा के मामले में प्राइमरी स्कूले खोली गयीं, उच्चतर स्कूल खोली गयी और अभी इसमें लिखा है कि छात्रावास के लिए भी योजना है इसी के अन्दर-अन्दर है जमीन पर तो कुछ नहीं है। और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार का अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। हर अधिकारी अपने से नीचे भ्रष्ट कर्मचारी को बचाना चाहता है, छिपाना चाहता है, उसको प्रकट नहीं होने देना चाहता और जब कोई प्रकट में लाने की बात कही जाती है और उसको लाने का प्रयास किया जाता है तो सुनवाई नहीं होती। मुश्किल से यहां बोलने का समय मिलता है और समय मिलता है तो श्रीमानजी बोलने नहीं देते। इस सदन में जब हम धन्यवाद प्रस्ताव के अभिभाषण पर विचार कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करू कि जो धन्यवाद प्रस्ताव जिन्होंने रखा है, वे बाद में जवाब भी देंगे और प्रमुख लोगों को यहां रहना चाहिए आखिर हम ये बात किसको सुना रहे हैं, जो जिम्मेदार है–वह उपस्थित नहीं आपस में तो बात हमेशा करते ही रहते हैं, चाय के ऊपर करते हैं। बाद में भी करते हैं। यह मेरा छोटा-सा निवेदन है बिजली की कमी

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया)

है इस देश में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से किसी चीज की कमी नहीं यदि किसी चीज की कमी है तो हमारे चरित्र की और हमारी नैतिकता की, है हम उसको संभाल नहीं पा रहे। मैंने देखा सीकर के अन्दर स्ट्रीट लाइट 11 बजे दिन में जल रही है और जब सैक्रेटेरिएट के अन्दर जाते हैं तो कई कमरों में आदमी नहीं है फिर भी पंखा चल रहा है और बिजली जल रही हैं और कभी-कभी आप की कृपा से यहां उप-समिति में आता हूं तो इन सारे कमरों में पंखे चलते रहते है और बिजली जल रही है, कोई नहीं है। तो इस ढंग से जो छोटे-छोटे खर्चे हैं, वे हमको रोकने चाहिए। और खर्च में हमें कटौती करनी चाहिए लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो बता रहे हैं कि उधर ओवर ड्राफ्ट ले रहे हैं इधर जनता पर टैक्स लगा रहे हैं और खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो कुछ मूल भूत चीजें हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतनी सी बात····

श्री दिनेशराय डांगी : कॉलेज के बारे में नहीं कहा।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया : कालेज की स्वीकृति मिल गई है इसलिए धन्यवाद है शिक्षा मंत्री जी को, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। कालेज की स्वीकृति मिल गई और पुनः शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण का मैंने अवलोकन किया तो इसमें जो भी लिखा हुआ है और जो बातें, जो कुछ भी इसमें उपलब्धियां बतलाई गई हैं वह उपलब्धियां शहरों में तो देखने को मिलती हैं। शहरों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सड़कों की भी योजनायें हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की इसके अन्दर कतई परवाह नहीं की गई है। जो कुछ भी उपलब्धियां ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर रही हैं, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वह कार्यक्रम सिर्फ किसानों तक ही सीमित हैं। इस अभिभाषण के अन्दर जो सबसे पहले कहा है, इस राजस्थान के अन्दर भयंकर बाढ़ और अकाल की छाया छाये हुए होते हुए भी सरकार ने जो कुछ भी कार्यक्रम यहां पर विकास के लिए चलाये हैं वह शहरों तक ही सीमित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्सी प्रतिशत किसान और मजदूर रहते हैं उनके लिए कुछ किया हुआ नहीं है। अकाल के लिये सबसे पहले हम बात करते हैं अभिभाषण में कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नये कुएं खुदवा कर, पुराने कुओं को गहरा करा कर, ट्रक टैंकरों व अन्य साधनों से जल परिवहन करा कर, नलकूप चलवा कर, हैण्ड-पम्प्स लगवा कर तथा जलप्रदाय योजनाओं द्वारा एवं पिवाई स्वीकृत कर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में जो सबसे भयंकर अकाल ग्रस्त गांव हैं उन गांवों में नागौर निर्वाचन क्षेत्र, फलोदी निर्वाचन क्षेत्र, ओसियां निर्वाचन क्षेत्र, में ढाणियों में रहने वाले आदमी दूर–दूर बसे हुए हैं इन क्षेत्रों में तो कहीं पर यह जो तीन-चार लाइनें लिखी हुई हैं, ऐसा कहीं पर भी कार्य क्रम नहीं चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी शायद पंचायत चुनावों के अन्दर इन दिनों में गांवों के अन्दर गये होंगे, कहीं भी पिवाई से कुआं जुता हुआ या हैण्ड पम्प से कहीं पानी निकलता हुआ या टैंकरों

(श्री महाराम चौधरी)

से पानी जाता हुआ देखा हो तो आप स्वयं भी बता सकते हैं। राहत कार्य के तहत कार्य क्रम सेक्रेटेरिएट से कागजों के अन्दर तो सीमित रह गये होंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कहीं पर किसी तरह के कोई कार्य-क्रम नहीं चल रहे हैं। इक्की-दुक्की जो सड़कें स्वीकृत की भी गई हैं तो उनके मस्टर रोल अभी तक कतई नहीं दिये हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज्यादातर लोग किसान रहते हैं उनके लिये जो जल प्रदाय की योजनायें चल रही हैं जिन पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं और पैसा खर्च हो रहा है, इस सम्बन्ध में मैंने गई दफा भी इस सदन के जरिये और जिला प्लानिंग कमेटियों के अन्दर यह निवेदन किया था कि जो भी ये जल प्रदाय योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बन रही हैं वे अव्यावहारिक हैं। किसानों के लिए जो सब से ज्यादा उत्पादन देने वाले जानवर हैं, उनके लिए इसमें व्यवस्था नहीं रखी गई है। जो कुछ भी ट्यूब वैल जिस क्षेत्र में खोदे गये है उनमें आबादी का ध्यान नहीं रख कर गांवों में एक तरफ ट्यूब वैल खोद गये हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी हमारे क्षेत्र में और मेरे पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों में जो खाली के इलाके कहलाते है, ढाणियों में रहने वाले आदमी है, उनमें से बीस प्रतिशत लोगों को भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। बीस प्रतिशत को पेयजल उपलब्ध हो रहा है और अस्सी प्रतिशत जनता को जल योजनाओं का पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का प्रसार प्राइमरी स्कूल और मिडल स्कूल तक ही सीमित रख करके उनमें पढ़ाई का कार्य कराया जावे तो भी छोटे-छोटे बच्चे वहां पर पढ़ करके आगे स्कूल में जा सकते हैं लेकिन ढाणियों में बसने वाले लोगों के लिए प्राइमरी स्कूल की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया गया है। बढ़िया शिक्षा के नाम पर जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल चयनित किये गये हैं उनके अन्दर जो इन्होंने क्राइटेरिया नियत किया है वह क्राइटेरिया इस तरह से नियत किया गया है कि जहां पहले से ही कोई मकान बना हुआ है, लड़कों की संख्या ज्यादा है, उनको तो ये सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। जहां एक गांव के अन्दर पांच प्राइमरी स्कूल हैं और दूर-दूर ढाणियां बसी हुई हैं उनमें स्कूल को प्राथमिकता नहीं दी है। जो चयनित किये हैं वहां स्कूल के पहले से मकान वगैरह बने हुए हैं या यों कहिये कि जहां पर थोड़े बहुत अच्छी हालत के आदमी रहते हैं, उन्होंने यह सुविधा अपने आप ही अपने खर्च से बनाली है लेकिन जहां पर किसान कुछ नहीं कर सके हैं या प्राइमरी स्कूल के लिए छोटा-मोटा मकान भी नहीं बना सके हैं उन स्कूलों को बिल्कुल चयनित नहीं किया है। इससे यह लगता है कि जो शहरी क्षेत्र को हाई स्कूल या हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उन स्कूलों को चयनित किया है, उन स्कूलों में से भी ऐसे स्कूलों को चयनित किया है जो शहरी वातावरण में हैं या जिनके शहरी लोगों से पैसा इकट्ठा कर के पहले से मकान वगैरह बनाये हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आपका सहकारिता एक माध्यम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर लोगों की आर्थिक हालत ठीक हो सकती है, वहां सहकारी समितियों का गठन किया और भी गठन किया जा रहा है। अभिभाषण में यह लिखा है कि आने वाले 1982-83 तक अस्सी प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के किसान, लोग सहकारिता के आन्दोलन में आ जायेंगे। लेकिन जो सहकारी समितियों के हालात हैं वह हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि ऊपर-ऊपर तो आगे-आगे-अपनी प्रगति

(श्री महाराम चौधरी)

करते जा रहे, हैं, पीछे-पीछे बहुत सी सहकारी समितियां डिफंक्ट पड़ी हैं । बहुत सी सहकारी समितियों के ऋण वापस वसूल नहीं हो रहे हैं और ऋण जो भी हैं वह भी ऐसे समर्थवान आदमियों या तो जागीरदारों के हाथ में लग गये है या ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कोई सेठ साहूकार हैं उन के हाथ में लग गये हैं । किसानों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है । यह जितनी भी कार्यवाहियां हो रही हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर योजना बनाने के बाद में भी यह योजनाओं का जो लाभ ग्रामीण क्षेत्र को मिलना चाहिए, वह लाभ उनको नहीं मिल है उसका कारण यह है कि आपके जितने भी कार्य-क्रम हैं उन कार्यक्रमों की क्रियान्विति के अन्दर नौकरशाही बुरी तरह से हावी हुई हैं । अगर यदि इन ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को सुचारु रूप से क्रियान्वित करना है या वास्तव में गांव वालों को सुविधायें पहुंचानी है तो उन सुविधाओं को पहुचाने में अगर अफसरशाही पर कण्ट्रोल नहीं किया गया, अंकुश नहीं लगाया गया तो यह योजनायें आपकी कभी भी सफल नहीं हो सकती ।

जलप्रदाय योजना के मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन जल प्रदाय-योजनाओं में जब तक समस्याग्रस्त या अभावग्रस्त गांव हैं उनको चयनित नहीं करके, क्राइटेरिया जो वह लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं, के अनुसार जहां पर ये सुविधायें सुविधा से उपलब्ध करवा सकते हैं, उन्हीं गांवों को प्राथमिकता दे रहे हैं । समस्याग्रस्त गांवों या अभावग्रस्त गांवों की अगर आप परमानेंटली योजना बनाना चाहते हैं तो अधिकारी मौके पर विजिट करके आवें । एक ही दिन के अन्दर पांच-सात गांवों में चले गये और पांच-सात गांवों में घूम करके वापस आ गए जिससे यह योजनायें सही रूप से नहीं बनती हैं और व्यावहारिक नहीं बनती है ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पिछड़े को पहले के ये जो बीस संकल्प कार्य ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए बनाये हैं जो यह इतनी बड़ी पुस्तिका बनाई है, उस पुस्तिका के अन्दर सबसे पहला कार्यक्रम पंचायतों का चुनाव या स्वयं सेवी संस्थाओं का चुनाव का बनाया है उससे गांव वालों में थोड़ी बहुत आस्था फैली है । अब विकेन्द्रीकरण से और पंचायतों को पंचायत समितियों को अधिकार देकर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं इसके लिऐ मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन उसमें भी मेरा यह निवेदन है कि ऐसा नहीं हो कि जो सरकारी अधिकारी अपने अधिकार दूसरों को देने में हमेशा आनाकानी करते आये हैं वह अधिकार इस तरह से उलझाकर पंचायत या पंचायत समिति को देंगे जिससे वह अपना काम सुचारु रूप से नहीं चला सकेंगी ।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं अकाल, बाढ़, शीतलहर, पेयजल संकट बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, आमदनी में बढ़ती हुई असमानताएं और शिक्षा की कमी, इन सब का समाधान करने के लिये जब तक ग्रामीण क्षेत्र से कोई योजना बन कर नहीं आती है तब तक ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों का विकास नहीं हो सकता है । सचिवालय से कोई योजना बनाकर और क्राइटेरिया तय करके स्थान व परिस्थितियों को बगैर देखे जो कार्यक्रम आप लागू करना चाहते हैं, वह कार्यक्रम वहां पर सुचारु रूप से लागू नहीं होगा ।

सीमान्त लघु कृषकों और पिछड़ी कौमों को राहत पहुंचाने के लिये या उन

(श्री महाराम चौधरी)

निर्धन रेखा से ऊंचा उठाने के लिये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना चालू की। इस योजना के अन्दर पिछले साल भी 1980-81 के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कैम्प रख-रख कर सभी कोग्रॉपरेटिव बैंकों व व्यावसायिक बैंकों और जितना दूसरा स्टॉफ है, उस स्टॉफ को बढ़ाकर लोगों के प्रार्थना-पत्र लिये। उन पर फोटो वगैरह भी चिपकवाये। उन लोन एप्लीकेशंस को स्वीकृत भी किया और स्वीकृत करने के बाद पर्चेजिन्ग कमेटी द्वारा उन लोगों को बैल, छकड़ा, भेड़, बकरी आदि भी दिये। लेकिन सैकड़ों किसान, खास तौर से पंचायत समिति, मूंदड़ा और पंचायत समिति,नागौर के बहुत से ऐसे गांवों के किसान हैं, जिनको दस-दस, ग्यारह-ग्यारह मास हो गये हैं. उनके बैल, छकड़ा, भेड़, बकरी की कुर्की डाल दी है और छकड़ों पर मोर्टगेज का, बैंक का लेबल लगा दिया है। आज तक उनको पैसा नहीं मिला है। फिर इस साल 81-82 में चयनित करके वहां पर एक तरह से कार्यक्रम दुबारा शुरू कर दिया है। पहले जिन लोगों को चयनित किया है, उनके बैल, छकड़े ऊंट वगैरह खरीदवा दिये हैं, उन लोगों को आज तक भी ऋण नहीं मिला है तो फिर अगला कार्यक्रम आपने क्यों लिया ?

गरीबी की रेखा से नीचे वाले काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिये मुझे भी एक-दो जगह ग्राम सभा में जाने का मौका मिला चयनित करते वक्त में यह कमी रह जाती है, या चयनित करते वक्त आप ध्यान नहीं रखते तो फिर आखिर उनको लाभ कैसे पहुंचेगा। जब ग्राम सभा बुलाई जाती है, तो ग्राम सभा में सरकारी आदमियों पर विश्वास नहीं होने की वजह से पहले नम्बर में तो ग्राम वाले इकट्ठे नहीं होते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है क्योंकि पहले जिस तरह से लोगों को चयनित किया था,उनके बैल छकड़े वगैरह खरीदे थे, वह उसके यहां बंधे हुए हैं जिन आदमियों से खरीदे हैं व चक्कर काटते रहते हैं. और उसको पैसा भी नहीं मिला है तो अगला जो कार्यक्रम है नयी योजना है उसमें कैसे पैसा मिलेगा।

जब चयन करने के लिये ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है, तो मीटिंग के अधिकारी एक-एक दिन में तीन-तीन, चार-चार ग्राम सभा आयोजित कर लेते हैं। आयोजन करने के बाद एक दिन में चार गांव में जायं तो चार गांव का मतलब कम से कम 60-70 माइल हो जाता है पहले नम्बर में तो हैड क्वार्टर से ही समय पर रवाना नहीं होते हैं और जाते हैं तो आधा-आधा पौन-पौन घंटा उनके बीच में रह कर आ जाते हैं और अंट-शंट नाम लिखा लेते हैं। जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं या कुछ अपनी माली हालत सुधारने चाहते हैं, उन लोगों का चयन नहीं होता है। जिसकी वजह से इस तरह के कार्यक्रम आपके कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ जिलों में बीस सूत्री संकल्प कार्यक्रम के अन्दर कुछ आंकड़े या लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किये। इन लक्ष्यों के अन्दर सड़क सुविधा के लिये हर पंचायत को सड़क से जोड़ने का भी एक लक्ष्य रखा। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, क्यों कि जब यह कार्यक्रम जिला लेवल पर आया कि इस साल अपने इस जिले के अन्दर आठ ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़ना है, तो कार्यक्रम तो सैक्रेटेरियट से आ जाता है, कि इन आठ पंचायतों को जोड़ना है, लेकिन उनमें से 6 ऐसी पंचायतों के नाम थे, जो पूरे जिले में पंचायत थी ही नहीं।

लक्ष्य पूर्ति का आंकड़ा देखें तो

(श्री महाराम चौधरी)
राजस्थान के अन्दर 88 ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा था और 359 ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़ दिया। मेरा निवेदन है कि इस तरह से लक्ष्य पूर्ति करते गये तो जितने बीस संकल्प हैं, उन संकल्पों की पूर्ति जिस तरह से कागजों में हो रही है, उस तरह से होती जायगी। यानि लक्ष्य पूर्ति के जो आंकड़े दिये हैं वह उन्हीं ग्राम पंचायतों के आंकड़े हैं जो पहले से ही सड़कें जुड़ी हुई थी। जब आपका आधार ही गलत हो जाता है तो फिर लक्ष्यों की पूर्ति किस तरह से हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा का तो बड़ा अनोखा मामला है। पहले नम्बर में तो ग्रामीण क्षेत्र में जितनी चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिये वह चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। शहरी क्षेत्रों के लिये यह आंकड़ा है कि 35 हजार की जनसंख्या पर एक शफाखाना या प्राइमरी शफाखाना या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है। गांवों में तीन लाख की जनसंख्या पर एक शफाखाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके अलावा जो शफाखानें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मिलते हैं उस जगह पर न तो डॉक्टर जाते हैं और जो डॉक्टर जाते हैं वह गांवों में रहना पसन्द नहीं करते हैं। इनमें दवाओं का कोई निशान ही नहीं रहता है। अतः अध्यक्ष महोदय, जितनी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये योजनाएं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बनायी जा रही हैं, उन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हो रही है, योजनाओं की क्रियान्विति नहीं होने की वजह यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी तरह की योजनाए चलायी जा रही है, उन योजनाओं के अन्दर यदि आप सर्विस में सलेक्शन करने के लिये या चयनित करने के लिये कोई क्राइटेरिया तय नहीं करेंगे तब तक शहरी, शहरी सर्विस में पहुंच जायेंगे। शहरी सर्विस में पहुंचने के बाद उन लोगों में गांवों में कार्य करने की न तो भावना होती है और न वह उस जगह रहना चाहते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा जितनी भी ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाएं हैं, उनके अन्दर सरकारी जो चयन करने की प्रणाली है या सर्विस में लेने का आपका क्राइटेरिया है, उसके अन्दर जिस तरह से एजूकेशन में अच्छे नम्बर से आते हैं, उनका 50 नम्बर रख दें। 50 नम्बर इस तरह रखें, जिसके अन्दर ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधि उस जगह पर जा सकता है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने की उनकी भावना होगी तो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कार्य करेंगे।

मैं राज्यपाल महोदय के भाषण का समर्थन नहीं करता हुआ, असमर्थन करता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, पिछले एक घंटे से केबिनेट मंत्री नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही है.....

श्री अध्यक्ष : अपने नियमों में केबिनेट मंत्री और उप-मंत्री में कोई फर्क नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो ठीक है लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण है...

श्री अध्यक्ष : इनमें इंडिपेडेंट चार्ज वाले राज्य मंत्री भी हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पिछले एक घंटे से कोई मंत्री नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सरकार को ताड़ना दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है । इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद इस सरकार को न तो पूरे तौर से धन्यवाद दिया जा सकता है और न ही उसके कामों का विरोध किया जा सकता है । इसलिये मैं तो अंशतः समर्थन करना पसन्द करूंगा और अंशतः विरोध करना पसन्द करूंगा । एक तरफ पक्ष की बात का तो समर्थन किया जा रहा है और दूसरी तरफ विरोध की बात होती है, तो विरोध किया जा रहा है । इसलिये जो मुद्दे सरकार ने जन भावना को देखते हुए ठीक प्रकार से अंजाम नहीं किये उनका विरोध करना और कुछ कामों में सरकार ने वास्तव में अच्छी प्रगति की है । उनका समर्थन किया जाना उचित होगा ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब से यह नई सरकार आई है, लोगों में आत्म-विश्वास, आशा और अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाय तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां रही होंगी, कुछ कठिनाइयां रही होंगी, कुछ करने की भी कोशिश की गई होगी, इन सब के बावजूद राजस्थान का जन-मानस आज इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उस दिशा में सफलता प्राप्त की है । वास्तव में अभिभाषण में या बजट में जो घोषणाएं की गई थीं या जिस दल का प्रशासन है उसके चुनाव घोषणा-पत्र में बताया गया था उसकी सारी पूर्ति नहीं हो पाती है तो निराशा बढ़ना स्वाभाविक है । इसके साथ जितनी अपेक्षाएं की जाती हैं उसके अनुसार काम नहीं होता है तो निराशा स्वाभाविक है।

मैं सबसे पहले सरकार के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। देश में शायद बंगाल और राजस्थान को ही गौरव प्राप्त है कि इन्होंने ओवर ड्रॉफ्ट में कीर्तिमान स्थापित किया है । मेरा जहां तक अनुमान है नई सरकार ने 549 करोड़ की वार्षिक योजना प्रस्तुत की थी । उसमें कई प्रकार के काम रखे गये थे, किन्तु इस ओवर ड्रॉफ्ट और राज्य की वित्तीय स्थिति से इस योजना को 340 करोड़ की स्वीकृति मिली है । यह राजस्थान का दुर्भाग्य है । राजस्थान की सरकार को इस ओवर ड्रॉफ्ट को अपने प्रभाव से, अपने सम्पर्क से, सब लोगों को विश्वास में लाकर या तो माफ कराने का प्रयत्न करना चाहिये, अन्यथा लम्बी किस्तें इसकी हों तब जाकर राजस्थान आगे बढ़ेगा वरना इस अर्थ-व्यवस्था में राजस्थान पिछड़ता चला जायेगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत विधान सभा को बजट सत्र में भी कई सुझाव राज्य सरकार को दिये गये थे । मैं इस बारे में सुझाव देना चाहूंगा कि धरती में, भू-गर्भ में जो विपुल संपदा छिपी हुई है, खास तौर से उस ओर ध्यान देने में राजस्थान सरकार बिलकुल विफल रही है । उसका दोहन करने की दृष्टि से असफल रही है । जो संपदा मौजूद है, उससे पूरी तरह से टैक्स, रॉयल्टी के रूप में आय होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है । मैं चार्ज लगाते हुए कहूंगा कि राजस्थान में पिछली सरकार के समय से खनिज क्षेत्र में काफी घपलेबाजी चली आ रही है, बड़ी-बड़ी रकमें वसूल नहीं हो रही हैं और साथ ही जमीनों पर नाजायज अतिक्रमण हो रहे हैं । पिछली दफा भी मैंने निवेदन किया था कि भीलवाड़ा जिले में करोड़ों की चोरी हो रही है, नाजायज खनन हो रहे हैं । इस दिशा में राजस्थान की सरकार बिलकुल उदासीन है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)
इसलिये अतिक्रमण बढ़ते चले जा रहे हैं। इस ओर राज्य सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है।

इस देश में जब योजना की बात आती है तो 5 से लगाकर 33 प्र. श. तक गत वर्ष की योजना के मुकाबले में स्वीकृति मिली थी। हमारे राजस्थान में जो योजना बनी है उसमें, मैं समझता हूं, काफी कमी करना इस सरकार की सफलता में सन्देह पैदा करता है। यदि भारत सरकार कुछ न कुछ सरकार को सहायता देने का प्रयत्न करे तो यह अकाल वर्ष अच्छा हो सकता है वर्ना राजस्थान की आर्थिक हालत बिगड़ती चली जायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के मोर्चे पर वर्तमान सरकार निश्चित तौर से असफल है। खास तौर से पिछली सरकार ने पांच लाख के करीब श्रमिक लगाये थे वहां आज राजस्थान में ढाई लाख श्रमिक लगे हुए हैं। मैं जिस जिले से आता हूं वहां 3-4 साल से अकाल पड़ रहा है। हालत इतनी भयंकर हो रही है, हमारे भाई इधर से कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री उस जिले के हैं इसलिये वहां पर 70 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी उस जिले के होने के बाद भी निश्चित तौर से उस जिले के मजदूरों की संख्या कम की गई है। गत वर्ष 1.40 लाख के आस-पास श्रमिक काम कर रहे थे वहां आज 70 हजार काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो 1.70 लाख लोग काम कर रहे हैं उनमें से 70 हजार ही काम कर रहे हैं। तीन कांस्टीट्यूएंसीज में आधे से अधिक मजदूर लगे हुए हैं और बाकी कांस्टीट्यूएंसीज की हालत त्यंत गंभीर है। इसको राजनैतिक भेदभाव या मानवीय दृष्टि से कह दें, जहां 50 प्र. श. आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनकी हालत भयंकर है। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ और चुनौती पूर्वक कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि जिन गायों की कीमत 250, 300, 400 रुपये थी उनको आज लोग 40-50 में बेच रहे हैं। घास का कोई डिपो नहीं है, सस्ता अनाज पहुंच नहीं रहा है, रोजगार का सवाल है, झुण्ड के झुण्ड बच्चे, महिलाएं घूमते रहते हैं, रोजगार उपलब्ध नहीं हैं। पूरे क्षेत्र में 25 हजार के आस-पास लोग काम के लिये उत्पीड़ित, परेशान हैं। इस दिशा में सरकार निश्चित रूप से उदासीनता की ओर बढ़ रही है। यही स्थिति रही तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लोग गंभीर रूप से परेशान हो रहे हैं, यह हालत धीरे-धीरे पैदा हो रही है। अगर आप अधिकारियों से पूछें, उन्होंने सही स्थिति की रिपोर्ट नहीं दी है, आप जांच करवा लें, हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं, भुखमरी चरम सीमा पर बढ़ रही है। इसलिये इस दिशा में राज्य सरकार को कोई ठोस कार्यक्रम अपनाना चाहिये। मैंने इसमें पढ़ा कि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि आवश्यकतानुसार अधिक राहत-कार्य खोले जाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जावे। यह इस पुस्तिका के पेज 4 के प्रथम पैरा में लिखा है। एक ओर इस प्रकार की व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिलाधीश महोदय से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ढाई लाख के हमको जो अधिकार थे वे भी राज्य सरकार ने छीन लिये। हमने प्रस्ताव भेजे वे भी स्वीकृत होकर नहीं आ रहे हैं। यह स्थिति है। तो आखिर सरकार अपनी कथनी और करनी में अन्तर क्यों पैदा करना चाहती है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इतने काम खोले जा रहे हैं। जिलाधीश कहते हैं, हमारे पास अधिकार नहीं हैं। दूसरी तरफ जिलाधीश ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, राज्य सरकार से उनकी स्वीकृति नहीं आती है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है ?

इस मौके पर अकाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पीने के पानी की समस्या निश्चित रूप से गम्भीर है। आज मेवाड़ मारवाड़ की श्रेणी में आ गया है। वहां पर पीने का पानी 60-60, 80-80 हाथ गहरे कुओं में भी उपलब्ध नहीं है। कई मीलों से लोगों को पानी लाना पड़ता है। नदी-नाले में लोग पानी ढूंढने लगे हैं। कहीं पर नलकूप लगे हैं तो वे खराब हैं। जो हैन्ड पम्प लगे हुए हैं वे खराब पड़े हैं। वे वहीं के वहीं पर खड़े हैं। कई नल योजनाओं का सर्वे हो गया। जन-सहयोग का पैसा खजाने में जमा हो गया परन्तु वे योजनाएं शुरू नहीं हुई। अकाल के मोर्चे पर,रोजगार के मोर्चे पर, पीने के पानी की बात करते हैं तो उस मोर्चे पर स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। इस दिशा में राजस्थान सरकार तात्कालिक योजना बनाये और मास्टर प्लान बनावे जिससे पेय जल की समस्या दूर हो। आपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी कहा है रोटी, कपड़ा, मकान, पीने को पानी, ये चार-पांच आवश्यकताएं आप पूरा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप तड़फती जनता को पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी सरकार को कल्याणकारी सरकार के रूप में नहीं गिना जा सकता है। इसलिये सरकार को कल्याणकारी सरकार के रूप में आने की दृष्टि से सुझाव देना चाहता हूं कि पीने के पानी की समस्या अत्यन्त गम्भीर है, इसलिए उसकी व्यवस्था करें। आपने राजस्थान की बात कही है, इस साल 3500 गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। भीलवाड़ा के गांवों के बारे में आपको कहना चाहता हूं, वहां की स्थिति आपको बताई है, जो हैण्ड पम्प खोदे गये हैं, बोरिंग करके, उन से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। सौ गांवों में हैन्ड पम्प खोदे गये हैं। इसके बाद हैन्ड पम्प लगा कर पीने के पानी की व्यवस्था कर के लोगों को उपलब्ध कराने का काम नहीं हुआ है। ऐसा काम राजस्थान में हो, यह दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में विशेष तौर से ध्यान दे। खास तौर से पीने के पानी की समस्या के बारे में इस बात की जांच करें कि जो 3500 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है वहां वास्तव में व्यवस्था भी हुई है। अन्यथा जैसा भीलवाड़ा में हुआ है वैसा ही है तो इस बात को देखा जाना चाहिये वरना जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक राजस्थान के विकास का सवाल है, राजस्थान का विकास तभी हो सकेगा जब प्यासी धरती पर पानी पहुंचेगा। आज भी राजस्थान में सरप्लस पानी है, अन्डर ग्राउन्ड पानी है। इसके लिये योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर बनानी चाहिए। आज सिंचाई के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं है। मैं चाहूंगा कि जब भी मास्टर प्लान बनावें, प्राथमिकता के तौर पर राजस्थान में सिंचाई योजनाओं को स्थान दिया जाना चाहिये ताकि गरीब की गरीबी मिट सके और प्यासी धरती को पानी मिल सके। इस दिशा में ध्यान दें।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन कर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाहूंगा कि पंचायती राज की बातें यहां पर कही गई। राजस्थान सरकार इस बात के लिये बधाई की पात्र है कि पंचायतों की जो हालत हो रही थी, पंचायती राज प्रायः समाप्त हो गया था, मैं उस महान व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जो आज हमारे बीच में नहीं है, पं. जवाहर लाल नेहरू और तत्कालीन मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने नागौर में 1959 में दीप शिखा प्रज्ज्वलित करके जिस पंचायती राज की स्थापना की थी, इस राजस्थान की सरकार, और खास तौर से नौकरशाही ने उस पंचायती राज को जर्जरित कर दिया और हमारे प्रतिनिधि और नेता लोग उसको ठीक नहीं कर सके। वास्तव में बीकानेर में जिस पंचायती राज को पुर्नजीवित किया गया है, 1959 के पंचायती राज के अधिकार के हिसाब से तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कोई विशेष अन्तर नहीं है। उस पंचायती राज की आपने शुरूआत कर के राजस्थान में एक तरह से आपने गांवों में क्रान्ति का नया बिगुल बजाया है। आवश्यकता इस बात की है, इस पंचायती राज को सही मायने में, सही ढंग से चलाया जाना चाहिये। मैं इस बात की आलोचना किये बिना नहीं रह सकता कि जो चुनाव की प्रक्रिया है और जो चुनाव हुए हैं, वह लोकतांत्रिक सरकार के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। यह भी आंकड़ों के आधार पर आप कहते हैं कि सत्तारुढ़ दल जीता है, कैसे जीता, क्यों जीता, इस में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लोगों को प्रचार करने और गांव में इस बात को पंहुचाने के लिये कि यह निशान मिला है, समय न देना अच्छी परम्परा नहीं है। नगरपालिका के चुनावों में भी इसी तरह की बातें हुई हैं। इस तरह से चुनाव होते हैं सत्तारुढ़ दल एक तरह से घबराया हुआ है। मैं चाहूंगा कि चुनाव प्रणाली को इस तरह का बनाया जाये कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़े, वह वोटर को अपनी बात समझा सके, उन तक अपनी बात को पहुंचा सके। इस बात की व्यवस्था आपको करना चाहिये। मेरे ख्याल से अभी के जो चुनाव हुए, मैं यह मान कर चलता हूं. इसमें इन्दिरा गांधी को अन्धेरे में रखा गया है। इन्दिरा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों के घेरे में इस बार के चुनावों में फंसी हुई है। निर्दलियों और भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों पर चाहे आप बहुमत की बात कर रहे हो, जो आंकड़े चुनाव विभाग ने दिये हैं, उसके आधार पर विशेष बहुमत आपको नहीं मिला है बल्कि अल्पमत के आधार पर यह चुनाव नतीजे आये हैं। लोकतंत्र में आपकी आस्था है, गांधी-नेहरू के नाम पर आप पंचायती राज को चलाना चाहते हैं और उनकी परम्परा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेहरबानी कर के आपको इन तरीकों को छोड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों पर आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। छोटे से छोटे चुनावों में, वार्ड चुनावों में राजस्थान सरकार का मंत्री सरकारी मोटर लेकर चुनाव प्रचार करने लगे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं यह एक तरह से दबाव की राजनीति है। इस को छोड़ कर स्वस्थ परम्परा को आगे बढ़ाने के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी नगरपालिकाओं के चुनाव हमने देखे। इन चुनावों में आपने इन्दिरा गांधी की कांग्रेस के नाम पर लोगों को टिकट दिये और टिकट देने के बाद कितने लोग पिटे, ये आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद यह मायाजाल कि रातों-रात नये कांग्रेसी बन गये और सुबह देखते हैं जहां पर 46-47 चेयरमेन बनने चाहिये थे वहां पर 96-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

97 चेयरमैन बन गये। इस तरह से मैं समझता हूं, यह भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली बात है। हमारे यहां पर नगरपालिका के चुनाव हुए उसमें दोनों बराबर आ गये। परन्तु एक उद्योगपति कलकता से डाक बंगले में आकर ठहरा। चुनाव कार्यालय भी वहां पर लगा दिया। जबर्दस्ती मैम्बरों को लाया गया। चेयरमैनी का प्रलोभन दिया गया। और उसको चेयरमेन बना दिया गया। हम लोग उस दिन जयपुर में थे। दो हजार लोगों ने इसका विरोध किया, घेराव किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस तरह का वहां पर एक विषाक्त वातावरण बन गया। उस वातावरण के आधार पर आप पार्टी की सरकार को चलाना चाहते हैं, यह हमारे लिये कलंक की बात है, शर्म की बात है। गांधी और नेहरू को आघात पहुंचाने की बात है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि बिलकुल दलीय आधार, संगठित आधार पर, नीतियों के आधार पर आप गांव-गांव में अपनी बात पहुंचावें। छोटे-मोटे चुनावों में मंत्रिगण मोटरों में झोंपड़ी में पहुंचे, यह परम्परा आपने डाली तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र के लिये नुकसानदायक हो सकती है। आगे भी इस बारे में देखा जाये और सही ढंग से चुनाव हों, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं इसके साथ निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने की बात की जा रही है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कई बार पंचायत समिति का प्रधान रहा, सरपंच रहा हूं। मुझे अनुभव है। कुछ ऐसे मामले हैं, टेक्निकल मामले हैं, शिक्षा को लें, चिकित्सा को लें, पशु-चिकित्सा को लें, इन मामलों को आप पंचायती राज संस्थाओं में डाल देंगे तो राजस्थान की जनता के साथ अन्याय होगा। मेरा निवेदन है कि आप प्राथमिक शिक्षा को मेहरबानी करके पंचायती राज संस्थाओं से हटा लीजिये। पंचायतों को विकास के व्यापक हित के काम दें। दूसरे विकास के काम दें। एक दल का अध्यापक आ गया तो दूसरा सहयोग नहीं करेगा। औषधालय की यही स्थिति होगी। यह रोज-रोज की बीमारी बढ़ जाएगी और उनको हटाने में लग जाएंगे। मेरा सुझाव है कि पशु चिकित्सा और जन-जीवन से सम्बन्धित मामले जैसे शिक्षा आदि पंचायतों को न दें। प्राथमिक शिक्षा जो पहले पंचायतों को दी गई थी उसका आप मूल्यांकन करें। बुनियादी तौर पर क्या यह शिक्षा और आगे बढ़ी है। प्राथमिक शिक्षा की वहां पर क्या हालत है। जो प्राथमिक शिक्षा को लेकर जाता है, उस युवक को आगे कितना नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं यह निवदन करूंगा कि आप कम से कम शिक्षा जैसे मामले, चिकित्सा के मामले को सरकार के ही अधीन रखें। जहां दलबन्दी की संस्थाएं वहां पर विषाक्त वातावरण होगा। केवल तालाब, विकास के काम के लिये ही पूरा पैसा दें, निर्माण कार्यों के लिये आप व्यापक अधिकार दें। यह बात समझ में आती है पर ऐसे विभागों के अधिकार न दें जो पंचायत राज को पहले अधिकार दिये थे और फिर वापस ले लिये। मैं चाहूंगा कि आप 1959 का एक्ट देख लें और 1981 का देख लें कि कितने संशोधन, कितने अमेंडमेंट किये गये हैं, कितने अधिकार दिये गये हैं। कोई गडबड़ बाद में हो, इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि आप विधान सभा के 15-20 सदस्यों और कुछ विशेषज्ञों की या फिर जितने भी सदस्य आप चाहें उतने की समिति बना कर अध्ययन करावें, सादिक अली कमेटी, बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी

(श्री रतनलाल शास्त्री)

ग्रौर फिर गिरधारीलाल व्यास कमेटी, ये चार कमेटी राजस्थान में बनी थीं। इन चारों की रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हैं। मेहरबानी करके उन्हें निकलवाकर, नये प्रकार से एक बार ग्राप ग्रच्छा ग्रध्ययन, ग्रच्छी समीक्षा कराने के बाद ही राजस्थान में पंचायती राज की शुरूग्रात करें। कोई जल्दी नहीं है कि ग्राप एक ग्रप्रेल से ही घोषण करें, ग्राप दो ग्रक्टूबर से भी कर सकते हैं इसलिए इस तरह से व्यवस्थित ग्रौर सही ढंग से एक व्यावहारिक नीति ग्रपनाकर, राजस्थान में पंचायती राज का एक ढांचा तैयार करेंगे, मैं ऐसी ग्राशा लेकर चलता हूं। तभी यह सब काम ठीक ढंग से होगा, ऐसी मैं ग्राशा करता हूं।

न्याय पंचायतों की व्यवस्था भी ग्राप ठीक करें, यह भी जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। ग्राप पंचायतों के लेवल से न्याय पंचायतें बनायें ग्रौर ग्रपील वगैरह के लिये तहसील के लेवल पर कोई व्यस्था करें। इसी प्रकार से जिला स्तर पर भी कोई इसी प्रकार की पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए ग्रौर प्रदेश के लेवल पर भी पंचायती राज्य परिषद होनी चाहिए जिसमें विशेषज्ञों से समय–समय पर सलाह करके नीति निधारित करें ग्रौर सरकार को सलाह देते रहें। इस प्रकार की व्यवस्था हो तो पंचायती राज का ढांचा ठीक हो सकता है ग्रौर गांधी ग्रौर नेहरु के सपने का जो कार्यक्रम है वह ठीक प्रकार से चल सकता है।

राज्य सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के ग्राधार पर 20 संकल्प बनाये हैं जो इस देश के नेता ने मकर संक्राति के रोज दिया है। यह जो बीस संकल्प का कार्यक्रम बनाया है इसकी मैं निश्चित रूप से सराहना करूंगा क्योंकि समयबद्ध कार्यक्रम के ग्रनुसार प्रभारी मंत्री जाकर मॉनिटरिंग करेंगे इस काम को वे ग्रभी गतिशील बना रहे हैं ग्रौर निश्चित रूप से इस प्रोग्राम से गरीबों को लाभ मिला है। इस कार्यक्रम को ग्रौर तेज गति दी जाय ग्रौर इसे एक सशक्त माध्यम बनाया जाय गरीबी मिटाने का। इस बारे में मेरा खास तौर से ग्रनुरोध है।

इसके साथ साथ ग्राधुनिक राजस्थान के निर्माता महान नेता मोहनलाल सुखाड़िया ने जो ग्रंतिम संदेश दिया था पंचायती राज सम्मेलन में। वह संदेश राजस्थान की वर्तमान सरकार को ध्यान में रखना है ग्रौर उसको गति देनी है। उनका जो मूल संदेश था, वह था जन शक्ति को जागृत करना ग्रौर श्रम शक्ति को महत्व देना। मैं चाहूंगा कि पंचायती राज ग्रधिनियम में यह जो धारा 65 है सामुदायिक विकास कार्यों के लिये श्रम दान की यह केवल धारा ही धारा है, इसको इम्प्लीमेंट करें ग्रौर तेजी से राजस्थान की जनशक्ति के माध्यम से, श्रम शक्ति के माध्यम से कामकाज गतिशील बने, इस बारे में यह राज्य सरकार को खास तौर से सुझाव देना चाहूंगा। इस बारे में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

मैं इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस बार कृषि भूमि के रूपान्तरण के लिये कुछ कदम उठाये है ग्रौर कुछ नियम बनाये हैं यह एक ग्रच्छी परम्परा है, यह एक ग्रच्छी शुरूग्रात है क्योंकि जो नाजायज ग्रतिक्रमण के कई मामले थे, बिचौलिये जो पैसा लेकर ग्रतिक्रमण कर रहे थे ग्रौर राजकोष को हानि हो रही थी वह बदलेगी, इसलिये मैं इसकी सराहना करता हूं। इसके साथ-साथ एक निवेदन ग्रौर करना चाहता हूं कि जो किसान की जमीन है उस पर स्वयं

(श्री रतनलाल तांबी)

किसान जो शहर में है, मकान बनाना चाहता है और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है तो उसे भी उसी रेट पर पैसा देना पड़ेगा। इसलिये जो किसान की जमीन है उस पर छूट देनी चाहिए या उसकी कंसेशनल रेट होनी चाहिए वरना इतनी महंगी रेट पर किसान अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पायेगा। इसलिये कृषि भूमि रूपान्तरण के जो नियम बनाये गये हैं उनमें खास तौर से इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा जाये, यही मेरा निवेदन है।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो समाज कल्याण की माडा योजना है, आदिम जाति निगम के अन्तर्गत जो चलती है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कई कई गांवों को चयनित कर लिया जाता है पर उन चयनित ग्रामों में व्यापक रूप से काम नहीं हो रहा है। पहले जो गांव चयनित किये गये थे उनमें तो काम ठीक हो रहा है पर जो नये गांव चयनित किये गये हैं उनमें ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है। भीलवाड़ा में जहाजपुर में सौ डेढ़ सौ गांव चयनित किये गये हैं उनमें कोई विशेष काम नहीं चल रहा है। इसलिये माडा योजना में काम सबको मिले इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। सुझाव के तौर पर मेरे भीलवाड़ा क्षेत्र में एक चल चिकित्सालय माडा योजना के अन्तर्गत स्थापित किया जाय, यह मेरी विशेष मांग है।

राज्य सरकार ने बताया कि इस वर्ष में इंजीनियरिंग कालेज और दूसरी तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से विस्तार करने का काम किया है, इस दृष्टि से कुछ कदम उठाये गये हैं। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि राजस्थान के औद्योगिक नक्शे पर तेजी से उभरता हुआ भीलवाड़ा राजस्थान में काफी महत्व का स्थान है, जहां पर खनिज सम्पदा के भंडार हैं, आगूचा का संयंत्र लगने वाला है, पर उस बड़े जिले में कोई पोलीटेक्निक का महाविद्यालय नहीं है, यह मांग वहां से बराबर की जाती रही है। भीलवाड़ा में मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा भी की थी पर यह काम आज तक नहीं हुआ है। भीलवाड़ा के युवकों में इस बात को लेकर बड़ी निराशा है। इसलिये भीलवाड़ा में पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की दिशा में राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

पिछले वर्ष में राज्य सरकार ने शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किया है, सैकण्डरी और मिडल स्कूल काफी खोले गये थे। इसके साथ साथ हायर सैकण्डरी स्कूल को कोई महत्व नहीं दिया गया है। मेरा सुझाव है कि हायर सैकण्डरी स्कूल ग्रामीण स्तर पर अधिकाधिक खोले जायें, तभी जाकर काम ठीक तरह से चलेगा वरना सैकण्डरी के बाद लड़कों को दूर दूर तक शहरों में जाना पड़ेगा। इस दिशा में काफी ध्यान देने की आवश्यकता है।

गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये जो चयनित परिवार हैं उनके लिये जो कार्यक्रम चल रहा है वह योजना कारगर ढंग से लागू नहीं हो रही है। गरीबों को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और बैंकों के बीच में बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई लोग निराश होकर बैठ जाते हैं। इसलिये उस योजना को व्यावहारिक रूप से लागू करने की आवश्यकता है, इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली राजस्थान में एक

(श्री रतनलाल ताम्बी)

प्रकार से ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। इस लिये इस प्रणाली का वापस सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत है। राजस्थान के गांवों में सही दिशा में कपड़ा, अनाज जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इस वितरण प्रणाली को बदलें। इस वितरण प्रणाली के बारे में राज्य सरकार को कोई निश्चित नीति बना कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए अन्यथा आज जो गांवों में स्थिति चल रही है उससे जो वर्गविहीन समाज की रचना करने का दावा करने वाली सरकार है, जो आज इसका दावा कर रही है, इसकी स्थिति हास्यास्पद हो जायेगी। यह मेरा खास तौर से निवेदन है।

इसके साथ साथ जैसा कि निवेदन किया इस वर्ष अकाल की दृष्टि से जो गम्भीर स्थिति हो रही है किन्तु राज्य सरकार कुम्भकर्णी नींद सो रही है। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दें तो निश्चित नीति राजस्थान के अकाल के बारे में घोषित करें। मेरा निवेदन है कि राजस्थान से लोग कई अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग तीन-चार हजार परिवार मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में जा चुके हैं और काफी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, काफी गम्भीर स्थिति बनी हुई है। फिर भी इस बारे में सरकार की तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही है और न सुनी जा रही है। इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि जैसे पिछली सरकार ने अकाल के वक्त कुछ निर्णय लिये थे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिलाधीशों को अधिकार दिये गये और काम कराने की व्यवस्था की थी, वैसी ही राज्य सरकार व्यवस्था करें, ताकि स्थानीय स्तर पर जिलाधीश और जिला सलाहकार समिति कुछ निर्णय कर सके और जनता को राहत मिल सके। इस दृष्टि से मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जैसे अलग-अलग निगम, बोर्ड बना रखे हैं, उसी तरह पेयजल की समस्याओं के निराकरण के लिये भी कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि उस एजेंसी के जरिये से सारे राजस्थान का पूरा मूल्यांकन कराके प्राथमिकता के साथ पेयजल की समस्या को हल किया जा सके। उदाहरण के तौर पर बनास नदी भीलवाड़ा और टौंक जिलों में है। वहां पानी भी काफी है उसकी योजना बना कर वहां की पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है पर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी जो रीजनल स्कीम हैं, जहां पर पानी उपलब्ध है वहां नलकूप के जरिये से पानी उपलब्ध हो सकता है और यह काम कम खर्च में अच्छा हो सकता है, इसलिये इस दिशा में काम करना चाहिए।

कहने को तो बहुत था पर अध्यक्ष महोदय की घंटी बज चुकी है इसलिये यह निवेदन करूंगा कि इस सरकार ने जो राज्यपाल महोदय को अभिभाषण तैयार करके दिया और उन्होंने जो हमारे समक्ष उसको पढ़ा, उसमें कुछ अच्छी बातें रखीं उनका मैंने समर्थन किया और जो कुछ अच्छा नहीं लगा, उसका विरोध किया। मैं समझता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करके आप अपनी व्यवस्था ठीक करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री यदुनाथ सिंह।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा

(श्री थानसिंह मीणा)

सातवीं विधान सभा में गवर्नर महोदय द्वारा अभिभाषण दिया गया उसके समर्थन में, मैं बोलता हुआ यह कहूंगा कि गवर्नर महोदय ने इस भाषण के अन्तर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम, जो इंदिरा गान्धी का 20 सूत्री कार्यक्रम है, का समावेश किया है। अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पहला सूत्र दिया गया चुनाव का। चुनाव के बारे में अभी सदन में काफी चर्चा हुई। जिस समय जनता पार्टी का राज था उस समय पंचायतों के चुनाव कराये गये लेकिन जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के चुनाव नहीं कराये गये। मैं यह बता देना चाहता हूं कि बी. डी. ओ. से जब सरपंच मिल कर कोई काम करवाते, रिश्वत देते तब विकास का कोई काम होता। उस समय सरपचों की हालत दयनीय थी। वे दूसरे अधिकारियों से, विकास अधिकरियों से डरते थे। कांग्रेस सरकार ने पंचायत चुनाव कराये। उसमें अच्छी भारी सफलता मिली, बहुमत मिला, जिला प्रमुख के चुनावों में भी बहुमत मिला। पंचायत समितियों के चुनावों में भी बहुमत मिला। उसके बाद में नगरपालिका के चुनाव कराये गये, उसके अन्दर भी 100 सीटों पर कब्जा किया। मैं एक बात कहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार खुद यह कहती थी, लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र में विश्वास। वह लोकतंत्र में विश्वास करने वाली है लेकिन, सबसे पहले उसने उस समय चुनाव कराये उसमें लोकतंत्र पूरा कायम नहीं किया। ये इस प्रकार के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं।

दूसरी बात राज्यपाल के अभिभाषण में अतिवृष्टि की बात कही गयी। इस बार काफी भयंकर विनाश हुआ। अनावृष्टि से भी नुकसान हुआ। इस समय राजस्थान में काफी जिले अकाल की स्थिति में हैं। मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जहां एक ओर राजस्थान में 23243 गांव अकाल-ग्रस्त घोषित हैं; वहां जितने भी फेमिन वर्क चालू होने चाहिये, वे चालू नहीं किये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जिस समय 19 तारीख को सलूम्बर से आया, सरकार के इरिगेशन विभाग ने एक लाख की राशि पास की, उसके अन्दर मजदूर लगाये गये और मजदूर लगाने के बाद में मेट के अण्डर में दे दिये गये और मेट को लगा दिया काम पर। उसके बाद तीन दिन के बाद इंजीनियर गये। उन्होंने उनके पास से मस्टर रोल ले लिया और बता दिया कि मजदूर लगे हुए नहीं हैं। आज मेरे पास सरपंच की चिट्ठी आयी है और प्रधान की भी चिट्ठी आयी है कि इस प्रकार लेबर बंद कर दी गयी। एक तरफ मेरे सलूम्बर क्षेत्र के अन्दर 80 प्रतिशत गांव अकाल की चपेट में हैं और दूसरी तरफ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अकाल के अन्दर 300 से ज्यादा लेबर नहीं है। मैं यह कहूंगा कि एक तरफ 80 प्रतिशत गांवों में 300 लेबर लगी है, दूसरी तरफ किसी जिले में 10 हजार, पांच हजार 9 हजार काम करें, यह अन्याय चलने वाला नहीं है। मैं तो अब यह कहूंगा अंत में कि भीलवाड़ा का आदिवासी इलाका प्यास, भुखमरी की हालत में है। 80 प्रतिशत आबादी अकाल की स्थिति में है। राजस्थान सरकार इस प्रकार अन्याय करे इस मामले में, यह नहीं चल सकता है कि सरकार यह कह कर चले कि सरकार इस स्थिति में नहीं है, तो इस स्थिति को देखते हुए जब कि जिला परिषद् की मीटिंग में एलान किया था कि 10 हजार मजदूर जिले में हैं, उनको 30 हजार कर देंगे कम से कम। कलेक्टर ने आश्वासन दिया। एक तरफ मजदूर लगाने

(श्री थानसिंह मीणा)

की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसको वापस ले लिया करते हैं। इस प्रकार मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि सरकार इस प्रकार की स्थिति में नहीं है कि काम चालू किये जायें तो जब हम अपने क्षेत्र में जायेंगे तो क्या कहेंगे। उस क्षेत्र में अकाल की स्थिति बहुत भयंकर है। अगर अकाल के बारे में सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम प्रतिक्रिया करेंगे। सलूम्बर में अकाल पड़ा माननीय सुखाड़ियाजी के समय में उस समय उन्होंने पैसा बहाने में कसर नहीं रखी और लोगों की आशायें पूरी कीं। उस समय हम लोग ज्यादातर फैमिन की बात नहीं करते थे। आज लोगों को सड़क नहीं दिखाई देती है, विश्वविद्यालय पाने की बात नहीं सोचते हैं। लोग कहते हैं कि फैमिन कब खुल रहा है, कब काम हाथ में ले रहे हैं, कब काम करवा रहे हैं, कब चारा बिकवा रहे हैं। अकाल के कारण भयंकर स्थिति है। इसलिए अकाल के काम अधिक से अधिक चालू कराये जायें, यह मेरी विनती है।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में जमीन ज्यादा पथरीली है और उसके बाद रेगिस्तानी इलाका है। वहां पीने के पानी की कमी है अकाल की वजह से। काश्तकारों की फसलें नहीं पकीं, पानी नहीं मिल रहा है इसलिये वे आपस में लड़ रहे हैं। माननीय सुखाड़िया जी के समय में उदयपुर के अन्दर वामन नदी की योजना जयसमंद केनाल के अन्दर ली थी। उन्होंने कहा था कि वामन नदी की योजना जयसमंद में मिल जायेगी। वहां सराड़ा का इर्रिगेशन का इलाका है। बाद में जनता पार्टी की सरकार और उसके बाद इस सरकार के आने के बाद मैंने विधान सभा में दो-दो, तीन-तीन बार कहा कि वह योजना फिर शुरू कर दी जाय। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से कहूंगा कि अगर वे सुखाड़ियाजी की दुहाई देते हैं, और सुखाड़िया जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो प्रथमतः यह योजना ली जाये तो वहां का काश्तकार याद करेगा। मैं तो यह कहूंगा कि एक तरफ योजना बनाने की बात करते हो दूसरी तरफ इस बजट के अन्दर यह जिक्र नहीं कि कितना खर्चा किया जायेगा। अब जन-जाति योजना के अन्दर इस प्रकार इर्रिगेशन के मामले में छोटे-छोटे एनीकट्स बनाने, छोटे-छोटे तालाब बनाने, जिनसे पहाड़ी इलाकों के अन्दर 500-700 बीघा जमीन सिंचित हो सकती है, के लिये इंजीनियर्स की टोली भेज कर सर्वे कराओ। वहां इंजीनियर्स न खुद काम करते हैं, न वहां काम करने देते हैं। टैक्निकल मिस्टेक निकालकर सारी स्कीम फेल कर देते हैं। आज उस इलाके के अन्दर एनीकट्स बनाये जायें। सलूम्बर क्षेत्र ऐसा इलाका है जहां 5-7 तालाब ऐसे हैं जिनसे 3-4 हजार बीघा भूमि सिंचित होती है। तालाब में पानी खतम होता नहीं। बहुत से ऐसे तालाब हैं जिनमें पानी खतम नहीं होता। अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय ताम्बीजी ने कहा था कि कई ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर पंचायत का नाम नहीं है। मैंने विधान सभा में भी एक प्रश्न पूछा था कि कितने हैण्ड पम्प स्वीकार किये गये? उसके अन्दर 7-8 गांवों के नाम थे। मैंने पूछा ये कहां से आ गये। मैं कहना चाहता हूं कि गांव से प्रस्ताव आते हैं, जिला प्रमुख के यहां से आते हैं, जन-प्रतिनिधि के आते हैं लेकिन अधिकारी लोग अपनी मर्जी से कर लेते हैं। जन-प्रतिनिधि से नहीं पूछते हैं। इस प्रकार की स्थिति हमारे यहां पैदा हो रही है। तो एक बात कहूंगा कि विकास के मामले में जन-प्रतिनिधि की राय, बी.डी.ओ. की राय ली जाय। कई जगहें ऐसी होती हैं जहां एम. एल. ए. को टाइम नहीं

(श्री थानसिंह मीणा)

मिल पाता। मेरे इलाके में फेमिन है, मैं एम. एल. ए. हूं और मैं अनुभव करता हूं कि काम सड़क पर हो जाय। मैं किसी मिनिस्टर को ले जाना चाहूं तो ले जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर जीप नहीं जा सकती, क्योंकि सड़क नहीं है। दस-दस बार मैंने प्रस्ताव दिये, श्रीमान्, मुझे कहने में संकोच नहीं है, इस प्रकार से हमारे साथ में जो बर्ताव हो रहा है, इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। मैं इस बात को बर्दाश्त करके नहीं चलता। मैंने एक बार चिट्ठी लिखी थी किन्तु हमारी बात का ध्यान नहीं रखा जाता, न अधिकारियों के सामने बात रखी जाती है, न फेमिन में टेस्ट वर्क चल रहा है। अभी दो-तीन सौ से ज्यादा मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, चार टैस्ट वर्क्स के अन्दर। उसके बाद में जो भी टैस्ट वर्क्स हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से चल रही सड़क पर आज लेबर काम कर रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, श्रीमान्, जो सड़क जयपुर से बांसवाड़ा जा रही है उस सड़क पर मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसी सड़क को लेने से क्या फायदा। फेमिन में जो इलाका आता है उस इलाके के अन्दर सड़क हो और काम हो तो बात समझ में आती है। फेमिन तो यहां पर है और काम वहां चलता है, दो सौ लेबर गाड़े से ले जाओ और गाड़े से लाओ और हाजरी लगाओ उससे क्या फायदा। ऐसे फेमिन वर्क की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो, श्रीमान्, एक बात यह कहूंगा कि जो हैण्ड पम्प लगे लास्ट इयर से एक साल हो गया वह हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, दो-तीन गांवों में जाने का मौका मिला, हमने कहा आ जायेंगे एक महीने में, बहुत जल्दी, जयपुर से आ रहे हैं, उदयपुर से आ रहे हैं। कम से कम वहां पहुंच जायं बहुत जल्दी। ऐसी परिस्थिति है कि अभी हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। लोग पत्थर डाल रहे हैं, श्रीमान्, मैं समझता हूं लास्ट ईयर सलूम्बर तहसील में हैण्ड पम्प लगाये और उसके बाद में अभी तक जितने भी वहां पर लगे उनमें टोंटी नहीं लगी है, तो मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि हम यह तो कम से कम उनसे कह सकेंगे कि विधान सभा में कह कर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात परिवार नियोजन के बारे में कहूंगा। मुझ संकोच नहीं कि 77 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस वजह से चुनाव जीती थी कि देश के अन्दर जबरदस्ती हो रही थी परिवार नियोजन में। भैरोंसिहजी उस समय कहते थे, जमीन आपके पास सरप्लस है भतीजा कहां से पैदा होगा। ऐसी बातें सुनने में आई। मैं एक बात कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा आपरेशन करवायें, नसबन्दी करवाई तो राजस्थान के अन्दर। यह सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। 96 हजार औरतों ने नसबन्दी करवाई और उसके बाद में सवा लाख का टार्गेट रखा। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा इसमें अधिक से अधिक सहयोग दें, यही मेरी कामना है।

शिक्षा के बारे में गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की लास्ट ईयर की उपलब्धि की प्रसंशा की, वह वाजिब है। इसमें कोई सन्देह नहीं 557 नये प्राथमिक स्कूल खोले गये तथा 400 मिडिल स्कूल खोले और उसके बाद में 100 विषय दिये गये। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कम से कम 100 विषय दिये, सात-आठ बार मैंने चन्दनमलजी को चिट्ठी लिखी मुझे एक सब्जेक्ट दिया जाय, 1960 से हायर सैकण्डरी स्कूल चल रहा है वहां पर साइन्स का सब्जेक्ट नहीं है। आजादी के बाद एक सब्जेक्ट भी नहीं

(श्री थानसिंह मीणा)

मिला है। मुझ से लोगों ने कहा था, आप वहां पर सब्जेक्ट खोलने की बात कीजिये। मैंने कह दिया इस बार खुलवा देंगे लेकिन बैदजी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि एक सब्जेक्ट नहीं मिला, 1960 के बाद में भी नहीं मिला। इस क्षेत्र के एम. एल. ए. को सब्जेक्ट नहीं मिला। वहां पर एम. एल. ए. यह कह कर निकल जाय, यह सम्भव नहीं है। लोग, बुद्धिजीवी लोग इस बात को मानते हैं कि हायर सैकेण्डरी स्कूल में साइन्स होनी चाहिये, वे चाहते हैं उनके बच्चे डाक्टर बनें, इन्जीनियर बनें। लोग साइन्स सुविधा की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहूंगा जितने भी शिक्षा के मामले में, स्कूल की मांग की उसके अन्दर से 50 पर्सेन्ट मांग मंजूर की है, राज्य सरकार देगी। जिला परिषद् की मीटिंग में हम भी बैठते हैं। उसके अन्दर 50 पर्सेन्ट सरकार देगी और उसके बाद 50 पर्सेन्ट वहां के सरपंच और प्रधानाध्यापक मिलकर योगदान करेंगे। इस प्रकार से मैं कहूंगा एक तरफ सरकार 50 पर्सेन्ट देकर, टेन्डर इन्वाइट करके ठेकेदार को काम दे, दूसरी तरफ चन्दा मिले, यह सम्भव नहीं हो सकता। उसके अन्दर न सरपंच रखा है, न किसी व्यक्ति को रखा है, न वहां जन-प्रतिनिधि रखा है और बी.डी.ओ. का कोई ताल्लुक नहीं। विभाग को उसके ऊपर ले लिया। 50 पर्सेन्ट पर कोई भवन नहीं बन जायेगा। यह आशा नहीं रखनी चाहिये। मैं तो एक बात कहूंगा रेती आ जायेगी, पट्टी आ जायेगी और बाकी का पड़ा ही रह जायगा। मैं तो कहूंगा कि शिक्षा के मामले में न कोई विकास हो सकेगा और न कोई स्कूल में काम करेंगे।

जितना भी हो सकता है काम करने की कोशिश करें। गरीबों के छप्पर के बारे में कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, गरीब को 600 रु. देंगे, अभिभाषण में कहा गया। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, बहुत-सी जगह ऐसी हैं, सराड़ा का इलाका है, जयसमन्द के इलाके में पट्टे दिये, लेकिन आज तक उनको लोन नहीं मिला। इसमें कोई सन्देह नहीं, लोन नहीं देते। आज गरीब का सवाल है, जिसका मकान आजादी के बाद में आज तक नहीं बना, उसको लोन देने की बात करते हैं। लेकिन आपके पास पसा नहीं है। इसलिए पहले पैसों की किश्त दी जाय, दूसरी किश्त उनको थोड़ा-बहुत करने पर दी जाय, तीसरी किश्त कमरे को बना दें तब दी जाय। लेकिन लोग एक बात कहते हैं कि साहब बल्ली नहीं है, बल्लियों का क्या इन्तजाम है। हमने भी कमेटी में रखा, साहब कि आदिवासियों को फ्री बल्ली दी जायं। आदिवासियों को आज तक नही मिलती हैं, उनको जंगलात से लकड़ी नहीं मिलती। मैं एक बात कहूंगा कि जो गरीबों को छप्पर के मामले में बल्लियों की व्यवस्था नहीं है। पांच सौ, सात सौ केलू चाहिये वह भी रुपये के पांच से ज्यादा नहीं मिलते। तो मैं एक बात कहूंगा जितने भी गरीबों के छप्पर के मामले हैं, बल्लियों की व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था जिला लेवल पर या पंचायत लेवल पर कराई जाय, यह मेरा आपसे निवेदन है।

सबसे बड़ी बात भंगियों के बारे में है। इस अभिभाषण में भंगी-मुक्ति की बात कही गई। मुझे यह कहने में संकोच नहीं जैसा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजनों के साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाता है, इस प्रकार की बात हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं जनता पार्टी के राज में जितने छुआछूत के मुकदमे दर्ज हुए होंगे वह

(श्री धानसिंह मीणा)

कभी भी इस जमाने में नहीं हुए होंगे। जनता पार्टी के राज में सरपंच जीते, ज्योंही सरपंच जीते लोकसभा का चुनाव जीता, विधान सभा का चुनाव जीता, लोगों ने कुओं पर बहुत से रेगरों को पानी नहीं भरने दिया, भंगियों का पानी भरना बन्द कर दिया। भंगियों के बहुत से मुकदमे उस समय दर्ज हुए। सलूम्बर में उस समय ज्यादा मुकदमें दर्ज हुए। उनके टाईम में जितने लोगों ने छुआ-छूत का बर्ताव किया कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ, मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं। दूसरी बात भंगी कष्ट-मुक्ति के अन्दर आज कम से कम 10 हजार फ्लश लेट्रिन्स बनाने का तय किया है, 1982-83 में 5 हजार, इसके लिए धन्यवाद है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत सराहनीय रही, उसका तो सबसे बड़ा कारण है। मैं एक बात कहूंगा आज के समय में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, इसमें सन्देह नहीं, पुलिस को अधिकार काफी दिये जा रहे हैं। उसके बाद में शांति-व्यवस्था के बारे में पुलिस को शक्तिशाली बनावें।

एक बात कहूंगा, श्रीमान्, जन-जाति क्षेत्र के विकास की योजना की बात है, मैं भी बोर्ड का सदस्य हूं। निर्देशन कमेटी में सदस्य हूं। मुझे कहने में संकोच नहीं, दो साल हो गये कोई अधिकारी नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, आदिवासी विकास की बात नहीं, एम. एल. ए. को पूछा नहीं। किस प्रकार से पैसा आता है, वहां के इलाके का अनुभव नहीं। जो भी पूछते हैं मीटिंग में उसका जवाब नहीं निकलता। जिस समय भण्डारीजी कमिश्नर थे, तब पूछा कि किस प्रकार से पैसा आता है तो उन्होंने कहा 10 पर्सेन्ट शिक्षा पर, लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं, आदिवासी इलाके में लाइट की बात करें या और कोई बात करें तो कोई नहीं सुनता है। एक भी हरिजन के मोहल्ले के अन्दर दो साल से बिजली आई हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे सकता हूं। दो साल में एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ। एक तरफ कहते हैं जन-जाति क्षेत्र विकास की बात, दूसरी तरफ हरिजन के घर में लाइट नहीं, पीने को पानी नहीं मिलता। बहुत-सी जगह मैं यह सुनकर आया हूं, जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं एक भी सरपंच जीतकर नहीं आया हरिजन, आदिवासी जीतकर नहीं आ सकता। हरिजन सरपंच जीतकर नहीं आया। जनता पार्टी के समय में आदिवासी घर छोड़ गये। आज भी उनके इलाके में हैण्ड पम्प नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय ने जिस समय दौरा किया वहां का, हमने कहा था कि अगर यहां पर सड़क की कमी रही है तो वह हरिजन की बस्ती में रही है, अगर लाइट की कमी रही है तो हरिजन की बस्ती में रही है। बाकी सब जगह लाइट है,केवल वहां पर नहीं है। मैं इस राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री देवन्द्र कुमार मीणा :

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी को राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण बजट किया उसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय.....

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : बजट नहीं होता.....

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा: आज हम मानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने, हमारी प्रधान मंत्री महोदया ने जो बीस सूत्री संकल्प पेश किया।

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

गरीबों के लिए उनकी जो धारणा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पूर्व वक्ता ने यह वता दिया कि पानी की समस्या है। सबसे वड़ी बात जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिला सबसे वड़ा ऐसा जिला है, जिसमें आदिवासियों का बाहुल्य है, वहां अधिकतर आदिवासी रहते हैं। माननीय सदस्य सब जानते होंगे कि उस क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं। उनकी दशा क्या है और उनकी स्थिति क्या है ? जो उदयपुर के आदिवासी हैं और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराव है।

इस वक्त मैं सबसे पहले अकाल के सम्बन्ध में आपके सामने निवेदन करूंगा। जिस तहसील से मैं चुनाव चुनकर आया हूं वहां 157 गांवों में से 127 गांव अकाल की चपेट में हैं। गत साल उस क्षेत्र में जितना काम चला, जितना रोजगार दिया उसी पर वह निर्भर करते थे। 157 गांवों में 127 गांव इस साल अकाल की चपेट में आये। तीन महीने बीत गये, हमने हमारी सरकार के मंत्रियों से, सरकार से, जिलाधीश महोदय से भी यह निवेदन किया कि आदिवासी क्षेत्र में भयंकर अकाल है, लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। उनकी हालत को देखते हुए आप वहां पर काम शुरू करायें, लेकिन आज तक सरकार ने शुरू नहीं कराये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी उन गरीबों की रोजी-रोटी के लिए किस ढंग से काम शुरू करे उस के बारे में विचार करे।

साथ ही कोआपरेटिव के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, गत सैशन के बाद सहकारी समिति ने जो लोन दिया था, कई माननीय सदस्यों ने गत साल भी निवेदन किया था, कि वह क्षेत्र ऐसा है जिसमें किसी ने 100 रु. लिया होगा तो 100 रु. वह भर नहीं सकता है। वहां पर इस वक्त बहुत भयंकर अकाल की चपेट में लोग आये हुए हैं और इधर हमारी सरकार ने उनसे वसूली शुरू कराई है। वहां से भागा हुआ एक आदिवासी काम के लिये रो रहा है लेकिन सरकार ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर उन गरीबों को काम दें। साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भयंकर अकाल से जो लोग पीड़ित हैं उन पर सरकार ने पत्थर चलवाये हैं, उन गरीबों को भगाया जा रहा है। अकाल को देखते हुए उन लोगों से लोन वसूल नहीं किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 1952 से लगातार अकाल आते रहे हैं। अकाल का मुकाबला वहां के लोग अब कर नहीं सकते। अकाल आते रहते हैं, राहत कार्य चलता रहता है, इससे देश का बहुत-बहुत नुकसान होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोन है उस आदिवासी क्षेत्र के लोगों पर उसके लिये सरकार को सोचना है कि उसमें से वह कितना माफ करे ताकि उन गरीबों को बचा सके।

साथ ही कुछ समय पहले हमारी सरकार ने दारूबन्दी के बारे में, नशाबन्दी के बारे में माफी दी थी, छूट दी थी, लेकिन दो-तीन तहसील उदयपुर में मेवाड़, सराड़ा और धीरवास क्षत्रों के आदिवासी कहीं जाते नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि उनको सूद

(120)

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

से राहत दें जिससे आदिवासी दण्ड से वंचित रहें। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे।

शिक्षा के बारे में, अध्यक्ष महोदय, हम लोग सदियों से पिछड़े हुए हैं। यह एरिया शिक्षा में पीछे रहा, दबा हुआ रहा, आगे नहीं बढ़ सका। शिक्षा के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमने वहां पर क्या किया, प्राइमरी स्कूल खोल दिये, मिडिल स्कूल वहां पर कम हैं और आगे की पढ़ाई वहां पर नहीं हो सकती। इसका कारण है कि वहां पर लोग अलग-अलग बसे हुए हैं। जिन गांवों में कम से कम दो-दो हजार की आबादी है, उन गांवों में स्कूल बनवाये जायं। मिडिल स्कूल भवन का काम अधूरा पड़ा है किन्तु चन्दे की बात करते हैं। जब खाने के लिए उनके पास नहीं है तो चन्दा कैसे दे सकते हैं। इसलिये सरकार उस ओर ध्यान दे। जो पैसा आ रहा है, उससे जो उनके अधूरे काम हैं, उनको पूरा किया जाये।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या मास्टर रहना पसन्द नहीं करेगा, क्योंकि रहने को सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां पर उनके लिये मकान बनवाये जायें ताकि वह अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ रह सकें। मैं शिक्षा के बारे में यही निवेदन करना चाहता हूं, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि उन क्षेत्रों में, उन आदिवासी गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे आदिवासी बहुत पीछे रह जायेंगे और हम शिक्षा के बारे में बहुत पीछे रहेंगे।

मैं इसके साथ ही साथ पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है, आपके कहने की आवश्यकता नहीं, आदिवासी पीड़ित हैं। चार महीने, छः महीने उनको ताजा पानी नहीं मिलता है। जिससे कई बीमारियों से वे पीड़ित हैं। मैं इसका एक नमूना पेश करना चाहता हूं। वहां नारू की बीमारी है। इस बीमारी के शुरू होते ही पांव सूज जाते हैं और पैर के अन्दर से जिसे गांव में बाला कहते हैं वह बाला नारू निकलते हैं। उनके कारण से अपने खेत में वह 6-6 महीने तक नहीं जा सकते। उनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसमें वह खेती नहीं कर पाते। जिस पानी से यह कीड़ा पैदा होता है, उस पानी के कारण सारे शरीर में नारू निकलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी की उनके लिए व्यवस्था हो ताकि वहां के लोग बीमारी से दूर रह सकें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : इसके लिए आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को बुलाइये···

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा: माननीय सदस्य ने कहा कि उनके हार्ट अटेक····

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

सदन की अनुमति से बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है, जिससे आप अपना भाषण समाप्त कर सकें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : मैंने एक बार निवेदन किया था, आपको भी मैं जोधपुर का रहने वाला मानता हूं, उस दृष्टि से

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

आपको आदिवासियों के स्वास्थ्य को देखना चाहिये। गर्मी के दिनों में प्रतापगढ़ से, उदयपुर, मेवाड़ क्षेत्र में नारू की बीमारी भयंकर रूप से होती है। जब तक पानी के लिये हैण्ड पम्प की व्यवस्था नहीं होगी तब तक इस बीमारी से बचाव नहीं होगा व खाने-पीने व घर में उपयोग के लिये साफ पानी प्राप्त नहीं होगा। इस शीशी में नारू का कीड़ा है, आप चाहें तो सदन की मेज पर रख सकता हूं ताकि लोग देख सकें। मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं, ताकि इसकी जांच की जाय। खास तौर से नारू की बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूं।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, आवागमन के साधनों के लिये मैंने गत वर्ष भी निवेदन किया था और अभी भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार आदिवासियों के लिये, जन-जातियों के लिये लाखों रुपये दे रही है। राजस्थान सरकार रुपया दे रही है, लेकिन गरीबों के लिये कुछ नहीं हो रहा है। उदयपुर एरिया में अकाल की चपेट में आये हुये लोगों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, छोटी-छोटी जमीनें हैं, उस जमीन में किस तरह से खेती कर सकते हैं। आदिवासी पहाड़ों के बीच में रहते हैं। पहाड़ों के बीच में उन आदिवासियों को ढंग से बसाने के लिये, उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिये हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं मंत्री से, आप वह के रहने वाले हैं, आपके पास अच्छी जमीन हो सकती है, किन्तु हमारे आदिवासियों के पास एक-डेढ़ बीघा जमीन है, तो उनके लिये कुआं और एनीकट्स की व्यवस्था करने के लिये आप के विभाग के पास जो रुपया आया है उस रुपये का उपयोग करना चाहिये था। उन आदिवासियों की जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनकी रोटी रोजी की व्यवस्था करना चाहते है, तो वह रुपया उस एरिया में लगाना चाहिए, कुएं और एनीकट्स पर लगाना चाहिये तभी जाकर वह 6 महीने रोटी खा सकता है। तो मैं इस बारे में खास तौर से हमारे जन-जाति मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों से कहें कि उस क्षेत्र में जाकर, उन आदिवासियों के बीच में जाकर उन्हें अध्ययन करना चाहिये कि वे किस तरह से रहते हैं। आपके आदिवासियों और हमारे आदिवासियों में फर्क है। आप मौके पर जाकर देखें। राजस्व मंत्री वहां पधारते हैं, हम पहाड़ों के रहने वाले हैं और जंगलों की रक्षा हम करते हैं। पहाड़ों के बीच में जो आदिवासी रहते है अपनी महनत से मजदूरी करके मिट्टी ढोने के बाद पेट पालते हैं। हमारी रेवेन्यू की जमीन है, उस पर वन विभाग के लोग आकर कब्जा करते हैं। उनको यह पता नहीं कि पेड़-पौधा पैदाकर आज 4 साल से मेरे क्षेत्र में आदिवासियों ने जो कुएं खोदे है, उनके लिये विभाग की तरफ से उन पर केसेज चल रहे हैं, कोर्ट में मुकदमे हो रहे हैं, घर में खाने को नहीं है, मुकदमे चल रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से उन आदिवासियों पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको वापस लिया जाय। उन पर जो काबिज है, जिनका जमीन पर हक है, उनको दी जाय।

इन शब्दों के साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे आदिवासियों और हमारे आदिवासियों की गति को देखें और देखकर सही बात आप कहें।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, आज ट्राइबल

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

एरिया के जो बच्चे - बच्ची उदयपुर में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है जिससे कपड़ा, साबुन, तेल और खाने का सामान सारा लायें और उनको 80) रु. दे दिये जायं। सब जानते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं ? उदयपुर में रहने वाला आदमी एक कमरे में रहता है तो उसको 60-70 रु. देना पड़ता है। वह किराया नहीं भर सकते हैं, तो आदिवासी बच्चे-बच्चियां कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अपना निर्वाह कर सकते हैं ? इस बारे में सरकार को देखना है कि उनकी व्यवस्था किस तरह से की जाय। पहले 150) रु. मिलता था, उससे बच्चे निर्वाह कर सकते थे। आज महंगाई का टाइम है इसलिये सरकार को सोचना होगा, विचार करना होगा कि बच्चों का किस तरह से निर्वाह हो सकता है। मंत्री महोदय घोषणा करते हैं, योजना बनायी जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। आप इस बारे में विचार करें और एक कमेटी गठित करें जो यह रिपोर्ट दे कि उनका खर्चा क्या बैठ सकता है। हमको शिक्षा के बारे में उनको आगे बढ़ाना है, शिक्षा के लिये देखना है, गरीबों के लिये यह व्यवस्था करनी है·····

श्री अध्यक्ष : 4 मिनट और हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : वसूली के बारे में मैंने जो बात कही·····

अनेक माननीय सदस्य : नाजायज कब्जे।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : नाजायज कब्जों के बारे में, मैंने कह दिया, आपने सुना नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, यह नियम कैसे बना ? जब राजस्थान सरकार जनता पार्टी की आई उन्होंने ऐसा कानून बनाया है जो कोई जमीन हो फारेस्ट की या दूसरी तो भी कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने यह नहीं देखा कि उस जमीन में कौन रह रहा है और उस पर रहने वाले लोगों की कैसी स्थिति है। इसलिये आपने कायदा बनाया, इसको वापस कैंसिल करना चाहिये, नहीं तो आदिवासियों ने जो घर बनाये वे बेघर हो जायेंगे। आज वे मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं, अपने बच्चों का निर्वाह करते हैं। इस बारे में मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं। आशा है आप ध्यान देंगे।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, आवागमन के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र ऐसा है जहां पर एक गांव में 5 हजार की आबादी के लोग नहीं रहते है, 5 हजार की आबादी वाले लोग फैले हुये रहते हैं। साथ नहीं रहते हैं इसलिये उन पहाड़ों को जो रोड्स तहसील से मिलाने वाली हैं, उन रोड्स को कम्पलीट करें। ऐसा कोई अधिकारी भेजें, हम लोग तो पैदल जा सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकारी नहीं जा सकते, एक बार जाने के बाद कहेंगे कि कोई व्यवस्था नहीं है, प्लान नहीं है, इस तरह से आनाकानी करेंगे। मेरा निवेदन है जितने अधूरे काम पड़े हैं, रिलीफ के उनको पूरा किया जाय। इस तरह से उस क्षेत्र की सड़कों को जोड़ा जाय, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में ध्यान दिया जाय। मैं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जितने कार्य योजना के अन्तर्गत हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सफल बनायें। इसी कामना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.9 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 25 फरवरी, 1982 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची

परिशिष्ट "क"

मोटर दुर्घटना न्यायालय

	संभाग	जिलों का नाम
1.	विशिष्ठ न्यायाधीश, मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर	जयपुर, भरतपुर, सीकर, टौंक, अलवर, सवाई-माधोपुर, अजमेर और झुंझुनू ।
2.	विशिष्ठ न्यायाधीश, मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर	जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही एवं जालौर ।
3.	विशिष्ठ न्यायाधीश, मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर	बीकानेर, गंगानगर और चुरू ।
4.	विशिष्ठ न्यायाधीश, मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, उदयपुर	उदयपुर, चितौड़गढ, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ।
5.	विशिष्ठ न्यायाधीश, मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, कोटा	कोटा, बून्दी और झालावाड़ ।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 34 की सूची

मन्दिर श्री ऋषभदेवजी, धुलेव स्थित सम्पदा के किरायेदारों की सूची–

क्रम संख्या	नाम किरायेदार	मकान/दुकान	कब्जा देने की दिनांक	पुराने किरायेदार की मासिक दर	नवीन निर्धारित किराये की मासिक दर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री चुनीलाल नाई	दुकान	18-1-59	9.00	194.00	
2.	श्री पन्नालाल लोहार	,,	1-4-57	7.00	208.00	
3.	श्री पुनमचन्द दर्जी	,,	1-4-57	9.00	208.00	
4.	श्री भगवान लखारा	,,	1-4-57	7.00	196.00	
5.	श्री गहरीलाल जैन	,,	1-4-57	10.00	199.00	
6.	श्री नारायण नाई	,,	1-4-57	10.00	196.00	
7.	श्री कारू नाई	,,	1-4-57	10.00	201.00	
8.	श्री मगन लाल	,,	1-4-57	16.75	202.00	
9.	श्री रेणुमल	,,	1-4-57	12.00	207.00	
10.	श्री मांगीलाल	,,	1-4-57, 1-8-72	23.00 20.00	443.00	
11.	श्री सोहन लाल	,,	1-4-57	18.00	272.00	
12.	श्री रतनलाल	,,	1-4-57	31.00	30.00	
13.	श्री बृजलाल	,,	1-5-58	20.50	218.00	

14.	श्री छब्बीलाल	"	1-4-57	25.00	254.00
15.	श्री लक्ष्मीलाल	"	1-4-57	20.00	160.00
16.	श्री भैरूलाल	"	1-4-57	18.75	197.00
17.	श्री मणीलाल	"	1-4-57	3.00	37.00
18.	श्री रूपचन्द	"	1-4-57	24.50	136.00
19.	श्री लीलाचन्द	"	"	3.00	71.00
20.	श्री भैरूलाल	"	"	31.00	71.00
21.	श्री मावरा	"	"	2.00	71.00
22.	श्री उमाशंकर	"	"	2.00	71.00
23.	श्री देवीचन्द	"	1-4-73	7.00	196.00
24.	श्री मोतीलाल	"	1-4-57	15.00	109.00
25.	श्री नाथूलाल	"	1-10-56	10.00	109.00
26.	श्री मणीलाल	"	1-4-57	25.00	345.00
27.	श्री बृजलाल	"	"	21.00	159.00
28.	श्री छगनलाल	"	"	21.00	159.00
29.	श्री धूलचन्द	"	"	27.00	136.00
30.	श्री ऊंकारलाल	"	"	33.50	21.00
31.	श्री छोटालाल	"	1-2-62	19.75	21.00
32.	श्री मणीलाल	"	1-4-55	15.00	92.00
33.	श्री जेवरचन्द	"	1-11-62	13.00	92.00
34.	श्री रतनलाल	"	1-4-57	10.00	97.00
35.	श्री चन्दनलाल	"	1-7-65	15.00	100.00
36.	श्री चन्द्रसागर	"	1-4-54	16.06	100.00
37.	श्री नाथूलाल	"	1-4-57	15.00	104.00
38.	श्री गोतमलाल	"	1-2-65	15.00	107.00
39.	श्री भगवतीलाल	"	1-4-54	15.00	109.00
40.	श्री लक्ष्मीलाल	"	1-4-60	15.00	106.00
41.	श्री चन्दनलाल	"	1-2-74	15.00	117.00

125

१२६

1	2	3	4	5	6	7
42.	श्री छबीलाल	दुकान	1-4-57	15.00	153.00	
43.	श्री छबीलाल	"	1-4-57	15.00	153.00	
44.	श्री मोडजी	"	"	12.00	134.00	
45.	श्री चम्पालाल	"	"	7.00	196.00	
46.	श्री नाथु जी	"	1-1-62	2.00	175.00	
47.	श्री लक्ष्मीचन्द	"	11-3-65	7.00	36.00	
48.	श्री लक्ष्मीलाल	"	1-3-70	15.00	101.00	
49.	श्री लेम जी	"	28-3-72	20.00	153.00	असेसमेन्ट नहीं हुआ है
50.	श्री अमृतलाल	"	17-4-62	1.00	..	असेसमेन्ट नहीं हुआ है
51.	श्री बृजलाल	"	1-7-58	3.00	..	
52.	सिघल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	"	1-4-57	10.00	437.00	
53.	श्री गोर्वधनलाल	"	1-4-56	14.56	431.00	
54.	श्री भोगीलाल	"	1-4-55	32.00	604.00	
55.	राजस्थान बैंक	दो मकान	26-3-78	66.00	139.00	
56.	श्री कुन्दनमल	दुकान	16-5-68	20.00	55.00	
57.	श्री इन्द्रलाल	मकान	3-3-74	51.00	604.00	
58.	श्री शंकरलाल	"	1-9-70	60.00	426.00	
59.	श्री विनोद चन्द्र	दुकान	1-4-77	25.00	345.00	
60.	श्री कालुलाल	मकान	1-7-71	11.00	131.00	
61.	पुलिस चौकी	"	16-2-59	5.40	81.00	
62.	श्री बालुलाल	"	1-2-74	12.00	88.00	
63.	श्री केसरसिंह	"	1-2-68	5.00	23.00	
64.	श्री भीमा	"	15-4-57	6.00	675.00	
65.	श्री राम प्रताप	"	1-1-71	30.00	1342.00	

66.	श्री रडछोड़ लाल	,,	1-8-58	7.00	691.00	
67.	कन्या पाठशाला	,,	1-5-58	6.25	..	असेसमेन्ट नहीं हुआ है।
68.	श्री हरिनन्दन	,,	1-6-66	10.00	..	असेसमेन्ट नहीं हुआ है।
69.	श्री छगन लाल	,,	15-6-67	4.00	70.00	
70.	श्रीमती भूरी	,,	1-12-66	4.00	70.00	
71.	श्री वेणीराम	,,	21-8-62	3.00	58.00	
72.	श्रीमती मनोरमादेवी	,,	1-10-62	4.00	58.00	
73.	श्री आनन्द स्वरूप	,,	1-6-70	7.00	58.00	
74.	श्री वंशीलाल	,,	20-6-68	5.00	58.00	
75.	श्री आन्दन स्वरूप	,,	1-12-66	5.00	58.00	
76.	श्री नारायण	,,	26-7-64	5.00	35.00	
77.	श्री वख्तावर	,,	26-4-64	3.00	..	असेसमेन्ट नहीं हुआ है।
78.	श्री तेजशंकर	,,	1-6-66	3.00	..	,,
79.	श्री कालु जी	,,	1-10-66	12.00	84.00	
80.	श्री हनुमान प्रसाद	दुकान	1-7-68	12.00	79.00	
81.	श्री फीदा हुसैन	,,	27-6-68	12.00	79.00	
82.	श्री कोदरलाल	,,	1-4-66	12.00	79.00	
83.	श्री खेमराज	,,	14-4-66	25.00	167.00	
84.	श्री नाथू	,,	14-4-66	25.00	167.00	
85.	श्री जीवाजी	,,	1-4-67	25.00	167.00	
86.	श्री लालचन्द	,,	1-8-68	20.00	84.00	
87.	श्री नन्दलाल	मकान	21-5-62	3.00	45.00	
88.	श्री प्रेमशंकर	दुकान	20-5-67	30.00	185.00	
89.	श्री जीवा जी	,,	1-3-77	51.00	167.00	
90.	श्री भंवरलाल बेंद	मकान	12-7-70	5.00	69.00	
91.	श्री प्रभुलाल	,,	18-6-73	5.00	74.00	
92.	श्री कृष्णलाल	,,	1-6-73	5.00	68.00	
93.	श्री बख्तावर	दुकान	1-4-66	4.00	..	असेसमेन्ट नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7
94.	श्री जगन्नाथ	मकान	1-4-57	10.00	47.75	
95.	श्री राजेन्द्र कुमार	कैबीन (मकान)	1-9-74, 14-12-74	4.00, 10.00	385.00	
96.	श्री सेवा संघ	मकान	1-4-57	2.00	..	असेसमेन्ट नहीं हुआ है
97.	श्री अजीत मोहम्मद	,,	1-10-61	2.00	..	,,
98.	श्री सुखदेव	,,	1-8-75	25.00	..	,,
99.	बापा भील आश्रम	मकान	1-8-75	60.00	..	,,
100.	श्री झमकलाल	जमीन (कैबीन)	1-8-68	10.00	..	,,
101.	श्री शंकरलाल	जमीन	,,	10.00	..	,,
102.	श्री मणीलाल	,,	1-2-73	24.00	456.00	,,
103.	श्री बदाजी	दुकान	1-5-77	20.00	226.00	,,
104.	श्री गणेशलाल	जमीन	11-5-70	25.00	213.00	,,
105.	श्री बद्रीलाल	,,	..	..	225.00	,,
106.	श्री कचरूलाल	,,	15-3-75	41.00	140.00	,,
107.	श्री कन्हैयालाल	मकान	1-8-75	8.00	..	,,
108.	श्री लक्ष्मीलाल	,,	1-8-75	10.00	31.00	,,
109.	श्री जयप्रकाश	,,	..	5.00	11.00	,,
110.	श्री धूलचन्द	मकान	..	11.00	..	,,
111.	डिपो मैनेजर, डूंगरपुर	मकान	..	30.00	247.00	,,
112.	प्रधानाध्यापक, विद्या निकेतन	जमीन	1-1-81	51.00	..	,,

परिशिष्ट-3

(समय-अभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

आमेर क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से केरोसिन ऑयल व राशन का वितरण

43. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि आमेर विधान सभा क्षेत्र में केरोसिन तेल व कन्ट्रोल के अनाज की वितरण व्यवस्था जिन स्थानों पर की गई है, उन स्थानों से उक्त पंचायत समिति के अधिकांश गांव अत्यधिक दूर व दुर्गम परिस्थिति में बसे हुए हैं ? अतः उन्हें उक्त अनाज व केरोसिन तेल उपलब्ध नहीं होता ?

(2) क्या राज्य सरकार काश्तकारों तक अनाज व केरोसिन पहुंचाने हेतु कोई सुधार करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सहकारी समितियों के मार्फत उक्त वितरण व्यवस्था को सुलभ बनाने की प्रयास करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अन्य स्थानों की भांति अत्यधिक दूर एवं दुर्गम परिस्थिति में बसे हुए गांवों को भी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कन्ट्रोल का अनाज व केरोसिन उपलब्धि के अनुसार वितरित किया जाता है। केरोसिन मुख्यतः अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से भी वितरित किया जाता है। पंचायत समिति, आमेर क्षेत्र के ग्रामों हेतु वितरण व्यवस्था परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुसार की गई है।

(2) जी हां। आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक होने के कारण कम आबादी वाले दूरस्थ एवं दुर्गम परिस्थिति में बसे हुये गांवों में वितरण व्यवस्था का कार्य करने के लिये कोई सहकारी समिति तैयार नहीं है। फिर भी राज्य सरकार अनाज एवं केरोसिन की वितरण व्यवस्था को अधिक से अधिक कारगर बनाने का पूर्ण प्रयत्न कर रही है। सहकारी समिति ऐसे ग्रामों के लिये अपनी शाखा स्थापित करके कार्य करना चाहे तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

आमेर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के गांवों के लिये कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की सूची—

क्रम सं.	नाम ग्राम पंचायत	कुल ग्राम	उचित मूल्य के दुकानों की संख्या	उचित मूल्य के दुकानों के नाम	उचित मूल्य की दुकानों से गांवों की अनुमानित: दूरी
1	2	3	4	5	6
1.	रायथल	4	1	ग्रा. से. स.स., रायथल	4 से 5 कि. मी.

1 2	3	4	5	6
2. जयसिंह पुरा	6	1	ग्रा. से. स. स., राधाकिशन पुरा	4 से 5 कि.मी.
3. राधाकिशनपुरा	4	1	ग्रा.से.स.स.,राधाकिशनपुरा	4 से 5 कि.मी.
4. रोजदा	8	1	मै. मदनलाल मनोहरलाल	4 से 5 कि.मी.
5. खनीपुरा	10	1	मै. सागरमल	4 से 5 कि.मी.
6. जालसू	5	1	मै. प्रहलाद कुमार	4 से 5 कि.मी.
7. अनोपपुरा	10	1	मै. राम नारायण	4 से 5 कि.मी.
8. सिरसली	6	1	मै.से.स.स., सिरसली	4 से 5 कि.मी.
9. मुण्डोता	1	1	मै. मोतीराम जाट	4 से 5 कि.मी.
10. देवगढ़ा	5	1	मै. फूलचन्द	4 से 5 कि.मी.
11. जाहोता	6	1	मै. ग्रा.से.स.स., जाहोता ब्रेंच रामपुरा	4 से 5 कि.मी.
12. जयरामपुरा	6	1	मै. ग्रा. से. स.स.,जयरामपुरा	4 से 5 कि.मी.
13. खोराबिसल	8	1	मै. भागीरथ मल सांवरमल	4 से 5 कि.मी.
14. रामपुरा	6	1	मै. ग्रा. से.स.स., रामपुरा	4 से 5 कि.मी.
15. खोराश्यामदास	6	1	मै. ग्रा. से.स.स., खोराश्याम-दास	4 से 5 कि.मी.
16. दौलत पुरा, कोटड़ा	2	1	मै. राम गोपाल	4 से 5 कि.मी.
17. नींदड	1	2	मै. गिरधारीसिंह सुवाराम मै. नाथूलाल	4 से 5 कि.मी.
18. हरमाडा	2	1	मै. चिमनलाल	4 से 5 कि.मी.
19. नागल पुरोहित	9	1	मै. ग्रा. से.स.स., नांगल-पुरोहित	4 से 5 कि.मी.
20. अखैपुरा	6	1	मै. छोटूराम	4 से 5 कि.मी.
21. सेवापुरा	8	1	मै. भगवान सहाय	4 से 5 कि.मी.
22. नांगलसुसावतान	10	1	मै. गुलाब चन्द गोकुलचन्द	6 से 7 कि.मी.
23. खोरामीणा	3	1	मै. रामावतार	4 से 5 कि.मी.
24. छापराडी	7	1	मै. भैरूराम गोदूराम	4 से 5 कि. मी.
25. बगवाडा	2	1	मै. सज्जन सिंह	4 से 5 कि. मी.
26. चौंप	5	1	मै. ग्रा. से. स. स., चौंप	4 से 5 कि. मी.
27. बिलौंची	4	1	मै. धन्नालाल	4 से 5 कि. मी.
28. मानपुरामाचेडी	1	1	मै. भैरूलाल लक्ष्मीनारायण	4 से 5 कि. मी.
29. रुण्डल	1	1	मै. ग्रा. से. स., रुण्डल	4 से 5 कि. मी.
30. सिरोही	3	1	मै. छिमनलाल	4 से 5 कि. मी.
31. लखेर	4	1	मै. ग्रा. से. स. स., लखेर	4 से 5 कि. मी.
32. कंवरपुरा	3	1	मै. मंगलचन्द	4 से 5 कि. मी.
33. चन्दवाजी	4	1	मै. हरीमोहन	4 से 5 कि. मी.
34. चिताणुकलां	8	1	मै. रामनाथ	4 से 5 कि. मी.
35. कांट	5	1	मै. कल्याण सहाय	4 से 5 कि. मी.
36. अचरोल	1	1	मै. मार्केटिंग सोसायटी	4 से 5 कि. मी.
37. लबाना	4	1	मै. ग्रा. से. स. स., लबाना	4 से 5 कि. मी.
38. ढण्ड	5	1	मै. रामकुमार	4 से 5 कि. मी.

परिशिष्ट—ख

आमेर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के उपभोक्ताओं को करोसिन तेल वितरण की व्यवस्था

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम सैन्टर जहां से उपभोक्ता सामान्यतः केरोसिन तेल उठाते हैं
1	2	3
1.	रायसल	मै. माधानी ब्रदर्स (एम.पी. डी. सी.), चौमू
2.	जयसिंहपुरा	,, ,,
3.	राधाकिशनपुरा	,, ,,
4.	रीजदा	,, ,,
5.	खनीपुरा	,, ,,
6.	जालसू	,, ,,
7.	अनोपपुरा	,, ,,
8.	सिरसली	,, ,,
9.	मूण्डोता	,, ,,
10.	देवगुढा	,, ,,
11.	जाहोता	,, ,,
12.	जयरामपुरा	,, ,,
13.	खोराविसल	,, ,,
14.	रामपुरा डाबडी	,, ,,
15.	खोरा श्यामदास	,, ,,
16.	दौलतपुरा कोटड़ा	,, ,,
17.	नींदड़	,, ,,
18.	हरमाड़ा	,, ,,
19.	नांगलपुरोहित	,, ,,
20.	अखेपुरा	,, ,,
21.	सेवापुरा	,, ,,
22.	नगल सुसावतान	मै. शोभाराम लालचन्द, कस्वा आमेर मै. तोलाराम नत्थु मल, कस्बा आमेर मै. शोभाराम, कस्बा आमेर,
23.	खोरामीणा	मै. गौरीलाल बिरदीचन्द, अचरोल
24.	छापराडी	,, ,,
25.	बगवाडा	,, ,,
26.	चौंप	,, ,,
27.	बिलूंची	,, ,,
28.	मानपुरा माचेडी	,, ,,
29.	कुण्डल	,, ,,
30.	कांट	,, ,,
31.	अचरोल	,, ,,
32.	सबाना	,, ,,

1	2	3
33.	ढण्ड	मै. गौरीलाल बिरदीचन्द, अचरोल
34.	सिरोही	मै. विनोद कुमार, विजेन्द्र कुमार, चन्दवाजी
35.	लखेर	,, ,,
36.	कंवरपुरा	,, ,,
37.	चान्दवाजी	,, ,,
38.	चिताणुकला	,, ,,

नोट:—कैरोसिन-वितरण पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था। पंचायत समिति के उपभोक्ता उपरोक्त कैरोसिन वितरण केन्द्रों के अलावा कहीं से भी मिट्टी का तेल ले सकते थे जैसे कि जयपुर के केन्द्रों से भी तेल लेते थे।

सहकारिता क्षेत्र में सूती धागे की मिलें लगाने की योजना

44. श्री **केसरीचन्द चौधरी** (किशनगढ): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में किन-किन स्थानों पर सूती धागे की सहकारिता क्षेत्र में कितनी-कितनी मिलें लगाने की योजना है?

(2) जिन स्थानों को चयनित किया गया है उनके चयन का आधार क्या है?

उत्तर

(1) छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राजस्थान में 2 सूती धागे की मिलें सहकारिता के क्षेत्र में लगाने की योजना है।

(2) स्थानों के चयन के आधार कपास के उत्पादन तथा क्षेत्र के कपास उत्पादकों की भावना को मध्य दृष्टि रखते हुए किया जावेगा।

राजस्थान नहर के निर्माण का 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्य

45. श्री **यदुनाथ सिंह** (नदबई): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान कैनाल के लिये वर्ष 1981-82 में कितनी राशि का प्रावधान था तथा इसमें से 25 जनवरी, 1982 तक कितने धन का उपयोग हुआ?

(2) वर्ष 1981-82 में राजस्थान कैनाल के कितने निर्माण का लक्ष्य था? क्या वह पूरा हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राजस्थान कैनाल के प्लान में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या और क्यों?

(4) राजस्थान कैनाल को पूरा करने की राज्य सरकार के पास क्या कोई ठोस समयबद्ध योजना है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना के

(नहर परियोजना मंत्री)

लिए वर्ष 1981-82 में 29.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है और 31-1-82 तक 23.50 करोड़ रुपये राशि का उपभोग हो चुका है।

(2) वर्ष 1981-82 में 29.50 करोड़ रुपये के प्रावधान के आधार पर निम्न निर्माण कार्यों के लक्ष्य रखे गये हैं:—

प्रथम चरण :

1. वितरक प्रणाली पर मिट्टी का कार्य — 1.25 करोड़ घन फुट
2. वितरक प्रणाली पर लाइनिंग का कार्य — 67.14 कि. मी.
3. लिफ्ट नहर पर पक्के खालों का कार्य — 50 कि. मी.

द्वितीय चरण :

1. मुख्य नहर, वितरक प्रणाली व वाटर सप्लाई चैनल पर मिट्टी का कार्य — 54 करोड़ घनफुट
2. मुख्य नहर पर लाइनिंग का कार्य — 30 कि. मी.
3. वितरक प्रणाली पर लाइनिंग का कार्य — 55 कि. मी.
4. वाटर सप्लाई चैनल पर लाइनिंग का कार्य 29.20 कि. मी.

कार्य अभी चालू हैं और उपरोक्त कार्यों को मार्च, 82 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(3) अधिक क्षेत्र में पाने व सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से द्वितीय चरण में लिफट योजनायें बनाने के लिये राज्य सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है।

(4) समुचित धन राशि, सीमेंट व कोयला उपलब्धि के आधार पर परियोजना को 1985-86 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन के सरपंचों के विरुद्ध विचाराधीन जांच

46. श्री मेरू सिंह गुर्जर (खारची) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के किन-किन सरपंचों के विरूद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है? इनमें से कितने सरपंचों के प्रति कार्यवाही हुई है? यदि हां, तो जांच संबंधी क्या-क्या कार्यवाही कर ली गई है?

(2) क्या ग्राम पंचायत जोजावर के सरपंच पर फर्जी पट्टे वितरण करने संबंधी भी कोई जांच चल रही है?

उत्तर

(1) मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति की कुल 12 पंचायतों के सरपंचों को जिला-स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर प्रारम्भिक जांच कराई जा रही है। पंचायतों के नाम इस प्रकार है:—

1. चिरपटियां
2. सवराड़
3. चौकड़िया,
4. दूदोड़
5. बाड़सा
6. गुड़ासूरसिंह
7. सिनला
8. बाडम

(पंचायत मंत्री)

9. गादणा
10. हेमलियावा खुर्द
11. जोजावर
12. धूंघला

इन जांचों में से ग्राम पंचायत, चिरपटिया, सघराड़, चौकड़िया व दूदोड़ के सरपंचों के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच पूरी की जाकर जिलाधीश ने राज्य सरकार को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। जिस पर कार्यवाही की जा रही है। शेष 8 पंचायतों के मामलों में प्रारम्भिक जांच पूरी नहीं हुई है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत, जोजावर के सरपंच के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की प्रारम्भिक जांच जिला स्तर पर चल रही है।

हरिजन व अनुसूचित जाति के लोगों को शस्त्रों के लाइसेंस

47. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के लोगों को तथा हरिजनों को बन्दूक आदि शस्त्रों के लाइसेंस देने के आदेश हो गये हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको अपनी रक्षा के लिये लाइसेंस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

आर्म्स, एक्ट आर्म्स रूल्स के प्रावधानों के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जिसमें अनुसूचित जाति व हरिजन भी शामिल हैं, निर्धारित प्रक्रियानुसार लाइसेन्स प्राप्त कर सकता है। अतः हरिजनों को लाइसेन्स देने के लिये अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय पुलिस एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों का पदस्थापन

48. श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मावली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 14 जुलाई, 1981 को भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिकारी शासन सचिवालय में तथा जिलाधीश व अधीक्षक, पुलिस के पदों पर कौन-कौन थे? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 14 जुलाई, 1981 के बाद अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को इन प्रमुख पदों से हटाया गया है?

(3) यदि हां, तो क्या इस परिवर्तन के पीछे राज्य सरकार की कोई विशेष नीति है?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) संलग्न सूची में अंकित अधिकारियों में से केवल पांच अधिकारियों को ही इन पदों से स्थानान्तरित किया गया है। शेष अधिकारी या तो उसी पद पर कार्यरत हैं या जिलाधीश, पुलिस, अधीक्षक व शासन सचिवालय में ही पदस्थापित किये गये हैं।

(2) जी नहीं। प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर स्थानान्तरण किये जाते हैं।

सूची

14 जुलाई, 1981 को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों के नाम जो शासन सचिवालय, एवं जिलाधीशों पुलिस अधीक्षकों के पदों पर पदस्थापित थे—

क्र. सं.	नाम	वर्ग	जाति	तत्कालीन पद	वर्तमान पद
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हनुमान प्रसाद	आई.ए.एस.	अनु. जाति	शासन विशिष्ट सचिव, आयोजना एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि., उदयपुर।
2.	श्री एन. के. वर्मा	"	"	जिलाधीश, जयपुर।	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर।
3.	श्री गुरदेव सिंह	"	"	जिलाधीश, बून्दी।	जिलाधीश, झुन्झुनू।
4.	श्री बी. एल. मेहरड़ा	"	"	जिलाधीश, भरतपुर।	शासन उप सचिव कृषि (विशिष्ट योजना संगठन)।
5.	श्री तुलसी राम वर्मा	"	"	जिलाधीश, भीलवाड़ा।	जिलाधीश, जालोर
6.	श्री धर्मसिंह सागर	"	"	जिलाधीश, बाड़मेर।	जिलाधीश, वाड़मेर।
7.	श्री जी. रामचन्द्र	"	अ. ज. जाति	शासन सचिव, सहायता एवं पदेन सहायता आयुक्त।	शासन सचिव, पुनर्वास विभाग एवं पदेन पुनर्वास आयुक्त।
8.	श्री चन्द्र प्रकाश	"	"	शासन सचिव, खान विभाग।	मैनेजिंग डायरेक्टर राज. भूमि विकास निगम, जयपुर।

1	2	3	4	5	6
9.	श्रीमती जुमकी सतीश कुमार	आई.ए.एस.	अनु.जन-जाति	शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।	शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
10.	श्री बी. पी. आर्य	,,	,,	जिलाधीश, चित्तौड़गढ।	जिलाधीश, चित्तौड़गढ।
11.	श्री के. एल. मीणा	,,	,,	जिलाधीश, पाली।	जिलाधीश, पाली।
12.	श्री आर. एन. मीणा	,,	,,	शासन उप-सचिव कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।	शासन उप-सचिव कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
13.	श्री पी. एन. रछोया	आई.पी.एस.	अनु. जाति	पुलिस अधीक्षक, सीकर।	पुलिस अधीक्षक, सी. आ. डी. (बी. बी.) (हरिजन एट्रोसिटीज प्रकोष्ठ), जयपुर।
14.	श्री हनुमान प्रसाद	,,	,,	पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर।	पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (इन्टेलीजेन्स), बीकानेर।
15.	श्री एन. एन. मीणा	,,	अनु. जन जाति	पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।	पुलिस अधीक्षक, जयपुर।
16.	श्री एच. एन. मीणा	,,	,,	पुलिस अधीक्षक, चुरू।	पुलिस अधीक्षक, कोटा।
17.	श्री रामजीवन मीणा	,,	,,	पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।	पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू।

बाड़मेर में सैशन्स कोर्ट का मुख्यावास

49. श्री अमीन खां (शिव) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर में प्रथम श्रेणी दण्डनायक की कितनी अदालतें हैं, जिनमें जिला हैडक्वार्टर पर कितनी हैं और सब-डिवीजन बालोतरा में कितनी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की जिला एवं सैशन्स अदालत बालोतरा में है ? क्या यह भी सही है कि बालोतरा में जिस समय यह अदालत रखी गई थी उस समय जालौर जिला भी इसी अदालत के क्षेत्र में था इसलिए बालोतरा मुख्यावास ठीक समझ कर रखा गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस समय जालौर जिले की अदालत जालौर में है ? यदि हां, तो क्या अब बालोतरा, सैशन्स कोर्ट की अदालत का मुख्यावास, बाड़मेर जिला हैडक्वार्टर पर रखना सरकार उचित समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या बाड़मेर में सैशन्स कोर्ट के मुख्यावास किए जाने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में प्रथम श्रेणी दण्डनायक (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित) के सात न्यायालय हैं। इन न्यायालयों में न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित 4 न्यायालय जिला हैड-क्वार्टर पर हैं और दो न्यायालय सब-डिवीजन बालोतरा में और एक सिवाना में हैं ?

(2) जी हां।

(3) जी हां, यह सही है कि इस समय जालौर जिले की जिला एवं सैशन अदालत, जालौर में है। बालोतरा सैशन कोर्ट की अदालत का मुख्यावास, बाड़मेर जिला हैड-क्वार्टर पर रखना सम्भव नहीं है, क्योंकि न्यायालय स्थानान्तरित करने हेतु कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जो सुविधायें जनता को बालोतरा में न्यायालय होने से उपलब्ध हैं वे स्थानान्तरण से उन्हें नहीं मिल सकेगी। उच्च न्यायालय से भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जी नहीं, स्थिति बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट कर दी गई है।

उदयपुरवाटी (झुन्झुनू) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

50. श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा-मालानी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं में कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने की घोषणा की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुरवाटी में कृषि उपज मण्डी स्थापित करने हेतु राज-पत्र में प्रकाशन हेतु अधिसूचना भी जारी कर दी है ?

(3) यदि हां, तो अब कब तक उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं में कृषि उपज मण्डी स्थापित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार ने प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुरवाटी के सदस्यों

(कृषि मन्त्री)

का मनोनयन कर दिया था। दिनांक 1-5-80 को राजस्थान राज-पत्र में मनोनीत सदस्यों की सूची भी प्रकाशित कर दी थी एवं उक्त विज्ञप्ति में उक्त समिति का क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया था। मनोनीत समिति से इसी विज्ञप्ति द्वारा मण्डी स्थापित करने की अपेक्षा भी की गई थी, किन्तु तत्पश्चात् उदयपुरवाटी मण्डी समिति के प्रस्तावित क्षेत्र को पास की मण्डी समिति, नवलगढ़ में मिलाया जाना उचित समझा गया एवं तदानुसार इसे राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या प. 10 (37) कृषि/ग्रुप-2-बी।79, दिनांक 16-11-81 द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ़ के क्षेत्र में मिलाया जा चुका है।

(3) उदयपुरवाटी क्षेत्र को कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र, नवलगढ़ में मिलाये जाने के कारण अब वहां पृथक कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के संचालन हेतु केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रतिमान के अनुसार नियुक्तियां

51. श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के संचालन हेतु केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश, जिला, नगर आदि स्तर पर विभिन्न पदों का पेटर्न तय कर रखा है? यदि हां, तो वह पेटर्न क्या है?

(2) क्या इस पेटर्न के अनुसार राज्य के परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियुक्तियां कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक ये नियुक्तियां कर दी जायेंगी?

(3) क्या यह सही है कि नियुक्तियां नहीं करने से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बाधा आ रही है?

उत्तर

(1) जी हां, पेटर्न की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नियुक्तियां करने की प्रक्रिया जारी है, सभी नियुक्तियां भारत सरकार के पेटर्न के आधार पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा की गई है। जो पद रिक्त हैं उसका कारण भारत सरकार द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध एवं कुछ पदों पर निर्धारित योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होना तथा कुछ पदों पर अन्य विभागों द्वारा नियुक्तियां की जानी हैं, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। परिवार नियोजन का कार्य चिकित्सा विभाग के सभी कार्यकर्ता लगन व निष्ठा से मिलजुल कार्य कर रहे हैं जो परिवार कल्याण की उपलब्धियों से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त दूसरे विभाग एवं समाज सेवी सगंठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है।

STATE FAMILY PLANNING BUREAU

STAFF :

	Additional/Joint/Dy. Director (F.P.)	1
1.	Administrative Officer (F.P.) (Senior Dy. Collector from P.C.S.)	
2.	Store Officer	1
3.	Office Superintendent	1
4.	Stenographer	1
5.	Inspection Officer of Stores	1
6.	U. D. Assistant (One for Store)	2
7.	Upper Division Assistant/Stenographer	1
8.	Senior Accountant	1
9.	Accountant One for Store	2
10.	Lower Division Clerk	2
11.	Typist	3
12.	Packers	2
13.	Peon	5
14.	Drivers	3/4*
15.	Cleaner	1
16.	Night Guard	1

* In case of states where the number of districts are more than 15 for Additional A.V. Van.

EDUCATION AND INFORMANTION DIVISION

1.	Dy. Assistant Director (Mass Eduction and Communication Officer.)	1
2.	Health Education Officer	1
3.	Assistant Editor	1
4.	Artist/Artist Cum-Photographer	1
5.	U.D. Clerk	1
6.	Steno typist	1

OPERATION PLANNING AND TRAINING DIVISION

1.	Assistant Director	1
2.	Assistant Director (Training and I.U.D.)	1
3.	U.D. Clerk.	1

AUDIT AND ACCOUNTS PARTY

1.	S.A.G. Accountant	1
2.	Lower Division Clerk	2

DEMOGRAPHIC AND EVALUATION CELL

1.	Demographer	1

2.	Social Scientist	1
3.	Statistician	2
4.	Investigator	1
5.	Statistical Assistant	1
6.	Lower Division Clerk	1

CONSTRUCTION CELL

1.	Executive Engineer	1
2.	Steno-typist	1

DISTRICT FAMILY PLANNIING BUREAU

STAFF

Distt. Family Planning Officer (Class I Officer)

ADMINISTRATIVE DIVISION

1.	Administrative Officer/Superintendent (Sub-Deputy Collector/Tehsildar).	1
2.	Upper Division Clerk	1
3.	Assistant Accountant	1
4.	Cashier	1
5.	Upper Division Clerk (Store)	1
6.	Lower Division Clerk Cum-typist	1
7.	Steno-typist	1
8.	Driver	1
9.	Peon	2
10.	Chowkidar	1

EDUCATION AND INFORMATION DIVISION

1.	Mass Education and Information Officer	1
2.	Distt. Extension Educators (One Male and One Female)	2
3.	Artist Cum-Photographer	1
4.	Projectionist	1
5.	Driver Cum-Mechanic	1
6.	Cleaner	1

FIELD OPERATION & EVALUATION DIVISION

1.	Statistical Investigator	1
2.	Family Planning Field and Evaluation Worker/Computor/Clerk	1

STERLIZATION UNIT (MOBILE)
(1 per District bureau)

1.	Assistant Surgeon Grade-1	1
2.	Operation Theatre Nurse	1
3.	Operation Theatre Attendant	1
4.	Driver Cum-Mechanic	1
5.	Cleaner	1

I. U. C. D. Unit (MOBILE) ONE FOR FIVE TO SEVEN POINT 5 LACS POPULATION

1.	Assistant Surgeon, Grade-I (Preferably Lady Doctor)	1
2.	Auxiliary Nurse Midwives	1
3.	Attendant (One Male and One Female)	2
4.	Driver-Cum-Mechanic	1

URBAN FAMILY WELFARE PLANNING CENTRES

I. Uraban Centres for a population of 10,000:—

1.	Medical Officer Part-time	1
2.	Family Planning Field Worker	1

II. Urban Centres for a population ranging from 10,000 to 25,000 :—

1.	Part-time Doctors (One Male and One Female)	2
2.	Family Planning Field Worker (Male)	
3.	A.N.M.	1

III. Urban Centres for a population ranging from 25,000 to 50,000 :—

1.	Part-time Doctors (Male and One Female)	2
2.	Family Planning Extension Educator (Male)	1
3.	Family Planning Field Worker (Male)	1
4.	A.N.M.	1
5.	Attendant	1

IV. Urban Centres for a population of 50,000 or above:—

1.	Full-time/Part-time Medical Officer (One Male and One Female).	2
2.	Family Planning Extension Eductor	1
3.	Public Health Nurse, L. H. V.	1
4.	Family Planning Welfare Worker (Male)	1
5.	Auxilary Nurse Midwife	1
6.	Store-Keeper-Cum-Clerk-Accountant	1
7.	Attendant	1
8.	Sweeper (Part-time)	1

A. N. M. TRAINING CENTRE

STAFF:

1.	Sister Tuitor	2
2.	Staff Nurse	2
3.	Domestic Staff	3

L. H. V. TRAINING CENTRE

STAFF:

1.	Sister Tuitor	1
2.	Assistant Superintendent	2

REGIONAL FAMILY PLANNING CENTER

1.	Principal	1
2.	Medical Lecturer-Cum-Demonstrator	1
3.	Health Education Instructor	1
4.	Social Science Instructor	1
5.	P. H. N. Nurse	1
6.	Health Education and Extension Officer	4
7.	Statistician	1
8.	Office Superintendent	1
9.	Projectionist	1
10.	Computor	1
11.	Artist Cum-Draftman	1
12.	Clerk-Cum-Typist	1
13.	Steno-typist	1
14.	Clerk-Cum-Accounts-Cum-Store Keeper	1
15.	Driver-Cum-Mechanic	3
16.	Cleaner	1
17.	Sweeper	1
18.	Chowkidar-Cum-Mali	1
19.	Peon Cum-Daftri and Domestic Staff (i.e. Cook/ Aya/Attendant/Bearer)	3

परिशिष्ट "स"

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त पदों की सूचना

पद नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
राज्य परिवार कल्याण अधिकारी	1	–	1
उप-निदेशक (प.क.)	1	–	1
प्रशासनिक अधिकारी (आर. ए. एस.)	1	–	1
सहायक निदेशक (प. क.)	1	–	1
सहायक सम्पादक	1	–	1
प्रदर्शनी अधिकारी	1	–	1
प्रधानाचार्य	2	1	1
उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.)	26	16	10
प्रशासनिक अधिकारी (प.क.)	26	8	18
सी. ए. एस.	327	302	25
जिला जन स्वास्थ्य नर्स	26	–	26
जिला शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी	26	24	2
सांख्यकीय सहायक	25	19	5
वरिष्ठ लिपिक	371	366	5
कनिष्ट लेखाकार	29	27	2
कनिष्ठ लिपिक	77	75	2
वरिष्ठ लिपिक कम स्टै. टाइपिस्ट	28	27	1
कम्प्यूटर	265	137	128

1	2	3	4
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	295	188	107
ए. एन. एम.	1337	1197	140
खण्ड शिक्षा प्रसारक	232	225	7
परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक	928	711	217
प. क. कार्यकर्त्ता	146	65	81
आर्टिस्ट कम ड्राफ्टमैन	2	—	2
डार्क कम असिस्टेन्ट	2	—	2
असिस्टेन्ट	1	—	1
ले आउट आर्टिस्ट	1	—	1
प्रेनिंग मशीन आपरेटर	1	—	1

(144)

ANNEXURE—A

STATE FAMILY PLANNING BUREAU

[State Family Planning and M.C.H. Office (Addtional Director Scale)]

Other than Ist Class Head of the Department

Administration and Store Division		Education and Information Division		Operation, Planning and Training Division		Demographic and Evaluation Cell	
1		2		3		4	
1. Administrative Officer (F.P.) (Sr. Dy. Collector from P. C. S. CADRE).	1	1. State Mass Education and Communication Officer.	1	1. Asstt Director (F.P.)	1	1. Demographic and Evaluation Officer,	1
2. Accounts Officer	1	2. Exhibition Officer,	1	2. Asstt. Director (Trg. and IUCD programme.)	1	2. Social Scientist	1
3. Store Officer (A. A. O.)	1	3. Asstt. Editor	1	3. U. D. CLERK	2	3. Statisticians	2
4. Office Superintendent, Gr. I	1	4. Artist or Artist. Cum-Photographer.	1	Construction Cell :		4. Statistical Assistants	2
5. Inspection Officer (Accountant for Stores).	2	5. U. D. CLERK	1	1. Executive Engineer.	1	5. L. D. C.	1
6. Accountant	2	6. Steno-typist	1	2. Stenographer	1	6. Field Evaluation Workers.	1

7. Stenographer	1	**Offset Press:** See on reverse.	**Internal Audit Party.**	
			1. Accountants	2
8. U. D. C. (one for stores)	2		2. L. D. C.	4
9. Upper Division Assistant/ Stenographer.	1			
10. L. D. C.	3			
11. Typist	3			
12. Packers	2			
13. Peons	5			
14. Drivers	2			
15. Cleaners	1			
16. Night Guard	1			

NOTE :—1. General staffing pattern including the pattern of Internal Audit Parties conveyed by the Government of India vide their letter No. 5-35/68-PLY, dated 16-9-1966.

2. The maximum number of F. P. Field Evaluation Workers will be equal to half the number of Districts in the State. The State Family Planning Officer engaged such number at his discretion as and when and where necessary in connection with field studies to be undertaken by the Demographic and Evaluation Cell.

3. Staffing pattern for Offset Press conveyed vide No. 2-10/67-MEI and M, dated 25-7-1967.

4. Staffing Pattern for Demographic and Evaluation Cell conveyed vide No. 5-VI(I)69-PLY, dated 3-4-1969.

5. Staffing Pattern of construction cell received from the Government of India vide No. 5-VIII (28) 69-PLY, dated 12-2-1970.

Sd/-
(Hari Singh)

145

EDUCATION AND INFORMATION DIVISION

OFFSET PRESS :

1.	Manager, Offset Press (Person to be taken on deputation from Rajasthan Press Service of the Cadre of Assistant Superintendent).	
2.	Accountant	1
3.	Accounts Clerk	1
4.	Camera man	1
5.	Compositor Grade I	1
6.	Compositor Grade II	1
7.	Proof Reader Gr. I	1
8.	Proof Reader Gr. II	1
9.	Binder Grade II	1
10.	Developer (Dark room Assistant)	1
11.	Photo Artist	1
12.	Machine Operator	1
13.	Assistant Machine Operator	1
14.	U.D.C.	1
15.	L.D.C.	1
16.	Developer Dark Room Assistant	1
17.	Halio Offseter	1
18.	Class IV Servant (including Chowkidar)	5

ANNEXURE—"B"

STAFFING PATTERN OF DISTRICT FAMILY PLANNING BUREAU

District Family Planning Officer

(*Scale No. 600—1100 Plus N. P. A.*)

Administration Division		Education & Information Bureau		Field Operation & Evaluation Div.	
1		2		3	
1. Administrative Officer (Sub. Dy. Collector/Tehsildar)	1	1. Distt. Mass. Education & Information Officer	1	1. Statistical Assistant	1
2. U. D. C.	1	2. *2. Distt. Extension Educator (One male & one female)	2	2. Computor-cum-clerk	1
3. Asstt. Accountant (Accounts clerk)	1	3. Artist-cum-Photographer	1		
4. Cashier (U. D. C.)	1	4. Projectionist	1		
5. U. D. C. (stores)	1	5. Driver-cum-Mechanic	1		
6. L. D. C. cum typist	1	6. Cleaner	1		
7. Stenotypist	1				
8. Peon	1				

1148

1	2	3
9. Cycle sawar	1	
10. Seeper (Part-time) Rs. 20/- P.M.	1	

@Vide State Government order No. F. 1 (14) F.P./68, dated 13-10-1969.

NOTE :— 1. The above pattern was conveyed by Government of India vide No. F. 5.65/68—P.&E., dated 29-10-1966 and No. 5—vi/68—PLY, dated 11-6-1968.

× 2. The post of District Extension Educator have not been created so far.

@3. The post of Artist cum Photographer have not been created in all the Districts but only in 14 districts.

4. The scale of pay and allowances of the staff would be according to the State Government pattern.

5. A pool of two cleaners will have to look after all vehicles in the District Bureau.

Sd/—
HARI SINGH

(149)

ANNEXURE-"D"

Family Planning Training Centres Pattern of Staff.

S. No.	Name of the post	No. of posts
1.	Officer-in-charge (Assistant Director's Scale)	1
2.	Medical Lecturer-Cum-Demonstrator (C.A.S.)	1
3.	Health Education Instructor	1
4.	Social science Instructor	1
5.	Public Health Nurse Instructor	1
6.	Health Education Extension Officer	4
7.	Statistician	1
8.	Office Superintendent Gr. II	1
9.	Projectionist	1
10.	Computor	1
11.	Artist-Cum-Draftsman	1
12.	Accounts Clerk	1
13.	Clerk-Cum-Typist (L.D.C.)	1
14.	Steno-Typist	1
*15.	Driver-Cum-Mechanic (If there are 2 vehicles)	2
16.	Peon-cum-Daftary and domestic staff (Cook-Aya/Attendant/Bearer).	4
17.	Cleaner	1
18.	Sweeper	1
19.	Chowkidar/Mali	1

Conveyed by the Government of India vide No.—

1. No. 5-33/68—PLY, dated 12-7-1966.
*2. No. 5-II/ (10)—PLY, dated 19-1-1970.
@3. No. 23-14/69—PLY, dated 13-4-1970.

Sd/-
HARI SINGH

ANNEXURE—"E"

नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों के लिये वर्तमान तथा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का वितरण

अनुबंध

वर्तमान पेटर्न				संशोधित पेटर्न			
श्रेणी	अन्तर्गत लाई गई जनसंख्या 1	स्टाफिंग पैटर्न 2		श्रेणी 3	अन्तर्गत लाई गई जनसंख्या 4	स्टाफिंग पैटर्न 5	
एक	10,000 तक	चिकित्सा अधिकारी (अंशकालिक),	1		समाप्त कर दिया गया	—	
		प. नि. क्षेत्रीय अधिकारी ।	1				
दो	10,000 से 25,000 तक	अंशकालिक डॉक्टर,	2	श्रेणी एक	10,000 से 25,000 तक	सहायक नर्सधात्री	1
		प. नि. क्षेत्रीय कार्यकर्ता (पुरुष) ।	1			प. नि. क्षेत्रीय कार्यकर्ता (पुरुष) ।	1
तीन	25,000 से 50,000 तक	सहायक नर्सधात्री	1	श्रेणी दो	25,000 से 50,000	प. नि. विस्तार/शिक्षक । स्वास्थ्य विक्षिका	1
		अंशकालिक डॉक्टर	2				
		प. नि. विस्तार शिक्षक	1			प. नि. क्षेत्रिय कार्यकर्ता (पुरुष)।	1
						सहायक नर्सधात्री	1
		प. नि. क्षेत्रीय कार्यकर्ता	1				
		सहायक नर्सधात्री	1				
		परिचर	1				
चार	50,000 और उससे अधिक	1. पूर्णकालिक/अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी ।	2	श्रेणी तीन	50,000 से अधिक* जनसंख्या के लिए	चिकित्सा अधिकारी (पुरुष को वरीयता)	1

1	2	3	4	5
	2. प. नि. विस्तार शिक्षक	1		स्वास्थ्य वीक्षिका
	3. जनस्वा. नर्स/स्वा. वीक्षिका	1		सहायक नर्सधात्री 1
	4. प. नि. कल्याण कार्यकर्ता (पुरुष)	1		प. नि. क्षेत्रीय कार्यकर्ता (पुरुष) । 1
	5. सहायक नर्सधात्री	1		भंडारी एवं लिपिक 1
	6. भंडारी एवं लेखाकार	1		
	7. परिचर	1		
	8. सफाई कर्मचारी (अंशकालिक)	1		

*प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत केन्द्रों के लिए एक अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध कराया जाएगा।

ANNEXURE "F"

RURAL FAMILY PLANNING ORGANISATION

(Additional resources at the Primary Health Centre level under Family Planning Programme.)

A—URBAN CENTRES AT THE P. H. C.

(I) NON-RECURRING—

(a) Furniture & equipment (including medicine linen etc.)		Rs. 3,500/-
(b) Education Aids including P.A.E. Record player, Film strip projector etc.		Rs. 1,500/-
(c) Portable Exhibition set		Rs. 500/-

(II) RECURRING—

STAFF :—

1.	Assistant Surgeon (C.A.S.)	1		
2.	F.P. Extension Educator (B.E.E.)	1		
3.	Lady-Health Visitor	1	(for 40,000 population 4 sub-centres)	
4.	F.P. Health Assistant	1	(for 20,000 population)	
5.	Computor	1		
6.	Store keeper-cum-clerk	1		
7.	Auxiliary nurse Midwife	1		
8.	Female Attendant (for A.N.M.) @ Rs. 50/- P.M.	1		
9.	General Contingent expenditure (* including rent of building, if any)			Rs. 2,400/- per annual*

10. Maintenance cost of transistorised set:

Licence fee	Rs. 7.50	
Batteries	Rs. 15.00	
Maintenance/ repairs charges	Rs. 2.50	
TOTAL ..	Rs. 25.00	Rs. 25/- per annum

11. Cost of replacement of surgical instruments/and equipments — Rs. 200/-

B—SUB—CENTRES (ONE FOR EVERY 10,000 POPULATION AFTER 1ST THREE SUB—CENTRES OPENED UNDER HEALTH SCHEME).

I. NON—RECURRING:

(i) Equipment, furniture, education aids including film strip projector, auto cycle etc. — Rs. 2,200/-

II. RECURRING:

(a) STAFF:—

1. Auxiliary Nurse Midwife	1	
2. Female Attendant for A.N.M. @ Rs. 50/- per monhts.	1	
3. Contingencies (+including rent where paid)		Rs. 1,200/- per annum×
4. Maintenance cost of transistorised Radio set		Rs. 25/- per annum.

NOTE :— 1. Medical Officer (C. A. S.) should be Lady. If Lady Medical Officer are not available the Male Medical Officer may be appointed.

2. Pay and allowances of only the Lady Health Visitor will be met from then State Health Budget.

3. Recurring expenditure for maintenance of radio sets will be admissible only for such centres and sub-centres where radio sets have been supplied by the Government of India.

जहाजपुर-कोटड़ी—माण्डलगढ़ क्षेत्र में जियोलाजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा सुरक्षित भू-भाग

52. श्री **रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर-कोटड़ी-मांडलगढ़ क्षेत्र का काफी बड़ा भू-भाग वर्षों से सुरक्षित किया हुआ है ? यदि हां, तो कितना क्षेत्र कब से सुरक्षित है ?

(2) क्या इस क्षेत्र में सोप स्टोन, चायनाक्ले, लाइमस्टोन, अभ्रक, बेसिल आदि खनिज पदार्थ के प्रचुर भण्डार उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उनका छोटे-छोटे खनन पट्टे देने तथा इन पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस सुरक्षित क्षेत्र को भारत सरकार के भू-गर्भ एवं खान विभाग के सर्वे यूनिट से मुक्त करने के लिये प्रयत्नशील है ? यदि हां, तो इसकी क्या प्रगति है ?

(4) क्या सरकार छोटे-छोटे खनन पट्टे देकर उपलब्ध खनिज सम्पदा को निकाल कर उद्योगों के प्रसार के लिये भारत सरकार से कार्यवाही करने के लिये ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार बड़े भू-भाग में से जितना आवश्यक हो उतना रख, शेष भाग को मुक्त कराने के लिये भारत सरकार के भू-गर्भ एवं खान विभाग का ध्यान आकृष्ट करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर, कोटड़ी, माण्डलगढ़ क्षेत्र में 549.642 व.कि.मी. क्षेत्र दिनांक 15-10-75 से सीसा, जस्ता व ताम्बे के खनिजों के लिये आरक्षित किया हुआ है।

(2) जी नहीं। इस क्षेत्र में सोप-स्टोन, चायनाक्ले, गारनेट, अभ्रक व बेरिल आदि खनिज पाये गये हैं। किन्तु इनके कोई विशाल भंडार अभी तक ज्ञात नहीं है, तथापि उक्त खनिजों के कुछ खनन पट्टे आरक्षण से पूर्व स्वीकृत किये जा चुके हैं। समान्यतया: नियमानुसार जब तक उक्त क्षेत्र आरक्षण से मुक्त नहीं कर दिया जाता है तब तक इस क्षेत्र में अन्य खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा उक्त आरक्षित क्षेत्र को मुक्त कराने हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को लिखा गया किन्तु उनके द्वारा अभी भी इस क्षेत्र को आरक्षित रखने का विचार व्यक्त किया गया है। इसको देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल इस क्षेत्र को मुक्त कराने हेतु प्रयत्न नहीं कर रही है।

(4) जी नहीं। चूंकि क्षेत्र में ताम्बा, सीसा, जस्ता आदि बहुमूल्य खनिजों के मिलने की सम्भावना है अत: आरक्षित क्षेत्र में खनन पट्टे आवंटन करना राज्य सरकार उचित नहीं समझती।

(5) राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा क्षेत्र को मुक्त घोषित करने हेतु

(खनिज मंत्री).

उक्त महा निदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जयपुर को लिखा गया था। किन्तु अभी तक उन्होंने इस क्षेत्र को मुक्त घोषित करने से असहमति प्रकट की है। सभी क्षेत्रों को मुक्त करने के बारे में राज्य के खनिज विभाग एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मध्य समय-समय पर विचार-विनिमय किया जाता है।

पशुमेला पाबोलाव पचायत समिति, लाडनूं में पशुपालकों से वसूल किया गया प्रवेश शुल्क

53. **श्री रामधन** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं पंचायत समिति के पशु मेले पाबोलाव में पशुपालकों से प्रति पशु एक रुपया प्रवेश-शुल्क लिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसकी शिकायत अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर को की गई थी ? यदि हां, तो विकास अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा पाबोलाव पशु मेला में एक रुपया प्रति पशु मेला शुल्क लगाया गया था। यह शुल्क मेला ग्राउण्ड के विकास, छायादार वृक्ष लगाने, मवेशियों एवं व्यापारियों को अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु लगाया गया था।

(2) जी हां। क्षेत्रीय विधायक लाडनूं ने अतिरिक्त जिलाधीश को इस शुल्क वसूली के सम्बन्ध में शिकायत की थी, जिसकी जांच उप-खण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार विकास-अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता किया जाना नहीं पाया गया।

जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों में भारतीय एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन

54. **श्री नाथूसिंह** (बागीदोरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषदों व पंचायत समितियों में आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारियों को पदस्थापित करने का सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों व कितने आई. ए. एस. व आर. ए.एस. अधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे ?

(2) इससे राज्य सरकार पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा ? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी. हां। राज्य को 118 पंचायत समितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विकास अधिकारी पद पर लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पचायती राज को नवजीवन देने तथा विकास कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करने हेतु लिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित किये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लगाये जाने से राज्य कोष पर कितना अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा, इसका ब्यौरा देना अभी सम्भव नहीं है। क्योंकि पदस्थापन के समय

आर. ए. एस. अधिकारियों का कितना वेतन होगा यह अभी ज्ञात नहीं हैं।

ग्राम तसींग व परतापुर (अलवर) में राजकीय चिकित्सालय

55. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार जिला अलवर के ग्राम परतापुर तथा ग्राम तसींग तहसील बहरोड़ में राजकीय चिकित्सालय खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

जी नहीं।

राज्य सरकार की नीति के अनुसार इन पंचायत समितियों में चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है।

जिला बांसवाड़ा में डाक्टर्स का अभाव

56. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने डाक्टर्स, लेडी डाक्टर्स व स्टाफ की कहां-कहां कमी है? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त कमी को तत्काल पूरा करने का विचार रखती है?

(3) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि अस्पतालों में दवाईयों का अभाव है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(4) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरकारी दवाईयां अस्पतालों से प्राईवेट स्टोर्स पर दे दी जाती है?

(5) क्या राज्य सरकार दवाईयों के सम्बन्ध में अनियमितताओं की जांच करायेगी? यदि हां, तो कब? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, अस्पतालों में दवाईयों का कोई अभाव नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तारांकित प्रश्न संख्या 56 की सूची

जिला बांसवाड़ा में रिक्त पदों की सूची मय ग्रार. एफ. डब्ल्यू. सी.

क्र. सं.	संस्था का नाम	रिक्त पदों का नाम कनिष्ट विशेषज्ञ	सी. ए. एस. महिला	सी. ए. एस.	मेलनर्स	एएनएम	एल.एच.बी.	च. श्रे. क.	ग्रन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	महात्मा गांधी ग्रस्पताल	5	9	1	2	—	—	2	8
2.	कुशलगढ़ पी. एच. सी.	—	5	1	4	1	—	3	15
3.	प्रतापपुर पी. एच. सी.	—	—	—	—	—	—	—	7
4.	तलवाड़ा पी. एच. सी.	—	—	—	—	—	1	—	6
5.	छोटी सरवन पी. एच. सी.	—	—	—	2	1	—	—	5
6.	छींछी पी. एच. सी.	—	—	1	—	—	1	—	6
7.	ग्रानन्दपुरी पी. एच. सी.	—	1	1	1	1	1	—	3
8.	गनोड़ा पी. एच. सी.	—	—	1	—	1	—	—	4
9.	छोटा डूंगरा पी. एच. सी.	—	—	1	1	—	1	—	6
10.	मिनी पी. एच. सी., केला मेखा	—	1	—	1	—	—	—	—
11.	गढ़ी डिस्पेंसरी	—	—	—	1	—	—	—	—
12.	मोखमपुरा डिस्पेंसरी	—	1	—	1	—	—	—	—
13.	सरेडा बड़ी डिस्पेंसरी	—	1	—	—	—	—	—	—
14.	भुगड़ा डिस्पेंसरी	—	1	—	—	—	—	—	—
15.	छोटी सरवा डिस्पेंसरी	—	1	—	1	1	—	—	—
16.	ढानपुरा डिस्पेंसरी	—	1	—	—	1	—	—	—
17.	पीपलखूंट डिस्पेंसरी	—	1	—	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	सलोपाट डिस्पेंसरी	—	1	—	1	—	—	—	—
19.	चान्दरबाड़ा डिस्पेंसरी	—	1	—	2	—	—	—	—
20.	तामेसरा डिस्पेंसरी	—	1	—	1	—	—	—	—
21.	कमारबाड़ी डिस्पेंसरी	—	1	—	2	—	—	—	—
22.	चन्दूजी का भढ़ा	—	1	—	1	1	—	—	—
23.	शेराढ डिस्पेंसरी	—	1	—	1	—	—	—	—
24.	एडपोस्ट खेड़ा	—	—	—	1	—	—	—	—
25.	एडपोस्ट किशोरपुरा	—	—	—	1	—	—	—	—
26.	एडपोस्ट भतार	—	—	—	1	—	—	—	—
27.	एडपोस्ट लंकई	—	—	—	1	—	—	—	—
28.	एडपोस्ट देलबाड़ा	—	—	—	1	—	—	—	—
	योग ..	5	29	6	28	7	4	5	65

पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा

57. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एस. एच. ओ. को छोड़कर पुलिस कर्मचारी कान्सटेबल आदि को आवास सुविधा प्रदान नहीं की जाति है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मियों को महाराष्ट्र राज्य में आवास सुविधा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार आवास सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी और पुलिस कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, किन्तु महाराष्ट्र सरकार सभी अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। महाराष्ट्र में जिन अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध है उनका प्रतिशत 50 से कुछ ही अधिक है। राजस्थान सरकार की भी नीति कान्स्टेबल से लगाकर पुलिस उप-निरीक्षक के स्तर के पुलिस कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की है।

वित्तीय साधनों को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक पुलिस कर्मचारियों को कम से कम समय में आवास सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। शतप्रतिशत अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने में समय लगेगा।

तहसील चौहटन के ग्रामों में चल रहे कसीदाकारी गृह उद्योग

58. श्री भगवान दास डोसी (चौहटन).—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में गृह उद्योग के रूप में जो कसीदा कारीगरी चल रही है उसको विकसित करने व प्रोत्साहन देने के लिये सरकार के पास क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार इस योजना को प्रोत्साहन देकर अकाल की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

बाड़मेर जिले की कसीदाकारी उद्योग के प्रचार व प्रसार के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा निम्न सुविधाएं दी जा रही हैं:—

(1) इस हस्तशिल्प के विक्रय की सुविधा निगम द्वारा अपने विभिन्न हस्तशिल्प विक्रय केन्द्रों पर प्रदान की हुई है।

(2) निगम महत्वपूर्ण मेलों व प्रदर्शनियों में इस शिल्प का प्रचार व प्रसार करते हैं व इस शिल्प को बनाते हुए दिखाया जाता है।

इस प्रकार का वर्तमान में कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

उद्योगों की भांति किसानों को जनरेटर लगाने हेतु सबसिडी

59. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण),

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उद्योगों में जनरेटर लगाने हेतु सरकार सबसिडी दे रही है ? यदि हां, तो क्या किसानों को भी जनरेटर लगाने हेतु सबसिडी देने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो सरकार कब तक यह आदेश कर देगी व कितनी सबसिडी देगी ?

उत्तर

यह सही है कि उद्योगों में जनरेटर लगाने हेतु सरकार 50 प्रतिशत सबसिडी दे रही है किन्तु यह राशि 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं होगी। लघु एवं सीमान्त कृषकों को डीजल इन्जिन लगाने के लिये अनुदान दिया जा रहा है। अन्य कृषकों के लिये अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

देवस्थान विभागाधीन बांसवाड़ा स्थित राज-राजेश्वर मन्दिर के क्षेत्र की जमीन पर नाजायज कब्जे

60. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बांसवाड़ा शहर में स्थित राज-राजेश्वर मन्दिर देवस्थान विभाग के अधीन है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से उसके रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर के क्षेत्र की ज़मीन पर किसी का नाजायज कब्जा है ? क्या सरकार ने उस जमीन को छुड़वाने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मंदिर की पूर्ण सेवा-पूजा एवं संपत्ति की व्यवस्था राजकीय बजट से देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है।

(2) इस मंदिर के क्षेत्र की भूमि को अवैध रूप से विक्रय किया जाना ज्ञात हुआ है। इस संबंध में जांच की जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

सआदत अस्पताल टोंक को क्रमोन्नत करना

61. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या टोंक के सआदत अस्पताल को क्रमोन्नत करने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) चिकित्सालयों की क्रमोन्नति किस आधार पर की जाती है ? क्या सआदत अस्पताल, टोंक की क्रमोन्नति उस आधार पर नहीं की जा सकती ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निर्धारित मापदण्ड, नीति एवं वित्तीय अभाव के कारण क्रमोन्नत करना संभव नहीं है।

(2) चिकित्सालयों की क्रमोन्नति के निम्न प्रमुखतः आधार हैं:—

1. जिले की जनसंख्या।
2. चिकित्सालय पर पड़ने वाला कार्य-भार।
3. वित्तीय प्रावधान।
4. जन सहयोग से भवन व्यवस्था। भवन व्यवस्था को ठोस प्रस्ताव आने व वित्तीय प्रावधान होने पर विचार किया जायेगा।

161

परिशिष्ट-4

सूची "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 22 की सूची)

विधान सभा प्रश्न

प्रश्न संख्या 1:—

अप्रेल, सन 1962 से जनवरी, सन् 1982 तक के सालाना सीमेंट उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	सीमेंट उत्पादन टनों में	
1962-63	8,23,238	
1963-64	8,28,900	
1964-65	7,03,651	
1965-66	7,21,528	
1966-67	7,79,114	
1967-68	8,00,103	
1968-69	8,16,953	
1969-70	8,58,735	
1970-71	8,00,460	
1971-72	8,72,690	
1972-73	6,92,340	
1973-74	5,63,790	
1974-75	4,69,890	
1975-76	94,107	फैक्ट्री करीब 8 महीने बन्द थी।
1976-77	7,10,230	
1977-78	6,67,244	
1978-79	6,64,363	
1979-80	4,35,719	
1980-81	5,01,558	
1981-82 (जनवरी, 1981 तक)	2,74,558	

सूची "ख"

विधान सभा प्रश्न

प्रश्न संख्या 2

अप्रेल, सन् 1962 से जून, सन् 1981 तक के सालाना लाभ व हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं—

वर्ष	लाभ रुपये लाखों में	हानि रुपये लाखों में
1962–63	87.12	–
1963–64	68.72	–
1964–65	21.84	–
1965–66	31.50	–
1966–67	18.12	–
1967–68	39.18	–
1968–69	10.39	–
1969–70	28.90	–
1970–71	10.32	–
1971–72	–	79.33
1972–73	–	77.40
1973–74	–	291.17
1974–75	–	302.61
1975–76	–	558.54
1976–77	–	204.37
1977–78	–	187.24
1978–79	–	218.84
1979–80	–	437.70
1980–81	–	431.96 (लगभग)

(163)

सूची "ग"

मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को लाभ में चलाने हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण:—

1. भारत सरकार को सीमेंट की रिटेन्सन प्राईस में परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया गया है।

2. भारत सरकार को कम्पनी द्वारा शत प्रतिशत पुराने बोरे उपयोग में लेने की स्वीकृति देने हेतु निवेदन किया गया है।

3. सीमेंट उद्योगों को अन्य उद्योगों की तुलना में ज्यादा पावर दिया जा रहा है।

4. कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत चूने के पत्थर की खानों में कुछ समय पश्चात् चूने का पत्थर समाप्त होने की संभावना है व वर्तमान में चूने का पत्थर निकालने के लिये गहरा खनन् किया जाता है, जो बहुत अधिक खर्चीला है, अतः पाली मार्न्ईस (जिला सवाई माधोपुर) से चूने का पत्थर प्राप्त करने हेतु खान विभाग में माईनिंग लीज स्वीकृत करने के लिये मामला खान विभाग के विचाराधीन चल रहा है।

5. कम्पनी के पुनःस्थापन एवं मशीनों के आधुनिकरण हेतु वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिये प्रयास किये गये थे परन्तु 1979 में संसद में उक्त कम्पनी के राष्ट्रीयकरण करने संबंधी विधेयक पेश होने के कारण ऋण की व्यवस्था नहीं हो सकी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु करीबन 55.00 करोड़ रुपये की रिवाईज्ड स्कीम तैयार की जा रही है।

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची

आई.ए.एस. में अनुसूचित जाति के अधिकारियों की सूची—

क.सं.	नाम	दिनांक 15-7-81 से पहले का पदस्थापन	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री महेन्द्र सिंह	काउन्सलर (कोर्डिनेशन), एम्बेसी ऑफ इण्डिया, मास्को (यू.एस.एस.आर.)।	काउन्सलर (कोर्डिनेशन); एम्बेसी ऑफ इण्डिया, मास्को (यू.एस.एस.आर.)।
2.	श्री हनुमान प्रसाद	शासन विशिष्ट सचिव, आयोजना एवं जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, उदयपुर।
3.	श्री एन. के. बैरवा	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर।	शासन विशिष्ट सचिव, उद्योग एवं राजकीय उपक्रम विभाग।
4.	श्री एन.के. वर्मा	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर।
5.	श्री गुरदेव सिंह	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं।
6.	श्री बी.एल. मेहरड़ा	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।	शासन उप सचिव, कृषि (विशिष्ट योजना संगठन)।
7.	श्री टी. आर. वर्मा	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौर।
8.	श्री डी.एस. सागर	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर।	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर।
9.	श्री मनोहरलाल	अतिरिक्त कलेक्टर (विकास), जोधपुर	अतिरिक्त कलेक्टर (विकास), जोधपुर।

1	2	3	4
10.	श्री उमराव सालोदिया	उप खण्ड अधिकारी, बाली	सिटी मजिस्ट्रेट, बीकानेर।
11.	श्री रामलुभाया	उप खण्ड अधिकारी, गंगानगर	अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर।
12.	श्री ललित के. पवांर	मंसूरी में प्रशिक्षण पर (परिवीक्षाधीन)।	उप खण्ड अधिकारी, बाली।
13.	श्री गुरुचरण सिंह सान्धु	मंसूरी में प्रशिक्षण पर (परिवीक्षाधीन)।	उप खण्ड अधिकारी, नोहर।
14.	श्री अशोक सम्पतराम	मंसूरी में प्रशिक्षण पर (परिवीक्षाधीन)।	उप खण्ड अधिकारी, दौसा।
15.	श्री तपेन्द्र कुमार	जिला प्रशिक्षण पर, कोटा (परिवीक्षाधीन)।	जिला प्रशिक्षण पर, कोटा।

आई. ए. एस. में अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों की सूची—

1.	श्री जी. रामचन्द्र	शासन सचिव, अकाल सहायता एवं पदेन सहायता आयुक्त।	शासन सचिव, पुनर्वास विभाग एवं पदेन पुनर्वास आयुक्त।
2.	श्री चन्द्र प्रकाश	शासन सचिव, खान विभाग	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर।
3.	श्रीमती जुमकी एस. कुमार	शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।	शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4.	श्री धर्म सिंह मीना	जनरल मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।	शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग।
5.	श्री हरिराम मीना	निदेशक, अल्प बचत एवं लाटरीज राजस्थान, जयपुर।	शासन विशिष्ट सचिव, सी.ए.डी. एवं राजस्थान नहर परियोजना।
6.	श्री बी. पी. आर्य	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़।	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़।

1	2	3	4
7.	श्री के. एल. मीना	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली।	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली।
8.	श्री ग्रार. एन. मीना	शासन उप-सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	शासन उप-सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
9.	श्री ग्रो. पी. मीना	मंसूरी में प्रशिणक्ष पर (परिवीक्षाधीन)	उप-खण्ड ग्रधिकारी, बल्लभ नगर।
10.	श्री चन्द्र मोहन मीना	जिला प्रशिक्षण पर उदयपुर (परिवीक्षाधीन)	जिला प्रशिक्षण पर उदयपुर (परिवीक्षाधीन)

नोट:—इनके ग्रलावा ग्रनुसूचित जन-जाति के श्री भवानी सिंह, मीना, महाराष्ट्र काडर से प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान राज्य में (1978) से कार्यरत हैं। इनकी पोस्टिंग 15 जुलाई, 1981 से पूर्व से ग्रार. एफ. सी. में General Manager cum Secretary के पद पर हैं।

ग्रार.ए.एस. में ग्रनुसूचित जाति के ग्रधिकारियों की सूची

क. सं.	नाम	दिनांक 15-7-81 से पहले का पदस्थापन	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री शंकरलाल धोलीवाल	उपायुक्त (ग्रपील्स); वाणिज्यकर, बीकानेर।	20-7-78 से ग्रब तक।
2.	,, बी. एल. वर्मा	प्रशासक, नगर परिषद्, गंगानगर।	ग्रतिरिक्त कलेक्टर (सतर्कता), गंगानगर।
3.	,, गोपालदास	ग्रतिरिक्त निदेशक, पर्यटन विकास; माउण्ट ग्राबू।	ग्रतिरिक्त निदेशक, ग्रायुर्वेद, ग्रजमेर।
4.	,, भोमाराम	सचिव, नगर विकास न्यास, ग्रजमेर।	राजस्व ग्रपील, ग्रधिकारी, ग्रजमेर।
5.	,, कान्तसिंह रावल	उपनिदेशक (प्रशासन), ग्रार्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।	ग्रतिरिक्त कलेक्टर (विकास) एवं प्रदेन परियोजना निदेशक, भरतपुर।
6.	,, थान सिंह जाटव	ग्रतिरिक्त ग्रायुक्त, परिवहन, जयपुर।	ग्रतिरिक्त ग्रायुक्त, विभागीय जांच, जयपुर।

1	2	3	4
7.	सर्वश्री रतन लाल बैरवा	अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा,	उप महानिरीक्षक, रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्पस, अजमेर।
8.	,, रोशन लाल	विशिष्ट सहायक, वन मंत्री	अतिरिक्त कलेक्टर (विकास), डूंगरपुर।
9.	,, आर. एल. डाबी	निजी सचिव, राज्य मंत्री, श्रम एवं जेल मंत्री।	निजी सचिव, राज्य मंत्री, पुनर्वास एवं खादी ग्रामोद्योग
10.	,, पी. सी. बलाई	जिला रसद अधिकारी, जोधपुर।	17-6-78 से अब तक।
11.	,, जी. एल. वर्मा	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर।	सितम्बर, 80 से अब तक।
12.	,, आर. पी. नौहर	सहायक निदेशक, भेड़ एवं ऊन विभाग, जयपुर।	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, बूंदी।
13.	,, जी. सी. सिन्दल	उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर।	उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर।
14.	,, डी. आर. जोधावत	अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टेट, चूरू।	13-1-81 से अब तक।
15.	,, मादराम गोरं	जिला आबकारी अधिकारी, (ग्रामीण) जयपुर।	उप निवन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर।
16.	,, जगदीश प्रसाद	वाणिज्य कर अधिकारी, (स्पेशल सकिल) बीकानेर।	24-10-81 से अब तक।
17.	,, शंकर लाल वर्मा	उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़।	फरवरी, 79 से अब तक।
18.	,, बाबू लाल	उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा।	उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा।
19.	,, एन. आर. यादव	उपखण्ड अधिकारी, भाडोल।	उपखण्ड अधिकारी, डीग।

(168)

1	2	3	4
20.	सर्वश्री राम प्रसाद	उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।	उपखण्ड अधिकारी, करौली।
21.	,, बी. एल. मेघवाल	उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर।	उपखण्ड अधिकारी, झाडोल।
22.	,, बी. एस. सहवाल	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बूंदी।	जुलाई, 79 से अब तक।
23.	,, नानक चन्द	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नागौर।	उपखण्ड अधिकारी, जैतारण, पाली।
24.	,, ए. सी. भट्ट	उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा।	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), बीकानेर।
25.	,, विजयराज	उपजिला विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव, जिला परिषद, सिरोही।	दिसम्बर, 80 से अब तक।
26.	,, यू. आर. कुंडिया	उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर।	फरवरी, 81 से अब तक।
27.	,, मूलचन्द	उपखण्ड अधिकारी डीडवाना।	दिसम्बर, 80 से अब तक।
28.	,, कुमारी लक्ष्मी	सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर।	सितम्बर, 80 से अब तक।
29.	,, लालचन्द असवाल	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर।	जुलाई, 80 से अब तक।
30.	,, हनुमान प्रशाद बरुड	उपजिला विकास अधिकारी, एवं पदेन सचिव, नागौर।	उप जिला विकास अधिकारी, बाड़मेर।
31.	,, पंकज मम.	सहायक भू-प्रबन्ध एवं भू-अभिलेख अधिकारी, उदयपुर।	12-7-81 से अब तक।

1	2	3	4
32.	सर्व श्री एन. के. असवाल	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर।	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (मुख्यालय) अलवर।
33.	,, अशोक कुमार तनवारिया	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।	सहायक भू-प्रबन्ध एवं भू-अभिलेख अधिकारी, जोधपुर।
34.	,, एम. एल. वर्मा	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सीकर।	सहायक निदेशक, शहरी भूमि सिलिंग, पाली।
35.	,, बी. एल. वर्मा	तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण), सीकर।
36.	,, ओम प्रकाश	तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी (भूमि रुपान्तरण), सिरोही
37.	,, माधोलाल भट्ट	तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी (भूमि रुपान्तरण), सवाई माधोपुर।
38.	,, गंगासहाय वर्मा	तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण), चितौड़गढ़।
39.	,, आर. एल. बैरवा	तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण), सीकर।
40.	,, रामस्वरूप नरेनिया	तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी, (भूमि रूपान्तरण), सवाई माधोपुर।
41.	,, भगवाना राम	तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) बूंदी।
42.	,, कल्याण सहाय वर्मा	जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर।	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बांदीकूई।

आर. ए. एस. में अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों की सूची-

क्र. संख्या 1	नाम अधिकारी 2	15-7-81 से पहले का पदस्थापन 3	वर्तमान पदस्थापन 4
1.	श्री पी. एल. मीना	अतिरिक्त उप निवेशन आयुक्त (सी. ए. डी.), राजस्थान नहर योजना, बीकानेर ।	भू-प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर ।
2.	श्री आर. सी. जैफ	अतिरिक्त कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अलवर	उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यक कर विभाग, जोधपुर ।
3.	श्री के. आर. मीना	अतिरिक्त कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगानगर	प्रधानाचार्य, ए. सी. आर. टी. स्कूल, टौंक ।
4.	श्री डी. आर. मीना	रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, कोटा	अतिरिक्त कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।
5.	श्री रामजीवन मीना	सहायक आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जयपुर ।	आबकारी अधिकारी, जयपुर।
6.	श्री बदरी लाल	प्रोजेक्ट आफिसर, एग्रीकलचर कम केटल ब्रीडिंग स्कीम, बाड़मेर	अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण), अलवर, ।
7.	श्री जे. पी. चन्देलिया	सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर	प्रेजेन्टीग ऑफिसर, विभागीय जांच, जयपुर ।
8.	श्री आर. एल. जूनवाल	जिला आबकारी अधिकारी, गंगानगर ।	दिसम्बर, 79 से अब तक ।
9.	श्री एस. एन. न्यादवाल	अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण), जयपुर	अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण), चूरू ।
10.	श्री एस. एम. मीना	विशिष्ट सहायक, समाज कल्याण मंत्री	उप निदेशक (अपीलेट आथोरिटी (भूमि एवं भवन कर), जयपुर ।
11.	श्री एच. के. डामोर	जिला रसद अधिकारी, अजमेर ।	दिसम्बर, 80 से अब तक।
12.	श्री लक्ष्मण लाल मीना	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टौंक	अगस्त, 79 से अब तक ।

171

1	2	3	4
13.	श्री गजेन्द्र सिंह	सहायक भू-प्रबन्ध एवं भू-अभिलेख अधिकारी, जयपुर	दिसम्बर, 80 से अब तक ।
14.	श्री कुलदीप नीमरोट	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किशनगढ बास	उपखंड अधिकारी, राजगढ, अलवर ।
15.	श्री के. आर. कमलेश	उपखंड अधिकारी, बून्दी	उपखंड अधिकारी, बगू
16.	श्री राम गोपाल चीता	उप जिला विकास अधिकारी एव पदेन सचिव, जिला परिषद, सवाई माधोपुर	उपायुक्त, उप निवेशन, नाचना, मु. जैसलमेर ।
17.	श्री भैरू लाल मीना	जिला परिवहन अधिकारी, सीकर	फरवरी, 81 से अब तक ।
18.	श्री एस. आर. प्रतिहार	उपखंड अधिकारी, (राजगढ) चूरू	प्रोजेक्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर कम केटल ब्रीडिंग स्कीम, बाडमेर ।
19.	श्री राम खिलाड़ी मीना	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भरतपुर	फरवरी, 81 से अब तक
20.	श्री एल. आर. मीना	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (मुख्यावास) डूंगरपुर	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटपुतली, (मुख्यावस) शाहपुरा ।
21.	श्री रामनिवास मीना	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	उपखंड अधिकारी, किशनगढ बास ।
22.	श्री जी. डी. आर्य	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाडमेर	19-2-81 से अब तक ।
23.	कु. हंसा सिंह देव	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर	मार्च, 81 से अब तक ।
24.	श्री के. एल. मीना	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोंक	सहायक आयुक्त उपनिवेशन धरसाना, अनूपगढ, गंगानगर ।

1	2	3	4
25.	श्री जे. पी. मीना	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अलवर ।	उप जिला विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव, जिला परिषद, जैसलमेर ।
26.	श्री सी. एल. मीना	सहायक निदेशक, अरबन लैंड सीलिंग, सीकर	जुलाई, 81 से अब तक।
27.	श्री शम्भू सिंह	तहसीलदार	उपखंड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण), झालावाड़ ।
28.	श्री जयनारायण मीना	तहसीलदार	उपखंड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण), चित्तोडगढ ।
29.	श्री के. एल. मीना	तहसीलदार	उपखंड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण); सिरोही ।
30.	श्री बुद्धराम मीना	तहसीलदार	उपखंड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण), बून्दी ।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची)

List of doctors and nursing staff working on deputation at General Hospital, Alwar or outside of Alwar (Alwar District)

Sl. No.	Name of employees with designation	Place of posting	Place of deputation with date	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Dr. G. S. Garg, C.A.S.	P.H.C., Gandala	Gen. Hosp., Alwar, 25-12-81	Due to non-posting of Anaesthetists
2.	Smt. Shanti Devi, A.N.M.	Govt. Disp., Jodiya	Gen. Hos., Alwar, 24-11-78	Due to shortage of staff & up gradation of Gen. Hospital.
3.	Smt. Saroj Devi, A.N.M.	Aid post, Khera	Gen. Hospital, Alwar, 18-1-79	-do-
4.	Smt. Kiran Devi, A.N.M.	P.H.C., Rampur, Sub-centre, Mothuka	Gen. Hosp., Alwar, 11-9-79	-do-
5.	Smt. Sharda Devi, Gupta, A.N.M.	P.H.C., Tijara, Sub-Centre, Milk-pur Turk	Gen. Hospital. Alwar, 11-5-80	Due to F.W. Camp.
6.	Smt. Kanta Kumari, A.N.M	P.H.C., Malakhera, S.C. Bhagat-pur	Gen. Hosp., Alwar, 19-1-80	Due to shortage of staff & up-gradation of Gen. Hospital.
7.	Smt. Shama, Sharma, A.N.M.	P.H.C., Kathumar, S.C. Doroli	Gen. Hospital, Alwar, 20-10-77	-do-
8.	Smt. Sobhag-wati, A.N.M.	P.H.C. Kotkasim S.C. Kutub-pur	City disp., No. 1, Alwar, 30-4-80	Due to shortage of staff.

1	2	3	4	5
9.	Smt. Mahendra Devi, A.N.M.	P.H.C., Tijara S.C.	Zanana Hosp.. Alwar 1-7-80	Due to shortage of staff.
10.	Smt. Kanta Devi Tongra, A.N.M.	P. H. C., Govindgarh, S. C. Molia	Zanana Hosp., Alwar, 27-7-80	—do—
11.	Smt. Dolly Grace, A.N.M.	P. H. C., Govindgarh, S.C.Malawali	Zanana Hosp., Alwar, 20-8-79	—do—
12.	Smt. Sarsamma, A.G.A.N.M.	P. H. C., Majarikalan S.C.Jetpur	Zanana Hosp., Alwar, 8-9-78	—do—
13.	Smt. Kalawati/ Navraj, A.N.M.	P.H.C.. Majrikalan, S.C.Bichpuri	Zanana Hosp. Alwar, 24-7-80	—do—
14.	Smt. Surendra Kaur hawla, A.N.M.	P.H.C., Malakhaera., S.C. Chandoli	Zanana Hosp. Alwar, 28-11-77	Due to non-availability of sub-centre building.
15	Smt. Guru Sharan Kaur, A.N.M.	P.H.C. Tehla	Dy. C.M.H.O. (F.W.) Alwar, 25-3-80	Due to F.W. Camp.
16.	Smt. Pushpa, A.N.M.	Govt. Disp.. Guwalda	Gen Hosp.. Alwar. 23-9-78	Due to non-availability of Disp.. building.
17.	Sh. Gugan Ram, Radiographer	Refereal hosp.. Govind garh	R.R. Hosp. Barrod. 1-4-81	Due to not working of X-Ray machine of Govindgarh.
18.	Smt. Kistoori Devi. Dai	Aid post, Bhonkar	Zanana Hosp., Alwar 28-10-80	Due to shortage of staff.
19.	Sh. Ramji lal Gupta, Male nurse Gr. I	Zanana Hosp., Alwar	G.D. Jat, Behror 22-8-81	Due to no post of doctor.
20.	Sh. Suresh Chandra A.H.W.	Govt. Disp., Neemuchana	Govt. Disp., Bansur 4-7-81	Due to no sanction of the M.C.W. staff.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL AND HEALTH DIRECTORATE,
RAJASTHAN, JAIPUR

No. EG/F. 1/Circular/81/1438 *Dated 25th Sept., 1981*

OFFICE ORDER

It is hereby ordered that no doctors/Nursing staff or other non-Gazetted staff will be deputed from peripheral institutions to district headquarters without obtaining written permission of this Directorate. If any person is working on deputation presently, he should be relieved immediately under an intimation to this office.

Sd/-

(B. M. Sharma)
Director of Medical and Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

No. EG/F. 1/Circular/81/1438 *Dated 25th Sept., 1981*

Copy forwarded for information and necessary action to:—

1. P. S. to H. M. /Secretary to Government Medical and Public Health Deptt., Rajasthan, Jaipur.
2. All Chief Medical and Health Officers.
3. All Dy. C. M. & H. O.s—Health/Family Welfare, Malaria.
4. Asstt. Director (Malaria), Jaipur, Jodhpur, Bikaner, Kota, Udaipur.
5. All Officers of this Directorate.
6. All Office Supdts./Section Incharge, Medical and Health Directorate:—

Sd/-

(B. M. Sharma)
Director of Medical and Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का विवरण)

"पंचायत समिति, रानीवाड़ा (जिला-जालौर) को शिक्षा कर से प्राप्त राशि व व्यय का विवरण"–

वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि का विवरण
1961-62	निल	
1962-63	निल	
1963-64	3501.39	
1964-65	66322.36	
1965-66	61940.19	
1966-67	20008.44	वर्ष 1963-64 से 1971-72 तक जो राशि पंचायत समिति को कर वसूली से प्राप्त हुई है, उसमें समस्त प्रकार के कर अर्थात शिक्षा कर भू-राजस्व कर, व्यापार आदि से राशि सम्मिलित है।
1967-68	14181.13	
1968-69	45449.99	
1969-70	14.10	
1970-71	23495.67	
1971-72	9722.28	
1972-73	333.00	2839.95
1973-74	38.90	586.00
1974-75	32.00	615.00
1975-76	13113.00	—
1976-77	42543.00	—
1977-78	21454.00	3750.00
1978-79	22691.00	—
1979-80	6803.00	17388.23
1980-81	9140.00	144.00
1981-82	1000.93	
		25323.18

पंचायत समिति, जसवन्तपुरा, जिला जालौर से शिक्षा कर से प्राप्त राशि का विवरण—

वर्ष	प्राप्त राशि
1976-77	निल
1977-78	निल
1978-79	7197.00
1979-80	5850.00
1980-81	77[illegible]9.00

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची)

तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर के स्थानों पर नलकूप खोदने की संभावना की सूची :-

(1) कपराऊ
(2) कान्द्रा
(3) आलमसर
(4) अटाडियम
(5) धनाऊ
(6) आलू का तला
(7) पीरे का तला

परिशिष्ट-9
(अतारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

(Department of Personnel-A-Gr. II)

No. F. 3 (3) DOP/A-II/77, Jaipur, Dated 15th March, 1978.

ORDER

Sub.:—Release of Annual Grade increment to Stenographers.

The question of regularising the appointment of Stenographers Grade II, appointed on an *ad-hoc* basis prior to 1-1-1976 and the grant of regular Annual Grade Increments to them has been engaging the attention of the Government and the Governor has in supersession of the Order No. F. 3(3) DOP/A-II/77, dated the 28th July, 1977 been pleased to order as below:—

1. All Stenographers appointed on an *ad-hoc* basis prior to 1-1-1976 who fulfil the following qualifications may be considered as regularly appointed in service and granted increments as normally due after 31-3-1972 as arrears:—

(a) have passed a Degree Examination from a University established by Law in India or qualifications declared equivalent with Stenography as one of the papers;

OR

(b) have passed Higher Secondary Examination from a recognised Board of Secondary Education with Stenography as one of the papers or passed the Examination held by the H. C. M. State Institute of Public Administration or Diploma of a Industrial Training Institute or Bhasha Vibhag or the O. & M. Examinations in Stenography.

2. All Stenographers Grade II appointed on an *ad hoc* basis prior to 1-1-1976 who are not covered by

No. 1 above may be treated as regularly appointed in service on their passing a speed test to be held by an Institution to be prescribed at the standards for Hindi and English Stenography and typing prescribed for the Higher Secondary Board Examination.

3. Not more than two chances shall be given for passing the qualifying test as indicated at 2 above.

4. Stenographers who appear in and pass in the first test held as per 2 above, shall be entitled to receive increments as normally due after 31-3-1972 as arrears and to continue to draw increments thereafter as due.

5. Stenographers Grade II who do not appear in or fail to pass in the first test to be held but who pass in the second such test, shall have their pay fixed from the date of their passing by counting increments as would have normally fallen due from the date of their *ad-hoc* appointments, but no arrears shall be paid.

6. Stenographers who do not appear in/fail in both the aforesaid tests will be liable to be reverted or have their services terminated, as the case may be.

Note:—A recognised School leaving certificate/diploma obtained prior to 1958 shall be considered equivalent to Higher Secondary Board Certificate and make the holder qualified for appointment under Rule 7 (a) of the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff Rules, 1957.

This Order shall also apply *mutatis mutandis* to Stenographers of the Rajasthan Secretariat, Governor's Secretariat, Rajasthan Public Service Commission, Rajasthan Legislative Assembly and Lokayukta Sachivalaya who are holding *ad-hoc* appointment on the post of Stenographers.

This issues with the concurrence of the Finance Department (Rules) vide their No. 6422/FC/77, dated the 12th September, 1977.

(Arun Kumar)

Special Secretary to the Government.

Copy forwarded to :—

1. The Secretary to the Governor/Chief Minister
2. All Secretaries to the Government.
3. All Private Secretaries to Ministers/State Ministers.
4. All Heads of the Departments.
5. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
6. All Sections/Groups of the Secretariat.

(Om Datta Sharma)

Assistant Secretary to the Government.

Copy also forwarded to :—

1. The Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer;
2. The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
3. The Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/Jaipur.
4. The Registrar, Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunal), Jaipur.
5. The Authorised Government Representative, Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunal), Jaipur.
6. The Secretary, Lok Ayukata Sachivalaya, Rajasthan. Jaipur.

(Om Datta Sharma)

Assistant Secretary to the Government.

(181)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

(Department of Personnel-A-Gr. II)

No. F. 3(4) DOP/A-II/77, *Dated 23rd May, 1979.*

CIRCULAR

Sub.—Release of Annual Grade increments to Stenographers.

In this Department Circular No. F. 3 (3) DOP/A-II/77, dated the 15th March, 1978.

(I) Substitute :—

(i) the existing expression "1-1-1976" occurring between the expression "prior to" and the expression "who fulfil" at Serial No. 1, by the expression "31-7-1977";

(ii) the existing expression "1-1-1976" occurring between the expression "prior to" and the expression "who are not" at Serial No. 2, by the expression "31-7-1977";

(iii) the existing expression "an Institution to be prescribed" occurring between the expression "to be held by" and the expression "at the standards" at Serial No. 2 by the expression "the Harish Chandra Mathur State Institute of Public Administration in English Shorthand and type-writing in English and by the Bhasha Vibhag in Hindi Shorthand and type-writing in Hindi";

(iv) the existing expression "two chances" occurring between the expression "Not more than" and the expression "shall be given" at S. No. 3, by the expression "three chances";

(v) the existing expression "second such test" occurring between the expression "who pass in the" and the expression "shall have their pay" at Serial No. 5, by the expression "second or third test";

(II) delete:—

the existing expression "both" between the expression "appear in/fail in" and the expression "the aforesaid tests" at Serial No. 6;

(III) the existing "Note" be treated as "Note (1)" and thereafter the following "Note (2)" be added, namely :—

"Note (2):—The persons who have been appointed to the post of Stenographer Grade II prior to 10-5-1972 and have possessed the High School Examination Certificate from a Board of Secondary Education recognised by the Government shall also be allowed their annual grade increments."

This issues with the concurrence of the Finance Department (Rules) vide their I. D. No. 267/FD/Gr. II/79, dated the 1st February, 1979.

(Arun Kumar)
Special Secretary to the Government.

Copy to:—

1. The Secretary to the Governor/Chief Minister.
2. All Secretaries to the Government.
3. All Private Secretaries to Ministers/State Ministers.
4. All Heads of the Departments.
5. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
6. All Sections/Groups of the Secretariat.

Assistant Secretary to the Government.

Copy also forwarded to:—

1. The Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer;
2. The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
3. The Registrar, Rajasthan High Court, Jaipur/Jodhpur.
4. The Registrar, Rajasthan Civil Service (Service Matters Appellate Tribunal), Jaipur.
5. The Secretary, Lokayukta, Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.
6. The President, Rajasthan Stenographer's Association, Jaipur.

(Om Datta Sharma)
Assistant Secretary to the Government.

183

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,

कार्मिक (क–2) विभाग।

क्रमांक प. 3 (4) कार्मिक क–2/77 दिनांक 23 मई, 1979

निदेशक,
राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1957 में किए गए संशोधन की अधिसूचना दिनांक 23–5–1979 की प्रति राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) भाग 4 (ग) एस. आर. 2, दिनांक 24-5-1979 में प्रकाशित किए जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

कृपया, अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत-पत्र जारी करने की व्यवस्था करावे।

ह.
सहायक शासन सचिव।

प्रतिलिपिः–

(1) अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 24-5-79 के राजस्थान राजपत्र (विशेषांक), भाग 4 (ग) में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित है। कृपया, अधिसूचना से संबंधित राज-पत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।

(2) शासन सहायक सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिवालय को मंत्रिमंडल की उपसमिति की आज्ञा संख्या 11/79, दिनांक 1-5-1979 के क्रम में।

(3) सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) को, 9 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

(4) सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) विभाग।

(5) विधि (संहिताकरण) विभाग एवं विधि पुस्तकालय को दो अतिरिक्त प्रतियां सहित।

(6) महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।

(7) समस्त कर्मचारी संघ, जयपुर।

(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग अधिकारी

ह.

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपियां निम्न को भी :–

(1) सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियां सहित।

(2) सचिव, राजस्थान विधान सभा (अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) ।

(3) सचिव, राज लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।

(4) पंजीयक, राज. उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।

(5) पंजीयक, राज. सिविल सर्विसेज (अपील अधिकरण), जयपुर ।

(6) प्राधिकृत सरकारी प्रतिनिधि, राजस्थान सिविल सर्विसेज (अपील अधिकरण), जयपुर ।

(7) सरकारी मुख्य सचेतक, राज. विधान सभा, जयपुर ।

ह.

सहायक शासन सचिव ।

प्रतिलिपियां निम्न को भी:–

(1) निजि सचिव मुख्य मंत्री को 3 प्रतियां सहित/सचिव/मुख्य मन्त्री को 3 अतिरिक्त प्रतियां सहित कमरा नं. 138 मुख्य मंत्री कार्यालय लेखा प्रकोष्ठ को 3 अतिरिक्त प्रतियां सहित ।

(2) निजि सचिव, शासन विशिष्ठ सचिव, शासन उप-सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।

(3) गार्ड फाईल।

ह.

सहायक शासन सचिव ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

(Department of Personnel-A-Gr. II)

No. F. 3(4) DOP/A-II/77 *Dated 23rd May, 1979.*

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendments to the Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules:—

(1) in sub-rule (5-A) of rule 5, the expression "or the Steno-typist, as the case may be", shall be inserted between the expression "to the post of Stenographer" and the expression "subject to the availability";

(2) in sub-rule (5-A) of rule 5, the existing expression "1-1-1976" occurring between the expression "on or before" and the expression "and whose work" shall be substituted by the expression "31-7-1977";

(3) in sub-rule (6) of rule 5, the expression "or the Steno-typist, as the case may be", "shall be inserted between the expression "Stenographers" and the expression "prior to 1-1-1976";

(4) in sub-rule (6) of rule 5, the existing expression "1-1-1976" occurring between the expression "prior to" and the expression "who are not covered" shall be substituted by the expression "31-7 1977";

(5) in sub-rule (6) of rule 5, the existing expression "an Institution recognised by the Government." occurring between the expression "to be held

186

by" and the expression "Not more than" shall be substituted by the expression "the Harish Chandra Mathur State Institute of Public Administration in English Stenography and type-writing in English and by the Bhasha Vibhag in Hindi Stenography and type-writing in Hindi";

(6) in sub-rule (6) of rule 5, the existing expression "two chances" occurring between the expression "Not more than" and the expression "shall be given" shall be substituted by the expression "three chances";

(7) the existing "Part II" of Schedule II, shall be substituted by the following, namely :—

"PART-II"

For Stenographers

A candidate shall be required to pass either English Stenography and Type-writing in English or Hindi Stenography and Type-writing in Hindi and qualifying Examination for the post of Stenographer shall consist of the following subjects :—

1.	English Short-hand Test ... ... (The test shall consist of dictation of 100 words per minute.)	100 Marks.
2.	English Type-writing Test ... ... (The test shall consist of speed test and efficiency test carrying 50 marks each. The speed shall be 40 words per minute.)"	100 Marks.
3.	Hindi Short-hand Test ... ... (The test shall consist of dictation of 80 words per minute.)	100 Marks
4.	Hindi Type-writing Test ... ... (The test shall consist of speed test	100 Marks.

and efficiency test carrying 30 marks each. The speed shall be 30 words per minute.)"

By Order and in the name of the Governor,

Sd/- (Arun Kumar)
Special Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

(Department of Personnel-A-Gr. II)

No. F. 3(4) DOP/A-II/77, *Dated 23rd May, 1979.*

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendments to the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1957, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules:—

(1) in sub-rule (7) of rule 7, the expression "or the Steno-typist, as the case may be", shall be inserted between, the expression "Stenographer Grade II" and the expression "subject to the availability",

(2) in sub-rule (7) of rule 7, the existing expression "1-1-1976" occurring between the expression "on or before" and the expression "and whose work" shall be substituted by the expression "31-7-1977."

(3) in sub-rule (8) of rule 7, the expression "or the Steno-typist, as the case may be", shall be inserted between, the expression "Stenographer Grade II", "and expression prior to 1-1-1976";

(4) in sub-rule (8) of rule 7, the existing expression "1-1-1976" occurring between the expression "prior to" and the expression "who are not covered" shall be substituted by the expression "31-7-1977";

(5) in sub-rule (8) of rule 7, the existing expression "an Institution recognised by the Government" occurring between the expression "to be held by" and the expression "Not more than" shall be substituted by the expression "the Harish Chandra Mathur State Institute of Public Administration in English Stenography and type-writing in English and by the Bhasha Vibhag in Hindi Stenogrophy and type-writing in Hindi";

(6) in sub-rule (8) of rule 7, the existing expression "two chances" occurring between the expression "Not more than" and the expression "shall be given" shall be substituted by the expression "three chances";

(7) the existing Part III" of Schedule I, shall be substituted by the following namely:—

"PART-III"

For Stenographers

A candidate shall be required to pass either English Stenography and Type-writing in English or Hindi Stenography and Type-writing in Hindi and qualifying Examination for the post of Stenographer Grade II shall consist of the following subjects :—

1. English Short-hand Test ... ... 100 Marks.
(The test shall consist of dictation of 100 words per minute.)

(189)

2.	English Type-writing Test ... ... (The test shall consist of speed test and efficiency test carrying 50 marks each. The speed shall be 40 words per minute).	100 Marks.
3.	Hindi Short-hand Test ... ... (The test shall consist of dictation of 80 words per minute.)	100 Marks.
4.	Hindi Type-writing Test ... ... (The test shall consist of speed test and efficiency test carrying 50 marks each. The sped shall be 30 words per minute.)	100 Marks.

Note:—The test shall be held after every six months."

By Order and in the name of the Governor,

Sd/- (Arun Kumar)
Special Secretary to the Goverment.